षोडश माला, खंड 09, अंक 24

शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2015
04 वैशाख, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 09 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

24.04.2015

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 09, चौथा सत्र, 2015 / 1937 (शक)
अंक 24, शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2015 / 04 वैशाख, 1937 (शक)

विषय	**पृष्ठ संख्या**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 441 से 444	17-45
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**46**
तारांकित प्रश्न संख्या 445 से 460	
अतारांकित प्रश्न संख्या 5061 से 5290	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

24.04.2015

सभा पटल पर रखे गए पत्र 47-56

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति 57-58

कृषि संबंधी स्थायी समिति

आठवाँ और नौवां प्रतिवेदन 58

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

पाँचवें से आठवाँ प्रतिवेदन 59

वित्त संबंधी स्थायी समिति

10वें से 14वां प्रतिवेदन 60

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

सातवें से दसवां प्रतिवेदन 61

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

185वां तथा 186वां प्रतिवेदन 62

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

82वें से 84वां प्रतिवेदन 63

मंत्री द्वारा वक्तव्य

योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 4वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

राव इंद्रजीत सिंह 64

सभा का कार्य 65-72

समिति के लिए निर्वाचन

तम्बाकू बोर्ड 73

विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015 75

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 77

सदस्यों द्वारा निवेदन

संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार तथा पारित किए जाने के लिए कार्य सूची में सूचीबद्ध करने के बारे में **78-105**

24.04.2015

संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014

विचार करने के लिए प्रस्ताव	106-114
श्री अरुण जेटली	113-114
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2015-2016	**117-231**
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	
श्री आर. ध्रुवनारायण	117-119
डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'	120-126
श्री एम. उदय कुमार	127-132
श्री पी.पी. चौधरी	133-135
श्री अजय मिश्र टेनी	136-137
श्री रवीन्द्र कुमार जेना	138-144
श्रीमती किरण खेर	145-148
श्री के. परसुरमन	149-151
श्रीमती रीता तराई	152-153
श्रीमती बी. सत्यबामा	153-157
प्रो. सुगत बोस	158-164

24.04.2015

डॉ. जे. जयवर्धन	164
श्री शंकर प्रसाद दत्ता	165-166
श्री तथागत सत्पथी	167-174
श्री निशिकांत दुबे	176-181
श्री पी. के. बिजू	182-185
डॉ. रविन्द्र बाबू	186-189
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	190-192
श्री राम टहल चौधरी	192-193
श्री सुमेधानन्द सरस्वती	194-196
श्री वारा प्रसाद राव वेलगापल्ली	197-201
डॉ. किरिट पी. सोलंकी	202-203
श्री भैरों प्रसाद मिश्र	203-204
डॉ. ममताज संघमिता	205-206
श्रीमती सुप्रिया सुले	207-212
श्री बिद्युत बरन महतो	213
कुमारी सुष्मिता देव	214-217

24.04.2015

श्री देवजी एम. पटेल 218-220

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू 221-222

श्री टी.आर. सुन्दरम 223-225

श्री प्रेम दास राय 226-231

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 232

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुर:स्थापित

(एक) एचआईवी/एड्स विधेयक, 2015,

डॉ. किरिट पी .सोलंकी 233

(दो) कृषक कल्याण विधेयक , 2015

श्री राकेश सिंह 234

(तीन) कन्या (निःशुल्क और अनिवार्य) शिक्षा विधेयक, 2015,

श्री राकेश सिंह 235

(चार) एक समान शिक्षा विधेयक, 2015

श्री राकेश सिंह द्वारा 236

(पाँच) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (गुड़गांव में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक , 2015

श्री दुष्यंत चौटाला 238

(छः) राष्ट्रीय कृषक आयोग विधेयक, 2015

श्री देवजी एम. पटेल 239

(सात) चारा भाण्डागार बोर्ड विधेयक, 2015

श्री देवजी एम. पटेल 240

(आठ) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक , 2015

(अनुसूची में संशोधन)

श्री विष्णु दयाल राम 241

(नौ) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक , 2015

श्री हरि नारायण राजभर 242

(दस) मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2015

श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा 243

(**ग्यारह**) विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, 2015 (धारा 5 का संशोधन)

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 244

(बारह) ट्रांसजेंडर व्यक्ति (सामाजिक सुरक्षा का उपबंध) विधेयक , 2015

श्री महेश गिरी 245

(तेरह) भिक्षावृत्ति का प्रतिषेध तथा भिखारियों का पुनर्वास विधेयक, 2015

डॉ. किरिट पी . सोलंकी 246

(चौदह) राष्ट्रीय कृषक आय आयोग विधेयक, 2015

श्री आर. ध्रुवनारायण 247

(पंद्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री अश्विनी कुमार चौबे 248

(सोलह) चिकित्सा उपकरण विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2015

डॉ. संजय जयसवाल 249

(सत्रह) शहीद (पर्याप्त प्रतिकर की संदायगी) विधेयक , 2015

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा 250

(अट्ठारह) बोस रेजिमेंट विधेयक, 2015

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा 251

(उन्नीस) संविधान (संशोधन) विधेयक , 2015 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र 252

(बीस) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 (अनुसूची का संशोधन)

श्री आलोक संजर 253

(इक्कीस) लेखक और कलाकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक , 2015

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी 254

(बाईस) सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण विधेयक , 2015

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी 255

(तेईस) गाय और अन्य दुधारू पशु (वध, निर्ममता का प्रतिषेध और अन्य उपबंध) विधेयक , 2015

श्री निशिकांत दुबे 256

(चौबीस) सूखा प्रभावित और सूखा प्रवण क्षेत्र (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015

श्री निशिकांत दुबे 257-258

(पच्चीस) निर्धन, अनाथ, आवारा और अन्य निराश्रित बालक (दुर्व्यवहार का निवारण, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2015

श्री निशिकांत दुबे द्वारा 259-260

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014

विचार करने के लिए प्रस्ताव 261

श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' 261-270

डॉ. सत्यपाल सिंह 271-274

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 275-278

श्री जगदम्बिका पाल 279-284

श्री रत्न लाल कटारिया	284-286
श्री पी.पी. चौधरी	287-288
श्री भर्तृहरि महताब	288-294
श्री हुकमदेव नारायण यादव	294-297
श्री भैरों प्रसाद मिश्र	297-300
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	301-303
श्री भगवंत मान	304-307
श्री ओम बिरला	308-310

24.04.2015

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना दे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2015 / 04 वैशाख, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदया, आज के कार्यसूची में एक संविधान संशोधन विधेयक सूचीबद्ध किया गया है, जबकि इस पर बी.ए.सी. में कोई चर्चा नहीं हुई है.. (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री के.सी. वेणुगोपाल और श्री तथागत सत्पथीसे स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं।

जहां तक श्री के.सी.वेणुगोपाल के नोटिस का प्रश्न है, यह मामला कल सभा में पहले ही उठाया जा चुका है। इस विषय पर आत्महत्या अथवा जो भी हो, उस पर दो घंटे की चर्चा हो चुकी है। गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसमें भाग लिया।

जहाँ तक श्री ताथागत सत्पथी के नोटिस का प्रश्न है, यह विषय यद्यपि महत्त्वपूर्ण है, परंतु आज के कार्यों में बाधा डालने योग्य नहीं है।

इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव के इन नोटिसों को अस्वीकार कर दिया है।

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, यह गंभीर चिंता का विषय है और आपको कम-से-कम शून्य काल के दौरान अनुमति देनी चाहिए।.... (*व्यवधान*)

24.04.2015

<u>पूर्वाह्न 11.01 बजे</u>

प्रश्नों के मौखिक उत्तर□

माननीय अध्यक्ष: सभा में अब प्रश्नकाल चलेगा। प्रश्न संख्या 441

…(*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 441)

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार: अध्यक्ष महोदया, मूल प्रश्न की विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखी गयी है। ...(व्यवधान) यह सब्सिडी समाज के कमजोर वर्गों के लिए दी जाती है। यह सब्सिडी जिनके लिए है, उन तक पूरी पहुंचे, यह आवश्यक है। इस दृष्टि से सरकार का एलपीजी सिलेंडर के संबंध में निर्णय अत्यंत सराहनीय है। देश में किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में लगभग 70 हजार करोड़ रुपये देती है, परन्तु उसका सबसे अधिक लाभ बड़ी-बड़ी कम्पनीज को होता है। किसान को उसका कोई सीधा लाभ नहीं होता। इसी प्रकार से सरकार गरीब उपभोक्ताओं को सस्ता राशन देने के लिए लगभग एक लाख 22 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है। योजना आयोग की एक जांच के अनुसार लगभग 30 से 40 प्रतिशत लिकेज होती है, जिस कारण वह मिलता नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का 70 हजार करोड़ रुपया सीधा इनपुट सब्सिडी के रूप में किसानों के खाते में जमा करवाने और गरीब उपभोक्ताओं के लिए दिये जाने वाला एक लाख 22 हजार करोड़ रुपया डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किये जाने का प्रस्ताव क्या सरकार के विचाराधीन है?

□ प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदया, डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर एक व्यवस्था है, जिसके लिए पूरा बैकबोन बनाना बहुत आवश्यक है। इसका आईटी बैकबोन बने और जितने भी लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं, उन तक पहुंचने की उसकी क्षमता बने। एलपीजी के संबंध में यह व्यवस्था बनी है। अन्य सब्सिडीज़ के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी। यह वैकल्पिक तरीका है। हो सकता है हम आने वाले समय में इस दिशा में बढ़ें। इसके लिए तैयारी होती है, जब तक तैयारी पूरी न हो जाए तब तक उसे लागू कर पाना संभव नहीं होता।

माननीय सदस्य ने फूड सब्सिडी के बारे में कहा है, इस फ्रेमवर्क को 11 राज्यों ने स्वीकार किया है और लागू किया है। अन्य राज्य लागू करेंगे तभी इस प्रकार के सुझावों पर आगे विचार होगा।

श्री शान्ता कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के बजट की मोटी तस्वीर यह है कि देश की कुल आय लगभग 11-11.5 लाख करोड़ रुपए और खर्च लगभग 17-17.5 लाख रुपए है। कुल घाटा 5-5.5 लाख करोड़ रुपए का है। देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राष्ट्रसंघ की रिपोर्ट कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग भारत में रहते हैं। इस दृष्टि से और अधिक साधन जुटाने की आवश्यकता है। आज के प्रश्न के उत्तर में अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही गई है, मैं सराहना करता हूं कि सरकार ने सरकारी विभागों के खर्चों में वित्तीय अनुशासन कठोरता के साथ फाइव स्टार कल्चर को रोकने की बात कही है। मैं सराहना करते हुए पूछना चाहता हूं कि यह निर्देश विभागों को कब दिए गए और इससे कितनी बचत हुई है?

इस देश के विभिन्न प्रदेशों में गैर योजना व्यय का बहुत खर्च किया जाता है। यदि इसी प्रकार की बचत केंद्र सरकार करती है और प्रदेश भी करते हैं तो अति गरीबी को दूर करने के लिए बहुत से साधन जुटाए जा सकते हैं। क्या सरकार अपने यहां इस प्रकार के निर्देश देने के साथ राज्य सरकारों को सलाह देने की बात सोचती है?

श्री अरुण जेटली: माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, वित्तीय अनुशासन, फिसकल डिसिप्लेन में अनुशासन मैन्टेन करने और डेफिसिट को पूरा करने के दो रास्ते हैं या तो सरकार अपना खर्च कम करे या सरकार की

आमदनी बढ़े। आपने खर्च कम करने के संबंध में पूछा है, समय-समय पर सरकार अपने विभागों को लिखती है कि कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें खर्च कम किया जा सकता है। इसमें एक चैप्टर ऑस्टेरिटी मीजर्स का होता है। आपने जो संकेत किया वह ऑस्टेरिटी मीजर्स के संबंध में है। इसी प्रश्न के उत्तर में मैंने यह भी कहा है कि आटोनोमस बॉडीज़ सैंटर, स्टेट को इस प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं। इस बात की सराहना करनी पड़ेगी कि देश के अधिकतर राज्य इसका पालन कर रहे हैं, इसलिए कम्बाइन्ड राज्यों का फिसकल डेफिसिट केंद्र से आज की तारीख में बेहतर है। इस अनुशासन का पालन देश भर में हो रहा है। आने वाले दो-तीन वर्षों में फिसकल डिसिप्लेन और कायम होने से डेफिसिट और कम होगा।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री कीर्ति आजाद – उपस्थित नहीं।

श्री के. एन. रामचन्द्रन: महोदया, अब मैं थोड़ा विषय से हटना चाहूंगा। मैं राजकोषीय घाटे से बचने के लिए सरकार की उपयुक्त कार्रवाई हेतु एक विनम्र सुझाव देना चाहता हूं।

पिछली लोक सभा के दौरान हमने सभी घोटालों की जननी, अर्थात् हिमालयन 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला देखा, जिससे सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। परसों केंद्रीय संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने लोक सभा को बताया था कि सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी से 1.1 लाख करोड़ रुपये कमाए हैं। इसके अतिरिक्त, हमें पता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के चेन्नई निवास पर 323 हाई स्पीड लाइनों वाले अवैध बी. एस. एन. एल. टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की गई है, ... *(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया)* जिससे राष्ट्र को 440 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

माननीय अध्यक्ष: आप नाम नहीं ले सकते।

श्री के. एन. रामचन्द्रन: हमने *एयरसेल-मैक्सिस डील में भी एक घोटाला देखा है...* *. यह महत्वपूर्ण है ... (*व्यवधान*) इन घोटालों से राजकोषीय घाटे के आंकड़ों में अंतर बढ़ जाता है। ... (*व्यवधान*) यदि यह धन सरकारी खजाने में आता, तो राजकोषीय घाटा इतना बड़ा नहीं होता।

माननीय अध्यक्ष: श्री रामचन्द्रन, कृपया मेरी बात सुनिए। कृपया किसी का नाम न लें। इसकी अनुमति नहीं है।

…(*व्यवधान*)

श्री के. एन. रामचन्द्रन: ठीक है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी 'सफेदपोश आर्थिक अपराधियों' के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे - मैं उन्हें कभी 'सफेदपोश आर्थिक अपराधी' नहीं कहूंगा... *' - ताकि उनकी संपत्तियां जब्त की जा सकें और धन सरकारी खजाने में लाया जा सके? ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना प्रश्न पूछें। यह तरीका उचित नहीं है। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

…(*व्यवधान*)

श्री के. एन. रामचन्द्रन: सरकार को इन अपराधियों के पासपोर्ट जब्त करने चाहिए, जो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह ठीक है। अगर मंत्री जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दे सकते हैं।

…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृतांत पर नहीं जा रहा है।

(*व्यवधान*)... *[*]

श्री अरुण जेटली: इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पहला कुछ प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन से संबंधित है। माननीय सदस्य ने स्पेक्ट्रम का उल्लेख किया है। वर्तमान सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है कि विवेकाधीन प्रक्रियाओं से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए और बाजार तंत्र को ध्यान में रखते हुए ही केवल व्यापक उपभोक्ता में ही सर्वोत्तम

[*]कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपलब्ध मूल्य का निर्धारण करना चाहिए तथा उसी तरीके से उसका आबंटन किया जाना चाहिए। यही वह नीति है, जिसके अनुसार स्पेक्ट्रम आबंटित किया गया है। संसद ने भी यही निर्णय लिया था कि अन्य खनिज, कोयला, आदि का आबंटन भी उसी आधार पर किया जाएगा।

जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, यह एक आपराधिक जांच से संबंधित है जिसे हमारी प्रमुख एजेंसियों में से एक, सी.बी.आई., संभाल रही है। कार्रवाई करना उसी एजेंसी का काम है।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है। धन्यवाद।

श्री पी. करुणाकरन: माननीय अध्मक्ष महोदया, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के भाग (अ) में कहा गया है कि अब पेट्रोलियम और डीजल दोनों को पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। सरकार ने 1 जनवरी से एल.पी.जी. सब्सिडी के लिए एक योजना भी शुरू की है ताकि दोहराव को रोका जा सके और अपव्यय को बंद किया जा सके। यह अलग मुद्दा है कि वे इसमें सफल हो पाए हैं या नहीं।

मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में महंगाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के संबंध में अब सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि इसे अब पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। पहले मूल्य स्थिरीकरण प्रणाली होती थी, जिसे भी समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के लिए इसे किसी भी तरह से नियंत्रित करना संभव है, क्योंकि कीमत को नियंत्रित करने की शक्ति पूरी तरह से निजी कंपनियों के हाथों में है। यह प्रणाली, जिसे अपव्यय को रोकने के लिए बनाया गया है, अच्छी है। लेकिन साथ ही, जब सरकार के पास नियंत्रण की कोई शक्ति नहीं है, तो इतने व्यापक क्षेत्र को सरकार कैसे नियंत्रित कर सकती है? क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री अरुण जेटली: यह हमारे विभिन्न क्रमिक सरकारों के अनुभव पर आधारित है कि किन उत्पादों को कितनी मात्रा में सब्सिडी दी जानी जहाँ तक उन उत्पादों का संबंध है जो पूरी तरह से समाज के कमजोर वर्गों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जैसे कुछ मामलों में उन्हें खाद्य सामग्री या उर्वरक प्रदान करना, ये सब्सिडियाँ समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए दी जाती हैं, और ये भारतीय समाज के संदर्भ में सामान्य रूप से बनी रहेंगी।

लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न क्रमिक सरकारों के सामूहिक ज्ञान के आधार पर, कुछ उत्पादों को बाजार से जोड़ा गया है। अब, पेट्रोल और डीज़ल उन उत्पादों में शामिल हैं जिन्हें बाजार से जोड़ा गया है। चूँकि वे बाजार से जुड़े हैं, सरकारें इसमें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करतीं। इसका प्रबंधन तेल कंपनियाँ करती हैं। ये पूरी तरह से निजी कंपनियाँ नहीं हैं। उनमें से कुछ राज्य क्षेत्र की कंपनियाँ भी हैं। इसलिए, जहां तक मूल्य तंत्र का संबंध है, यह सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय कीमतों से संबंधित है। केंद्र और राज्यों दोनों में इन के संबंध में सरकारों का एकमात्र तंत्र कराधान की राजकोषीय शक्ति है। यह केवल कराधान की शक्ति है, जिसके माध्यम से सरकारें यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि मूल्य वर्धन या परिवर्तन, क्या हो सकता है? इसके अलावा, वर्तमान में, सरकारों के पास कोई अन्य राजकोषीय उपकरण नहीं है। एकमात्र अन्य साधन, जिसे हमने कई क्रमिक सरकारों की समझदारी के बाद त्याग दिया है, वह इन विशेष उत्पादों पर सब्सिडी देना है।

प्रो. सुगाता बोस: मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने माननीय वित्त मंत्री को अपने बजट भाषण में यह कहते सुना कि वे अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए दो वर्षों के बजाय तीन वर्ष का समय देने जा रहे हैं। वास्तव में, यदि उन्होंने दो वर्षों के बजाय चार वर्ष का समय लिया होता, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। अब, सब्सिडी विधेयक ही वह एकमात्र व्यय नहीं है जो उनके राजकोषीय घाटे को प्रभावित करता है, भले ही हम सभी इस बात से सहमत हों कि सब्सिडियाँ, विशेष रूप से उर्वरक सब्सिडी, अधिक लक्षित होनी चाहिए। केवल मितव्ययिता उपायों से भी मदद नहीं मिलेगी। हमें वित्त मंत्री की कठिनाइयों को समझना होगा। वे इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, सरकार के कॉर्पोरेट मित्र बहुत उत्साही नहीं हैं और इसलिए वे बुनियादी ढाँचे में पर्याप्त निवेश नहीं करना चाहते। इसलिए, सरकार को ही निवेश करना होगा। वित्त मंत्री के पास एक उत्कृष्ट मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। मुझे उम्मीद है कि उन्हें यही सलाह मिली होगी। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछना चाहूँगा कि क्या वे इस सदन को यह आश्वासन देंगे कि इस सरकार के कार्यकाल की समाप्ति तक अगले चार वर्षों तक अवसंरचना में सार्वजनिक और सरकारी निवेश की बढ़ती प्रवृत्ति को जारी

रखेंगे ताकि हम वास्तव में अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और इस देश के आर्थिक विकास की नींव रख सकें।

श्री अरुण जेटली: महोदया, पिछले वर्ष से यू.पी.ए. सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का 4.1 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विश्व के समक्ष भारत की अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मैंने इस लक्ष्य को पूरी तरह सचेत रूप से स्वीकार करने का संकल्प किया था। मैंने पिछले वर्ष कहा था कि यह एक कठिन लक्ष्य है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने इसे प्राप्त कर लिया है। हालाँकि, अगले दो वर्षों में तीन प्रतिशत तक पहुँचने की यात्रा में कई चुनौतियाँ थीं।

पहली चुनौती इस वर्ष सामने आई जब विभाज्य पूल से 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि राज्यों को जाने लगी, जिससे केंद्र सरकार के मेरे हिस्से में कटौती हुई। दूसरी चुनौती यह है कि इस वर्ष वेतन आयोग की रिपोर्ट आने की संभावना है। तीसरी चुनौती यह है कि हमें अर्थव्यवस्था के पूरी तरह पटरी पर आने का भी इंतज़ार करना होगा। इसके साथ ही, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढाँचे पर अतिरिक्त व्यय किया जाना आवश्यक है। यदि मैंने इस दिशा में व्यय में कटौती करनी शुरू कर दी होती, तो इससे विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

इसीलिए मैंने बीच का रास्ता अपनाया कि तीन प्रतिशत तक पहुँचने की दो वर्ष की यात्रा अब तीन वर्षों की यात्रा हो जाएगी। इसलिए, इस वर्ष के लिए मेरा लक्ष्य 3.9 प्रतिशत, अगले वर्ष के लिए 3.6 प्रतिशत और उसके बाद के वर्ष के लिए तीन प्रतिशत है। इसी कारण, बुनियादी ढाँचे पर 70,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि जहां तक आगामी वर्षों का प्रश्न है, यात्रा कैसी होगी? निश्चित रूप से, यह उत्पन्न होने वाली स्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों के लिए, मैं विशेष महत्त्व देते हुए यह कहना चाहूँगा कि देश की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए यदि अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था होती है तो

मैं विशेष रूप से सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 68 वर्षों का अधूरा कार्य ही वर्तमान यथास्थिति और मौजूदा समस्याओं के लिए जिम्मेदार है।

माननीय अध्यक्ष: बहुत अच्छा। श्री दुष्यंत सिंह।

श्री दुष्यंत सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

मेरा मानना है कि माननीय मंत्री ने राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने तथा अगले कुछ वर्षों में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समुदाय तथा निवेशकों को स्थिरता और राजकोषीय उत्तरदायित्व के स्पष्ट बाजार संकेत देना आवश्यक है। कीनेसियन जैसे आर्थिक विचारक मानते हैं कि जब अनिवार्य रूप से धन आपूर्ति की जा रही हो और ऐसी माँगें पूरी की जा रही हों जिन्हें निजी निवेश से पूरा नहीं किया जा सकता, तब बड़ा घाटा वित्तीय अनुशासनहीनता के समान नहीं माना जा सकता। मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने घाटे के माध्यम से विस्तार के बजाय राजकोषीय समेकन का यह मार्ग चुनते समय इन विचारों को ध्यान में रखा है?

श्री अरुण जेटली: किसी भी वित्त मंत्री के सामने आने वाली चुनौती उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसलिए, राजकोषीय घाटे और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना तथा अर्थव्यवस्था का विस्तार करना हमेशा आवश्यक होता है। ऐसे चरण आ सकते हैं जब अत्यधिक मंदी की स्थिति हो। उस मंदी की अवधि में, एक या दो वर्षों के लिए वित्तीय अनुशासन को कुछ समय के लिए अलग रखा जा सकता है, उसे विराम दिया जा सकता है और उसके बाद सार्वजनिक व्यय में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। हम स्वयं उस स्थिति के साक्षी रहे जब श्री प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और सब-प्राइम संकट की पृष्ठभूमि में वैश्विक मंदी का सामना कर रहे थे। उन्होंने राजकोषीय प्रोत्साहन दिया। उस राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण सरकार का राजस्व घट गया; उन्होंने सरकार के राजस्व का बलिदान किया और राजकोषीय घाटा बढ़ा। लेकिन यह इसलिए किया गया ताकि देश की आर्थिक गतिविधि का विस्तार हो सके। जैसा कि माननीय सदस्य श्री बोस ने अभी कहा, निजी क्षेत्र सामान्यतः अधोसंरचना में निवेश करने से हिचकिचाता है। इसलिए,

24.04.2015

पूरी दुनिया में अधोसंरचना पर सार्वजनिक व्यय ही वह साधन है जिससे उस विशेष क्षेत्र में खर्च को बढ़ावा मिलता है, और तभी, जब यह एक निश्चित स्तर पर पहुँचता है, पी.पी.पी. भागीदारी वास्तव में बढ़ती है। इसलिए, यह संतुलन किसी भी वित्त मंत्री को हमेशा बनाए रखना होता है।

24.04.2015

(प्रश्न संख्या 442)

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: जैसा कि सेबी ने अधिदेश दिया है कि सूचीबद्ध कंपनियों को अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति करनी चाहिए और इसके लिए अधिनियम में दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में कंपनियाँ अपने बोर्ड में महिला निदेशक नियुक्त नहीं कर पाई हैं। निजी कंपनियों को एक तरफ़ रख दें, तो भी कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे भारत पेट्रोलियम निगम, एन.टी.पी.सी., ओ.एन.जी.सी. और कई राष्ट्रीयकृत बैंकों में, सेबी के इस अधिदेश के बावजूद, महिला निदेशकों की बड़ी संख्या में रिक्तियाँ मौजूद हैं, जिसके अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर महिला निदेशकों की नियुक्ति की जानी चाहिए थी।

कुछ कंपनियों में हमने देखा है कि प्रायः मालिकों के रिश्तेदारों को बोर्ड में नियुक्त किया जाता है। यह केवल दिखावे के लिए है कि उन्होंने महिला निदेशक नियुक्त की है। हमारे पास पहले से ही उन कंपनियों पर जुर्माना लगाने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश हैं जिन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर यह नियुक्ति नहीं की है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन कंपनियों को वास्तव में कौन-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस मुद्दे का समाधान केवल जुर्माना नहीं है। जुर्माना तो अंतिम क़दम है, जो तब उठाया जाता है जब प्रावधानों के बावजूद नियुक्ति नहीं की जाती। महिला निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में अवश्य कुछ समस्या है। क्या सरकार ने इस विषय पर संबंधित संगठनों से चर्चा की है? महिला निदेशक नियुक्त करने में कठिनाई क्या है? महिलाओं को शीर्ष पद तक पहुँचाने और बोर्ड में नियुक्त करने के लिए सरकार वास्तव में क्या कर रही है?

श्री जयंत सिन्हा: माननीय सदस्य ने कॉर्पोरेट बोर्डों की कार्यप्रणाली के संबंध में एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। बेशक, सरकार इस मामले में सतर्क है। वास्तव में, सेबी ने दिशानिर्देशों को प्रकाशित किया, जिनमें कहा गया था कि अप्रैल 15 तक सभी सार्वजनिक कंपनियों में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। अब तक के तथ्यों के आधार पर, जहाँ तक सूचीबद्ध कंपनियों का संबंध है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में कुल 1,624 कंपनियाँ सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 1,361 कंपनियों ने इसका पालन किया है। इसलिए अब केवल 16 प्रतिशत कंपनियाँ ही ऐसी हैं जिनमें महिला निदेशक नहीं हैं।

जब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, जो देश का दूसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और जिसमें वास्तव में बहुत बड़ी संख्या में कंपनियाँ सूचीबद्ध हैं – 5,305 – वहाँ स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। वहाँ महिला निदेशक की नियुक्ति के मामले में लगभग 38 प्रतिशत रिक्तियाँ हैं। निस्संदेह, सेबी ने जुर्माने लगाए हैं। यदि किसी कंपनी में महिला निदेशक नहीं है, तो 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। फिर, 30 जून तक यह जुर्माना बढ़ जाता है और प्रति दिन 1,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ता है; और उसके बाद, 30 सितम्बर तक यह जुर्माना और बढ़ा दिया जाता है। इसलिए, हमने एक बहुत सख्त संदेश दिया है कि यह सार्वजनिक नीति का मामला है और हम चाहते हैं कि बोर्डों में महिला निदेशक हों। मैं माननीय सदस्यों को सुझाव देना चाहूँगा कि भारत के लिए यह बहुत अच्छी बात होगी यदि हमारे पास बोर्डों में अधिक महिला निदेशक हों, क्योंकि दुनिया भर के शोध से यह सिद्ध हुआ है कि जब बोर्डों में महिला निदेशक होती हैं, तो इन बोर्डों का कामकाज बेहतर होता है। वास्तव में, ऐसे शोध भी हैं जिनसे यह साबित होता है कि विविधता होना, महिला निदेशकों का होना कंपनी के सर्वोत्तम हित में है, क्योंकि इससे उन कंपनियों का प्रदर्शन सुधरता है।

इसलिए बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं और अनेक प्रबंधन विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने इसका अध्ययन किया है और इन तथ्यों को सेबी के साथ-साथ इन कंपनियों के सामने प्रस्तुत किया है और क्योंकि हम एक लोकतंत्र और बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था में रहते हैं, हम इन नियमों को लागू कर सकते हैं और इन पर जुर्माने भी लगा सकते हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि इन कॉरपोरेट बोर्डों की समझदारी प्रबल होगी और वे शीघ्र ही प्रतिभा के इस महत्वपूर्ण स्रोत अर्थात महिलाओं को अपने बोर्डों में भी शामिल कर लेंगे।

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण: महोदया, मेरा प्रश्न बहुत ही विशिष्ट था और मंत्री जी ने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मेरा प्रश्न था कि कंपनियों को अपने बोर्डों में महिला निदेशकों की नियुक्ति करने में किस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? यही मेरा विशेष प्रश्न था।

वैसे भी, मुद्दा यह है कि महिला निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए इस देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उनमें से अधिकांश एच.आर., पी.आर. या सी.एस.आर. की नौकरियों में चली जाती हैं। अधिकतर समय, ये जिम्मेदारियाँ महिलाओं के द्वारा ही निभाई जाती हैं। मेरा प्रश्न यह है कि प्रतिभा उपलब्ध होने के

बावजूद, इस प्रतिभा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं की नियुक्ति बोर्ड स्तर पर हो, सरकार ने कौन सा नीतिगत निर्णय लिया है?

दूसरी बात यह है कि बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियाँ हैं, जिन्होंने अभी भी अपने बोर्ड में महिला निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार कर रही है कि ये नियुक्तियाँ की जा सकें?

श्री जयंत सिन्हा: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर सकती है तथा कंपनियों को अपने निदेशक मंडल में महिलाओं को शामिल करने के मुद्दे पर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

अब जाहिर है, जैसा कि मैंने कहा कि कंपनियाँ बहुत सारी हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में 1,600 कंपनियाँ सूचीबद्ध हैं और 5,300 कंपनियाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। स्वाभाविक रूप से, इस के लिए कंपनियों को एक व्यवस्थित और विचार-विमर्श वाली प्रक्रिया अपनानी होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके बोर्ड में योग्य और सक्षम लोग हों।

इसके अतिरिक्त, उन्हें एक निरीक्षण प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्योंकि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन के पास सक्षम निदेशक हों। यह एक लंबी प्रक्रिया है। निश्चित रूप से, जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का संबंध है, हम उन का निरीक्षण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हम वास्तव में उन के बोर्डों में प्रतिष्ठित, अच्छी तरह से योग्य और सक्षम लोग चाहते हैं, जिन का ट्रैक रिकॉर्ड त्रुटिहीन और बेहतर हो। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा।

अब, सेबी ने निश्चित रूप से एक अंतिम तिथि तय की है। उसने सुझाव दिया है कि इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और इस के लिए एक समयावधि तय की गई है, जिस के आधार पर जुर्माने में वृद्धि की जाती रहेगी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि इस विषय पर मैंने कॉरपोरेट क्षेत्र के कई लोगों से बातचीत

की है और वे इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह सक्रिय हैं। वे निस्संदेह अपने बोर्डों में अच्छे लोगों की नियुक्ति करना चाहते हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

प्रत्येक कंपनी के साथ, प्रत्येक उद्योग के भी अलग-अलग कारक होते हैं, जिन के हिसाब से तय किया जा सकता है कि किसे नियुक्त किए जाए? लेकिन एक बाजार अर्थव्यवस्था में यह उनका विशिष्टाधिकार है कि वे अपने बोर्ड में किसे और किस प्रकार शामिल करना चाहते हैं? हम केवल नियुक्ति में उ का मार्गदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद यह कंपनियों की भी जिम्मेदारी होती है कि वे इसे पूरा करें।

[हिन्दी]

श्री सुधीर गुप्ता: माननीय अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम मैं सरकार की इच्छाशक्ति पर धन्यवाद प्रकट करूँगा कि एनएसी में लिस्टेड कंपनियों में से 85 प्रतिशत में फौलो-अप कराने का प्रयास किया है। मैं आगे पूछना चाहूंगा कि ये जो कंपनियाँ लिस्टेड हैं, इनके अतिरिक्त जो सौ करोड़ रुपये से अधिक पेड अप कैपिटल पर नियंत्रण रखती हैं, ऐसी कंपनियों में, जैसे दिल्ली मेट्रो है, क्या ऐसी कंपनियों में भी महिला डायरेक्टर के प्रावधान लागू होंगे।

दूसरी बात, मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कोई प्रावधान है, जैसे पब्लिक कंपनियों में तीन डायरेक्टर रहते हैं और प्राइवेट कंपनियों में दो डायरेक्टर रहते हैं और कुछ सिंगल पर्सन कंपनियाँ भी होती हैं। उन कंपनियों में अधिकतम 15 डायरेक्टर होते हैं, तो क्या उनमें एक से अधिक डायरेक्टर के लिए कोई प्रतिशत का निर्धारण करेंगे?

श्री जयंत सिन्हा: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि कई सारी ऐसी पब्लिक कंपनीज हैं, जो लिस्टेड नहीं हैं, जिनकी आमदनी तीन सौ करोड़ रुपये से ज्यादा हो या उनका नेटवर्क सौ करोड़ रुपये से ज्यादा हो, तो उनकी क्या स्थिति है, उन्होंने कितनी महिलाओं को अपने बोर्ड्स में एप्वाइंट किया है।

आपको मालूम है कि हम लोगों ने वीमेन डायरेक्टर्स को एप्वाइंट करने के लिए 15 अप्रैल डेडलाइन दिया था। जो पब्लिक कंपनीज़ लिस्टेड नहीं हैं, उनसे हमें अभी सूची नहीं मिली है कि कितने लोगों ने अभी

वीमेन डायरेक्टर्स को एप्वाइंट किया है। जैसे ही यह सूची हमें मिल जाएगी, यह इंफॉर्मेशन अभी हम लोगों के पास आ रहा है, इसके बारे में हम लोग उनको जरूर बता देंगे और यह भी बताएंगे कि वहाँ इस विषय में कितनी सफलता प्राप्त हुई है। जैसे-जैसे यह सूची आती जाएगी, वैसे-वैसे इसके बारे में हम आपको बताते जाएंगे।

डॉ. उदित राज: धन्यवाद मैडम, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया।

मैडम, हमारे देश में कंपनीज बहुत रिलक्टेंट होती हैं। जैसे अभी कंपनीज में वीमेन डायरेक्टर्स की नियुक्ति की बात आई है। अभी जर्मनी में जर्मनी सरकार ने, वहां की चांसलर यह मैंडेटरी किया है कि 30 प्रतिशत टॉप रैंकिंग फीमेल कंपनीज में ली जाएंगी। वहां की चांसलर मर्कल ने जर्मनी में 30 प्रतिशत रिजर्वेशन लागू किया है। हमारे यहां दिक्कत है कि एक तरह से मेंटल ब्लॉक है, कंपनीज सोचती हैं कि इससे घाटा होगा, जबकि जर्मनी, अमेरिका आदि सभी देशों में ऐसा होता है। डेढ़-दो साल पहले की फिगर है कि 150 के आस-पास ब्लैक ओरिजिन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अमेरिका की कंपनी में कार्यरत थे। अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनीज जब लाभांश डिक्लेयर करती हैं, तब यह भी डिक्लेयर करती हैं कि कितनी महिलाओं, एथनिक ओरिजिन के लोगों, ब्लैक्स, हिस्पैनिक और एबोरिजिन्स को जॉब्स दिए। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि लोगों को सेंसिटाइज करें और कंपनीज को कहें कि अगर ऐसे वीमेन डायरेक्टर्स बनाते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स लोगों को डायरेक्टर बनाती हैं तो इससे कंपनी को घाटा नहीं होगा, बल्कि उनकी स्किल अपग्रेड करके ऐसा किया जा सकता है और इससे उनका काम बढ़ेगा। हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि जहां पर वीमेन डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया है। इसके लिए उनको सेंसिटाइज करें। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार एफर्ट कर रही है।

श्री जयंत सिन्हा: महोदया, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि विश्व भर में इसके दो मॉडल्स हैं। एक मॉडल यूरोपियन कंट्रीज में है, चाहे आप जर्मनी को देखिए या स्कैन्डिनेवियन कंट्रीज को देख लीजिए। जिस प्रकार हमने अपने देश में यह आदेश दिया है कि वीमेन डायरेक्टर्स कंपनी के बोर्ड में होनी चाहिए, उसी प्रकार उन देशों ने भी एक रूल बनाया और एक आदेश दिया है, जैसे स्कैन्डिनेविया में दो महिलाओं की नियुक्ति हो या

जर्मनी 40 प्रतिशत की नियुक्ति हो, यह चीज इन देशों ने एक नियम जारी करके कहा है कि कंपनीज को ऐसा करना है।

दूसरे देशों में, जैसे आप आस्ट्रेलिया, अमेरिका, यू.के. को देखिए, वहां ऐसा रूल नहीं बनाया गया है, लेकिन वहां एक परम्परा बन गयी है, एक स्टैंडर्ड बन गया है कि कंपनी के बोर्ड में चाहे महिला हों, ब्लैक्स हों या समाज के अन्य वर्ग के लोगों का अच्छा रिप्रजेंटेशन हो। ये दो मॉडल हैं। एक तरफ यह काम वॉलंटरी तरीके से हुआ है और दूसरी तरफ आदेश देकर किया गया है। हम लोगों ने अपने देश में यह कोशिश की है कि यह नियम बना दें कि बोर्ड में एक महिला डायरेक्टर हो। जैसा एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि जब हमारे पास इतनी महिलाएं हैं, टैलेंट है, तब भी अब तक आप लोग एक डायरेक्टर को ला रहे हैं, इसमें यह प्रैक्टिकल कंसीडरेशन है कि अगर हम लोगों इस चीज को नियम में कहें कि दो या तीन महिला डायरेक्टर्स की नियुक्ति करें, जब एक में इतनी तकलीफ हो रही है तो दो-तीन में ज्यादा तकलीफ होगी। इसलिए यह जो मामला है, इसके हम लोग इवाल्व करें, इसे हम लोग देखें कि कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं। आज आप चाहे कंपनी लॉ देखें या सेबी की गाइडलाइन्स देखें, वहां हमने बड़े पारदर्शी तरीके से यह कह रहे हैं कि कंपनीज को डायरेक्टर्स के बारे में सब कुछ बताना होगा, उनका बैकग्राउण्ड बताना होगा। इसलिए आज कई एजेंसीज, जो इन चीजों को देखती हैं, जो डाटाबेस बनाती हैं कि हमारे पास बोर्ड में किस तरह के डायरेक्टर्स हैं, उनका बैकग्राउण्ड है तो वहां पर हम लोगों को सामाजिक रूप से यह पता चल रहा है कि हम लोग किस तरीके से इस रास्ते पर चल रहे है जिससे हमारे बोर्ड्स ज्यादा रिप्रजेंटेटिव हों।

[अनुवाद]

डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदया, मुझे अनुमति देने के लिए धन्यवाद। जिस देश या संस्कृति में महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है या जहां आधी आबादी महिलाओं की है, क्या उस देश में हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण या नियुक्ति की मांग करना दुखद और निराशाजनक नहीं है? मेरा माननीय मंत्री से प्रश्न यह है कि व्यवसाय में वास्तव में महिला नेताओं को विकसित करने के लिए क्या सरकार की कोई योजना है कि महिला उद्यमियों के लिए कोई राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान स्थापित किया जाए? धन्यवाद, महोदया।

श्री जयंत सिन्हा: माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि आपने भी कहा कि यह निश्चित रूप से महिला निदेशकों के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें इस सदन में आपके अद्भुत नेतृत्व से बहुत लाभ हो रहा है। मेरा मानना है कि हम सभी, जो दूसरे लिंग के सदस्य हैं, यह स्वीकार करेंगे कि नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाएँ अद्भुत और शानदार कार्य करती हैं। यदि हमारे पास अधिक महिला नेता हों, तो न केवल हमारी कंपनियों को बल्कि हमारे सभी संस्थानों और हमारे समाज को भी बहुत लाभ होगा। इसलिए, मेरा मानना है कि यह एक ऐसा लक्ष्य है, जिसकी हम सभी आकांक्षा रखते हैं। निस्संदेह, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, हम निश्चित रूप से प्रयासरत हैं और हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक महिलाएँ आगे आएँ और इन अत्यंत महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिकाओं में शामिल हों।

जहाँ तक उद्यमिता और कंपनियों का संबंध है, हम सरकार के रूप में अपनी सभी नीतियों और जिन संस्थाओं को हम सहयोग प्रदान करते हैं, उनमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो, यदि अत्यधिक न भी हो। सैद्धांतिक रूप से और सामान्य समझ के आधार पर, मेरा मानना है कि हम सभी सहमत होंगे कि इससे हमें बहुत लाभ होगा। इसलिए, हमारे सभी प्रयास और वास्तव में, सेबी और कंपनी विधि बोर्ड के प्रयास निश्चित रूप से इसी दिशा में हैं।

24.04.2015

(प्रश्न संख्या 443)

[अनुवाद]

डॉ. रविन्दर बाबू: आदरणीय महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या उन्होंने कारोबारी रक्तदाताओं को चिन्हित करने का कोई प्रयास किया? जब भी कोई रक्तदान शिविर लगता है, तो कुछ स्वैच्छिक संगठन रक्तदान करने आते हैं। लेकिन कुछ रक्तदाता कारोबारी हैं, जो पैसे के लिए अपना रक्त बेचते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार द्वारा ऐसे कारोबारी रक्तदाताओं की पहचान करने का कोई प्रयास किया गया है। उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्या है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उनके पुनर्वास और रोजगार देने के लिए कोई कदम उठाया गया है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते हैं और कारोबारी रक्तदाताओं से रक्त लेने का कोई विधान नहीं है। पिछले दो-तीन दशकों के दौरान दिखाई पड़ता था कि कारोबारी रक्तदाता मौजूद थे। उन के द्वारा रक्त एकत्र किया जाता था। अब, 84 प्रतिशत रक्त जो हमें मिलता है वह स्वैच्छिक दाताओं और स्वैच्छिक संगठनों से है। हमें रक्त के बदले रक्त देने वाले गैर-परिवार के सदस्यों से शेष 16 प्रतिशत रक्त मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है, जिस से लगे कि हम कारोबारी रक्तदाताओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। सभी रक्त बैंकों को इसे देखना चाहिए। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श प्रक्रिया को भी मजबूत बनाया है, जिस से कारोबारी रक्तदाताओं को प्रोत्साहन न मिले। यदि ऐसे मामले आते हैं, तो राज्य रक्त आधान परिषद और राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद इसे देखने के लिए हैं। वे इस पर नियमित रूप से नजर रखते हैं। कानपुर के अस्पताल से शिकायत की गई और उस पर कार्रवाई की गई। इस प्रक्रिया में, तीन लोगों को निलंबित कर दिया गया और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। यदि ऐसी कोई शिकायत आती है, तो हम उसे देखते हैं और उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं।

डॉ. रविन्दर बाबू: महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न थोड़ा अलग है लेकिन रक्त से ही संबंधित है। रक्त एकमात्र चीज है जो दिखाती है कि हम सभी समान हैं। सबका खून एक जैसा है। जिस देश में जातिवाद, पूर्वाग्रह, धर्म और भाषा देश के शरीर को कैंसर की तरह ग्रसित कर रहे हैं, वहां यही रक्त है जिसके माध्यम से हम एक मजबूत संदेश दे सकते हैं कि हम सभी समान हैं। सबका खून एक जैसा है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुसूचित जाति, ब्राह्मण, उच्च जाति आदि सभी जातियों का रक्त एकत्र करने के लिए रक्तदान शिविर आयोजित करने और देश के लोगों को एक कड़ा संदेश देने का अनुरोध करता हूं कि हमारा रक्त एक है और हम सभी समान हैं। हमें समग्र रूप से अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। हमें जातिवार, भाषावार या धर्मवार नहीं सोचना चाहिए। कृपया इस विकल्प पर विचार करें कि रक्तदान शिविर को एक सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ताकि देश को बड़े पैमाने पर लाभ हो सके।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, हम माननीय सदस्य की भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन हमें आई. ई. सी. भाग, शिक्षा भाग की वैज्ञानिक दृष्टि से देखना होगा। विज्ञान के हिसाब से हम रक्त के बारे में और रक्त के वर्गीकरण के बारे में जो कुछ भी सबसे अच्छा कर सकते हैं, वह हम कर रहे हैं और हम ऐसा करते रहेंगे।

श्री आर. ध्रुवनारायण: महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारत को प्रतिवर्ष 12 मिलियन यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन देश में रक्त का कुल संग्रह लगभग 10 मिलियन यूनिट है। यह 20 प्रतिशत की कमी है। मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 48 जिले ऐसे हैं जहां एक भी रक्त बैंक नहीं है। इस संबंध में आपातकालीन परिस्थितियों जैसे प्रसव संबंधी जटिलताएँ, थैलेसीमिया रोगी आदि के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु रक्त बैंक का होना अत्यंत आवश्यक है।

इस संदर्भ में, क्या सरकार की इन जिलों में रक्त बैंक स्थापित करने को प्रोत्साहित करने और इन जिलों में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कोई योजना है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, यह प्रश्न बहुत प्रासंगिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रतिशत जनसंख्या के मानदंड के अनुसार, अनुमानित 12 मिलियन यूनिट की आवश्यकता है। हम 10 मिलियन यूनिट एकत्र करते

हैं। ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं है। इस से हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। हमारे पास रक्त के पृथक्करण की प्रणाली भी है। इसलिए, रक्त की एक यूनिट दो से तीन रोगियों के लिए उपयोग में लाई जाती है। घटकों के पृथक्करण के कारण, हम इसका उपयोग तदनुसार करते हैं।

लेकिन एक बात जो निश्चित रूप से है वह यह है कि दूरदराज के क्षेत्रों में रक्त की सुरक्षित डिलीवरी एक सवाल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों और पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर जैसे सुदूर क्षेत्रों में रक्त की सुरक्षित आपूर्ति एक मुद्दा है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए, हमारा सुझाव व कोशिश यह है कि एन. एच. एम. के माध्यम से, हम वित्त मुहैया करा रहे हैं और हम वित्तपोषण कर रहे हैं। एफ.आर.यू. इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ रक्त भंडारण प्रणाली विकसित हो और रक्त बैंक विकसित हों। जब भी राज्य मांग करते हैं, हम उन्हें धन उपलब्ध कराते हैं।

लेकिन मंत्रालय को इसकी जानकारी है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई नए जिले हैं, जो बने हैं। जिले का विभाजन हुआ है। अब, नए जिले को भी एक रक्त बैंक की आवश्यकता है। इस समय हम पुराने मुख्यालय से ही जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम यह भी देख रहे हैं कि वहाँ भी रक्त बैंक स्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत विस्तार से रिप्लाई किया है।

महोदया, प्राक्कलन के अनुसार रक्त बैंकों के संबंध में, हमारे पास दो मिलियन यूनिट्स की कमी है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि कुछ राज्यों, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु आदि में ब्लड बैंक की एक्टिविटी अच्छी तरह से होती है। मैं जिस राज्य से आता हूं वहां सेंचुरियन ब्लड डोनर बहुत सारे होते हैं और हमारे वहां लोक-भागीदारी होती है और ब्लड डोनेशन की प्रवृत्ति जनआंदोलन के तौर पर चलाई जाती है। अगर किसी का जन्मदिन होता है या डेथ एनिवर्सरी होती है, तो वह

ब्लड डोनेट करके उस दिन को मनाते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस तरह की जनभागीदारी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि आपके पास जो रजिस्टर होता है, वह ग्रुप वाइज मेनटेन नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की मुहिम चलाई है तो ब्लड बैंक में भी डोनर्स का ब्लड ग्रुप हमें रखना चाहिए। इस तरह से ब्लड ग्रुप रख कर सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से करेंगे तो ठीक रहेगा। मैं स्वयं डाक्टर हूं और मैं छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। दस-पन्द्रह साल पहले मैं सर्जरी कर रहा था। उस समय एक ब्लड ग्रुप की जरूरत थी। उस समय सिर्फ डीडी चैनल था। हमने डीडी चैनल पर विज्ञापन दिया। अहमदाबाद में वाडीलाल साराभाई हॉस्पीटल के सामने उस नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों की लम्बी कतार लग गई। हमें कई लोगों को हाथ जोड़ कर बोलना पड़ा कि आप वापिस जाओ। अगर हम ऐसा करेंगे तो इस तरह की प्रवृत्ति को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। क्या आप इस तरह से करने के बारे में विचार करेंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं, वे बहुत ही अच्छे हैं और उन पर विभाग कार्य कर रहा है। उन्होंने गुजरात के बारे में बताया है। वहां अवेयरनेस लेवल काफी है और उस दृष्टि से काफी प्रयोजन और कार्यक्रम लिए गए हैं। इसी तरह के कार्यक्रम अन्य प्रदेशों में स्टेट युनिट्स कर रही हैं, इसमें ज्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता है। हम माननीय सदस्य के सुझाव को लेते हुए अवेयरनेस प्रोग्राम को और तेजी से बढ़ाएंगे।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में तथा मौखिक उत्तर में भी स्वीकार किया है कि रक्त संग्रह की कमी है तथा यह देश के समक्ष एक चुनौती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों के अनुसार, हम पर्याप्त रक्त स्टोर करने में असमर्थ हैं। यहां जो आंकड़ा दिया गया है वह लगभग 12 मिलियन लीटर रक्त का है तथा संग्रह भी लगभग 12 मिलियन लीटर रक्त का समस्या रक्त बैंक की स्थापना से जुड़ी है। हम इस चुनौती का हर दिन सामना करते हैं, जब भी चिकित्सा इकाइयों या मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों में ऑपरेशन होते हैं, जहाँ पर्याप्त रक्त की आवश्यकता होती है और वह उपलब्ध नहीं होता। हम इसे

इस तरह संभालते हैं कि संबंधित परिवार से उस ऑपरेशन या आपात स्थिति के लिए रक्त उपलब्ध कराने को कहते हैं। क्या सरकार रक्त बैंक स्थापित करने के मानदंडों को बदलने पर विचार करेगी? अब, वह मानदंड केवल संबंधित जिला मुख्यालय तक ही सीमित है। यहां तक कि दिल्ली में भी आपको अलग स्थान पर दूसरा रक्त बैंक बनाने के लिए मानक बदलना होगा, अन्यथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त लाने में बहुत समय लग जाएगा।

मेरे जिला मुख्यालय कटक में, हमारे पास बाल चिकित्सा संस्थान हैं। पिछले पांच-सात वर्ष से हम वहां रक्त बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कानून अनुमति नहीं देता है। यह स्थिति हर जगह व्याप्त है। इस मानदंड को पचास अथवा साठ वर्ष पहले अंतिम रूप दिया गया था, कि हर जिला मुख्यालय में हमारे पास एक रक्त बैंक होगा। क्या सरकार जहां भी आवश्यक हो, नए रक्त बैंक बनाने के लिए उन मानदंडों में बदलाव पर विचार करेगी?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, इसकी परीक्षित जाँच की जा सकती है और हम इसकी जाँच करेंगे तथा इस पर विचार करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एफ. आर. यू. के लिए भी हम उन्हें वित्त पोषित कर रहे हैं और इस पर नजर रख रहे हैं, लेकिन यदि उनके मानदंड एक समस्या है, तो हम इस पर गौर करेंगे और जांच करेंगे तथा तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी: अध्यक्ष महोदया, यह सरकार देश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है। पिछले दिनों जरूरी दवाओं की उपलब्धता के साथ-साथ मूल्य नियंत्रण, विभिन्न व्याप्त रोगों के लिए अच्छा प्रबंधन, बच्चों की असमय मृत्यु को रोकने के लिए सरकार इंद्रधनुष जैसी योजनाएं लाई हैं, जिसके कारण निश्चित रूप से देश की स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन होने की संभावनाएं बढ़ी हैं। मैं इसके लिए सरकार की सराहना करता हूं।

महोदया, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार देश में बीमारियों से होने वाली मौतों में गुर्दे की बीमारी एक प्रमुख कारण है। पिछले तीन वर्षों में पूरे देश में अस्पताल में रोगियों की संख्या के अनुसार रक्त

शोधन करने के लिए जितनी डायलिसिस मशीनों की आवश्यकता थी, उनके मुकाबले इन मशीनों की उपलब्धता नहीं थी। जिसके कारण गरीब लोग, जो प्राइवेट अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकते थे, उनकी या तो मृत्यु हो गई या वे भारी कर्ज के दबाव में आ गए।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के सरकारी अस्पतालों में रोगियों की संख्या व आवश्यकता के अनुसार डायलिसिस मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सरकार क्या कदम उठायेगी तथा गरीब रोगियों को निशुल्क या वहन कर सकने लायक दरों पर डायलिसिस सुविधा देने हेतु क्या सरकार कोई योजना बनायेगी?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय सदस्य के सुझाव और उनके प्रश्न ध्यान में हैं, लेकिन वह अलग से प्रश्न करेंगे तो मैं इसका उत्तर दूंगा।

डॉ. संजय जायसवाल: महोदया, एक ब्लड से तीन यूज किये जा सकते हैं, उसमें प्लेटलेट्स का अलग, प्लाज्मा का अलग और ब्लड का अलग यूज है और इसका पार्शियल आंसर इन्होंने दिया। लेकिन जब डेंगू की बीमारी का सीजन होता है तो उस समय प्लेटलेट्स की बहुत आवश्यकता होती है और तब हम लोग देखते हैं कि चूंकि प्लाज्मा सैपरेट ब्लड बैंक में नहीं होता है, इसलिए होल ब्लड चलाना पड़ता है और उससे बहुत सारी अदर प्राब्लम्स होते हैं या डाक्टर उसे नहीं चलाता है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ब्लड हो जाता है।

मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि कितने ब्लड बैंक्स में प्लाज्मा सैपरेटर्स अभी भी नहीं लगे हैं और उन जगहों पर लगाने का कोई प्रबंध कर रहे हैं कि नहीं, जिससे कि पूरे देश मे प्लाज्मा सैपरेटर्स उपलब्ध हों और डेंगू, हीमोफीलिया, रिसस प्रोटीन फैक्टर इस तरह के मरीजों की जो आवश्यकता है, उन सभी के लिए पूरा का पूरा ब्लड नहीं चलाना पड़े, बल्कि जिस भाग की आवश्यकता है, वह चलाकर मरीजों की जान बचाई जा सके।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय सदस्य ने ठीक सुझाव दिया है। अभी 60 परसैन्ट इसके कंवर्जन की हमारे पास व्यवस्था है, जिसे हम 2017 तक 80 परसैन्ट तक ले जाने वाले हैं। इससे बहुत सफलता मिलेगी। हमारे पास ब्लड कम्पोनेन्ट सैपरेशन यूनिट 304 हैं, इनकी संख्या हम बढ़ायेंगे।

श्री दद्दन मिश्रा: महोदया, एक बूंद खून किसी की जिंदगी बचा सकता है। रक्तदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हमारी भारत सरकार तरह-तरह के प्रचार-प्रसार कर रही है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इसके लिए लाखें-करोड़ों रूपये बहाए जा रहे हैं। लेकिन इस पुनीत आभियान के प्रति उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा कितना संवेनहीन है, इसके प्रति उदाहरण देते हुए मैं एक सवाल करना चाहता हूं। पिछले साल की घटना है कि एक संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। उसमें करीब 150 से अधिक लोग स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए उपस्थित हुए थे। पंद्रह दिन पूर्व जनपद श्रावस्ती के मुख्य चिकित्सा आधिकारी को सूचना दी गई थी। हमारी भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने जिला चिकित्सालय के सी.एम.एस. को कह दिया है। 150 से ऊपर लोग वहां रक्तदान करने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर उन लोगों ने कोई व्यवस्था ही नहीं की, बगैर रक्तदान किए हुए उन लोगों को वापस लौट जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के ऐसे संवेदनहीन स्वास्थ्य महकमे के लोगें को जागरूक करने के लिए क्या भारत सरकार कुछ कदम उठाएगी?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, जागरूकता आभियान लगातार चल रहा है और जागरूकता आभियान की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन हर जगह की ब्लड कलैक्शन कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा जब डोनर्स आ जाएंगे तो हम ब्लड वेस्ट तो नहीं करेंगे, इसलिए एक कैपेसिटी तक होती है और उस कैपेसिटी तक अगर होता है तो उसको हम जरूर ब्लड डोनेशन कैंप में सम्मिलित करते हैं और उनका ब्लड लेते हैं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 444 – श्री अधलराव पाटिल शिवाजीराव – उपस्थित नहीं।

24.04.2015

श्री अनंतकुमार हेगड़े - उपस्थित नहीं।

हां, मंत्री महोदय।

24.04.2015
[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री मानशंकर निनामा जी, आप प्रश्न पूछिए।

(प्रश्न संख्या 444)

श्री मानशंकर निनामा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अनुसंधानों से यह पता चलता है कि अल्कोहल का सेवन करने से लीवर की बीमारी और कैंसर आदि का खतरा बढ़ जाता है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि हाँ तो क्या इस तथ्य के प्रसार के लिए कोई मुहिम चलाई जा रही है? इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा दें।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, टोबैको में स्मोकिंग और चूइंग टोबैको दोनों के इंपैक्ट्स के बारे में प्रश्न में बहुत डीटेल उत्तर दिया है कि इसका सीधा संबंध कैंसर से कैसे है, कार्सनोजेनिक है और कार्सनोजेनिक होने के कारण उसकी जो प्रिवलेंट रेट है, वह और उसके बढ़ने की, मैरिगनेंट होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से एक बढ़ी डीटेल्ड रिपोर्ट है और यह हमारी मिनिस्ट्री ने ही प्रिपेयर किया है, इसके आधार पर थ्रोट कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक का कैंसर, हर तरीके के कैंसर की संभावनाएं बढ़ती हैं और ये सारी डीटेल रिपोर्ट हमने "ए " पार्ट में दी है। इस दृष्टि से मंत्रालय सजग है। मंत्रालय ने इस सारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशंस निकाले थे। वे नोटिफिकेशंस अभी कमेटी फॉर सबऑर्डिनेट लैजिसलेशन के समक्ष हैं और इसलिए वे नोटिफेशंस अभी रूकी हुई हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले: महोदया, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दुर्भाग्यवश, यह अत्यंत गंभीर विषय होने के बावजूद असाधारण रूप से विवादास्पद रहा है। मैं स्वयं ऐसे परिवार से आती हूँ जिसने मौखिक कैंसर झेला है और मैं माननीय मंत्री के उत्तर की वास्तव में सराहना करती हूँ। अपने उत्तर में उन्होंने तंबाकू को मौखिक कैंसर से जोड़ा है। इसलिए, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि सबसे पहले उपसमिति के सदस्यों को इस बारे में जागरूक

करें कि तंबाकू और कैंसर के बीच संबंध है, क्योंकि वे लगातार यह मुद्दा उठाते रहे कि कैंसर और तंबाकू के बीच कोई संबंध नहीं है। मेरा मानना है कि यह सबसे पहला कदम होना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे सदन को भी इस बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत गंभीर विषय है। ... (*व्यवधान*)

महोदया, उन्होंने 1 अप्रैल से चित्रात्मक चेतावनी देने का निर्णय स्थगित हुआ है। उस समय जब यह निर्णय लिया गया था, चूंकि सभी विवादों के कारण वे इस मुद्दे पर मतभेद थे, माननीय प्रधान मंत्री ने बहुत विनम्रता से हस्तक्षेप किया था और कहा था कि यह कम से कम 65 प्रतिशत होना चाहिए। इसलिए, मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि सरकार के अंतिम रूख की जानकारी दी जाए। बहुत सारी सिगरेटों पर, यहां तक कि आयातित सिगरेटों पर भी, चित्रात्मक चेतावनी नहीं होती। तो सरकार क्या करने जा रही है? चाहे वह भारतीय सिगरेट हो या आयातित सिगरेट, नियम समान होना चाहिए। आप इसे कैसे लागू करेंगे ताकि अगली पीढ़ी जागरूक हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि यह एकमात्र समाधान नहीं है। लेकिन सरकार इस संबंध में क्या हस्तक्षेप करेगी?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सबसे पहले तो मैं इस सभा के सदस्यों और इस सभा के माध्यम से राष्ट्र के समक्ष यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मंत्रालय का इस विषय पर रुख एकदम स्पष्ट और सुस्पष्ट है कि तंबाकू का सेवन कम किया जाना चाहिए। इसके लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई जानी है।

रणनीति में से एक सचित्र चेतावनी को बढ़ाना है। इसकी एक छोटी प्रक्रियात्मक समस्या है, जिसका हम इस समय सामना कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हम इसे लागू करेंगे। वर्तमान में, यह अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के पास है। वे विचार-विमर्श करेंगे। लेकिन हम लिखित उत्तर के साथ-साथ मौखिक **में यह बात स्पष्ट कर दी है कि तंबाकू का सीधा संबंध कार्सिनोजेनिक से है और इसका सीधा संबंध कैंसर से है।**

हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि तंबाकू को कम करने के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को मंत्रालय द्वारा अपनाया जाए। इतना ही नहीं, बल्कि हम एक कार्यक्रम भी शुरू कर रहे हैं जिसमें स्कूली बच्चों को शिक्षित

किया जाना है। तो, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें इस समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। अन्य रणनीतियां भी हैं, जिन्हें हम अपनाने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि समिति अपना प्रतिवेदन देती है - हम उस पर निरंतर हैं जैसा कि हमने अपने उत्तर में दिया है - हम आगे बढ़ेंगे। यही हम आश्वस्त कर सकते हैं। … (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: लेकिन समिति केवल नियमों पर विचार कर सकती है। वह अधिनियम को निरस्त नहीं कर सकती। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: यह क्या हो रहा है?

…(व्यवधान).

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे मौका दिया और रिपोर्ट का मैं स्वागत करता हूं। मैं जीवन भर नशे के खिलाफ लड़ता रहा, लेकिन आज मैं सांसद हूं, चार सांसद बुंदेलखंड से चुनकर आते हैं। वहाँ लाखों की संख्या में बीड़ी मजदूर हैं। उद्योगपति तो दूसरा उद्योग लगा लेगा। इसके अलावा बीड़ी और सिगरेट हम वैधानिक रूप से बनने देते हैं, लेकिन स्मैक, चरस और ब्राउन शुगर जैसी चीजें जिनको हम अवैध रूप से इस देश में देखते हैं और इनके कारण बड़ा नुकसान होता है। सिगरेट और बीड़ी से कितना नुकसान होता है, इसकी रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन जो चीजें अवैध रूप से इस देश के भीतर आती हैं, उन पर अभी हमारा फोकस नहीं है, जबकि उनमें तीन साल के भीतर मौत के करीब पहुँच जाते हैं।

हमारी समस्या यह है कि लाखों मजदूर बीड़ी के उद्योग से जुड़े हैं। जैसे ही विज्ञापन का दबाव बना, उद्योगपति तो कोई दूसरा रास्ता निकाल लेगा। हम सारे बुन्देलखण्ड के सांसदों ने इस कारण से लिखकर दिया और हम पर आरोप लगा कि हम बीड़ी लॉबी के साथ हैं, जबकि हम जिंदगी भर नशे के खिलाफ रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अवैध रूप से धूम्रपान की वस्तुएं आती हैं, जो ज्यादा नुकसानदेह है, उनकी रिपोर्ट है कि नहीं, उस पर कितनी कार्रवाई होगी? इस लघु उद्योग से जुड़े हुए जो

गरीब आदमी हैं, मैं जानता हूं कि इसके कारण वे मर रहे हैं, लेकिन मैं उसका समर्थन करता हूं। उनको कोई वैकल्पिक रोजगार के बगैर इसको कहीं न कहीं रास्ता देंगे क्या, यह मैं जानना चाहता हूं? धन्यवाद।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, मंत्रालय बड़ा स्पष्ट है कि टोबैको का सेवन कम होना चाहिए। उसके लिए जितनी भी स्ट्रैटिजीज एडॉप्ट करनी हैं, उन्हें हम एडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इसका संबंध सीधा-सीधा कार्सिनोजेनिक कैंसर के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इस मामले में उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक समिति का सवाल है, समिति ने इसी लोक सभा में अपने प्रतिवेदन में यह रिक्वेस्ट की है, उसने इन्टरिम रिपोर्ट दी है और कहा है कि हम आपको फाइनल रिपोर्ट देंगे, तब तक आप रूकें। इस कारण हम रूके हुए हैं। समिति के बारे में इस हाउस को फैसला करना है।

माननीय अध्यक्ष: श्री के.सी. वेणुगोपाल जी अब आप पूछिए, लेकिन आरोप नहीं।

[अनुवाद]

श्री के. सी. वेणुगोपाल: मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, 40 से 80 प्रतिशत कैंसर तंबाकू के उपयोग के कारण होता है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमारे अपने सदस्यों और समिति के हमारे अपने अध्यक्ष ने एक तर्क दिया कि तंबाकू कैंसर का कारण नहीं है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: उसका जवाब उन्होंने दे दिया है।

[अनुवाद]

श्री के. सी. वेणुगोपाल: भारतीय संसद के सदस्य होने के नाते, हम वास्तव में उस बयान से शर्मिंदा हैं। … (*व्यवधान*) मेरा कहना है कि समिति की रिपोर्ट का इंतजार करते हुए चित्रात्मक चेतावनी को टाल दिया गया है। इसमें कितना समय लगेगा? इस से एक गलत संदेश जाता है। … (*व्यवधान*) मैं एक बार फिर मंत्री से अपील करता हूँ कि रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। … (*व्यवधान*) क्या मंत्री जी ऐसा करेंगे या नहीं? … (*व्यवधान*)

श्री जगत प्रकाश नड्डा: यह समिति के पास है। उन्हें निर्णय करना है। हम इसके बारे में स्पष्ट हैं। हम आगे बढ़ेंगे।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण यादव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं कि जो सिगरेट विदेश से आ रही हैं, उनमें कहीं भी पिक्टोरियल वार्निंग नहीं है। क्या उन पर भी माननीय मंत्री जी बैन लगाएँगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: हम हरेक तरीके का देश के अंदर आने वाला सिगरेट का जो भी मैटीरियल होगा, उसको एक ही निगाह से देखेंगे और उस पर बराबर की पिक्टोरियल वार्निंग रहेगी।

24.04.2015

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न क्रमांक 445 से 460
अतारांकित प्रश्न संख्या 5061 से 5290)

*प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

24.04.2015

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब, पटल पर रखे जाने वाले पत्र – श्री अरुण जेटली।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 1.1.1996 से 31.7.1997 तक की अवधि के लिए पूर्व-संशोधित दरों पर लेकिन संशोधित वेतन के संदर्भ में मकान किराया भत्ता दिए जाने के बारे में 2002 के सीए संदर्भ मामला संख्यांक 2 में माध्यस्थम बोर्ड के अधिनिर्णय को अस्वीकृत किए जाने की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2310/16/15]

(2) केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को परिवहन भत्ते की दरों में संशोधन के बारे में 2004 के सीए संदर्भ मामला संख्यांक 3 में मध्यस्थम बोर्ड के अधिनिर्णय को अस्वीकृत किए जाने से संबंधित विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2311/16/15]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

24.04.2015

(दो) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2312/16/15]

(3) (एक) जवाहरलाल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुडुचेरी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुडुचेरी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2313/16/15]

(5) (एक) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

24.04.2015

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2314/16/15]

(7) (एक) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2315/16/15]

(9) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवा संशोधन) नियम, 2014, जो 13अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 718(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (सांतवा संशोधन) नियम, 2014 जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 908(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2316/16/15]

(10) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2014 जो 5 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. पी. 15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2317/16/15]

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): महोदया, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी व अंग्रेज़ी संस्करण) रखने की अनुमति चाहता हूं:-

(एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2318/16/15]

(दो) वर्ष 2015-2016 के लिए नेशनल इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया (एनआईटीआई) के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2319/16/15]

वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखना चाहती हूं:-

24.04.2015

(1) (एक) इंडियन रबर मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबर मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2320/16/15]

(3) (एक) केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2321/16/15]

24.04.2015

(5) (एक) सर्विसेज एक्सपोर्ट्स प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्विसेज एक्सपोर्ट्स प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2322/16/15]

(7) (एक) सर्विसेज एक्सपोर्ट्स प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्विसेज एक्सपोर्ट्स प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2323/16/15]

24.04.2015

(9) (एक) टोबैको बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टोबैको बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2324/16/15]

(11) अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास-डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 96 की उप-धारा (3) के अंतर्गत डिजाइन (संशोधन) नियम, 2014 जो 30 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 925(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 24 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. .118(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2325/16/15]

(12) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 33 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 747(अ), जो 13 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो थोक मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की प्रस्तावित नई श्रृंखलाओं के लिए संचित मूल्य और उत्पादन डाटा के संग्रहण के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2326/16/15]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सदन पटल पर रखना चाहता हूं:-

24.04.2015

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (13वां संशोधन) नियम, 2014 जो 12 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3168(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2014 जो 12 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3169(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2015 जो 19 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 180(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 4 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 350(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) वस्तु संव्यवहार कर (पहला संशोधन) नियम, 2014 जो 10 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 424(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन और उसका एक शुद्धिपत्र जो 18 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 565(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2327/16/15]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सख्या सा.का.नि.177(अ) जो 10 मार्च 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96 / 2008-सी.शु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

24.04.2015

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2328/16/15]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 189(अ) जो 13 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रक्षोपाय महानिदेशालय द्वारा की गई जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, विनिर्दिष्ट कार्बन श्रृंखला की लंबाई वाले अनुविद्ध वासीय अल्कोहल के भारत में आयातों अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की तारीख अर्थात् 20 अगस्त, 2014 से दो वर्ष और छह माह की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दर पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 170(अ) जो 3 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबंध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित साइकिल के टायरों को ठीक करने के लिए सिक्स डे लाइट क्यूरिंग प्रेस को छोड़कर, टायर क्यूरिंग प्रेस के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को आगे एक वर्ष की अवधि तक अर्थात् 7 जनवरी, 2016 जिसमें यह तारीख भि शामिल है, तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.190(अ) जो 13 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित शीट ग्लास के आयातों पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2329/16/15]

24.04.2015

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपधारी और प्रतिभागी) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 24 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/18/1952, में प्रकाशित हुए थे।

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 जो 28 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/16/1729 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2330/16/15]

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखना चाहता हूं:-

(1) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन|

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2331/16/15]

24.04.2015

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति□

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मैं 16वीं लोक सभा के चौथे सत्र के प्रथम भाग के दौरान संसद के दोनों सभा द्वारा पारित निम्नलिखित 7 विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं तथा 24 फरवरी, 2015 को सभा में अंतिम बार प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद से राष्ट्रपति द्वारा भी इन्हें स्वीकृति दी जा चुकी है:-

1. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2015;
2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015;
3. विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2015;
4. विनियोग (रेल) विधेयक, 2015;
5. विनियोग (रेल) विधेयक, 2015;
6. विनियोग विधेयक, 2015; और
7. खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित पांच विधेयकों की, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:-

1. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015;
2. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2015;

□ *सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी 2332/16/15

3. बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015;

4. कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015; और

5. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015 *

कृषि संबंधी स्थायी समिति

8वां और 9वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का 8वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का 9वां प्रतिवेदन।

24.04.2015

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

5वें से 8वां प्रतिवेदन

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): महोदया, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) संबंधी 5वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-16) संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

24.04.2015

अपराह्न 12.02 ½ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

10वें से 14वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्काबल्लापुर): महोदया, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं: -

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग) की अनुदान मांगों (2015-16) संबंधी 10वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों मांगों (2015-16) संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

(3) योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों (2015-16) संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(4) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों (2015-16) संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2015-16) संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

24.04.2015

अपराह्न 12.02¾ hrs

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

7वें से 10वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): महोदया, मैं कोयला और इस्पात संबंधी सथायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(3) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(4) कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोयला मूल्य निर्धारण और कोयला रॉयल्टी से संबंधित मुद्दे" के बारे में समिति (15वीं लोक सभा) के 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

24.04.2015

अपराह्न 12.03 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

185वां और 186वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती किरन खेर (चंडीगढ़): महोदया, मैं गृहकार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने के लिए विनती करती हूं:-

(1) गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों (2015-16) संबंधी 185वां प्रतिवेदन।

(2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2015-16) संबंधी 186वां प्रतिवेदन।

24.04.2015

अपराह्न 12.03 ½ बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

82वें से 84वां प्रतिवेदन

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चंपारण): महोदया, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों की अनुदानों की मांगों (2015-16) संबंधी 82वां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2015-16) संबंधी 83वां प्रतिवेदन।

(3) आयुष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) संबंधी 84वां प्रतिवेदन।

24.04.2015

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 4वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): महोदया, मैं योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों (2014-15) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 4वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रख रहा हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी 2333/16/15.

24.04.2015

<u>अपराह्न 12.05 बजे</u>

सभा का कार्य

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करने के लिए खड़ा हूं कि सोमवार, 27 अप्रैल, 2015 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य निम्नलिखित होंगे:-

1. आज के आदेश पत्र से लिए गए सरकारी कामकाज की किसी भी आइटम पर विचार।
2. निम्नलिखित मंत्रालयों के नियंत्रण में 2015-2016 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान:-

   (क) गृह मामले;

   (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन; और

   (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

3. 2015-2016 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की बकाया मांगों को दिनांक 28.04.2015 को मध्याह्न पश्चात् सांय 6.00 बजे सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
4. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2015 का परिचय, विचार और पारित करना।
5. वित्त विधेयक, 2015 पर विचार और पारित करना।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री राम टहल चौधरी (राँची) - उपस्थित नहीं।

श्री राजीव सातव (हिंगोली): महोदया, कृपया निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाये-

24.04.2015

महाराष्ट्र सरकार द्वारा अरब सागर में हिंदवी स्वराज के निर्माता और इस देश के मानबिन्दु छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रस्थावित स्मारक के निर्माण में केन्द्र सरकार की भूमिका।

[अनुवाद]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): महोदया, मेरा प्रस्तावित निवेदन के.जी से ले कर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक के प्रवेश, परीक्षा के आयोजन और शिक्षा प्रणाली में व्यापक पैमाने पर व्याप्त अनियमितताओं के बारे में है। यह युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के साथ-साथ भारत की नींव को कमजोर कर रहा है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (वडकारा): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद। मैं लोक सभा में अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

1. प्राकृतिक रबर की कीमत में लगातार गिरावट के कारण रबर की खेती करने वालों के सामने पैदा हुआ गहरा संकट।

2. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर डॉ. मीनाकुमारी आयोग के प्रतिवेदन के के खिलाफ पूरे देश में मछुआरा समुदाय के बीच व्यापक विरोध।

[हिन्दी]

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर): महोदया, मैं निम्नलिखित दो प्रस्तावों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़ने हेतु सबमिशन प्रस्तावित करता हूं-

1. पूर्व मध्य रेलवे के बक्सर एवं चौसा स्टेशन के बीच 664/665 कि.मी. पर रेल समपार (लेवल क्रॉसिंग), जो कृतपुरा गांव को जोड़ता है तथा वहां से 3-4 पंचायतों को पार करते हुए दूसरे जिले रोहतास तक जाता है, की स्वीकृति प्रदान की जाये। ज्ञातव्य हो कि उक्त स्थल पर वर्षों पुरानी एक छोटी सी पुलिया निर्मित है, जिससे वाहन आदि जाने में काफी कठिनाई होती है तथा बरसात के दिनों में पानी भर जाने पर आवागमन पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता है।

2. कैमूर जिला अंतर्गत गर्रा चौबे शाखा नहर कृषि कार्य के लिए असमर्थ हो चुकी है, जो लगभग 160 वर्ष पुरानी है।

अतएव हजारों हैक्टेयर जमीन के पटवन हेतु सिमरिया गांव के पास कुर्दा नदी पर बांध बनाकर पानी को सकरौली नहर फॉल से नीचे गर्रा चौबे शाखा नहर में पानी प्रवाहित किया जाये, जो किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़: उपस्थित नहीं।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाये-

1. बुन्देलखण्ड में छतरपुर जिले के गांवों में इस वर्ष कम वर्षा से जलस्तर नीचा रहने के कारण हैंडपम्प, कुंओं, तालाबों का पानी कम हो गया है। अतः भीमकुंड से, जिसका सीधा सम्बन्ध समुद्र के पानी से है, सुनामी आने पर ऊपर तक पानी आ गया था। इस स्रोत से बड़ी पाइप लाइनों द्वारा गांवों में पेयजल आपूर्ति की योजना बनाये जाने की आवश्यकता है।

2. टीकमगढ़-छतरपुर संसदीय क्षेत्र से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 पर झांसी-ओरछा-छतरपुर-खजुराहो तक मार्ग के सौन्दर्यीकरण एवं ट्रामा सैण्टर बनाए जाने की आवश्यकता है।

श्री ओम बिरला (कोटा): महोदया, मैं निम्नलिखित विषयो को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं-

1. देश में संगठित एवं अन्तर्राज्यीय स्तर पर अपराधों के नियंत्रण हेतु संयुक्त कार्यबल के गठन की आवश्यकता।

2. फसल बीमा को किसानों के लिए लाभकारी एवं व्यावहारिक बनाए जाने की आवश्यकता।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं लोक सभा की अगले सप्ताह की कार्य सूची में लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का आपसे अनुरोध करता हूं-

24.04.2015

1. बुंदेलखण्ड में प्रचलित अन्ना प्रथा के कारण किसानों की फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है। इस प्रथा में पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है। अतः इस पर रोक लगाने के लिए समुचित उपाय करने हेतु इस पर सदन में चर्चा करा कर इसके निदान के उपाए किए जाएं और इस प्रथा पर रोक लगायी जाए।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा एवं चित्रकूट के सरकारी अस्पतालों, विशेषकर ग्रामीण अस्पतालों में कोई डॉक्टर नहीं है। सभी अस्पताल खाली पड़े हैं। केवल उनके भवन खड़े हैं, लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं है। अस्तु, इस विषय पर सदन में चर्चा कराकर उन रिक्त पदों पर डॉक्टरों को नियुक्त करके सभी को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री के. परशुरामन (तंजावुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जा सकता है:-

1. तंजावुर में 'बड़े मंदिर' के नाम से प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित 30करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने की आवश्यकता।
2. तंजावुर में संगीत महाविद्यालय, सरोबोजी महाविद्यालय और तमिल विश्वविद्यालय के उन्नयन के लिए 5 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (राँची): माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडे को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें -

1. नई दिल्ली से रांची के बीच चल रही राजधानी रेल सेवा को प्रतिदिन चलाने का कार्य करें, क्योंकि इस रेल सेवा की मांग तेजी के साथ बढ़ रही है।

2. देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 60 वर्ष के ऊपर के सभी वृद्धों, वृद्धाओं, विधवा एवं विकलांग लोगों को मासिक पेन्शन दिए जाने के बारे में व्यापक सर्वे करवाने का कार्य किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: अब हम अगले विषय 'निर्वाचन का प्रस्ताव' पर चर्चा करेंगे।

श्रीमती निर्मला सीतारमण

…(*व्यवधान*)

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): महोदया, श्री राजीव प्रताप रूडी ने अगले सप्ताह की कार्यसूची के संबंध में एक वक्तव्य दिया। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव): मैडम, मेरा भी सब्मिशन है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सब्मिशन के समय क्या आप नहीं थे? जिनके सब्मिशन थे, मैंने उनका नाम लिया था।

... (व्यवधान)

श्री ए.टी.नाना पाटील: मैं उस समय था। मेरा नाम भी उसमें होगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका नाम इसमें नहीं है।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै: महोदया, अभी हमारे मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया कि हम अगले सप्ताह क्या चर्चा करने वाले हैं और कई अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमने कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लिया है कि हम विभिन्न मंत्रालयों की छह मांगों पर चर्चा करेंगे। मुझे नहीं पता कि हम इन सभी छह मांगों पर चर्चा पूरी कर पाएंगे या नहीं। यदि यह संभव नहीं हुआ तो एक बार फिर हमें गिलोटिन का रास्ता अपनाना होगा। यह विभिन्न सदस्यों के लिए विभिन्न मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का एक अवसर है, ताकि वे अपने विचारों को व्यक्त कर सकें।

24.04.2015

आज, उदाहरण के लिए, हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करने का निश्चय किया था। किंतु, हमने कार्यसूची में देखा कि आज जी.एस.टी. विधेयक विचार और पारित करने के लिए रखा गया है। यदि हम विधेयकों को लेते हैं तो इन मांगों पर होने वाली चर्चा का क्या होगा? क्या हम गिलोटिन को स्थगित करने जा रहे हैं? यदि गिलोटिन को स्थगित किया जाएगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और सदन विधेयक भी ले सकता है।

महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब से इसे संशोधित किया गया है, मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। हम मांगों पर चर्चा कैसे करने जा रहे हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण हैं? सभा को इस वित्तीय कार्य को पारित करना होगा।

माननीय अध्यक्ष: मुझे पता है। उन्होंने इन मांगों का भी उल्लेख किया है। यह विषय मेरे संज्ञान में आ गया है और मैं इस पर विचार करूंगी। मैं उस पर चर्चा कराऊंगी। श्री रूडी, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी.एस.टी. विधेयक पहले से ही 19.12.2014 को सभा में पुरःस्थापित किया गया था। यह पहले से ही सदन में पुरःस्थापित किया गया था।

…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: उसका सवाल नहीं है, वह जब आएगा, तभी देखेंगे।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: ठीक है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उस समय देखा जाएगा। आपने जो बातें कही हैं, हम प्रयास करेंगे कि सभी विषय पहले शामिल हों। ठीक है।

तथागत जी, अभी उसका सवाल नहीं है। अभी निर्मला सीतारमण को करने दीजिए।

…(*व्यवधान*)

24.04.2015

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (धेंकनाल): मैं व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: यह किस बात पर है?

श्री तथागत सत्पथी: यह नियम 79 के बारे में है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अभी प्वाइंट आफ आर्डर आया कहां है? यह कौन सी बात पर है?

…(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: यह नियम 79 के बारे में है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन है। इसमें सभी प्रस्तुतियां सम्मिलित हैं। कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में, वे सभी चीजें हैं जिनकी हमने बी.ए.सी. में चर्चा की है। उसके ऊपर बात में बात करेंगे।

निर्मला सीतारमण जी।

...(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी: नियम 79 बहुत स्पष्ट है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप क्या मुद्दा उठा रहे हैं? मुझे खेद है। यह अभी नहीं आएगा। आप उस समय उपस्थित नहीं थे। यह कैसे हो सकता है? मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगी। ऐसा नहीं होता है। अभी कहां से हो जाएगा? उस समय आप उपस्थित नहीं थे। आपके स्थगन प्रस्ताव पर मैं पहले ही निर्णय दे चुकी हूँ। अब आप किसी और विषय पर बात कर रहे हैं। आप इस प्रकार कुछ नहीं कह सकते।

…(*व्यवधान*)

24.04.2015

अपराह्न 12.16 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

तम्बाकू बोर्ड

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मैं प्रस्ताव करती हूं:

"तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

24.04.2015

माननीय अध्यक्ष: अब, मद संख्या 18, श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा जी।

… (*व्यवधान*)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए एक नोटिस दिया है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह विधेयक पेश कर रहे हैं।

…(*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.18 बजे</u>

(इस समय श्री दीपेन्द्र हुड्डा, श्री के. सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: वह विधेयक पेश कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? कुछ अलग चल रहा है।

… (*व्यवधान*)

24.04.2015

अपराह्न 12.18 ½ बजे

विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015**

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा): महोदया, मैं विनियोग अधिनियमों [विनियोजन (रेलवे) अधिनियमों सहित] का निरसन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "विनियोग अधिनियमों [विनियोजन(रेलवे) अधिनियमों सहित] को निरस्त करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको मौका दे रही हूं। आप चेयर पर तो जाइए। आप बिल इंट्रोड्यूज भी नहीं करने देंगे, क्या बात है?

... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): महोदया, उसके पहले अलाऊ कीजिए।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

माननीय अध्यक्ष: हुड्डा जी, उसके पहले नहीं होता है। इंट्रोडक्शन तो हो ही जाता है। हम कोई डिस्कशन नहीं ले रहे हैं।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.19 बजे

इस समय श्री दीपेन्द्र हुड्डा, श्री के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपनी सीटों पर चले गए।

माननीय अध्यक्ष: महत्वपूर्ण बात क्या है?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब शून्य काल लेना है। इसमें किसका नाम है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप गड़बड़ मत कीजिए।

... (व्यवधान)

24.04.2015

<u>अपराह्न 12.20 बजे</u>

<u>अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी</u>

संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मद संख्या 19।

माननीय सदस्यगण, श्री के.सी. वेणुगोपाल ने दिनांक 24 अप्रैल, 2015 के अपने पत्र में उल्लेख किया है कि संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 अति महत्वपूर्ण है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे और इस विधेयक की जांच करने और इस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु इसे स्थायी समिति को सौंपा जाना चाहिए। अतः उन्होंने इस विषय को सभा में उठाने का मुझसे आग्रह किया है।

मुझे सभा को सूचित करना है कि विधेयक के प्रभारी मंत्री श्री अरुण जेटली ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के अपने पत्र द्वारा मुझसे इस आधार पर विधेयक को स्थायी समिति को नहीं सौंपने का आग्रह किया था कि विधेयक अर्थात् संविधान (115वां) संशोधन विधेयक, 2011 जिसमें माल और सेवा कर आरंभ किए जाने का उपबंध किया गया है, लोक सभा में 22 मार्च, 2011 को पुरःस्थापित किया गया था और वित्त संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। माननीय मंत्री ने आगे बताया कि राज्य के वित्त मंत्रियों की शक्तिप्रदत्त समिति से व्यापक विचार विमर्श हुआ है और वर्तमान विधेयक में स्थायी समिति और शक्तिप्रदत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर अब संशोधन किया गया है। उसके दृष्टिगत, मैंने विधेयक स्थायी समिति को नहीं सौंपा।

चूंकि मैंने विधेयक स्थायी समिति को नहीं सौंपे जाने संबंधी निर्णय पहले ही ले लिया है, मैं श्री वेणुगोपाल को विधेयक स्थायी समिति को सौंपे जाने संबंधी मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दे रहीं हूं।

… (*व्यवधान*)

24.04.2015

अपराह्न 12.21 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार तथा पारित करने हेतु व्यापारिक कार्य सूची में सूचीबद्ध करने के बारे में

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

माननीय अध्यक्षा: यह क्या है?

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदया, हम किसान की आत्महत्या की न्यायिक जांच का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते थे। महोदया, आपने इसकी अनुमति नहीं दी, लेकिन 'शून्य काल' में आप कृपया हमें इसकी अनुमति दें।

माननीय अध्यक्ष: आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम संख्या 220 के अंतर्गत है। मैंने इसका नोटिस भी दिया था। मैं यहां उपस्थित वित्त मंत्री से भी अनुरोध करता हूं। वित्तीय कार्य के संबंध में सामान्य प्रावधानों के तहत, नियम 220 स्पष्ट रूप से कहता है:

> " 'यह होते हुए भी कि किसी दिन को नियम 207, 208, 218 या 219 के अंतर्गत वित्तीय कार्य हेतु निर्धारित किया गया है, उस दिन एक या अधिक विधेयकों को प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव रखा जा सकता है और एक या अधिक विधेयकों को प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते कि उस दिन के लिए निर्धारित वित्तीय कार्य आरंभ होने से पहले ऐसा किया जाए।"

यह वह है जिसे वित्तीय कार्य के लिए आबंटित हुए एक दिन के तौर पर लिया जा सकता है। अब हम अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। यह वित्तीय कार्य है। कभी भी वित्तीय कार्य के लिए आबंटित दिन पर विचार और पारित करने के लिए विधेयक पेश नहीं किया गया है। महोदया, यह बिल्कुल नियम 220 का उल्लंघन है और मैं उसी पर आपका निर्णय चाहता हूँ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, मैं भी इसी विषय पर बोल रहा हूँ। कृपया मुझे नियम 220 पढ़ने की अनुमति दें, जो उस दिन लिए जाने वाले कार्य से संबंधित है, जिसे वित्तीय कार्य हेतु निर्धारित किया गया है। इसमें उल्लेख है:

> " यह होते हुए भी कि किसी दिन को नियम 207, 208, 218 या 219 के अंतर्गत वित्तीय कार्य हेतु निर्धारित किया गया है, उस दिन एक या अधिक विधेयकों को प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव रखा जा सकता है और एक या अधिक विधेयकों को प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते कि उस दिन के लिए निर्धारित वित्तीय कार्य आरंभ होने से पहले ऐसा किया जाए। "

अब कानून मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने एक विधेयक पुरःस्थापित किया है। हमने इस पर आपत्ति नहीं की क्योंकि जिस दिन वित्तीय कार्य के लिए आबंटन किया जाता है, उस दिन सरकार विधेयक पेश कर सकती है। लेकिन बस इतना ही। यह किसी भी विधेयक पर विचार नहीं कर सकता है। उप-अध्यक्ष ने भी इसी बात का उल्लेख किया।

अनुदान की मांगों पर बहस चल रही है। उसके बाद वित्त विधेयक होगा और उसके बाद विनियोग विधेयक होगा। सभा में सामान्य परिपाटी यह है कि बजट पारित होने से पहले वित्तीय चर्चा के दौरान कोई मध्यावकाश नहीं होता है। दूसरा, इस अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य नहीं किया जा सकता है। अतः सभा के पास अनुदानों की माँगें मौजूद हैं। सरकार लापरवाही भरा रवैया नहीं अपना सकती और अचानक निर्णय नहीं ले सकती। कल शाम को हमें कानाफूसी से पता चला कि वे संविधान (122वां संशोधन) विधेयक लाने जा रहे हैं। यह संसद को चलाने का तरीका नहीं है। किसी भी परिस्थिति में हमें संविधान (122$^{वें}$ संशोधन) विधेयक पर

चर्चा की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जो कि जी.एस.टी. विधेयक है। श्री जेटली के पास विनियोग विधेयक पारित होगा। पूरी धनराशि के लिए विनियोग के पारित होने के बाद ही यह विधेयक लिया जा सकता है। फिलहाल ऐसा किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा महोदया, जैसा कि किसी ने मुझे बताया, हमें शाम को अचानक पता चला कि कल जी. एस. टी. विधेयक आ रहा है। मैंने कहा, इसमें इतनी गोपनीयता क्यों? लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, कार्य मंत्रणा समिति को इसके बारे में पता नहीं है। अचानक किसी मंत्री, शायद वित्त मंत्री के दिमाग में यह विचार आया और उन्होंने तय कर लिया कि शुक्रवार को यह विधेयक लाया जाएगा।

उपाध्यक्ष ने ठीक ही बताया कि आप वित्तीय कार्य के लिए आबंटित समय में कटौती कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ मांगों की गिलोटिन की जाएंगी। जो सदस्य उन मांगों पर बोलना चाहते थे, वे अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप एक बार ठोस निर्णय लें। आप स्पष्ट कहें कि सदन सरकार की मनमानी के अनुसार नहीं चलेगा; यह नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं के अनुसार ही चलेगा। सभा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब वित्तीय कार्य चल रहा हो, सरकार ने विचार और पारित करने के लिए कोई विधेयक प्रस्तुत किया हो । महोदया, आप अपना रुख स्पष्ट करें। आप सदन की संरक्षिका हैं; आप सदन के निरीक्षक हैं। यदि आप इस सदन में संसदीय नियमों और परंपराओं की स्थापना करती हैं तो हम सभी आपके साथ खड़े रहेंगे।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदया, मैं नियम 389 को उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है, "इन नियमों में विशेष रूप से प्रावधान न किए गए सभी मामलों और इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण से संबंधित सभी प्रश्नों को उस तरीके से विनियमित किया जाएगा जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश देंगे।" मैडम, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। फाइनैंस बिल के बीच...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: उन्हें बोलने दीजिए, उनका भी आधिकार है।

... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: क्या मुझे बोलने का आधिकार नहीं है?...(व्यवधान) आपने अपना प्वाइंट बताया, मैं अपना प्वाइंट बता रहा हूं। रूल 389 कहता है कि जहां क्लैरिटी नहीं है वहां स्पीकर जिस ढंग से इस हाउस को चलाना चाहती हैं, चला सकती हैं। आपने अपनी बात कही, हमने अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात कही। स्पीकर का डिसीजन होगा कि यह बिल इंट्रोड्यूस होगा, डिसकशन होगी या नहीं। मेरा इतना ही कहना है कि रूल 389 स्पीकर को सारा आधिकार देता है और हमें यह आधिकार देना चाहिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (धेंकनाल): मैं कहना चाहता हूं कि ...

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: वीरप्पा मोइली जी कुछ कहना चाहते हैं। तथागत जी, मैं आपको भी अनुमति दूँगी। आप सब वरिष्ठ हैं, मैं सबकी बात सुनुंगी, क्यों नहीं सुनुंगी। आप सब इतने ज्ञाता हैं, मैं आपकी बात सुनुंगी।

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्काबल्लापुर): माननीय अध्यक्ष महोदया जब हमारे मित्रों ने यह आग्रह रखा कि यह मामला स्थायी समिति के पास जाना चाहिए था।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: वह डिसीजन हो गया।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली: महोदया, मैं उसी बात का जिक्र कर रहा हूं। आपने यह उल्लेख करने की कृपा की है कि इससे पहले 2011 में संविधान का 115$^{वां}$ संशोधन विधेयक, स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी

समिति ने एक प्रतिवेदन दिया और संसद के व्यपगत होने के बाद वह प्रतिवेदन व्यपगत हुआ है। उन्होंने दिसंबर 2014 में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। तब से, चार महीने बीत चुके हैं। वे इस मामले को स्थायी समिति को भेज सकते थे और समिति प्रतिवेदन देती।

दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि नया विधेयक 115वें विधेयक की प्रतिकृति है। दोनों विधेयक के बीच दस बुनियादी अंतर हैं। महोदया, यह कीचड़ में डूबने वाले ठेले की तरह है। फिर से यह इस तरह के विधेयक के साथ और डूब गया है क्योंकि आज की तारीख में, विभिन्न राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कम-से-कम इस सभा को विचार करना होगा। स्थायी समिति इस पर विचार-विमर्श कर सकती है। आप समिति से जल्द प्रतिवेदन देने के लिए कह सकते हैं ताकि इनमें से कई भ्रम दूर हो सकें। इसे फिर से एक मिशन में नहीं जाना चाहिए। यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर कार्रवाई की जानी है।

इसलिए, स्थायी समिति को संदर्भित किए बिना इसे दिसंबर में प्रस्तुत करने के बाद आज विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। … (*व्यवधान*) यदि वे विधेयक को प्रस्तुत करने में वास्तव में ईमानदार हैं, इसे पारित करा रहे हैं, और इसे संचालित या कार्यान्वित भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है, इसे स्थायी समिति को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए, मैंने सोचा कि मैं उन दस सारभूत अंतरों को विस्तृत रूप से बता सकता हूं ,जिन्हें मैंने सूचीबद्ध किया है। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: क्षमा करें, यह सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि इसको स्थाई समिति के पास भेजा जाए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: लेकिन उस बिंदु पर, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूं। यहां प्रश्न ही नहीं उठता।

… (*व्यवधान*)

श्री एम. वीरप्पा मोइली: अब वे कहते हैं कि कोई अंतर नहीं है लेकिन उस विधेयक और इस विधेयक में मौलिक अंतर है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हर किसी को बोलना नहीं चाहिए। कृपया बैठ जाइए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभी विद्वानों को एक साथ नहीं बोलना चाहिए!

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: उन्हें पूरा करने दें।

… (*व्यवधान*)

श्री एम. वीरप्पा मोइली: उदाहरण के लिए, इस वर्तमान एक सौ बाईसवें संशोधन विधेयक में एक सौ पंद्रहवें संशोधन विधेयक में कई पर्याप्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह मुद्दा नहीं है। हम केवल व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री एम. वीरप्पा मोइली: मैं स्थायी समिति का उल्लेख कर रहा हूं। एक मूल अंतर है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: इस पर, मैं पहले ही अपना निर्णय दे चुकी हूं।

… (*व्यवधान*)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: यह न केवल व्यवस्था के प्रश्न के बारे में है, बल्कि यह जिम्मेदारी के बारे में भी है।

…(*व्यवधान*)

श्री एम. वीरप्पा मोइली: सरकार को स्थायी समिति के प्रति कम सम्मान हो सकता है। आपको इसे कायम रखना होगा। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: फिर से, हम उस बिंदु पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुझे खेद है।

… (*व्यवधान*)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): यह केवल व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह भी औचित्य का प्रश्न है। …

(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मेरी बात सुनिए।

19.12.2014 को विधेयक प्रस्तुत किया गया; फिर 14 मार्च को बी. ए. सी. में भी हमने चर्चा की तथा चार घंटे आबंटित किये। उस समय भी जो कुछ कहा गया था, वह था। यह स्थायी समिति के पास नहीं जाएगा। यह निर्णय दिया जाता है। अब आपने एक पत्र दिया है। लेकिन उस बिंदु पर चर्चा नहीं की जाएगी। मुझे खेद है।

… (*व्यवधान*)

श्री के. सी. वेणुगोपाल: इस पर चर्चा नहीं हुई। मेरे पास 20 अप्रैल का बी.ए.सी प्रतिवेदन है। … (*व्यवधान*)

श्री तथागत सत्पथी: मैं बहुत अधिक बारीकी में नहीं जा रहा हूं। मेरे पास एक बहुत ही सरल बिंदु है।

कार्य मंत्रणा समिति के बारे में नियम 287 में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है:

"सभा के प्रारंभ में या समय-समय पर, जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समितिनामक एक समिति को नामित कर सकते हैं जिसमें पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे ..."

इसमें आगे कहा गया है:

समिति का यह कार्य होगा कि वह उस समय की सिफारिश करे, जो ऐसे सरकारी विधेयकों और अन्य कार्यों के चरण या चरणों की चर्चा के लिए आबंटित किया जाना चाहिए, जैसा कि अध्यक्ष, सदन के नेता के परामर्श से, समिति को भेजे जाने का निर्देश दे सकता है।"

यह एक हिस्सा है।

दूसरा भाग यह है। नियम 292 के अनुसार:

"समय आबंटन आदेश में कोई परिवर्तन अध्यक्ष की सहमति से तथा सदन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अलावा नहीं किया जाएगा"

इसलिए, जब प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत भागीदारी की बात आती है, जैसा कि प्रो. सौगत राय ने पहले ही कहा है, तो जी. एस. टी. को लागू करने जैसी साधारण बात में इतनी चुप्पी क्यों है?

महोदया, मैं शुरुआत में ही बताना चाहूंगा कि ओडिशा में मेरी सरकार जी. एस. टी. का समर्थन कर रही है। हमें इस विचार का कोई विरोध नहीं है। … (*व्यवधान*) कृपया मेरी बात सुनें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं. कृपया धैर्य रखें। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको उसके बाद बोलने की अनुमति दूंगी। तथागत जी, कृपया समापन करें।

श्री तथागत सत्पथी: महोदया, मेरा कहना यह है कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है जिसके लिए वे प्रत्येक सांसद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलना चाहते हैं? इसका दल से कोई लेना-देना नहीं है। इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। केवल एक चीज जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इतनी व्यस्त गतिविधि क्यों है। महोदया, यह अध्यक्षपीठ का उल्लंघन हो रहा है। इससे आपकी विश्वसनीयता, अध्यक्ष की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है।

माननीय अध्यक्ष: ऐसा कुछ नहीं है। मेरी विश्वसनीयता बरकरार है। इसके बारे में चिंता न करें।

श्री तथागत सत्पथी: अध्यक्षको नुकसान पहुंचाकर वे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम सभी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महोदया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जैसा कि अन्य माननीय सांसदों ने कहा है, इस सदन में इस प्रकार की परंपरा कायम न होने दें।

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात सही है।

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): महोदया, माननीय सदस्य श्री दुबे ने आपके अधिकार के संबंध में नियम 389 उद्धृत किया है। आपको किसी भी कार्यसूची को लेने का पूरा अधिकार है। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी चिंता अनुदान मांगों के संबंध में है क्योंकि बहस बंदी 28 अप्रैल के लिए नियत है। क्या आप सूचीबद्ध सभी मांगों पर चर्चा पूरी कर पाएंगे? मुझे आपके अधिकार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एकमात्र चिंता यह है कि क्या आप सभी सूचीबद्ध मांगों पर चर्चा को पूरा करने में सक्षम होंगे या आप बहस बंदी को स्थगित करेंगे? यदि आप बहस बंदी को स्थगित कर रहे हैं, तो हमें कोई समस्या नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: अब वित्त मंत्री जी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हमने आपके दल के सदस्य को सुना है। अन्यथा, हर कोई कुछ कहना चाहेगा।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, मुझे सिर्फ एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है क्योंकि 19 दिसंबर को जब विधेयक पेश किया जा रहा था, तो मैंने इस मामले को उठाया था और सुझाव दिया था कि इसे स्थायी समिति को क्यों न भेजा जाए। उस समय, वित्त मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया था और उन्होंने कहा था कि इस पर चर्चा की जाएगी, बाद के चरण में फैसला किया जाएगा। हम आज बाद के चरण में आ गए हैं।

हमने बाहर से सुना कि कल सांय 6.45 बजे तक सभा के उठने तक यह सभा की संपत्ति नहीं थी कि इस विधेयक को कल के कार्य के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है। तो, मेरा प्रश्न यह है कि यदि मैं इस विधेयक में कुछ संशोधन प्रस्तुत करूं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मुझे बताया गया कि मुझे इसे सांय 6.00 बजे से पहले देना होगा। मैंने कहा, अगर मैं इसे शाम 6.00 बजे के बाद देता हूं या अगले दिन सुबह 10.00 बजे से पहले देता हूं, तो इसका मतलब एक ही बात है। इसलिए, हम दोनों ने, प्रो. राय और मैंने, कुछ संशोधनों का मसौदा तैयार करने की कोशिश की और हमने कुछ संशोधन दिए हैं। लेकिन बहुत जल्दबाजी में हमें इन संशोधनों को पढ़कर उन्हें देना पड़ा।

ये संवैधानिक संशोधन हैं और आप अपेक्षाओं को समझते हैं। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। यदि मुझे कुछ संशोधन प्रस्तुत करना है, तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। यह नियम है। क्या इस तरह से एक संविधान संशोधन पेश करना होगा?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): आप दिसम्बर से क्या कर रहे थे? ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: क्या कर रहे हैं, यह बात आपको नहीं पूछनी चाहिए। आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न यह है कि मंत्री जी ने खुद आश्वासन दिया था। … (*व्यवधान*) क्या हमें यहां बहस करनी चाहिए?

माननीय अध्यक्ष: अब आप डिबेट मत कीजिए। वे आप सबकी बात सुन रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि यदि मैं कुछ संशोधन पेश कर रहा हूं... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष**:** उन्हें आपकी बात भी समझ में आ गयी है। अब मंत्री जी जवाब देंगे। उन्होंने आप सबकी बात समझ ली है। उन्हें कुछ कहने दो।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हाँ, माननीय मंत्री जी। कृपया उसकी बात सुनें। वह भी समझ रहे हैं। हम बाद में कुछ बात करेंगे।

वित्त मंत्री, कारपोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, अभी कुछ प्रश्न किए गए हैं। वास्तव में, मेरे मित्र श्री सत्पथी ने तो यहां तक कह दिया कि इस मामले को क्यों छुपाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस संसद के गठन के बाद से, इस देश के राजनीतिक ढांचे के भीतर किसी भी कानून पर सभा के समक्ष अंतिम विचार के लिए आने से पहले इतनी बहस हुई होगी, जितनी कि जी. एस. टी. संविधान संशोधन विधेयक पर हुई है। यह विभिन्न सरकारों से गुजरा है। आज, हम 2015 में हैं। यह हमारी

राजनीतिक व्यवस्था की परिपक्वता भी है कि हम किसी विशेष निर्णय लेते हैं और किस तरह राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव डालने वाले मामलों पर कैसे हर कोई एक साथ किसी विशेष दृष्टिकोण पर आता है।

यदि हम पीछे देखें तो 2003 में पहली एन. डी. ए. सरकार ने विजय केलकर समिति गठित की थी। वह समिति सिफारिश लेकर आई थी। पिछली सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश के आधार पर, यह यू. पी. ए.-1 ही थी, जिसने 2006-07 के बजट में कहा था कि वे अब देश में जी. एस. टी लाने का प्रयास करेंगे। एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब आप उनकी बात सुनिए। यह उचित नहीं है। सौगत राय जी, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री अरुण जेटली: श्रीमान, मैं आपको केवल याद दिला रहा हूं कि आपके पास इसके विभिन्न चरण हैं।

माननीय अध्यक्ष: वह उस कानाफूसी का उत्तर दे रहे हैं।

श्री अरुण जेटली: मैं श्री राय का भी उत्तर देने जा रहा हूं। उसके बाद, क्योंकि आपको राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव डालना है, केवल यह सभा पर्याप्त नहीं है। इसकी स्थायी समिति ही पर्याप्त नहीं है। आपको पूरी चर्चा राज्यों के साथ करनी होगी क्योंकि राज्यों के अधिकार भी प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए, जहां तक राज्यों का संबंध है, एक समानांतर तंत्र 2008 में यूपीए द्वारा ही स्थापित किया गया था।

2008 से 2015 तक, हमारे पास एक अधिकार प्राप्त समिति थी, जो पूरी तरह से गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करती थी। डॉ. असीम दासगुप्ता पहले सभापति थे। वह वाममोर्चा से संबंधित थे। श्री सुशील मोदी दूसरे सभापतिथे। वह भाजपा, एनडीए से संबंधित थे। राष्ट्रीय सम्मेलन के श्री अब्दुल रहीम रादर तीसरे सभापति थे और अब यूपीए के श्री के.एम. मणि चौथे और वर्तमान सभापति हैं।

इसलिए आपके पास दलगत आधार पर एक विकास हुआ है और सभी राज्य सरकारों के सभी वित्त मंत्री एक साथ बैठे हैं। इनमें उप-समितियां शामिल हैं। तत्पश्चात, अंततः जब 2011 से 2013 तक यूपीए द्वारा विधेयक संसद में पेश किया गया, तो समानांतर रूप से स्थायी समिति ने प्रत्येक प्रावधान पर विचार किया।

इसलिए आपके पास इसमें अधिकार प्राप्त समिति जा रही है। आपके पास स्थायी समिति है जो इसमें जा रही है।

श्री भर्तृहरि महताब: लेकिन दोनों में बातचीत भी होती थी।

श्री अरुण जेटली: हां, दोनों ने बातचीत भी की। श्री महताब, मुझे खुशी है कि आपने ऐसा कहा है। अंततः संसदीय बुद्धिमता और राज्य वित्त मंत्रियों की बुद्धिमता एक व्यापक सहमति या वस्तुतः सर्वसम्मति (जो भी शब्द हम उपयोग करना चाहें) में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए, हमने पिछले 12 वर्षों में विशेषज्ञ समितियों के विकास को पढ़ा है। हम तीन अलग-अलग सरकारों से गुजर चुके हैं। हमने चार अलग-अलग सभापतियोंवाली अधिकार प्राप्त समिति पर विचार किया है। हमने स्थायी समिति में दो से ढाई साल का विचार-विमर्श किया है।

अब पूरी प्रक्रिया के राजनीतिक ज्ञान के इस प्रयोग के बाद, यह अब सर्वसम्मति में परिवर्तित हो गया है। (अनेक माननीय सदस्यों ने स्वयं को संबद्ध किया। इसे उठाने के लिए वक्ता और दिसंबर के महीने में एक सर्वसम्मति बनने के बाद जब हमने अंतिम मसौदे के बाद विधेयक पेश किया, तो मैंने फिर से दो मौकों पर सभी मंत्रियों को बुलाया। इन सब के बाद, विभिन्न राज्य सरकारों और विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वित्त मंत्री सभी एक ही प्रश्न पर एकत्र हुए हैं।

मैं समझता हूं कि आज जो बात परीक्षण के अंतर्गत है, वह केवल जी. एस. टी. के लाभ नहीं हैं, जिन पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, जब माननीय अध्यक्ष महोदया कुछ मिनटों के लिए चर्चा के लिए विधेयक लाएंगे, यदि ऐसा करने की अनुमति दें, बल्कि यह राजनीतिक प्रणाली की परिपक्वता भी है कि हमने 12 वर्ष लगा दिए हैं और हम सर्वसम्मति पर पहुंचे हैं, भारत इसके लाभों के लिए और कितना इंतजार करेगा?

श्री तथागत सत्पथी: ओडिया में एक कहावत है जिसका अर्थ है कि आप 12 वर्षों तक *तपस्या* करते हैं और फिर अंत में आप इसे तलते हैं, चबाते हैं और खाते हैं।

श्री अरुण जेटली: उस तपस्या के अंत में, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि एक उपभोग राज्य के रूप में, ओडिशा सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक होने जा रहा है। इसलिए, जितना अधिक आप देरी करेंगे, उतना ही

अधिक आप उपभोग करने वाले राज्यों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। (*व्यवधान*) प्रक्रिया के संबंध में, हमारे पास नहीं है और मैं विरोधाभास के डर के बिना यह कहता हूं कि इस विधेयक पर हमारी स्थायी समिति सहित सभी मंचों पर एक अधिक व्यापक बहस हुई है। 1950 के बाद से इस संबंध में किसी अन्य कानून का कोई उदाहरण नहीं है। इस देश के विकास को रोकने की कोशिश में किसी का एकाधिकार नहीं है। हमें इस विषय में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अब, यदि एक के बाद एक राज्य कहें... (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत रायः हम विधेयक के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहे हैं ... (*व्यवधान*)

श्री अरुण जेटली: आप केवल यह कह रहे हैं कि इसमें देरी होने दें ... (*व्यवधान*)

श्री के. सी. वेणुगोपाल: हम विधेयक के विरुद्ध नहीं हैं। यह एक प्रक्रिया का प्रश्न है ... (*व्यवधान*)

श्री अरुण जेटली: श्री वेणुगोपाल, कृपया मुझे अनुमति दें।

माननीय अध्यक्षा: उन्हें पूरा करने दें।

श्री अरुण जेटली: मैं केवल यह कह रहा हूं कि यू. पी. ए. को उन कानूनों का समर्थन करना शुरू करना चाहिए जिन्हें उसने स्वयं पुरःस्थापित किया था। इसलिए, जो नया ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, वह यह है कि आपको उन विधानों से कठिनाई हो रही है जिन्हें आपने स्वयं बनाया था। यह एक तरह का विरोधाभास है जिसे कम से कम मैं समझ नहीं पा रहा हूं ... (*व्यवधान*) आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपकी सरकार ने जो अच्छा काम किया, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं, आपकी सराहना कर रहा हूं और आगे बढ़ा रहा हूं। इसलिए, किसी चीज के अंतिम पारित होने में देरी करने की कोशिश न करें जो आपकी अपनी सरकार द्वारा शुरू की गई थी।

महोदया, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि 389 के साथ पठित नियम 220 के तहत, नियम 220 केवल विधेयक को पुरःस्थापित करने के संबंध में एक प्रावधान है। परिचय दिसंबर के 19 को पहले ही हो चुका है। नियम 220 विधेयक के पारित होने से संबंधित नहीं है। हम आज बस इतना ही करेंगे कि चर्चा शुरू करेंगे। मैं चर्चा शुरू करूंगा। स्पष्ट है कि आज शुक्रवार होने के नाते हमारे पास हर किसी के बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हम अगले सप्ताह में चर्चा जारी रखेंगे और उस समय तक यदि कोई संशोधन पेश करना चाहता है, या

स्पष्टीकरण चाहता है, तो मुझे कोई कठिनाई नहीं है। हम बहस कर सकते हैं। मुझे कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करता हूं कि कृपया आज चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: कौन बोलेगा, यह बात अब दोनों में से एक ही तय करो। ऐसा नहीं है कि श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा के बाद, पुनः श्री खड़गे बोलेंगे। अगर श्री खड़गे अभी बोलना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। खड़गे जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। वे बहुत सीनियर हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: सबसे पहले, जब हम प्रक्रिया तथा व्यवस्था के मुद्दों पर थे। वित्त मंत्री ने यह कहकर कुछ राजनीतिक बिंदु बनाने और अपने राजनैतिक नंबर बढ़ाने का फैसला किया है कि यह हमारे दल का विधान है जिसे वह आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा का रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है, परमाणु समझौते से लेकर इस विधान के टुकड़े तक, जिसका गुजरात सरकार ने भी विरोध किया था। अब वे इसका समर्थन कर रहे हैं। हमारा रिकॉर्ड भी बहुत स्पष्ट है।

माननीय अध्यक्ष: दीपेन्द्र जी, इधर-उधर करेंगे तो गड़बड़ होगी। इसी प्वाइंट पर बोलिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: उन्होंने कुछ राजनीतिक बातें कही और इसलिए हमें इसका उत्तर देना होगा।

माननीय अध्यक्ष: वे इसी विधेयक पर बोले हैं। केवल इस विधेयक पर।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: उनका रिकॉर्ड सभी के लिए बहुत स्पष्ट है। गुजरात की सरकार ने इस विधान का विरोध किया। अब वे इसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने असैन्य परमाणु समझौते का विरोध किया। यह हमेशा भाजपा ही है, जिसने यू टर्न लिया है। अब वे प्रचार कर रहे हैं।

महोदया, इस विशेष बिंदु पर वापस आते हुए, स्थायी समिति के प्रश्न पर, हम औचित्य के सिद्धांत पर हैं। हमें लगता है कि सरकार के लिए स्थायी समिति में नहीं जाना बेहद अनुचित है। जब हमने आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का जवाब सुना तो हम दोबारा नहीं उठे।

माननीय अध्यक्ष: फिर से, यह जवाब नहीं है। यह मेरे द्वारा पहले भी तय किया गया था।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: यह अनुचित है, क्योंकि नियम उन्हें अनुमति देते हैं और इसलिए वे संसद पर बुल्डोजर चला सकते हैं। नियम 220 के प्रश्न पर, यह सही रवैया नहीं है। नियम 220 स्पष्ट रूप से कहता है कि आप एक विधेयक पेश कर सकते हैं, लेकिन यह विचार और पारित करने के लिए नहीं है। नियम 220 वित्तीय कार्य के प्रश्न पर है। वित्तीय व्यवसाय के संबंध में नियम 220 को नियम 221 के साथ पढ़ा जाता है, जो वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। संविधान निर्माता इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। यह नियम अति अभेद्य है। यदि सरकार, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देता हूं, तो मैं इस नियम को अनदेखा करने का विकल्प चुनता हूं। उन्हें इस नियम में संशोधन करना होगा और इतिहास में पहली बार होगा कि नियम पुस्तिका को वित्तीय कार्य के लिए बदला जाएगा। यह ऐसी बात है जिसमें हम शामिल नहीं हो सकते। यह ऐसी चीज है, जिसका हम पूरी ताकत से विरोध करेंगे और यदि आज जी. एस. टी. पर चर्चा होगी तो हम सभी पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हालांकि मैं देर से आया हूं, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है।

माननीय अध्यक्ष: आप लेट आए हैं, लेकिन आप बातों को रिपीट मत कीजिएगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, मैं बातों को रिपीट नहीं करता हूं लेकिन हाउस में बहुत-से लोगों के रहने की वजह से बातें रिपीट हो जाती हैं अगर मैं अकेला होता तो ऐसा नहीं होता।

महोदया, इस कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए सबकी सहमति है लेकिन हमारा यह विचार है कि इसमें बहुत से नए अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। जब नए अमेंडमेंट्स आते हैं और यह एक नया विधेयक है, क्योंकि वे

हमारे पहले दिए सुझावों का उल्लेख कर रहे थे। जैसा कि होता रहा है इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए था। अगर स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजना है तो स्टैंडिंग कमेटी को निकाल दीजिए। स्टैंडिंग कमेटी का कोई काम ही न रहे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इन बातों पर चर्चा हो चुकी है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, हमें भी अपने विचार साझा करने चाहिए। उन्हें मालूम है कि पहले हर बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजते थे।...(व्यवधान) हम स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत-सी तब्दीलियां हैं। जब बहुत-से चेंजिज होते हैं तो स्वाभाविक है कि डीप डिस्कशन करने की जरूरत है। अगर आप पंद्रह दिन या एक महीने का समय देते हैं, टाइम बाउंड करते हैं इसकी बजाय आप यह पिक्कचर सामने ला रहे हैं कि पूरा विपक्ष इसके विरोध में है और राज्यों की मददद नहीं करना चाहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा इम्प्रेशन दे रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है।...(व्यवधान) आज का दिन नॉन आफिशियल डे है। आज के दिन फाइनेंस इश्यु पर डिस्कशन करना कहां तक ठीक है। हमारे छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स को आपने स्टैंडिंग कमेटी को भेजा है, जिसके मैं दस उदाहरण दे सकता हूं। अगर आप कोई बिल लाते हैं तो आपके लिए अलग रूल है और अगर हम बिल ले कर आते हैं तो उसके लिए कोई दूसरा बताते हैं। महोदया, मैं मानता हूं कि आपको सर्वोच्च शक्ति मिली है। इस अधिनियम के तहत, आप किसी भी कानून को निलंबित कर सकते हैं, आप कोई भी कानून बना सकते हैं, आप किसी भी नियम को निलंबित कर सकते हैं और आप किसी को भी अपने विवेकाधिकार के भीतर बोलने की अनुमति दे सकते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि यहां इस वक्त फाइनेंस बिल को इस ढंग से अनुमति देना ठीक नहीं है, आप इसे रोक दीजिए या स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए। हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन चर्चा तो कीजिए। अगर आपके पास चर्चा करने के लिए वक्त नहीं है, तो संसद किसलिए है? संसद डिबेट के लिए है, डिस्कशन के लिए है, खामियां बताने के लिए है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप लोग बैठ जाएं, अब मंत्री जी बोलेंगे।

24.04.2015

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: खामियां बताने के बाद उसका समाधान निकालना भी जरूरी है। मैं आपसे अपील करता हूं कि नियम 220 के तहत जो विषय उठाया है।...(व्यवधान) मैं टीवी में आपकी बात सुन रहा था, आप जो कह रहे थे मैं उसे मार्क करके लाया हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाएं, आपने अपनी बात कह दी है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकती हैं। हर बार ऐसा होता है और अगर इस बार ऐसा हुआ तो यह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी नहीं है। यह बुलडोजिंग होगा। यह अच्छी बात नहीं है। … (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री के. सी. वेणुगोपाल: महोदया, मैंने भी नोटिस दिया है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइए। मैं कुछ नहीं सुनूंगी।

श्री करुणाकरन, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): मैं अध्यक्षपीठ का पूरा सम्मान करता हूं और अध्यक्षपीठ कोई भी निर्णय ले सकती है। इससे पहले कि आप कोई निर्णय लें, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के बारे में कार्य मंत्रणा समिति में कोई चर्चा नहीं हुई थी। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वित्त मंत्री ने इस मुद्दे पर लंबी टिप्पणी की है। लेकिन साथ ही यह एक नया विधेयक है। इसलिए, हम चाहते हैं कि इस विधेयक का अध्ययन किया जाए और अपने संशोधन भी दिए जाएं।

विभिन्न मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा चल रही है। उसके बाद सरकार इस विधेयक पर विचार कर सकती है। अन्यथा, इसे स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। यह हमारा निवेदन है।

24.04.2015
[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रेमचन्द्रन जी कृपया बैठ जाइए। इसे सबने देखा है। एक बात सब लोग सुनें। सब हो गया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने सभी रूल्स देखें हैं, सब प्वाइंट ऑफ ऑर्डर देखें हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे बार-बार किताब न दिखाएं। मैंने भी किताब पढ़ी है। मैंने सबकी बात समझ ली, अब सब लोग मेरी बात सुनिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई कुछ नहीं कहेगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे कुछ बोलने देंगे या नहीं? मैंने आपकी बातें सुनीं। आप दो घंटे इसी में लगाएंगे तो कोई बिज़नेस नहीं हो पाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द्रन, आज मैं आपको अनुमति नहीं दूंगी। मुझे खेद है। मैंने काफी सुना है। मैंने उन सभी को सुना है।

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 01.00 बजे।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैंने सबकी बात सुनी है। पहली बात तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि माननीय श्री खड़गे जी ने जो बात उठायी या सभी लोग जो बोल रहे हैं कि यह नया बिल है, समय की बात है।

ऐसा नहीं है। यह बिल 19.12.2014 को इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर से, मैं दोहरा रही हूं। उस समय भी यह तय हुआ था कि यह स्टैंडिंग कमेटी को नहीं जाएगी या जो भी हो। हो सकता है कि ऐसा मैंने कहा हो। उसके बाद 14 मार्च को बी.ए.सी. हुई थी, उसमें इसके लिए समय भी एलॉट हुआ था। आज की परिस्थिति में, मैं एक बात माननीय डिप्टी स्पीकर की भी समझ रही हूं, जैसा कि श्री सौगत राय जी ने भी कहा कि इतने सारे डिमांड्स पर डिस्कस करना है और हमारे पास समय भी नहीं है, यह बात भी हम समझ रहे हैं। अमेंडमेंट देने की बात भी हम समझ रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि यह बात भी सही है कि बहुत सारे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स डिस्कस करने हैं और मैं 28 तारीख को गिलोटिन भी करना चाहती हूं। इसमें से कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर लोग बोलना चाहेंगे। श्री महताब जी ने भी जो अमेंडमेंट देने की बात की, उनकी बात भी सही है, वे देना चाहेंगे। यदि आप इस पर कुछ विचार कर सकें ,तो यह बेहतर होगा।

श्री अरुण जेटली: मैं कुछ मिनट के लिए अपनी प्रारंभिक टिप्पणी दूंगा। तत्पश्चात इस पर विचार किया जा सकता है। … (*व्यवधान*) तत्पश्चात, यह सोमवार को भी जारी रह सकता है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, सोमवार को नहीं। मंडे को डिमांड्स फॉर ग्रांट्स लिये जाएंगे। इसे भी तो पूरा करना है। इसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा।

... (व्यवधान)

श्री अरुण जेटली: इसे पहले ही 19 मार्च को पेश किया जा चुका है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: इसे पहले ही पेश किया जा चुका है।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली: माननीय अध्यक्ष ने इसके लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया है। मेरा मतलब है कि बी. ए, सी. ने इसके लिए चार घंटे आबंटित किए हैं। … (*व्यवधान*)

24.04.2015

माननीय अध्यक्ष: एक बात यह है कि अभी हमें बहुत सारे डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर चर्चा करनी है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली: भले ही इसमें अधिक समय लगे, हम थोड़ा अतिरिक्त समय के लिए बैठ सकते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि वित्तीय कार्य के लिए उपलब्ध सम्पूर्ण समय को लचीलापन दिखाते हुए माननीय सदस्यों को दिया जाना चाहिए। कोई कठिनाई नहीं है। सरकार इसके लिए तैयार है। चर्चा शुरू होने दीजिए। तत्पश्चात, सोमवार के लिए आप जो भी समय निर्धारित करेंगे, उस पर विचार किया जा सकता है। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मेरा निवेदन है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं उनसे पुनः अनुरोध कर रही हूं। मैं आपकी बात के लिए ही कह रही हूं, तो भी आप टोक रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: या तो आप इसी में समय लगाएंगे और डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि डिमांड्स फॉर ग्रांट के लिए समय नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि इसको पोस्टपोन करने के मेरे विचार से आप भी सहमत हैं। रूल 220 क्या कहता है, मैं आपके ध्यान में फिर एक बार ला रहा हूं।

[अनुवाद]

नियम 220 नियम 221 के साथ पढ़ा जाए। नियम 221 के अनुसार:

"इन नियमों के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के अलावा, अध्यक्ष ऐसे सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है जो सभी वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं, जिसमें ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य के निपटान के लिए समय का आबंटन शामिल है, और जहां समय इस प्रकार आबंटित किया जाता है, अध्यक्ष, नियत समय पर, उस चरण या चरणों के संबंध में सभी बकाया मामलों को निपटाने के लिए आवश्यक प्रत्येक प्रश्न को रखेगा जिसके लिए समय आबंटित किया गया है।

इसलिए, हम सहमत हैं। अचानक, यह बात सामने आई है। आप इसे नियमित समय-सारणी में दे सकते थे। आपने ऐसा नहीं किया। कम से कम, माननीय वित्त मंत्री को आपके सुझाव से सहमत होना चाहिए। वह हमेशा नियमों का पालन करते हैं। लेकिन यह पहली बार है कि वह अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। यह पहली बार है ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह तरीका नहीं है। वह अवज्ञा नहीं कर रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्लीज खड़गे जी, यह बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। उन्होंने किसी चीज की अवहेलना नहीं की है। आप ऐसी बात कहते हैं, फिर कहते हैं कि मैं एक्सपंज करने जा रही हूं। कृपया ऐसा न कहें।

… (*व्यवधान*)... *

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: एक्सपंज करने का आधिकार आपको ही है।...(व्यवधान) लेकिन वे आपके सजेशन को नहीं मान रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: आप अपने आधिकार का दुरूपयोग न करें।

श्री निशिकान्त दुबे जी, आप बोलिए।

श्री निशिकान्त दुबे: मैडम, कौल एंड शकधर की किताब देखिए। इस हाउस और देश की परम्परा है कि बजट एक ही बार इंट्रोड्यूश होता है, दूसरी बार नहीं होता है। कौल एंड शकधर लिखते हैं, पृष्ट संख्या 740 देखिए। 1985 में, दो बजट 14 और 16 मार्च, 1985 को प्रस्तुत किए गए थे। इसकी परमीशन स्पीकर ने कैसे दी? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? दूसरे, कोई भी फाइनेंशियल मैटर पहले लोक सभा में आता है। इसी में आगे लिखा गया है:5 मार्च, 1975 को वित्त राज्य मंत्री ने 1975-76 के गुजरात बजट को लोक सभा में प्रस्तुत करने से पहले ही राज्य सभा में प्रस्तुत करने के लिए लोक सभा से क्षमा मांगी।

मैं यह कह रहा हूं कि राज्य सभा में आप फाइनेंशियल बिल लाते हैं, वर्ष 1985 में दो बार बजट पेश कर दीजिए, वह कोई कन्वेंशन नहीं है, लेकिन यदि हम जी.एस.टी. बिल प्रजेंट कर रहे हैं तो आप स्पीकर की ऑथारिटी को कह रहे हैं। राज्यों को ज्यादा आधिकार देने की बात हो रही है। इसी लोक सभा में आप लोग सब कुछ कर चुके हैं। वर्ष 1985 में दो बार बजट पेश कर चुके हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं उससे अनुरोध करूंगी। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

… (*व्यवधान*)

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

24.04.2015

श्री अरूण जेटली: महोदया, मैं श्री खड़गे जी का बहुत आभारी हूं। उन्होंने विभिन्न नियमों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। अब, नियम 220 कहता है। … (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): नियम 221 बहुत विशिष्ट है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: जेटली जी, आप बोलते जाइए, ये ऐसा ही चलेगा। हां, मंत्री महोदय, आप कृपया आगे बढ़ें। उन्हें मत सुनिए।

[अनुवाद]

श्री अरूण जेटली: नियम 220 एक सक्षम नियम है, जो वित्तीय कार्य के दौरान परिचय की अनुमति देता है। नियम 220 में कोई प्रतिबंध नहीं है। श्री हुड्डा जो निषेधाज्ञा दोहरा रहे हैं, वह वे स्वयं जोड़ रहे हैं। यह नियम 220 में मौजूद नहीं है। यदि आप नियम 221 पर आते हैं, तो वास्तव में, यह पूरी समस्या को हल कर देग। इससे अध्यक्ष को लचीलापन का अधिकार देता है। जहां तक वित्तीय कार्य का संबंध है, अध्यक्ष के पास समायोजित करने, पुनः समायोजित करने और समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने की सभी शक्तियां होंगी। नियम 221 यह नहीं कहता है कि कोई अन्य विधान नहीं बन सकता है।

इसके विपरीत, जहां तक अध्यक्ष का संबंध है, नियम 221 लचीलापन देता है। अब, उस लचीलेपन का प्रयोग करते हुए, मैं बस इतना कह रहा हूं कि इस मामले को आपके निर्देशों के साथ सूचीबद्ध किया गया है, इस मामले को आज सूचीबद्ध किया जाना सही है। इसलिए, मैं कुछ परिचयात्मक टिप्पणियां करूंगा। मैं जितना संभव हो, उतना संक्षिप्त रहूंगा। … (*व्यवधान*) मैं इसका परिचय दूंगा। तत्पश्चात, सोमवार को आप जो समय निर्धारित करेंगे, बाकी चर्चा जारी रखी जा सकती है। यदि कोई अपने संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसके पास पर्याप्त समय भी होगा।

उनके पास मार्च के 19 के बाद से समय था। मार्च 19 के बाद से, किसी ने भी संशोधन नहीं पेश किया है। मैं पुनरावृत्ति की कीमत पर यह कह रहा हूं कि यह एक विशेष विधेयक है जिसके लिए हमने 12 वर्षों तक

प्रयास किया है, और विभिन्न सरकारों द्वारा बहुत अच्छा काम हुआ है, यहां तक कि अतीत की सरकारों द्वारा भी। हर दिन यह विकसित हुआ है। मैं परिस्थितियों की व्याख्या करूंगा कि विकसित हुए दो खंड क्या हैं। आखिरकार, 2013 में स्थायी समिति एक प्रतिवेदन देती है, और कुछ सिफारिशें करती है, जो विधेयक उन सिफारिशों को स्वीकार करता है, वह 2011 विधेयक से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इसने स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने जो एक या दो सुझाव दिए हैं, वे हैं जिन्हें इसमें जोड़ा गया है। एक बार जब आप मुझे एक अवसर देंगे, तो मैं समझाऊंगा। यह वह विधेयक है जिसे पूरा देश देख रहा है, जिससे देश के विभिन्न राज्यों की राजस्व स्थिति में मदद मिलेगी। यही कारण है कि अधिकांश राज्य इसका उत्साहपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। देश में पूरा समुदाय, जो अप्रत्यक्ष कर भुगतान समुदाय है, इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए, जहां तक एक बड़ी सर्वसम्मति के माध्यम से हासिल किए गए विधेयक का संबंध है, हमें नकारात्मक संकेत स्थापित नहीं करने चाहिए। हम अभी खोल सकते हैं और नियम 221 के तहत आपके लचीलेपन का उपयोग करते हुए, हम सोमवार को भी काम जारी रख सकते हैं।

डॉ. एम. तंबिदुरै: मैंने पहले से ही कुछ चिंताएं जताई हैं। आज मंत्री जी प्रस्तावना के लिए कह रहे हैं। यह ठीक है। फिर, सोमवार को, वह चर्चा करना चाहते थे। मांगों का क्या? हम 28 तारीख को बहस बंदी का आयोजन करने जा रहे हैं। मांगों पर चर्चा करने का समय कहां है? यही कारण है कि, मैं आपसे बहस-बंदी को स्थगित करने का अनुरोध कर रहा हूं। यदि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष समय को समायोजित करेंगी। … (*व्यवधान*) नियम 221 के तहत, आपके पास पूरी छूट है। … (*व्यवधान*)

डॉ. एम. तंबिदुरै: कोई समय सीमा नहीं है। … (*व्यवधान*)

श्री अरुण जेटली: उपाध्यक्ष को यह महसूस होगा कि हम कुछ घंटे अतिरिक्त बैठ सकते हैं। श्री खड़गे द्वारा उद्धृत नियम में वह सब आपके पास उपलब्ध है। … (*व्यवधान*)

डॉ. एम. तंबिदुरै: क्या आप सभी मांगों पर चर्चा की अनुमति देने जा रहे हैं? इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है। यदि आप सभी मांगों पर चर्चा की अनुमति देते हैं, तो मेरे लिए कोई समस्या नहीं है।

श्री अरूण जेटली: मैंने आपको बताया था कि सरकार सभी मांगों पर विचार करते हुए सहयोग करेगी। यही बात का अंत है।

माननीय अध्यक्ष: अब हो गया, बहुत समय इस पर चला गया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, सत्ता पक्ष के सदस्यों का कोई मत नहीं आया, सरकार के सदस्यों का कोई मत नहीं बन पाएगा।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: अब कोई भी कुछ न कहे।

श्री राजीव प्रताप रूडी: इनकी बातों को सुन लिया, लेकिन हमारे कई सदस्य भी इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। महोदया, थोड़ा इधर भी देखा जाए कि सरकार के पक्ष में भी बहुसंख्यक सदस्य बैठे हैं।

माननीय अध्यक्ष: मैं सबको देख रही हूं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: वे इस विषय को आगे लेकर चलना चाहते हैं। कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। माननीय मंत्री जी ने यह आग्रह किया है कि मैं इस विषय को रखना चाहता हूं। विषय को रखने के पश्चात् आपको और भी संशोधन देने में सुविधा होगी, तो वे तमाम चर्चा लाकर रखेंगे और आपके पास वक्त है इसमें भाग लेने का, इसलिए मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि इस विषय पर चर्चा प्रारम्भ की जाए और फिर सोमवार को इसे लेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट मेरी बात भी सुनिए। मुझे भी आधिकार है कुछ कहने का इसलिए मुझे कुछ कहने दें। मेरा इतना ही आप सबसे निवेदन है

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप क्यों नाराज हो रहे हैं, माइक ऑन करके बोलिए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सद्भावनापूर्वक, सदस्यों ने कुछ समय के लिए सहमति व्यक्त की। वे कभी सहमत नहीं हुए हैं - कहीं भी यह चर्चा नहीं की गई थी कि इसे स्थायी समिति के पास नहीं भेजा जाएगा। मैंने दिसंबर में यही उल्लेख किया है। 19 दिसंबर को जब मैं विधेयक प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ, तो हमने इस विधेयक को प्रस्तुत करने पर कभी कोई आपत्ति नहीं की।

श्री अरुण जेटली: यह विधेयक स्थायी समिति के पास ढाई साल से पड़ा है।

श्री भर्तृहरि महताब: उस समय आई. जी. एस. टी. विधेयक का हिस्सा नहीं था। हम समझ चुके हैं कि जी. एस. टी. एक एकल कर होगा, अब हमारे पास पहले से एस. जी. एस. टी. है, अब हमारे पास इस नए विधेयक में आई. जी. एस. टी. है। इसके दुष्परिणाम होंगे। मैं विधेयक के गुण-दोष पर बात नहीं कर रहा हूं। यह निस्संदेह एक गेम चेंजर है। लेकिन यह बिल्कुल अलग विधेयक है और एक गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से, स्थायी समिति के संसद सदस्यों को इस पर विचार करना चाहिए। यही मैं दिसंबर, 2014 से जोर दे रहा हूं। न तो किसी स्तर पर इसका निर्णय हुआ और न ही हम में से किसी को इसके बारे में पता था कि यह स्थायी समिति के पास जाएगा। कल जब हमने सुना कि उसे आज चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है, तभी हमें इसका पता चला। मार्च के महीने में जब बी. ए. सी. बैठक हुई, तब केवल यह कहा गया कि हम निश्चित समय आबंटित करेंगे और हम इसे बाद में लेंगे। उस समय भी कभी यह नहीं कहा गया कि यह विधेयक स्थायी समिति में नहीं जा रहा है।

अब मैं अपने दल का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। इसलिए आगे, जब भी इस प्रकार का अनुरोध आएगा और संसद के सामने विधेयक होगा, तो हम हमेशा इस बात पर जोर देंगे कि इसे स्थायी समिति के पास जाना चाहिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय अध्यक्ष महोदया, समय का आबंटन चर्चा के उद्देश्य से होता है, इसे स्थायी समिति को नहीं भेजना है। अन्यथा हम समय क्यों आबंटित करेंगे? जब चर्चा होनी है, तभी हम समय लगाते हैं। इसलिए, हमें इस पर चर्चा करनी होगी और इस विधेयक पर चर्चा के लिए आबंटित समय चार घंटे है। इसे स्थायी समिति में भेजने का प्रश्न ही कहाँ है? … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मैंने सभी की बात सुनी है। लेकिन आप भी इस बात को समझिए कि इंट्रोडक्शन के समय ही इस बात को कहा गया था कि स्टैंडिंग कमेटी में यह नहीं जाना है और इसीलिए बिजनेस अडवाइज़री कमेटी में समय भी अलॉट हुआ था। भृतहरि जी आप भी इस बात को जानते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, मेरा रिकॉर्ड मेरे पास है। कृपया रिकॉर्ड को देखें। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष:आप लोग बैठ जाइए। मेरा इतना ही कहना है कि यह महत्वपूर्ण बिल है। आप सभी लोग जैसा चाहते हैं और आप सभी ने कहा कि बाकी विषयों को लेना चाहिए। साधारणतया चार से ज्यादा विषय आज तक नहीं हुए हैं, लेकिन हमने छः विषयों को लिया। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा चार विषय ही डिस्कस कर पाएंगे, यह हम सभी लोगों को समझना चाहिए। हम इस पर भी विचार कर सकते हैं कि पूरे छः विषयों पर डिस्कशन हो, लेकिन उसके लिए समय कैसे निकाल सकते हैं? मेरा आज आप लोगों से यही निवेदन है और मैं अपना अंतिम निर्णय दे रही हूं और इस बात पर हम सभी को सहमत होना होगा कि आज यह बिल डिसक्शन के लिए नहीं लेंगे, लेकिन माननीय जेटली जी इसके इंट्रोडक्शन के लिए स्टेटमेंट दे सकते हैं।...(व्यवधान) उसके बाद हम एचआरडी मिनिस्ट्री पर चर्चा शुरू करेंगे।...(व्यवधान) लेकिन इस बिल पर हमें कब और कितने समय चर्चा करनी है, यह हम बाद में आपसे चर्चा करके तय करेंगे।...(व्यवधान)

24.04.2015

24.04.2015

अपराह्न 01.13 बजे

संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

महोदया, यह विधेयक दिसम्बर, 2014 में लाया गया है। … (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय अध्यक्ष महोदया, हम सहमत नहीं हैं। … (*व्यवधान*) हम विरोध में बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 01.14 बजे

इस समय, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से चले गए।

… (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, हम भी बाहर जा रहे हैं। ... (*व्यवधान*)

अपराह्न 01.14 ½ बजे

इस समय *प्रो. सौगत राय और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन छोड़ दिया।*

… (*व्यवधान*)

श्री अरुण जेटली: महोदया, हालांकि इस विधेयक को संविधान (122वां संशोधन) विधेयक कहा गया है, वास्तव में यह विधेयक भारत के संविधान में 100वां संशोधन है। राजस्व और कराधान के मामले में, शायद यह

सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है जिसे संविधान में ही कभी भी उठाया गया है। अप्रत्यक्ष कराधान की हमारी वर्तमान संरचना केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को विभिन्न प्रकार के कर लगाने का अधिकार देती है। केंद्र सरकार द्वारा ये कर उत्पाद शुल्क के रूप में हो सकते हैं; वे सेवा कर, राज्य सरकार द्वारा कर या वेट प्लस राज्य सरकार द्वारा करों की अन्य बहुलता के रूप में हो सकते हैं। इस संविधान संशोधन का उद्देश्य इन करों के बीच एक निश्चित मात्रा में संमिलन लाना है ताकि कराधान तंत्र बेहद सरल हो जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं इसे समझाऊं, मैं केवल एक सीमांत बिंदु को इंगित करूंगा, जो श्री महताब द्वारा स्थायी समिति के संबंध में उठाया गया था कि आई. जी. एस. टी. 2011 विधेयक का हिस्सा नहीं था। यदि श्री महताब जाँच करें - वे बहुत मेहनती हैं; मुझे विश्वास है कि वे जाँच करेंगे - तो आई. जी. एस. टी. 2011 विधेयक का हिस्सा था। स्थायी समिति की संस्तुति के पृष्ठ 68 पर, आई. जी. एस. टी पर विशेष रूप से चर्चा की गई है।

महोदया, जहां तक जी. एस. टी. संरचना के लाभों का संबंध है, वर्तमान जी.एस.टी द्वारा जिस कठिनाई का सामना किया जा रहा है, वह कठिनाई यह है कि राज्यों में कर दरों और संरचनाओं की कोई एकरूपता नहीं है। इसलिए, जहां तक देश का संबंध है, विभिन्न राज्यों में विभिन्न कराधान वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध हस्तांतरण को रोकते हैं। दूसरी समस्या जो वर्तमान संरचना के संबंध में नोट की गई है, वह यह है कि यदि कराधान के विभिन्न शुल्क बनाए जाते हैं, तो हमारे पास कर पर ही कर लगाए जाने की अवधारणा होगी। इसलिए, यदि आपके पास केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे पहले उदाहरण में उत्पाद शुल्क है, और बाद में एक वैट है, तो नए करों की उन मात्राओं को भी कर इनपुट पर लगाया जाता है, जो पहले ही देय हो चुकी है। जिसके परिणामस्वरूप माल और सेवाएं दोनों महंगी हो सकती हैं।

अब जी. एस. टी. संविधान संशोधन से जो लाभ होंगे, वह यह होगा कि जहां तक पूरे देश का संबंध है, यह अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाएगा। इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन और मुद्रास्फीति की लागत में कमी आने की उम्मीद है, जिससे भारतीय व्यापार और उद्योग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। यह भी उम्मीद की जाती है कि जी. एस. टी. की शुरुआत एक सामान्य या निर्बाध भारतीय बाजार को बढ़ावा देगी और अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। जी. एस. टी. कर आधार को

व्यापक बनाएगा और इसके परिणामस्वरूप एक मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण बेहतर कर अनुपालन होगा। मूल्य संवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में इनपुट क्रेडिट के इस निर्बाध हस्तांतरण के कारण, जी. एस. टी. के डिजाइन में एक इनबिल्ट तंत्र है कि यह कर अनुपालन को प्रोत्साहित करेगा। इसलिए, अपवंचन स्वयं कठिन हो जाएगा।

महोदया, आज चर्चा के आरंभ में मैंने बताया था कि इसका इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 2003 में, केलकर समिति को तब नियुक्त किया गया था, जब श्री वाजपेयी के नेतृत्व में नंदा की पहली सरकार सत्ता में थी। तत्पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का प्रस्ताव पहली बार वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम ने 2006-07 के अपने बजट भाषण में रखा था। चूंकि इसमें सुधार शामिल थे, न केवल केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष करों में बल्कि राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष करों में भी, यह आवश्यक था कि इस कराधान के लिए संपूर्ण डिजाइन संरचना तैयार की जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस संविधान संशोधन के कारण अंततः राज्यों के कराधान डिजाइन ढांचे में भी परिवर्तन होगा। इसलिए राज्य के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई थी। इस अधिकार प्राप्त समिति ने संसदीय सर्वसम्मति के साथ मिलकर तब से काम किया है, जैसा कि श्री महताब ने आज सुबह बहुत सही ढंग से बताया है। इन इनपुट और विभिन्न अन्य कार्य समूहों के आधार पर जिन्हें नियुक्त किया गया था, संविधान संशोधन तैयार किया गया था और मार्च, 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री, माननीय प्रधान मंत्री, डा. श्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में संविधान संशोधन पेश किया। यह संविधान संशोधन स्थायी समिति के पास गया और स्थायी समिति ने लगभग दो वर्षों से अधिक, यानि ढाई वर्षों तक इस पर विचार-विमर्श किया। अगस्त, 2013 में, स्थायी समिति ने अपनी विस्तृत सिफारिश दी जहां तक जी. एस. टी. संरचना का संबंध है। इस संरचना के आधार पर, हमने वापस चले गए, विधेयक को फिर से बदल दिया। यह पुनर्मूल्यांकन तब हुआ जब यू. पी. ए.-2 सत्ता में था। इसलिए, यह राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति में वापस चला गया। राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को दो संदेह थे। पहला संदेह यह था कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो विनिर्माण राज्य हैं।

जी. एस. टी. गंतव्य कर है। माल का उत्पादन एक राज्य में किया जा सकता है, दूसरे राज्य में बेचा जा सकता है या दूसरे राज्य में कारोबार किया जा सकता है और इसका कर लाभ उपभोक्ता राज्य को ही मिलेगा। इसलिए, सभी उपभोक्ता राज्यों को लगा कि वे पहले चरण में लाभार्थी होंगे, लेकिन विनिर्माण राज्यों को कुछ संदेह था कि वे नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए, जब श्री हुड्डा ने सुबह कहा कि गुजरात को कुछ आपत्तियां हैं, तो उनका कहना बिल्कुल सही था। गुजरात को कुछ आपत्ति थी क्योंकि गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र विनिर्माण राज्य हैं।

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): इसलिए हम जी. एस. टी. विधेयक का विरोध कर रहे हैं। अन्य माननीय सदस्य भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए, इसे स्थायी समिति को भेजना बेहतर है। इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। आप भी अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसमें मतभेद हैं। कुछ राज्यों को भी इस पर आपत्ति है। इसलिए, मैं इसे स्थायी समिति को सौंपने पर जोर दे रहा हूं।

श्री अरुण जेटली: मैं इसे स्पष्ट करता हूं। जब विनिर्माण करने वाले राज्यों को इस पर आपत्ति थी, तो सर्वसम्मति पर पहुंचना आवश्यक था। राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने फिर से बैठक की। वे न केवल मिले, बल्कि उन्हें अपने राज्यों में वापस जाना पड़ा। हर राज्य - मैं विरोधाभास के डर के बिना यह कहता हूं - ने उन प्रस्तावों को अपनी सहमति दी है। जो परिवर्तन किया गया वह यह है कि क्या हम दो वर्ष की अवधि के लिए आई. जी. एस. टी. पर एक प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं? यह गुजरात और महाराष्ट्र द्वारा सुझाया गया था क्योंकि ये विनिर्माण राज्य थे और इसलिए, यह मीडिया के माध्यम से था जिसे हर दूसरे राज्य ने स्वीकार किया। जब प्रत्येक राज्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया तब दूसरा प्रश्न यह था कि यदि किसी राज्य को राजस्व हानि होगी तो क्या होगा। ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि वैट के अस्तित्व में आने के समय अज्ञात भय का माहौल था। इसलिए, वैट के कार्यान्वयन में कुछ देरी हुई। जब वैट लागू किया गया था, तो बाद में हर राज्य का राजस्व बढ़ गया है। किसी को नुकसान नहीं हुआ। इसलिए, केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि पहले पांच वर्षों तक हम एक विशेष तरीके से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करेंगे। अंडरराइटिंग प्रक्रिया यह है कि पहले तीन वर्षों के लिए, यदि कोई राज्य पीड़ित है, तो उसके

100 प्रतिशत नुकसान की भरपाई हमारे द्वारा की जाएगी। चौथे वर्ष में, 75 प्रतिशत नुकसान की भरपाई हमारे द्वारा की जाएगी। पांचवें वर्ष में, 50 प्रतिशत नुकसान की भरपाई हमारे द्वारा की जाएगी। यह सभी राज्यों के बीच सर्वसम्मति का बिंदु बन गया। इसलिए, इसके आधार पर, स्थायी समिति की सिफारिशों और राज्य के मुख्यमंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के बीच जो सर्वसम्मति बनी, वह यह थी कि जहां तक केंद्रीय करों का संबंध है, उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, आदि के संदर्भ में केंद्रीय करों को समाहित किया जाएगा। अब, सेवा कर पूरी तरह से केंद्र को देय है। आज तक राज्यों को यह नहीं मिलता है। इस बदले हुए डिजाइन में राज्य भी इस सेवा कर का हिस्सा बनने के हकदार होंगे। इसलिए, यह आवश्यक रूप से राजस्व को बढ़ाएगा। आशा है कि सेवा कर के अलावा, आसान अनुपालन के अलावा, भारत में व्यापार करने में आसानी के अलावा, मात्रा और व्यापार का विस्तार भी बढ़ेगा और इसलिए, राज्यों के कराधान में किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी।

डॉ. एम. तंबिदुरै: पहले से ही तमिलनाडु ने आपको एक पत्र लिखा था। जी. एस. टी. के कारण हमें प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। आपने कहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्य इस पर आपत्ति कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे? यही हम जानना चाहते हैं।

श्री अरुण जेटली: यही मैंने समझाया है। संरचना तमिलनाडु सहित हर राज्य को लाभान्वित कर रही है। मैंने आपके दल के नेताओं को भी समझाया है। पहले उदाहरण में, बेहतर अनुपालन इसका ध्यान रखता है। दूसरे मामले में, महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तमिलनाडु भी बहुत सारा सेवा कर दे रहा है। आज तमिलनाडु सरकार को उस सेवा कर से कोई लाभ नहीं मिलता है। जी. एस. टी. के बाद सेवा कर का लाभ तमिलनाडु को भी मिलेगा। तो, यह एक अतिरिक्त लाभ है जो आपको मिलेगा। यदि उसके बाद भी किसी भी राज्य के क्षणिक चरण के दौरान राजस्व में कोई गिरावट आती है, तो पहले पाँच वर्षों के लिए, हमने इसे बंद करने के लिए केंद्र सरकार के रूप में कार्य किया है। यह संविधान संशोधन का ही एक हिस्सा है। इसी प्रकार राज्यों की इन चिंताओं को ध्यान में रखा गया है।

24.04.2015

डॉ. एम. तंबिदुरै: पाँच साल बाद क्या होगा?

श्री अरूण जेटली: मुझे आपको आश्वस्त करने दो। आपने 'पाँच साल बाद' के बारे में पूछा। जब वैट अस्तित्व में आया, तो यही एकमात्र प्रश्न उठाया गया था - क्या होगा यदि राज्यों को राजस्व की हानि होगी? एक वर्ष तक, एक भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं हुआ। हर राज्य का राजस्व बढ़ा है। इसलिए, कृपया यह भय न रखें कि किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान होने वाला है। आखिरकार, आपके राज्य के वित्त मंत्री सहित हर राज्य का प्रतिनिधित्व था - यहां तक कि परसों भी वे मौजूद थे जब वे अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में आए और उसमें भाग लिया। उन्होंने वहां एक प्रस्तुति भी दी। इसलिए, जहां तक राज्य के करों का संबंध है, उन्हें भी सम्मिलित किया जाएगा।

अब, जी. एस. टी. की संरचना में, हम निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। केन्द्रीय जी. एस. टी. होगा; राज्य जी. एस. टी. होगा; अंतर्राज्यीय जी. एस. टी. होगा, जिसे हम आई. जी. एस. टी.- एकीकृत जी. एस. टी. कहते हैं। अब, तत्पश्चात, वे कौन सी दरें हैं जिन पर राजस्व होगा? राजस्व विशेषज्ञ तटस्थ दर तय करेंगे। लेकिन अंत में, दरें जी. एस. टी. परिषद द्वारा तय की जाएंगी। जी. एस. टी. परिषद् कौन होगा? यह कार्रवाई में सहकारी संघवाद है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): लेकिन संघ का वीटो है।

श्री अरूण जेटली: आपके पास अधिक वीटो है। क्या आपको एहसास है कि आपके पास अधिक वीटो है?

जी.एस.टी. परिषद संरचना के बारे में, स्थायी समिति ने इसे मंजूरी दी है; वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने इसे मंजूरी दी है। तो, यह मेरी संरचना नहीं है। संरचना यह है कि मतदान का दो-तिहाई अधिकार राज्यों का है और मतदान का एक-तिहाई अधिकार केंद्र का है। इसलिए, जहां तक केंद्र और राज्य के करों का संबंध है, यह परिषद् ही तय करेगी कि कहां राज्यों के पास दो-तिहाई बहुमत है। अतः, यह संघवाद राज्यों के पक्ष में रहता है। प्रत्येक निर्णय 75 प्रतिशत बहुमत से लिया जाना है। इसलिए, सर्वसम्मति यह है कि सहकारी संघवाद की दृष्टि से केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। भारत इसी तरह चलता है। संघवाद का

अर्थ राज्यों के अधिकारों को कुचलना नहीं है। संघवाद का अर्थ भारत से नहीं है जो राज्य का संघ है, संघ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए, इसका मतलब यह नहीं है कि कराधान संरचना में संघ का कोई महत्व नहीं है।

श्री भर्तृहरि महताब: केंद्र सरकार जब भी कोई बात कहना चाहेगी, तो उसका अपना रास्ता होगा।

श्री अरुण जेटली: नहीं।

श्री भर्तृहरि महताब: सभी राज्यों के एक साथ आने के बावजूद वे केंद्र सरकार की स्थिति का सामना नहीं कर सकते।

श्री अरुण जेटली: मुझे इसका उत्तर देने दो। यदि कुछ राज्य एक साथ आते हैं - आइए हम सभी को भूल जाएं - वे संघ को निर्णय लेने से रोक सकते हैं। क्या आप इसे एक सूत्र के रूप में स्वीकार करते हैं? क्योंकि राज्यों के पास दो-तिहाई बहुमत है और इसलिए, अगर उनमें से आधे भी एक साथ आते हैं, तो उनके पास वीटो है। इस अंतर्निहित परिषद के बारे में, यह मेरी बुद्धिमत्ता नहीं है, यह वर्तमान सरकार की बुद्धिमत्ता नहीं है, यह उप सरकार की बुद्धिमत्ता भी है, यह सभी 27 वित्त मंत्रियों की बुद्धिमत्ता एक साथ लिए है। यह उनकी सर्वसम्मत सिफारिशों के साथ स्थायी समिति का ज्ञान भी है कि संरचना ऐसी होनी चाहिए कि दो-तिहाई शक्ति राज्यों की हो, एक-तिहाई शक्ति केंद्र की हो, और आपको निर्णय को मंजूरी देने के लिए तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इस तरह उन्होंने इस कराधान संरचना में सहकारी संघवाद की पूरी प्रणाली को एकीकृत किया।

डॉ. एम. थम्बीदुरई: महोदय, सहकारी संघवाद के बारे में तो माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है। बजट भाषण में भी मैंने कहा था कि हमें प्रतिवर्ष 6,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

श्री अरुण जेटली: आप एक रुपया नहीं खो रहे हैं।

डॉ. एम. तंबिदुरै: जी. एस. टी. के कारण हमें प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इसलिए, जी. एस. टी. और सहकारी संघवाद के कारण तमिलनाडु को लगभग 16,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने वाला है। इसी तरह हम पीड़ित हैं।

श्री अरुण जेटली: महोदय, क्या मैं आपको बता सकता हूं कि आपको पैसों का नुकसान क्यों नहीं होता? बजट भाषण के अपने उत्तर के दौरान, मैंने कहा कि एक भी राज्य नहीं आया है और कहा है कि यह 13वें वित्त आयोग में वापस जाने के लिए तैयार है। आपकी गणना में त्रुटि निम्नलिखित कारणों से है। यू. पी. ए., दुर्भाग्य से वे बाहर चले गए हैं और वे यहां नहीं हैं, बजटीय प्रस्तुति का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका था। बजट प्राक्कलन बहुत अधिक था। संशोधित प्राक्कलनबहुत कम थे। इसलिए, आप जो खर्च कर रहे थे और वास्तव में दे रहे थे, वह बजट में प्रस्तावित धनराशि से बहुत कम था। जब आप धनराशि की गणना करते हैं, तो बजट प्राक्कलन नाममात्र थे और संशोधित प्राक्कलन वास्तविक थे। तो, इसकी तुलना उस वास्तविक धन से करें जो आपको 14वें वित्त आयोग में मिला था। तमिलनाडु सहित हर राज्य बहुत ऊपर जाने वाला है। यदि आप इसकी तुलना यू. पी. ए. या 13वें वित्त आयोग के बजट प्राक्कलन से करने जा रहे हैं, तो यह एक कल्पित धनराशि थी। इस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई और धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। फिर, वह काल्पनिक धनराशि अधिक हो सकती है। लेकिन 13वें वित्त आयोग के तहत आपको जो वास्तविक धनराशि मिली है, वह 14वें वित्त आयोग के तहत प्रत्येक राज्य को मिलने वाली धनराशि से बहुत कम है। मैं विरोधाभास के डर के बिना कहता हूं। यह बात हर राज्य पर लागू होती है।

इसलिए, जहां तक केंद्र और राज्यों का संबंध है, महोदया, जी. एस. टी. से जीत की स्थिति पैदा होगी। इससे भारत की जी.डी.पी. बढ़ेगी, इससे भारत का राजस्व बढ़ेगा और इसलिए मैं जी. एस. टी. संविधान संशोधन को मंजूरी देने के लिए माननीय सभा की सराहना करता हूं।

डॉ. एम. तंबिदुरै: माननीय मंत्री जी, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। हम सभी एक बार फिर अनुरोध कर रहे हैं कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाए।

24.04.2015

श्री अरुण जेटली: यह मामला ढाई साल तक स्थायी समिति के पास गया।

24.04.2015

<u>अपराह्न 01.32 बजे</u>

अनुदान की मांगें (सामान्य), 2015-2016

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

माननीय अध्यक्ष: सभा अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59 और 60 पर चर्चा और मतदान होगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"आदेश पत्र के चौथे पृष्ठ में दर्शाई गई राजस्व खाते और पूंजी खाते की धनराशियों से अधिक न होने वाली संबंधित धनराशियां भारत के राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से प्रदान की जाएं, ताकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59 और 60 के समक्ष दूसरे पृष्ट में दर्ज मांगों के शीर्षों के संबंध में 31मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के क्रम में आने वाले प्रभारों का भुगतान करने के लिए आवश्यक धनराशियों को पूरा किया जा सके।"

लोक सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विषय में अनुदान की माँगें (2015-2016)

24.04.2015

मांग की संख्या.	मांग का नाम	सदन में मतदान हेतु प्रस्तुत अनुदान माँग की धनराशि।	
		पूंजी (रु.)	राजस्व (रुपये)
59.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	19889,42,00,000	-
60.	उच्च शिक्षा विभाग	4475,88,00,000	-

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य जिनके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्ष 2015-2016 के लिए अनुदानों की माँग पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे 15 मिनट के भीतर अपनी कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाते हुए पर्चियां सभा पटल पर भेज सकते हैं। केवल वे कटौती प्रस्ताव, जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय के भीतर पटल पर प्राप्त हो जाएंगी, ही प्रस्तुत माने जाएंगे।

प्रस्तुत किए गए रूप में माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची उसके तुरंत बाद सूचना पट्ट पर डाल दी जाएगी। अगर माननीय सदस्यों को सूची में किसी तरह की कोई आपत्ति लगती है, तो वे तुरंत पटल के अधिकारी के समक्ष उसे दर्ज करा सकते हैं।।

अब, हम चर्चा पर चलते हैं। श्री आर. ध्रुवनारायण से चर्चा आरंभ करने को कहा गया।

श्री आर. ध्रुवनारायण (चमराजनगर): मुझे मानव संसाधन विकास हेतु अनुदान की मांगों में भाग लेने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

<u>अपराह्न 01.33 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुईं*)

शिक्षा आज भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत की स्कूली शिक्षा दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। महोदय, हमारे पास देश में 1.4 मिलियन स्कूल हैं। हमारे देश में पच्चीस लाख छात्र पढ़ रहे हैं। हमारे पास सात मिलियन शिक्षक हैं। हमने 73 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल की है। हमने स्कूलों में लगभग सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त किया है, जो प्राथमिक स्कूलों में नामांकन का 97.4 प्रतिशत है। यूपीए शासन के दौरान वर्ष 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। इसमें मध्याह्न भोजन योजना और सर्व शिक्षा अभियान है। इन योजनाओं के कारण नामांकन अनुपात बढ़ा है। हमें सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता बहुत कम है। डीआईएससी डेटा 2010-11 के अनुसार, निजी स्कूलों में नामांकन अनुपात बढ़ रहा है। सरकारी स्कूलों में नामांकन कुल नामांकन का 69.6 प्रतिशत था।

2013-14 में यह घटकर 62.8 प्रतिशत हो गया था, जबकि निजी स्कूलों में नामांकन अनुपात बढ़ गया है। वर्ष 2010-11 में, निजी स्कूलों में नामांकन अनुपात 28.3 प्रतिशत था। 2013-14 में, यह 34.5 प्रतिशत तक चला गया था। उच्च शिक्षा के मामले में, विकसित देशों में सकल नामांकन अनुपात 60-100 प्रतिशत है। भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात केवल 19.4 प्रतिशत है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के छात्रों के मामले में, देश में नामांकन अनुपात केवल 12 प्रतिशत है, और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के मामले में, यह 9.7 प्रतिशत है। इसलिए, इस संयोजन में, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि समावेशिता और उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

शिक्षकों की रिक्तियों और प्रशिक्षण के संबंध में, हमारे पास विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी है। भारत भर में, शिक्षकों के लिए लगभग 9.4 लाख रिक्त पद हैं; प्राथमिक स्कूलों में 5.86 लाख और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 3.5 लाख। कुल मिलाकर, हमारे देश में 9.4 लाख शिक्षक पद खाली हैं।

तृतीय मंत्रालय के एक आकलन के अनुसार, देश में 1,07,591 एकल शिक्षक स्कूल हैं, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में, 17,984 एकल शिक्षक स्कूल हैं और हमारे कर्नाटक राज्य में, 3,948 एकल शिक्षक स्कूल हैं। कई कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठना होगा और एक ही बात का अध्ययन करना होगा। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में, प्रत्येक जिले में हमें जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) मिला है। अध्ययनों के अनुसार, 17 प्रतिशत डीआईईटी के पास अपनी इमारतें नहीं हैं और 40 प्रतिशत के पास अपनी छात्रावास सुविधाएं नहीं हैं। कुछ राज्यों में संकाय की स्थिति में 80 प्रतिशत रिक्तियां हैं। इसके बावजूद, स्कूल शिक्षा विभाग अपने कुल धन का केवल 0.9 प्रतिशत शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खर्च कर रहा है। शिक्षकों के प्रशिक्षण की जरूरत है। शिक्षकों के प्रशिक्षण, विशेषकर डीआईईटी के लिए केवल 500 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। इसलिए, मैं मंत्रालय से शिक्षकों के प्रशिक्षण में और अधिक निवेश करने और राज्य सरकारों की सहायता करने का आग्रह करता हूं।

मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। सरकार को सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के लिए आबंटन बढ़ाना चाहिए, विशेषकर हमारी यूपीए सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान के लिए 26, 608 करोड़ रुपये आबंटित किए थे। अब, वर्तमान सरकार ने केवल 22,000 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। सर्व शिक्षा अभियान योजना में 17 प्रतिशत की कटौती की गई है। इसलिए, मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान योजना के लिए आबंटन बढ़ाया जाए।

मध्याह्न भोजन योजना के बारे में, हमारी यूपीए सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के लिए 13,215 करोड़ रुपये आबंटित किए थे। अब, वर्तमान सरकार ने 9,236.4 करोड़ रुपये आबंटित

किये हैं। इसमें लगभग 17 प्रतिशत की कटौती की गई है। इन महत्वपूर्ण प्रमुख कार्यक्रमों के कारण, हमने प्राथमिक विद्यालय स्तर पर 97.4 प्रतिशत नामांकन प्राप्त किया है। इसलिए, मैं सरकार से सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजनाओं के लिए आबंटन बढ़ाने का आग्रह करता हूं।

लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय के संबंध में, ये विद्यालय विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्थापित किए गए थे। नवोदय और केंद्रीय विद्यालय जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के लिए एक अलग केंद्रीय प्रशासन की आवश्यकता है क्योंकि आप कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना के लिए धन प्रदान कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकारें उनका रखरखाव करती हैं।

अंत में, मैं आपसे केन्द्रीय विद्यालय में एमपी कोटा बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। यू. पी. ए. सरकार के दौरान यह संख्या छह थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय विद्यालय में एमपी कोटे की सीटें बढ़ाकर 15 कर दी जाएं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भाषण लिखे हैं, वे सभा पटल पर अपने भाषण रख सकते हैं।

<u>कटौती प्रस्ताव</u>

24.04.2015

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो यह बजट पेश हुआ है और जो एक के बाद एक आभिनव प्रयोग और नई योजनाओं को समाहित करते हुए शिक्षा के माध्यम से उस हिन्दुस्तान को, जो विश्व में गुरू था, और जिसके बारे में यह कहा गया था-

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः ।

स्वं-स्वं चरितं शिक्षरेन पृथिव्यां सर्व मानवः ॥

सारी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले इस सशक्त और समृद्ध देश में माननीय मंत्री जी स्मृति जी ने जिस तरीके से, जिस भावना से, जिस संकल्पना से इसकी शुरूआत की है, मैं आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के संरक्षण में, स्मृति जी की अगुवाई में होने वाले इस क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए माननीय मंत्री जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा किसी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है।

विद्वत्वं च नृपत्वं, नैवतुल्यं कदाचना।

स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते।।

श्रीमन्, शिक्षा यदि आधारक्षम है तो उसके लिए देश और दुनिया की सभी सीमाएं ऊपर हैं। इसलिए यदि संस्कारक्षम और शिक्षित परिवार नहीं है, व्यक्ति नहीं है, राष्ट्र नहीं है तो वह किसी भी चौराहे पर खड़ा उस कटी हुई पतंग की तरह होगा, जो आसमान में तो उड़ रहा होगा, लेकिन उसकी परिणति किस गड्ढ़े में गिरने की होगी, यह उसको भी मालूम नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरीके से यह काम शुरू हुआ है और आभिनव शिक्षा नीति के रूप में माननीय मंत्री जी ने श्रेष्ठ और समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने के

लिए एक के बाद एक देश में शिक्षा को सर्वोच्च वरीयता दी है, भारत को विकसित देशों में शामिल करने की क़वायद के हिस्से के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति बनी है, इसके लगभग 13-14 बिन्दु ऐसे हैं जो उस दिशा में देश को, पीढ़ी को, उसके विचारों को, इसकी समृद्धता को लगातार आगे बढ़ाएंगे।

मैं यह देख रहा था कि इन 13 बिन्दुओं में महत्वपूर्ण बातें हैं। इनमें स्थानीय भाषाओं का उन्नयन, शिक्षा का मुक्त विद्यालय, अध्यापक प्रशिक्षण, विज्ञान, गणित शिक्षा सुधार, माध्यमिक और वरिष्ठ विद्यालयों का सुधार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों में वयस्क शिक्षा, कला, क्राफ्ट, शारीरिक शिक्षा, कौशल विकास, परीक्षा सुधार इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी और आधारशिला बनेगी। इसलिए उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए उच्च शिक्षा नीति में जिन बिन्दुओं का उल्लेख किया है, जैसे शिक्षा का गुणवत्ता सुधार, संस्थानों की मान्यता एवं रैंकिंग, केन्द्रीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका, राज्य विश्वविद्यालयों का उन्नयन, क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, शोध तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना, शिक्षा का अन्तरराष्ट्रीयकरण करना, निजी क्षेत्र के साथ सार्थक भागीदारी, उच्च शिक्षा एवं सामाजिक संबंध, नियामक व्यवस्था में सुधार, मुक्त एवं ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा, शिक्षा में प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उच्च शिक्षा में समन्वय आदि पर जिस तरीके से ध्यान केन्द्रित किया गया है और जिस रास्ते से उनको आगे बढ़ाने की क़वायद की जा रही है, मेरा भरोसा है कि इन नई पहलों से हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस देश को उसके शिखर तक पहुंचाने में निश्चित रूप से सफल होगा। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से समृद्ध भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए विद्यार्थियों, अध्यापकों और आभिभावकों के कल्याण की आभिनव पहल की है, सबके बीच आभिनव समन्वय किया है। जैसे कौशल योजना, इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार सरकार ने समूचे देश के अन्दर 100 ज्ञान उन्नयन केन्द्रों की स्थापना की है, जिसमें कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देखरेख में ये केन्द्र संचालित होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को यह सफलीकृत

करेगा और निश्चित रूप में उसको एक दिशा देगा। ऐसे ही अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक नेटवर्क की स्थापना भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके लिए भी मैं मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं।

पहली बार सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में शिक्षा, उच्च शिक्षा और शोध के स्तर पर अपेक्षित प्रगति होनी चाहिए। यह देश वह देश है, जहाँ सारी दुनिया के लोग शोध करने के लिए आते हैं। यदि पीछे के दशकों में देखा जाए तो वही देश जो विश्व गुरू था, वह देश ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ, जिसकी चर्चा करना भी मैं उचित नहीं समझता हूं। इसलिए पुनः उस देश को उसके शिखर तक पहुँचाने की जो यह कवायद है, इसमें उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होगी और इसी मंशा से मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों, विद्वानों को देश में आमन्त्रित करने और अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक नेटवर्क की जो स्थापना की है, जहाँ विदेशी विशेषज्ञों को देश में कार्य के लिए बुलाया जाएगा और यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं, वे बाहर जाएंगे। हम लोग पारस्परिक हस्तांतरण शिक्षा की नीतियों और उनकी तकनीकियों का कर सकेंगे।

बालिकाओं को विद्यालय में शौचालय उपलब्ध कराने की दिशा में पहली बार, मैं समझता हूं कि शायद पहली बार किसी के मन में ऐसा विचार आया होगा। औद्योगिक क्षेत्र के लोगों का सामाजिक दायित्व का जागरण हो और वे औद्योगिक क्षेत्र के घराने यह संकल्प लें कि वे एक लाख से अधिक शौचालय विद्यालयों में बनाएं। इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं कि सामाजिक दायित्वों का जागरण उनमें किया है और यह एक आभिनव पहल है, जो एक लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण करेंगे। उन्नत भारत आभियान, जो आईआईटी द्वारा दस गाँवों को, पहले शायद किसी को समझ में आया होगा कि जो आईआईटी हमारे विभिन्न स्थानों पर हैं, उनके इर्द-गिर्द आइना दिखना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में यह आईआईटी है। उदाहरण के लिए मेरे हरिद्वार लोक सभा के अन्दर रूड़की आईआईटी है तो आसपास के 10-20 गाँवों को लगना चाहिए, उन्हें गौरव महसूस होना चाहिए कि उसकी जो छाप है, उसका जो संरक्षण है, उसकी जो चमक है, वह उन तक और आसपास में पड़ रही है। यह जो पहल की है कि हर आईआईटी को दस ग्रामों का चयन करने का जो निर्णय लिया है और उसमें प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास करने का जो संकल्प लिया है, उससे निश्चित रूप में उसके

आसपास के गाँवों का बहुत विकास होगा और वे मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। यह देश के लिए आभिनव प्रयोग होगा, एक अलग उदाहरण होगा।

श्रीमन्, स्वतः कार्यक्रम, स्वयं कार्यक्रम वाला जो अनूठा कार्यक्रम है, यह भी आईआईटी, केन्द्रीय विद्यालयों के प्रोफेसर, देश के नागरिकों को ऑनलाइन कोर्स प्रदान करेंगे। यह योजना भी मंत्रालय की एक आभिनव योजना है, नई योजना है। इससे उन लोगों को सहायता मिलेगी जो किसी कारणवश नियमित शिक्षा-संस्थानों में नहीं पहुँच पाते हैं। लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी विवशताएं हैं। उनकी विवशताओं में भी उनको उन स्थानों पर सहयोग मिलेगा और वे अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। देश के निर्माण में उनका योगदान हो सकेगा।

ईशान विकास एक आभिनव योजना है। संवेदनशील और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्धि से यह संबंधित है। जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जब उनकी समृद्धि होगी, जब वे सशक्त होंगे, वे विकास में आगे आएंगे, शिक्षा में समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा। इसी भावना से आईआईटी, एनआईटी और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी पूर्वोत्तर राज्यों में अवकाश के समय जाकर उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। मैं समझता हूं कि यह भी उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए जो उन संस्थानों में अध्ययनरत हैं, उनके लिए और जिन स्थानों पर वे जाएंगे, उन बच्चों और छात्रों के लिए, दोनों के लिए उन्नत शिखर पर पहुँचने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। इसके लिए भी मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह बिल्कुल एक अभिनव प्रयोग किया है।

सक्षम योजना के तहत देश में पहली बार शारीरिक रूप से जो सक्षम नहीं हैं, उनके लिए कुछ करने का प्रयास हो रहा है। उन विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए ए.आई. सी.टी. ई है। अक्षम लोगों को तकनीकी शिक्षा, हर स्थान पर चाहे बच्चों, पिछड़े लोगों या अक्षम छात्रों का हो, ऐसे छात्रों पर भी मंत्रालय की नजर गयी है, उन्होंने अपनी योजनाओं में उनके लिए एक आभिनव प्रयोग किया है, इसके लिए मैं सरकार को बहुत-सारी बधाई देना चाहता हूं।

24.04.2015

श्रीमन्, 'उड़ान', देश की महिलाओं की शिक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। होनहार बालिकाएं उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाती थीं। बालिकाओं को तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए यह मदद करेगी। 'उड़ान' बालिकाओं की शिक्षा में बालिकाओं के उन्नयन में एक मील का पत्थर साबित होगा।

हमारी सरकार की 'स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति' योजना भी बिल्कुल नयी पहल है। मैं इसके लिए मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि बालिका शिक्षा और परिवार कल्याण को बढ़ावा देने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उन आभिभावकों की मदद करने का निर्णय लिया है जिनकी मात्र एक ही बालिका है, मात्र एक ही संतान है। इस उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति शुरू की गयी है। जहां एक बालिका है, एक ही संतान है, उस संतान को भी इस देश के लिए एक निधि के रूप में किस शिखर तक पहुंचाया जा सकता है, इस तरह की जो योजना बनायी गयी है, निश्चित रूप में यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। मैं इसके लिए भी उनको बधाई देना चाहता हूं।

उच्च शिक्षा में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। मैं आंकड़ों के मामले में नहीं जाना चाहता हूं, केवल बहुत पैसे व्यय करके उसकी गुणवत्ता और उसे शिखर पर पहुंचाने का कोई मानक भी नहीं हुआ करता है, उसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन तो भी उच्च शिक्षा के बजट में मंत्री जी ने 13.1 प्रतिशत की वृद्धि की है। मैं यह समझता हूं कि उच्च शिक्षा के लिए बजट में 26,855 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले में 13.1 प्रतिशत अधिक है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उच्च शिक्षा पर पूरा ध्यान केन्द्रित करेगी और निश्चित रूप में जिस तरीके से यह देश अपनी प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ रहा है और आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में देश पूरी दुनिया की नजरों में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, हम उन भावनाओं का सम्मान भी कर सकेंगे और सफलता का अर्जन भी कर सकेंगे।

सरकार को मैं इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि सरकार द्वारा पांच किलोमीटर के अंदर 'वरिष्ठ विद्यालय' का प्रावधान किया गया है। अब पांच किलोमीटर के अंदर निश्चित रूप में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए 80,000 हाई स्कूलों का उन्नयन और 75,000 मिडिल स्कूलों का उच्चीकरण होगा। उनसे गांव के गरीब लोगों को सहायता मिलेगी। मैं तो गांव का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है

कि कक्षा 5 के बाद हम लोग 8 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करके पढ़ने के लिए जाते थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे, लगभग 50 प्रतिशत बच्चे जो 5वीं क्लास के बाद पढ़ नहीं पाते थे। आठ किलोमीटर जाना और आठ कीलोमीटर आना, यह बहुत लम्बा रास्ता होता है। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ग्रामीणों और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों की भावना का भी सम्मान करते हुए, उन बच्चों के विकास और उनकी शिक्षा के लिए सरकार ने जो यह चिंता की है, उनके लिए 80,000 हाई स्कूलों का उन्नयन और 75,000 मीडिल स्कूलों के उच्चीकरण का संकल्प लिया गया है और उन्हें पूरा करने का जो लक्ष्य है, उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम, मैं इस सदन के माध्यम से निश्चित रूप से मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय इतिहास में यह पहली बार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं ऋण प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए अतिपारदर्शी और जवाबदेही बनाया गया है। चुस्त-दुरुस्त निगरानी तंत्र स्थापित करते हुए ऑनलाइन हस्तांतरण करने की महत्वकांक्षी योजना है। अभी तक होता यह था कि हम जाते थे, आंकड़े होते थे, सब्सिडी कहां जा रही है, छात्रवृत्ति कहां जा रही है? वह उन्हें समय पर नहीं मिलती थी। छात्रों को वह मिलती नहीं थी। छात्र उनके लिए दर-दर की ठोकरे खाते थे और उन्हें समय पर सुविधायें नहीं मिलने के कारण उनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाती थी। इसलिए यह अच्छा प्रयोग किया गया है। जो अपंगता विश्वविद्यालय बनाया गया है, यह सारे विश्व का अपने प्रकार का एक आभिनव प्रयोग है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपंगता विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके लिए पाठ्याक्रम कोर्स तैयार किए जाने की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सफलता के कुशल नेतृत्व अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की है। जर्मनी, नार्वे, अमरीका, इजराइल और जापान के साथ द्विपक्षीय शोध कार्यक्रमों के क्रियान्वित किए जाने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, यह भी बहुत आभिनव है। नेपाल, भूटान और बंगलादेश के साथ शैक्षणिक सहयोग के अनुबंध किए गए हैं। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं।

स्वयं मूल्यांकन को बढ़ावा देने का भी एक आभिनव प्रयोग है। भारत के इतिहास में संभवत: पहली बार स्वयं मूल्यांकन को बढ़ावा देने के लिए दो करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं एवं डेढ़ लाख से अधिक अध्यापकों

को मूल्यांकन प्रक्रिया से जोड़ने का व्यापक कार्यक्रम है। यह इस देश का ही नहीं बल्कि विश्व का अद्भुत उदाहरण होगा।

मैं सोचता हूं कि जिस तरह मंत्रालय काम कर रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा में जितने भी कुलपतियों के पद रिक्त हैं, उन्हें जरूर भरा जाना चाहिए। रजिस्ट्रार के बहुत सारे पद रिक्त हैं। वे भी भरे जाएं। मैं इस मंत्रालय के काम करने के तरीके का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहां आदरणीय अनंत कुमार जी नहीं हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र ऋषिकेश में आईडीपीएल में पचास वर्षों से एक स्कूल चल रहा था। वह आईडीपीएल का भवन था जिसमें केन्द्रीय विद्यालय चलता था। निर्णय हो गया क्योंकि भवन जर्जर अवस्था में था, वह बंद हो जाएगा। वहां आभिभावक धरने पर बैठे थे। एक-डेढ़ हजार छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ था। मैं जब मंत्री जी के पास गया और सारी बात रखी तो उन्होंने वहीं से टेलीफोन किया। मैं इस सदन में यह उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि यदि काम करने की मंशा, इच्छा शक्ति, प्रखरता और मन में ललक हो तो ऐसे भी काम होते हैं कि उसी समय टेलीफोन किया। दो दिन के अंदर सारी जमीन स्थानांतरित हुई, नए कलेवर के साथ वह स्कूल वहीं जीवित हुआ। इसलिए मैं आपको अपने क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं। उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि यदि शिक्षा संस्कार शम नहीं होगी तो उसके अभाव में आदमी मरी हुई लाश की तरह है। यह प्रारंभिक शिक्षा से शुरू होगी। इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। यदि बच्चा बिना परीक्षा के आठवीं क्लास तक पास होता है, जब हम पांचवीं की परीक्षा देने के लिए दस किलोमीटर दूर जाते थे तो लगता था कि तैयारी करनी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परिवर्तन के लक्षण अच्छे नहीं हैं। बच्चों को आठवीं क्लास में जाने के बाद भी लिखना नहीं आता। इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए ताकि प्रारंभिक शिक्षा मजबूत हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

24.04.2015

□**श्री एम. उधयकुमार (डिंडीगुल):** तमिलनाडु के लोग हमारे नेता और “मक्कलिन मंधलवर” “इधया देवम मनबुमिगु पुराची थलाइवी अम्मा को अपनी मां के रूप में मानते हैं। इसलिए केवल एक मां ही जानती है कि एक बच्चा क्या चाहता है, और वह एक अच्छी मां साबित हो रही है। हमारी पवित्र मां की नीति है कि "टकराव की नीति अपनाकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है और तमिलनाडु के विकास के लिए अधिकतम लाभ खोजा जाना चाहिए।"

शिक्षा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज्ञान और कौशल से पर्याप्त रूप से सुसज्जित एक अच्छी शिक्षित आबादी न केवल आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए आवश्यक है, बल्कि समावेशी होने के लिए विकास की पूर्व शर्त भी है।

उच्च शिक्षा मानव संसाधन की उन्नति और विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो देश के सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास की जिम्मेदारी ले सकता है। भारत में उच्च शिक्षा अभूतपूर्व विस्तार के एक चरण से गुजर रही है, जो छात्रों की मात्रा में विस्फोट से संस्थानों की संख्या में पर्याप्त विस्तार और सार्वजनिक वित्त पोषण के स्तर में एक बड़ी उछाल से चिह्नित है।

उच्च शिक्षा तक पहुंच अभी भी न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा स्तर से कम है, संस्थान के लिए वितरण बंद है, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में नामांकन काफी हद तक बाजार-संचालित विषयों में केंद्रित है, जबकि निजी स्व-वित्तपोषित संस्थानों में, छात्र नामांकन बाजार संचालित विषयों में भारी है।

एक मिशन मोड राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसे *राष्ट्रिह्यचशिक्षाभियम (रुसा*) कहा जाता है, 25% राष्ट्रीय स्तर के सकल नामांकन अनुपात को प्राप्त करने के लिए तैयार है। भारत में उच्च शिक्षा में जी.ई.आर. (13.2%) विश्व के औसत (24%) का लगभग आधा है और विकासशील देशों (18%) का लगभग दो-तिहाई है, तथा विकसित देशों (58%) से बहुत नीचे है। विश्वविद्यालयों में पहले से ही दो मिलियन से अधिक और कॉलेजों में 13 मिलियन, बुनियादी ढांचे और निवेश में बड़े पैमाने पर विस्तार की आवश्यकता होगी। दस्तावेज में कहा गया है कि 23.5

□ भाषण सभा पटल पर रखा गया

से 27% के बीच जी.ई.आर. के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित पहलों के लिए 1,84,740 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

- समिति की स्थापना जनवरी 2012 में इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक एन. आर. नारायण मूर्ति के तहत योजना आयोग द्वारा की गई थी ताकि उच्च शिक्षा में कॉर्पोरेट क्षेत्र की भागीदारी के लिए संभावित और तौर-तरीकों की जांच और सिफारिशें प्रदान की जा सकें। समिति ने पाया कि भारत में मौजूदा उच्च शिक्षा प्रणाली वैश्विक मानकों की तुलना में पिछड़ गई है और मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। मौजूदा संस्थानों में निवेश करने और नए संस्थानों को आगे बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को जोड़ने की आवश्यकता है। मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि उच्च शिक्षा में कॉरपोरेट क्षेत्र की भागीदारी संबंधी समिति की प्रतिवेदनों को स्वीकार किया जाए।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम. एच. आर. डी.) द्वारा 3 फरवरी 2010 के आदेश एफ. सं. 193/2009 टीएस 1 के तहत अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए विश्व स्तरीय संस्थान के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई. आई. टी. एस.) की स्वायत्तता और भविष्य के लिए रोडमैप सुझाने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने (आई. आई. टी.) अधिनियम में संशोधन लाने की सिफारिश की। मैं मंत्रालय से सिफारिशों को स्वीकार करने का आग्रह करता हूं।

- यह अत्यंत खेद की बात है कि एक भी भारतीय विश्वविद्यालय को शीर्ष विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में स्थान नहीं मिला है। हमें देश में विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थानों का निर्माण करने की आवश्यकता है।

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) ने एक समग्र मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांकमें जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक प्राप्ति और आय के संकेतकों को जोड़कर विकास को मापने का एक नया तरीका पेश किया। एच. डी. आई. के लिए सफलता एक एकल सांख्यिकी का निर्माण था जो सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों के लिए संदर्भ के एक ढांचे के रूप में काम करना था। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मानव विकास संकेतक 0.554 है। चूंकि यह अधिकतम 1 से नीचे के लिए है।

- भारत सरकार शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर सकल नामांकन अनुपात में सुधार कर सकती है। भारत में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय जी. डी. पी. का केवल 3.1 % है जो विकसित देशों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 15 % है।

- हालांकि भारतीय विश्वविद्यालय कई वर्षों से अपने परिसरों में विदेशी छात्रों और विद्वानों की मेजबानी कर रहे हैं, लेकिन हाल तक भारत में उच्च शिक्षा के "अंतरराष्ट्रीयकरण" पर विशेष रूप से चर्चा नहीं की गई है। मैं एम. एच. आर. डी. से अनुरोध करता हूं कि वह भारत में अन्य देशों के छात्रों के मुफ्त प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए एक नीति तैयार करे और साथ ही भारतीय छात्रों को भारतीय शिक्षा के वैश्वीकरण के लिए अन्य देशों में शिक्षित होने की अनुमति दे।

- मैं विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य, पृथ्वी विज्ञान, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा अंतरिक्ष मंत्रालयों के विभिन्न विभागों को अनुसंधान के लिए 356 अरब रुपए (6 बिलियन डॉलर) के सरकारी आबंटन का स्वागत करता हूं। यह आबंटन पिछले वर्ष की तुलना में 17.2 प्रतिशत अधिक है, लेकिन यह अभी भी कुल रुपये का केवल दो प्रतिशत है। इस वर्ष खर्च के लिए सरकार के पास 17,775 बिलियन उपलब्ध है। वैज्ञानिक, जो किसी बड़ी घोषणा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारी लाभ की उम्मीद कर रहे थे, वे इस बात से निराश हैं कि ऐसे जश्न का कोई कारण नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को वह प्रमुखता नहीं मिलती जिसके वह हकदार थे। इस वर्ष आबंटन में वृद्धि केवल थोड़ी है, और हमारा विज्ञान खर्च अभी भी दो प्रतिशत लक्ष्य से कम के लिए जी. डी. पी. के लगभग 0.8 प्रतिशत के आसपास चल रहा है।

- केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री की घोषणा कि सरकार कर्नाटक में एक और संस्थान स्थापित करेगी और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के छह और संस्थान प्रसन्न हुए हैं।

- प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्रों में स्टार्ट-अप व्यवसायों के सभी पहलुओं का समर्थन करने के लिए शिक्षाविदों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं और सेतु (स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग) नामक एक अन्य

तंत्र को शामिल करते हुए एक नवाचार प्रोत्साहन मंच स्थापित करने के सरकार के कदम का व्यापक रूप से स्वागत किया गया है।

- वर्ष 2015-2016 के लिए सरकार ने मानव संसाधन विकास (एच. आर. डी.) मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग को 26,855 करोड़ रुपये आबंटित किए, जबकि 2014-2015 में यह 23,700 करोड़ रुपये था। इस प्रकार 13.31 प्रतिशत की वृद्धि एक स्वागत योग्य कदम है।

- 80,000 से अधिक माध्यमिक स्कूलों को अपग्रेड करना और 75,000 जूनियर/मध्य को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अपग्रेड करना, नई शिक्षा ऋण योजना: प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम अच्छे कदम हैं।

- इस योजना का लक्ष्यउच्च शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण उपलब्ध कराना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसके लिए 1,500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसका उपयोग ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

- अटल इनोवेशन मिशन (ए.आई.एम.): अनुसंधान एवं विकास के लिए 150 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि तथा वर्ड-क्लास-इनोवेशन के नेटवर्क को बढ़ावा देना।

- सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.): इसके लिए पिछले वर्ष के 93.14 करोड़ रुपये की तुलना में 100 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। नए संस्थानों की स्थापनाः

- तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, असम, बिहार, कर्नाटक में आई. आई. टी. को आई. आई. टी. आई. आई. एम. में अपग्रेड किया जाएगा और आंध्र प्रदेश और जम्मू में फिल्म निर्माण और अरुणाचल प्रदेश में एनिमेशन के लिए कश्मीर सेंटर स्थापित किया जाएगा

- शिक्षा के लिए समग्र आबंटन में मामूली कमी हुई है। उच्च शिक्षा की ओर लगभग 22% की वृद्धि, यह स्कूल से उच्च शिक्षा की ओर ध्यान केन्द्रित करने के बदलाव का संकेत है।

24.04.2015

- सरकार ने 2015-2016 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 42,219.5 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह 46,805 करोड़ रुपए था। स्कूल क्षेत्र के लिए नियोजित आबंटन में लगभग 10% की कटौती की गई है, जो पिछले बजट में 43,517.9 करोड़ रुपये था, तथा 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष के लिए इसे 39,038.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

- मध्याह्न भोजन योजना की निधि में भारी कटौती की गई है, जो पिछले वर्ष 1,296.5 करोड़ रुपये से घटकर इस वर्ष 132 करोड़ रुपये रह गई है।

- बुनियादी शिक्षा ने वर्ष 2022 के लिए सरकार के दृष्टिकोण की मुख्य बातों को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए हर पांच किलोमीटर के भीतर एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रावधान और 80,000 माध्यमिक विद्यालयों के उन्नयन की आवश्यकता के साथ-साथ देश भर में और अधिक विद्यालयों के लिए प्रावधान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ सीखने के परिणामों पर भी जोर दिया गया। हालांकि, कई लोगों ने सोचा कि जमीनी स्तर पर शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के बारे में बहुत कम या कोई उल्लेख नहीं था।

- बजट 'डिजिटल इंडिया' पहल में नहीं आया, जिसका लक्ष्य डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, ई-गवर्नेंस और ई-सेवाओं को तैनात करना है। डिजिटल शिक्षा कार्यसूची को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त बजटीय आबंटन पर उम्मीदें थीं।

- 150 देशों से वीजा-ऑन-अराइवल शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और छात्रों को आकर्षित करने में मदद करेगा। इससे भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।

- खुदरा, ई-कॉमर्स, प्रशिक्षण, शिक्षा आदि जैसे सेवा क्षेत्रों में स्टार्ट-अप को भारतीय बैंकिंग प्रणाली की सी.जी.टी.एम.एस.ई. योजना के रूप में बाहर रखा गया है। यदि ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो उन्हें बहुत प्रोत्साहन और सहायता मिलेगी

24.04.2015

- मेरे डिण्डीगुल निर्वाचन क्षेत्र में, गांधीग्राम ग्रामीण विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में उन्नत किया जाए, जो देश का प्राचीन और लोकप्रिय विश्वविद्यालय है।

- तमिलनाडु में एम्स की स्थापना की घोषणा करके हमारे नेता के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए हम वित्त मंत्री को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हमारे नेता ने जुलाई, 2014 में लिखा था, तमिलनाडु में एम्स के लिए अपने वैकल्पिक स्थलों पर भूमि की पेशकश की थी और अनुरोध किया था कि इसे चालू वर्ष में ही स्थापित किया जाए।

24.04.2015

□**श्री पी.पी. चौधरी (पाली):** मैं सरकार का ध्यान केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गरीब कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि आधिकाशं योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थी तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकारें गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाती रहती है, लेकिन उनका लाभ लाभार्थी को नहीं मिलने के कारण अनेकों महत्वपूर्ण योजनाओं के परिणाम नगण्य है। जिनका प्रभाव आगामी योजनाओं को बनात वत्त भी पड़ता है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार कई गरीबों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका होता है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और होती है। पिछली सरकारों के मुखियाओं का समय-समय पर यह कहना रहा है कि केंद्र सरकार जब 1 रूपया जारी करती है तो नीचे केवल 10 पैसे ही पहुंचते हैं। ऐसी योजनाओं का लाभ गलत एवं समर्थ लोग उठा रहे हैं।

इस विडंबना को दूर किया जाना आवश्यक है। देश के गरीब से गरीब लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने क साथ-साथ आगामी पीढ़ी को इनके बारे में अध्ययन के माध्यम से जानकारी कराये जाने की भी आवश्यकता महसूस होने लगी है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। इस क्रम में मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्कूलों के पाठ्याक्रमों में शामिल की जाए, जिससे हमारी नई पीढ़ी तो इनके बारे में जानेगी ही इसके साथ-साथ योजनाओं की जानकारी को देश के प्रत्येक घर-घर तक विद्यार्थियों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का यह सबसे सुगम माध्यम है। विद्यार्थी इनको पढ़कर, समझकर अपने परिवारजनों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने व योजनाओं का लाभ पात्र व्यत्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

अतः मेरा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि स्कूलों के पाठ्याक्रम में भारत सरकार की सभी गरीब व जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी का समावेश कर जन-जन तक

□ भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इसकी जानकारी पहुंचाने की कृपा करें, ताकि पात्र व्यक्तियों को उनके लिए बनाई जाने वाली इन योजनाओं का लाभ मिल सके।

मैं सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि आज पूरा देश जनसंख्या और जनसंख्या में पुरूष एवं महिलाओं के अनुपात को लेकर चिंतित है। हाल में की गई जनगणना-2011 में 1000 पुरूषों पर केवल 940 महिलाएं हैं। यह अनुपात अत्यंत गंभीर है। इससे भी ज्यादा गंभीर पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की शिक्षा दर है। जनगणना 2011 के अनुसार 65.46 प्रतिशत महिलाएं ही शिक्षित हैं, कुछ जिलों में तो 15 से 20 प्रतिशत महिलाएं ही शिक्षित हैं, जबकि 82.14 प्रतिशत पुरूष शिक्षित हैं और भी चौंकाने वाली बात यह है कि देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की शिक्षा औसतन अत्यधिक कम है। देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या को इन प्रतिष्ठित संस्थानों में केवल 20 प्रतिशत ही भागीदारी मिली, यह चिंता का विषय है। महिलाओं की उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयास करने संबंधी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

मैं सरकार का ध्यान देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों व किसानों के परिवारों की उन बेटियों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिनको छात्रावासों के अभाव में शिक्षा को बीच में ही छोड़ना पड़ता है।

भारत के आधिकांश गांवों में स्कूल तक की शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं, गांवों में रहने वाले प्रत्येक छात्र-छात्राओं को कॉलेज शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए नज़दीकी शहर या जिला मुख्यालय पर जाना होता है। देश के किसान और गरीब आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर हैं। अपने बच्चों को पहले ही शिक्षा देने में असमर्थ हैं और यदि उस पर छात्रावास न मिलने की स्थिति में किराए पर कमरा लेकर बच्चे को पढ़ाने का बोझ और बढ़ जाता है तो उस परिस्थिति में या तो छात्र/छात्रा को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है या आय के लिए शिक्षा के अतिरिक्त पार्ट टाईम नौकरी ढूंॅढनी पड़ती है, जो कि बहुत मुश्किल है। यदि छात्राओं की बात करें तो छात्रावास न मिलने पर उनके परिवारजनों में हमेशा असुरक्षा का भाव बना रहा है। यही कारण है कि 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज शिक्षा में सिर्फ 9 प्रतिशत ही ग्रामीण छात्राओं को पंजीकरण हो पाता है।

ग्रामीण स्तर पर कॉलेज खोले जाए तथा जिन जिला मुख्यालयों पर शहरों में कॉलेज हों, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली गरीब व किसानों की बेटियों के लिए निःशुल्क आवास उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत भी बढ़ेगा।

पूरे देश में केंद्रीय विद्यालयों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। मैं सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र पाली की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र का जिला पाली की जनसंख्या लगभग 21 लाख है तथा यहाँ की शिक्षा दर 63.23 है। पाली जिला अपने उद्योगों विशेषकर टैक्सटाईल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ केंद्र सरकार सहित अनेकों राज्य सरकार के कार्यालय भी उपस्थित है। अभी तक पाली जिले में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। अतः मेरा माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि देश के प्रत्येक जिले में केंद्रीय विद्यालय खोलने के निर्देश जारी करे, जिसमें पाली जैसे भौगोलिक विषमताओं वाले जिलों को भी प्राथमिकता दी जाए।

अंत में मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों समर्थन का करता हूं।

24.04.2015

*__श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी):__ सामान्य बजट 2015-16 की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं तथा कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में साक्षरता का प्रतिशत 60 प्रतिशत से कम है तथा महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 50 प्रतिशत के लगभग है एवं सरकारी प्राइमरी जूनियर व हायर सैकेण्ड्री स्कूलों में शिक्षकों की कमी व शिक्षा का स्तर बेहद खराब है। महिला महाविद्यालय सहित उच्च शिक्षा के विद्यालयों की बेहद कमी है। एकमात्र केन्द्रीय विद्यालय भी किराये के स्थान पर चल रहा है।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी व सरकार से अपेक्षा करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में प्राइमरी, माध्यमिक व उच्च शिक्षा, महिलाओं की उचित शिक्षा, कृषि शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा हेतु शिक्षा संस्थानों का निर्माण किया जाए तथा मेरे क्षेत्र को एक नया विश्वविद्यालय दिया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र को कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया है, जो काफी दूर (लगभग 300 कि.मी.) है, जिससे कई परेशानियां होती हैं। अतः मेरी मांग है कि प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुत्ति की जाए, जिससे साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़े व स्तर भी ठीक हो, मध्याह्न भोजन की उचित व्यवस्था की जाए। प्रत्येक प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल में शौचालयों का तथा बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाए।

मेरे क्षेत्र की बालिकाओं व महिलाओं के लिए प्राइमरी व उच्च शिक्षा की व्यवस्था हेतु विशेष कार्यक्रम बनाए जाए। महिलाओं के लिए लखीमपुर जिले के सभी विकास खंडों में महाविद्यालय बनाए जाएं। मेरे क्षेत्र में जनजाति की एक बड़ी जनसंख्या रहती है, अतः उत्त जनजातीय क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च शिक्षा हेतु विद्यालयों की स्थापना की जाए। महिलाओं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग जो बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं, उनकी जानकारी करके शिक्षा जारी रहे, ऐसी विशेष व्यवस्था की जाए। सभी शिक्षा संस्थानों को पक्की सड़क से जोड़ा जाए। प्रत्येक विद्यालय में पीने का साफ पानी व बिजली या सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाने की व्यवस्था की जाए। सर्व शिक्षा आभियान व प्रौढ़ शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाए।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

24.04.2015

मेरे क्षेत्र में चल रहे केंद्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण किया जाए। चूंकि लखीमपुर भौगोलिक दृष्टि से उ.प्र. का सबसे बड़ा जिला है, इसलिए निघासन व पलिया वि.स. में एक और केंद्रीय विद्यालय बनाया जाये। 2 नये नवोदय विद्यालय शुरू किए जाए। पाठ्या पुस्तके, ड्रेस आदि का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। व्यवसायिक महाविद्यालय शुरू किए जाएं तथा उत्त विद्यालयों में कौशल विकास के कार्यक्रम व रोज़गार देने वाले कार्यक्रम भी चलाए जाएं। बी.पी.एल. श्रेणी के विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता हेतु विशेष कार्यक्रम बनाये जायें। विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम जैसे सवरशिक्षा आभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं, भारत स्वच्छता मिशन, सुकुन्या समृद्धि योजना, कन्या भ्रूण हत्या आदि का प्रचार-प्रसार किया जाये, इसका व्यापक प्रभाव समाज पर पड़ेगा तथा निश्चित ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

मैं पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन तथा कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

24.04.2015

*__श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर):__ सर्वप्रथम मैं इस मंत्रालय के महत्व पर प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि यह देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई विशाल योजना की रीढ़ है। एक संक्षिप्त नजर उन अन्य क्षेत्रों के बीच की कड़ी पर, जिन पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और शिक्षा का यह क्षेत्र, हमें मानव संसाधन मंत्रालय के लिए उच्च बजटीय आबंटन और मंत्रालय द्वारा इसका प्रभावी उपयोग करने के लिए बहस के महत्व को स्पष्ट रूप से दिखाता है।

शुरू करने के लिए, एक उदाहरण के रूप में कौशल विकास की परियोजना को देख सकते हैं। इस सरकार ने कौशल विकास का जो सपना बनाया है, वह न केवल बहुत आवश्यक है, बल्कि यथार्थवादी अनुमानों से भी बहुत महत्वाकांक्षी है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अनुमानों के अनुसार, वर्तमान में, भारत की 47.8% आबादी 29 वर्ष से कम आयु की है, और इस जनसांख्यिकीय के भीतर लोगों का अनुपात, यानी 29 वर्ष से कम आयु के भीतर, यह अनुमानित है, 2021 तक बढ़कर 49.9% हो जाएगा। इसलिए, 2022 तक, भारत की आबादी लगभग 1.45 बिलियन, 900 मिलियन होगी, जो स्नातक होंगे, और अन्य 700 मिलियन, जिन्होंने देश में उच्च शिक्षा का कोई भी रूप पूरा नहीं किया है, सटीक रूप से "जनसांख्यिक लाभांश" होगा, जिसकी क्षमता सरकार और कौशल विकास मंत्रालय विशेष रूप से दोहन करना चाहेगा। हालाँकि, इस गणना में एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि देश के संपूर्ण कार्यबल में से केवल 200 मिलियन ही 2022 तक स्नातक बन पाएंगे। इस प्रकार, हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता का सही उपयोग करने के लिए कौशल विकास को उच्च शिक्षा में उछाल के साथ-साथ आगे बढ़ना होगा, अन्यथा हम केवल आर्थिक बाधा का सामना ही करेंगे।

शिक्षा प्रणाली के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करके हम वास्तव में उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं जो औसत भारतीय की शिक्षा के समग्र स्तर पर प्रतिबिंबित होगा

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सरकार को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि भारत में शिक्षा खर्च विश्व औसत से कम रहा है। विश्व स्तर पर, जी. डी. पी. का 4.9% 2010 में शिक्षा पर खर्च किया गया था, जबकि भारत ने विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, जी. डी. पी. का केवल 3.3% खर्च किया था। ब्रिक्स देशों की तुलना में भारत की साक्षरता दर केवल 74% है, जबकि इन देशों की साक्षरता दर विकसित देशों के तुल्य है। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं भारत के समान हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में वे 90% से अधिक साक्षरता दर वाली अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं के करीब हैं।

सरकार जहां कौशल विकास पर जोर दे रही है, वहीं स्कूली शिक्षा और साक्षरता पर खर्च में 12,895.6 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। वित्त मंत्री ने प्रत्येक बच्चे के 5 किमी के दायरे में एक स्कूल का वादा किया है लेकिन आबंटन में गिरावट, कई लोगों का मानना है कि इसे प्राप्त करना एक कठिन लक्ष्य हो सकता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिए कुल आबंटन में भी 51828 करोड़ से 39038 करोड़ तक 16% की भारी कमी आई है।

यह तथ्य कि माध्यमिक शिक्षा के लिए कुल आबंटन कम कर दिया गया है, चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्यों को अधिक धनराशि के हस्तांतरण पर चर्चा से स्पष्ट किया जा सकता है, और यह तथ्य कि इसी कारण से, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं को 'परिवर्तित शेयर पैटर्न के साथ चलायी जाने वाली योजनाओं' के बजट आइटम में डाल दिया गया है, और इसका आबंटन लगभग आधा कर दिया गया है, 2014-15 में 2109.2 करोड़ रुपये से 2015-16 में 1060 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि सर्व शिक्षा अभियान को एक ऐसी योजना के रूप में रखा गया है जो अभी भी पूरी तरह से केंद्र द्वारा प्रायोजित होगी, और एस. एस. ए. के तहत आबंटन का बड़ा हिस्सा प्रारंभिक शिक्षा कोष से राज्यों को अनुदान के रूप में है और फिर भी, जबकि केवल एस. एस. ए. के लिए आबंटन में वृद्धि हुई है, (2015-16 में 18841 करोड़ से 19800 करोड़ तक), यह धन प्रारंभिक कोष के कुल फंड 27575 करोड़ रुपये से है और इस प्रकार रद्द हो जाता है।

माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो, जहां कुल आबंटन का 51% हिस्सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए दिया गया है, वहीं सरकार द्वारा वित्तपोषण पद्धति तथा विभाग द्वारा उपयोग की पद्धति दोषपूर्ण तंत्र को दर्शाती है। इस योजना को निधि प्रवाह के संबंध में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुमोदित जी. ओ. आई. शेयर का केवल 30% जारी किया गया था। हालांकि, रिलीज की दर में देर से सुधार हुआ है। वित्त वर्ष2014-15 में भारत सरकार ने नवंबर 2014 तक अपने स्वीकृत हिस्से का 51% जारी कर दिया था। हालांकि खर्च में देरी हो रही है। राज्यों के पास उपलब्ध कुल निधियों में से, केवल 50% वित्त वर्ष 2013-14 में खर्च किए गए थे।

पुनः, मार्च 31,2014 तक राज्यों के पास कुल अव्ययित शेष धनराशि 5,194 करोड़ रुपये थी (वित्त वर्ष 2014-15 के लिए आर. एम. एस. ए. आबंटन से अधिक)। इसमें निर्माण एजेंसियों को दी गई प्रगति शामिल है, जिन्हें अक्सर राज्यों द्वारा व्यय के रूप में प्रतिवेदन किया जाता है। बड़ी समस्या यह है कि इस योजना के लिए कोई उचित निगरानी प्रणाली नहीं है। और यह स्वीकार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हालांकि भारत ने अपने अधिकांश बच्चों को स्कूलों में पंजीकृत कराने में सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन उन्हें स्कूल में बनाए रखना तथा उन्हें माध्यमिक शिक्षा में पढ़ाई छोड़ने नहीं देना एक कठिन कार्य है, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान की सफलता केवल आधी सफलता ही है, यदि तत्पश्चात उतनी ही सफल योजना नहीं बनाई जाती जो बच्चों को स्कूल में रख सके ताकि वे अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी कर सकें।

अंत में, यह बताना आवश्यक है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुल आबंटन पुनः 42696.15 करोड़ से घटकर 32517.5 करोड़ हो गया है, तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए कुल आबंटन 55115.1 करोड़ से घटकर 42219.5 करोड़ हो गया है।

जहां तक उच्च शिक्षा के लिए आबंटन का सवाल है, यह सराहनीय है कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के लिए आबंटन में वृद्धि हुई है (593करोड़ से बढ़ाकर 635.5 करोड़)। फिर भी, जबकि आई. आई. टी. और आई. आई. एम. की स्थापना के लिए आबंटन में भारी उछाल आया है (450 करोड़ से 1000 करोड़ तक), यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस आइटम के अंतर्गत 2014-15 के संशोधित अनुमान में केवल 15 करोड़ रुपये ही

दर्शाए गए हैं। इस प्रकार, जबकि ऐसी अनेक संस्थाओं की नई घोषणा की गई है, यदि धनराशि का उपयोग नहीं किया गया तो इस आबंटन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि, कुल आबंटन 2014-15 में 2014 में 27656 करोड़ रुपये घटकर 2015-15 में 26855.26 करोड़ हो गया है।

यह फिर से महत्वपूर्ण है कि पिछले साल भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो हमें 500 मिलियन डॉलर तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि चार वर्षों (2012-2016) की अवधि के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्ष अभियान (रुसा) का समर्थन किया जा सके। विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि को रुसा के केन्द्रीय हिस्से के रूप में लिया जाता है तथा केन्द्रीय हिस्से के रूप में राज्यों को दिया जाता है, फिर भी, इस विभाग के आइटम में आबंटन में हुई वृद्धि में धनराशि में यह वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है।

उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, भारत में 282 मिलियन अनपढ़ लोग हैं। लेकिन बढ़ते वार्षिक बजट के बावजूद, 2014-15 के साथ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सरकार के व्यय का केवल 5% से कम प्राप्त हुआ, जबकि वित्त मंत्रालय (35% के साथ) सूची में शीर्ष पर रहा, तत्पश्चात वित्त मंत्रालय (35% के साथ) सूची में शीर्ष पर रहा, तत्पश्चात रक्षा मंत्रालय (16%), खाद्य मंत्रालय (6%) और ग्रामीण विकास मंत्रालय (4.7%) का स्थान रहा।

माननीय मंत्री श्रीमती उमा भारती ने स्वयं को संबद्ध किया। स्मृति ज़ेड. ईरानी ने कार्यकाल के आरंभ में कार्यभार ग्रहण करते ही आश्वासन दिया था कि जहां तक शिक्षा पर व्यय का प्रश्न है, भारत शीघ्र ही वैश्विक आदर्श को प्राप्त कर लेगा तथा भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च करेगा। वर्तमान में हम शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3.3% ही खर्च करते हैं, जो वैश्विक औसत से बहुत दूर है।

24.04.2015

यह कहना कि भारत के शिक्षा क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ है, गलत होगा। हालांकि, मात्रात्मक प्रगति करने के बावजूद, भारत अभी भी शैक्षिक विकास के मामले में तुलनीय आर्थिक स्थिति वाले अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है।

शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (डी. आई. एस. ई.) के अनुसार, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्राओं के बीच औसत वार्षिक ड्रॉप-आउट दर 2011-12 में 6.08% से घटकर 2013-14 में 4.01% हो गई है। भारत का सकल नामांकन अनुपात (जी. ई. आर.) और शुद्ध नामांकन अनुपात (एन. ई. आर.) कम बने हुए हैं। 2013 में, राष्ट्रीय जी. ई. आर. 77 और एन. ई. आर, 46 थी।केरल में एन. ई. आर. 74 था, जबकि बिहार का 36 था, 2013 में, 79% लड़के और 80% लड़की ने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण की। 2012 में कक्षा 9 और 10के लिए वार्षिक ड्रॉपआउट दर 14.5% थी।

एक और मुद्दा शिक्षा की गुणवत्ता का है। पिछले कुछ वर्षों में, सरकारी सर्वेक्षणों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी योजनाएं और नीतियां मुख्य रूप से हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में योगदान पर केंद्रित रही हैं - छात्र प्रवाह के संदर्भ में, जैसा कि नामांकन अनुपात में वृद्धि, प्रत्येक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों के प्रतिशत की जांच और बुनियादी ढांचे के प्रवाह के संदर्भ में देखा जाता है, जिसे निर्मित शौचालयों की संख्या, न्यूनतम सुविधाओं वाले स्कूलों की संख्या आदि के आंकड़ों के माध्यम से देखा जाता है।

हालाँकि, स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद, शिक्षा में हमारा ध्यान केवल सीखने को सुविधाजनक बनाने के लिए दिए गए इनपुट से हटकर लक्ष्यित सीखने के परिणामों पर केंद्रित होना चाहिए। वर्तमान में, वार्षिक शिक्षा सर्वेक्षण प्रतिवेदन (ए. एस. ई. आर.) एकमात्र सर्वेक्षण है जो पूरे भारत में बच्चों के सीखने के परिणामों को दर्शाता है, और नवीनतम 2015 के प्रतिवेदन में प्रस्तुत आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति वास्तव में कितनी दयनीय है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत के बच्चों के लिए। जबकि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के लगभग 97% बच्चों को नामांकित किया जाता है, इस प्रकार एक अत्यंत उच्च नामांकन अनुपात दिखाता है, लेकिन मानक II में पूरे भारत में 19.5% बच्चे संख्याओं को पहचान नहीं सकते हैं, भारत मानक v में सर्वेक्षण किए गए सभी बच्चों में से केवल 25% सरल अंग्रेजी वाक्यों को पढ़ सकते हैं। यह संख्या 2009 से

अपरिवर्तित बनी हुई है। ग्रामीण भारत में कुल बच्चों का 15.1%, कक्षा 1 से 8 तक, अपनी मातृभाषा में भी एक भी वर्णमाला की पहचान नहीं कर सका। ग्रामीण भारत में कुल बच्चों का केवल 19.8% विभाजित हो सकता है जबकि उनमें से केवल 18.6% घटा सकते हैं। सर्वेक्षण किए गए उच्चतम वर्ग में भी, मानक 8, विभाजित करने वाले बच्चों की संख्या केवल 44.1% थी

यह वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रणाली के वास्तविक परिणामों की निराशाजनक स्थितियों की सतह है। यह शिक्षा में सरकार की मुख्य नीति के एक हिस्से के रूप में सीखने के परिणामों का प्रभावी ढंग से आकलन करने और लक्षित करने के लिए सरकार के हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने में तत्काल बदलाव की मांग करता है।

यह उल्लेख करने योग्य है, हालांकि, 2001 और 2011 के बीच की अवधि में, पुरुष साक्षरता में वृद्धि केवल 6.88% थी। इसी तरह, जिस दर पर पुरुष और महिला साक्षरता का स्तर 1991 और 2001-पुरुष के बीच 12% और महिला का स्तर 14.4% तक बढ़ गया है - धीमा हो गया है। इसलिए, 12.6% की कुल साक्षरता वृद्धि (1991-2001 से) घटकर 9.21% हो गई है।

फिर से, सरकारी डेटा भारत भर में केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों में 38% रिक्तियों को भी दर्शाता है।

चिंता का एक अन्य प्रमुख स्रोत सार्वजनिक से निजी शिक्षा की ओर स्थानांतरण है। देश में बहुत से लोग निजी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते, और रुझान दर्शाते हैं कि निजी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है, जिसका अर्थ है कि सबसे गरीब लोगों को शिक्षा की बदतर सुविधाएं मिल रही हैं, जो एक दुष्चक्र की शुरुआत है। स्कूल शिक्षा की जिला जानकारी में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या में, 80.51% सरकारी संचालित हैं और 19.49% निजी हैं। 2010 में, कक्षा 1-5 72.13% के लिए कुल प्रवेश की संख्या सरकारी स्कूलों में और निजी स्कूलों में 27.87% थी। इसी तरह, कक्षा 6-8 में प्रवेश की कुल संख्या में से, 63.10% सरकारी स्कूलों में और 36.90% निजी स्कूलों में थे। इस प्रकार, कक्षा 1-8 में 69.51% बच्चे सरकारी स्कूलों में थे और 30.42% ने निजी स्कूलों में प्रवेश लिया। सरकारी स्कूल अधिक बने हुए हैं, उनकी

घटती लोकप्रियता और निजी स्कूलों का एक साथ विकास देश की बिगड़ती शिक्षा प्रणाली की प्रारंभिक चेतावनी है।

निष्कर्ष यह है कि सभी के लिए शिक्षा भी सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है, जिसका भारत हस्ताक्षरकर्ता है। स्पष्टतः अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, तथा यद्यपि कौशल विकास और मेक इन इंडिया भविष्य की एक चमकदार तस्वीर दिखाते हैं, परंतु यह भविष्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि बुनियादी बातें पूरी नहीं हो जातीं।

24.04.2015

[*]**श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़):** शिक्षा हमारे महान राष्ट्र के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। हमारे पास शिक्षण और सीखने का एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति है, एक गुरु-शिष्य परंपरा जो आज भी कला के विभिन्न रूपों में जारी है, और हमारे दिन-प्रतिदिन औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जीवित है। जैसा कि प्रसिद्ध श्लोक है: गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर!

अध्यापक-गुरु की तुलना भारत में भगवान से की गई है क्योंकि हमने हमेशा अपने जीवन में एक अच्छे अध्यापक के महत्व को महसूस किया है। मुझे यकीन है कि इस प्रतिष्ठित सभा में कोई भी मुझसे असहमत नहीं होगा जब मैं कहती हूं कि एक अध्यापक किसी भी मानव के जीवन में सबसे बड़े प्रभावों में से एक है।

फिर भी, आज हमारे कई सरकारी स्कूलों में – अध्यापक, जिनसे युवा मस्तिष्कों को उज्ज्वल और उन्मुक्त भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है, अपना काम करने से कतराते हैं।

जैसा कि सभी जानते हैं, सर्वशिक्षा अभियान का सबसे बड़ा हिस्सा अध्यापकों के वेतन के लिए रखा जाता है। फिर भी सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की अनुपस्थिति कभी इतनी अधिक नहीं रही। विश्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार किसी भी दिन स्कूल न आने वाले अध्यापकों की संख्या 25% है। यदि यह पर्याप्त नहीं है, तो किसी भी दिन वास्तव में शिक्षण करने वाले अध्यापकों की संख्या 50% है।

इसलिए, जब हम सीखने के स्तर में सुधार की बात करते हैं - जो कि वास्तव में भारत के लिए इस समय एक बड़ी चुनौती है - तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, जब इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति - अध्यापक- बच्चे के भविष्य में पर्याप्त निवेश नहीं कर रहा है?

हमें यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है कि अध्यापक अपने शिक्षण का प्राथमिक कार्य करें?

मेरा मानना है कि अध्यापकों को प्रोत्साहन के रूप में अच्छा वेतन देना पर्याप्त नहीं है: हमें अध्यापकों को सही तरीके से प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, हमें समय-समय पर उनके प्रदर्शन

[*] भाषण सभा पटल पर रखा गया।

का परीक्षण करने की आवश्यकता है, और यदि वे प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो हमें उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कुछ मामलों में, इसका मतलब अधिक प्रशिक्षण हो सकता है। अन्य मामलों में - जहां अध्यापक का अनुशासन और प्रेरणा स्तर मुख्य समस्या है - हमें यह संदेश देने की आवश्यकता है कि सरकारी नौकरी वास्तव में काम करने से छुट्टी नहीं है, और इन दोषी अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें अपने अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए और उनके प्रदर्शन की निगरानी के लिए बेहतर आबंटन करने की आवश्यकता है।

न केवल अध्यापक प्रदर्शन, बल्कि पूरी तरह से प्रणाली की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत बंद किए जा रहे निजी स्कूलों की संख्या पर सवाल उठाया था - मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सरकार को यह नहीं पता कि भारत भर में ऐसे कितने स्कूल बंद किए गए हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि आर. टी. ई. का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है - मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहती हूं कि संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में है, और भारत के बच्चों के भविष्य के लिए केंद्र सरकार की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी राज्य सरकारों की है। हम राज्यों से यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि वे केंद्र को लगातार यह जानकारी दें कि उनके यहां कितने स्कूल बंद हुए हैं, तथा इसके पीछे क्या कारण है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा रहे थे, क्या यह इसलिए है क्योंकि वे किसी गलत काम में लिप्त थे, या यह कुछ मनमाने कारण से है जैसे कि जिस भूमि पर स्कूल बनाया गया था वह किराए पर लिया गया था और उनके स्वामित्व में नहीं था।

हम इस बारे में बात करते रहते हैं कि हमारे नामांकन की दरें कैसे बढ़ी हैं - और यह एक अच्छी बात है! लेकिन हम उन बच्चों का लेखा जोखा कैसे रखेंगे जो इन स्कूलों के बंद होने से प्रभावित होंगे? सरकारी स्कूलों में नामांकन तो अधिक है, लेकिन विद्यार्थियों की अनुपस्थिति भी अधिक है। उन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा?

हमें दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे स्कूलों में सही बुनियादी ढांचा और सही शिक्षण कार्यप्रणाली और सही पाठ्यक्रम हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकलांग पीछे न रहें।

24.04.2015

मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि वर्तमान बजट में माध्यमिक शिक्षा के लिए आबंटन बढ़ा है - यह एक स्वागत योग्य कदम है, और मुझे लगता है कि मैं इस सदन के सभी सदस्यों की ओर से यह कहता हूं। हालांकि, इन निधियों के खर्च में देरी होती दिख रही है और मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस प्रक्रिया को सुचारू बनाए, ताकि जिस तरह हमने प्राथमिक शिक्षा के साथ किया है, हम अधिक से अधिक बच्चों को माध्यमिक विद्यालय में दाखिला दिला सकें और उन्हें वहां रहने के लिए प्रेरित कर सकें।

उच्च शिक्षा में, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। शीर्ष 200 सूची में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है और यह हमारे महान बौद्धिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए एक आश्चर्यजनक तथ्य है।

मैं आपका ध्यान भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंच की ओर लाना चाहती हूं, जो मेरा मानना है कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है।

आज भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 20% से कम है। इसका मतलब है कि हमारे अधिकांश युवा - जिन्हें भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में होना चाहिए, उच्च शिक्षा के इन संस्थानों से गायब हैं। तो आज, जबकि भारत ने बच्चों को स्कूल भेजने में बड़ी सफलता हासिल कर ली है - प्राथमिक शिक्षा के मामले में हमारी नामांकन दर नब्बे के दशक में है - तो ऐसा क्यों है कि उच्च शिक्षा के मामले में हम उन संख्याओं को परिवर्तित करने में सक्षम नहीं हैं?

हस्तांतरण पैटर्न पर विचार करते समय, उच्च शिक्षा में कटौती बड़ी नहीं है - मेरा मानना है कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है कि नामांकन बढ़े।

लेकिन जब हम पहुंच की समस्या का समाधान करते हैं, तो हमें साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता सर्वोत्तम हो... एक बार फिर, मैं दोहराता हूं - भारतीय विश्वविद्यालय दुनिया में शीर्ष 100 में क्यों नहीं हैं?

24.04.2015

जब हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय को क्या करना चाहिए, इसे अपने छात्रों को क्या देना चाहिए और इसे अपने छात्रों से क्या उम्मीद करनी चाहिए, तो हम शायद तीन मूल प्रकार के विश्वविद्यालयों के बारे में सोच सकते हैं। पहले वे हैं जो नींव प्रदान करते हैं - जो अपने छात्र को मूल उच्च शिक्षा देते हैं। दूसरे प्रकार के संस्थान वे हैं जो नौकरी बाजार पर केंद्रित हैं - जो ऐसे स्नातक तैयार करते हैं जो पेशेवर दुनिया में प्रवेश करने और अपने चुने हुए करियर में सफल होने के लिए तैयार हैं और तीसरे प्रकार के संस्थान वे हैं जो हमारे ज्ञान के आधार में सुधार करते हैं - अनुसंधान और नवाचार पर केंद्रित विश्वविद्यालय और संस्थान, जिनके बिना हम एक समाज के रूप में आगे नहीं बढ़ सकते।

भारत में आज, हम बहुत सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय देखते हैं जो तथाकथित 'व्यावसायिक पाठ्यक्रमों' पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे पास देश भर में सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं - लेकिन इनमें से कई नए संस्थानों में समग्र शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया है और मूल अनुसंधान कुछ ऐसा है जिस पर भारत को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है - चाहे वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो, या उदार कला।

हमारे विश्वविद्यालयों में हम जो शिक्षाशास्त्र का पालन करते हैं, वह शिक्षण पर बहुत अधिक केंद्रित है - जो महत्वपूर्ण है - लेकिन हमें अपने छात्रों और प्रोफेसरों को अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि संशोधित अनुमान में इसे ध्यान में रखा जाए, क्योंकि आई. आई. टी. और भारतीय विज्ञान संस्थान सहित नवाचार और अनुसंधान संस्थानों पर खर्च में कटौती की गई है।

24.04.2015

*__श्री के. परशुरामन (तंजावुर):__माननीय मक्कलिन मुथलवर पुरात्चिथलाइवी अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में, मैं मानव संसाधन विकास के संबंध में अनुदान की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं वित्त मंत्री को बजट 2015-16 में शिक्षा के लिए 68,968 करोड़ रुपये आबंटित करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके अलावा, 5 किमी की प्रत्येक दूरी में एक हाई स्कूल शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकर खुशी हो रही है। निश्चित रूप से इससे ग्रामीण छात्रों को मदद मिलेगी, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बजट में यह भी उल्लेख है कि शिक्षा ऋण प्राप्त करने की समस्याओं को देखने के लिए अलग आयोग शुरू किया जाएगा।

मैं हमारे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में अधिक ध्यान दें, क्योंकि कई छात्रों को शिक्षा ऋण प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और शिक्षा ऋण पर ब्याज के संबंध में कई भ्रम हैं, क्योंकि प्रत्येक बैंक के पास शिक्षा ऋण पर ब्याज दर तय करने या ब्याज रद्द करने के अपने मानदंड हैं। हमारे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। माननीय मक्कलिन मुथलवर पुराच्चिथलवी अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा के लिए तमिलनाडु के कुल बजट का सातवां हिस्सा आबंटित किया है। तमिलनाडु में प्राथमिक स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा छात्रों के लिए निःशुल्क है। यह हमारी माननीया मक्कलिन मुथलवर पुराच्चिथलवी अम्मा के शिक्षा के विकास के दृष्टिकोण के कारण है और यही कारण है कि तमिलनाडु राज्य के छात्र कई प्रशंसनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे यू. जी. सी. के माध्यम से तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अधिक धनराशि आबंटित करें ताकि हमारे छात्र और अधिक उपलब्धियां हासिल कर सकें।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

24.04.2015

मैंने पहले ही माननीय सभा में भाषा विश्वविद्यालयों में बुनियादी विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करने का अनुरोध किया है जो सांस्कृतिक विरासत अनुसंधान अध्ययन को बढ़ावा दे रहे हैं। देश के विकास के लिए संस्कृति और विज्ञान दोनों को एक साथ चलना चाहिए। इसलिए, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से तमिल विश्वविद्यालय में बुनियादी विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गरीब छात्रों को विज्ञान विषयों के बारे में गहराई से जानने में मदद मिलेगी।

मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे वायुसेना स्टेशन, तंजावुर, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी है, में केन्द्रीय विद्यालय के लिए स्थायी भवन तथा स्थायी कर्मचारियों की पर्याप्त नियुक्ति के लिए कुछ तत्काल कदम उठाएं। मेरा यह भी अनुरोध है कि यह केन्द्रीय विद्यालय वायु सेना स्टेशन में स्थित है जो आम जनता को स्कूल पहुंचने में कई कठिनाइयां देता है क्योंकि यह मुख्य रूप से तीन सेवाओं जैसे वायु सेना, सेना और नौसेना के छात्रों के लिए है। इसलिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक और केंद्रीय विद्यालय होना आवश्यक है, जिसमें छह विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में 18 लाख से अधिक लोग हैं। यह या तो पट्टुकोट्टई या ओराथनडु में हो सकता है और इससे कई ग्रामीण छात्रों और सरकारी कर्मचारियों को मदद मिलती है जो अपने छात्रों को प्रवेश देते हैं। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में जनप्रतिनिधि, संसद सदस्य केवल छह छात्रों के लिए प्रवेश के लिए सिफारिश दे सकते हैं और गरीब छात्रों की मदद के लिए इसे कम-से-कम 10 से 15 तक बढ़ाया जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि यह संसद के सदस्यों की इच्छा और मांग है।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है। तंजावुर तमिलनाडु का चावल का कटोरा है। इसलिए, तंजावुर में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय शुरू करना आवश्यक है, जो कावेरी डेल्टा के किसानों की मदद करेगा जो न केवल धान की खेती कर रहे हैं बल्कि गन्ना, केला, नारियल, तिलहन और अनाज आदि की भी खेती कर रहे हैं, तंजावुर में फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का भारतीय संस्थान है, जिसे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत किया जा सकता है।

यह नोट करना दुखद है कि हमारे 65% युवा कौशल गतिविधियों में कम योग्यता रखते हैं। इसलिए, आवश्यक कदमों और अधिक आबंटित धनराशि के साथ आपके कौशल विकास में वृद्धि करना आवश्यक है।

24.04.2015

फिर से, यह चिंताजनक बात है कि हमारे देश में कम संख्या में छात्र उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए जा रहे हैं जबकि अमेरिका में 53% छात्र, चीन में 35% छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन भारत में केवल 13% छात्र उच्च शिक्षा का विकल्प चुनते हैं, इसे बदला जाना चाहिए और उच्च शिक्षा के लिए अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए।

सरकार और हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी हमेशा "मेक इन इंडिया" संकल्पना के बारे में बोलते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थी अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे शैक्षणिक संस्थान अनुसंधान के लिए अवसंरचना सुविधाओं में पीछे हैं। अगर सरकार ईमानदार और गंभीर है, तो स्थिति बदल जाती है और छात्र हमारे देश में ही शोध करने के इच्छुक होते हैं। इसके लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री कहते हैं "यदि भारत को विकसित होना है, तो हर राज्य को विकसित होना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री को तत्काल कदम उठाने चाहिए और अनुसंधान सुविधाओं के लिए और अधिक धन आबंटित करना चाहिए।

4 हमारे दिनों में, स्कूल खेल या शारीरिक शिक्षा के लिए स्थान और समय प्रदान कर रहे हैं जिससे छात्रों को शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद मिली। लेकिन, आज सभी छात्रों को खेल की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। समाज में वर्तमान स्थिति के कारण परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना छात्रों का लक्ष्य बन गया है और इसके कारण छात्र मानसिक तनाव से पीड़ित हैं और इसका असर उनके पूरे करियर और जीवन पर पड़ेगा। इसे स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक खेलों और योग को शुरू और प्रोत्साहित करके रोका जाना चाहिए। इसके लिए, अधिक धनराशि आबंटित की जानी है।

इसके अलावा, आजकल शिक्षा केवल स्मृति आधारित पाठ्य सामग्री बन गई है। इस सिद्धांत आधारित शिक्षा को व्यावहारिक शिक्षा में बदलना होगा। 9वीं कक्षा से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू और प्रोत्साहित किया जाना है।

24.04.2015

*__श्रीमती रीता तराई (जाजपुर):__ यदि हम बजट को देखें, तो इस वर्ष उच्च शिक्षा के लिए आबंटित धनराशि में लगभग 22% की वृद्धि हुई है। लेकिन यह निराशाजनक है कि प्राथमिक शिक्षा को आबंटित धन में कमी की कीमत पर ऐसा किया जा रहा है। तृतीय मंत्रालय के लिए समग्र निधि में मामूली कमी आई है, क्योंकि इसे अलग रखने का प्रस्ताव किया गया है। 2015-16 में शिक्षा के लिए 69,074.76 करोड़ रुपये 2014-15 में संशोधित अनुमान में 70,505 करोड़ रुपये। यह महत्वपूर्ण है कि यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त देश बनने की उम्मीद करते हैं, तो हम इस क्षेत्र के लिए वित्त पोषण में वृद्धि करें।

उच्च शिक्षा में कई कमियां हैं। तकनीकी कम्पनियों की शिकायत है कि स्नातक नियुक्तियां अपेक्षित योग्यता के अनुरूप नहीं हैं। एसोचैम के एक प्रतिवेदन के अनुसार, तकनीकी डिग्री वाले केवल 25% छात्र ही रोजगार योग्य माने जाते हैं। कंपनियों द्वारा नए स्नातकों को रोजगार देने योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया जाता है। सरकार के परिप्रेक्ष्य में, कंपनियों के लिए इस व्यय से बचा जा सकता है और ऐसी प्रशिक्षणों के लिए सरकार को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना महत्वपूर्ण है ताकि हम अन्य देशों के अधिक छात्रों को अध्ययन के लिए आकर्षित कर सकें, साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय छात्रों को अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में न जाना पड़े। भारत में हार्वर्ड या कैम्ब्रिज जैसा कोई संस्थान क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास इसके लिए आवश्यक अध्यापक और प्रतिभा है, बस हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

छह साल पहले, पिछली सरकार के एक मंत्री ने 14 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय या "नवान्वेषण विश्वविद्यालय" बनाने की योजना शुरू की थी, जिसे "अतीत के इतिहास या संस्कृति द्वारा अप्रचलित" किया जाएगा। लेकिन वे प्रयास लगभग तुरंत ही रुक गए। यह पिछली सरकार को बताना है कि उस कार्यक्रम का क्या

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हुआ और यह सरकार को उत्तर देना है कि वे इसे आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं। हमें ऐसे विश्वविद्यालयों की अत्यंत आवश्यकता है जो अनुसंधान में नवाचार को न केवल बढ़ावा दें, बल्कि उसे अनुमति भी दें।

हाल ही में, एक बड़ा विरोध हुआ जिस पर काफी हद तक ध्यान नहीं दिया गया। यह शोध छात्रों द्वारा अपने वजीफे में वृद्धि की मांग का विरोध था। शोधकर्ताओं ने जूनियर रिसर्च फेलो के लिए वजीफा 16,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये और वरिष्ठ रिसर्च फेलो के लिए वजीफा 18,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000 रुपये करने की मांग की थी। विरोध के चरम पर पहुंचने के बाद सरकार आंशिक रूप से झुक गई। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह स्थिति पहले ही पैदा नहीं होनी चाहिए थी। क्या हम अपने युवा शोधकर्ताओं के साथ इस तरह व्यवहार करते हैं? जब वे फेलोशिप में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो क्या उन्हें कुछ साल बाद फिर से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए? अधिसूचनाओं के माध्यम से बढ़ोतरी की घोषणा करने के बजाय, वार्षिक और समय पर वृद्धि की आवश्यकता है।

मंत्री महोदया को कुछ असहज प्रश्नों का उत्तर देने की जरूरत है कि वे इन छात्रों को भारत में रहने तथा अपना शोध जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में क्या योजना बना रही हैं। उनके साथ जो व्यवहार किया गया है, उसे देखते हुए मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि वे विदेश में अध्ययन करने का विकल्प चुनें।

श्रीमती वी. सत्यबामा (तिरूप्पुर): मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए अध्यक्ष पीठ को धन्यवाद देती हूं।

मुझे लगता है कि भारतीय बच्चे इस सरकार के हाथों इतने दुर्भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि इस वर्ष मानव संसाधन विकास (एच. आर. डी.) के आबंटन में भारी कटौती नहीं की गई है। लेकिन फिर भी, सभी मंत्रालयों पर लागू सामान्य कटौती मानव संसाधन विकास पर भी अनुप्रयुक्त हुई है। जहां तक स्कूली शिक्षा और साक्षरता का सवाल है, वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित बजट प्राक्कलन 43,000 करोड़ रुपये था, जो उसी वर्ष बजट में आरंभिक रूप से आबंटित 51,828 करोड़ रुपये से कम था। जब कई अन्य मंत्रालयों को 71 प्रतिशत और

91 प्रतिशत तक भारी बजटीय कटौती का सामना करना पड़ा है, तो एचआरडी के लिए आबंटन 39,038.50 करोड़ रुपये के स्तर पर रखा गया है।

इसने मानव संसाधन विकास के लिए वित्त पोषण के पिछले तरीके से कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा है।

<u>अपराह्न 02.00 बजे</u>

केंद्र अपने स्वयं के कुछ कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की नई सरकार की सुप्रसिद्ध नीति लाने के लिए बहुत उत्साहित है। मुझे यहां हिंदी और योग के प्रचार के बारे में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम और यहां तक कि देश में पेशेवर शिक्षा से संबंधित कई कानूनों जैसे कानून बनाए हैं। लेकिन फिर भी जब राज्य कौशल निर्माण उपायों की गुणवत्ता बढ़ाने से संबंधित धन मांगते है, तो केंद्र का एक ही जवाब होता है कि शिक्षा राज्य का विषय है और राज्य सरकारों को स्वयं इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि केंद्र की ओर से मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना के लिए धन प्रदान करने में विफलता, जिसका उद्देश्य मैट्रिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना है। तमिलनाडु में, हमारी गतिशील नेता *मक्कलिन मुदालवर मनबुमिगु अम्मा* के मार्गदर्शन में, ग्रामीण क्षेत्रों से छात्रों, विशेषकर छात्राओं का नामांकन बढ़ रहा है। तमिलनाडु की हमारी सरकार छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रोत्साहन लेकर आई है। मुफ्त लैपटॉप, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए चक्रों का मुफ्त वितरण, वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों का मुफ्त वितरण, कुछ चिह्नित क्षेत्रों में वर्दी के मुफ्त वितरण ने युवा पीढ़ी को कक्षा 12 के न्यूनतम स्तर तक शिक्षा को पूरा करने में मदद की है। छात्राओं को कम से कम डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों को हमारी राज्य सरकार द्वारा विवाह के लिए 50,000 रुपये के अलावा *मंगल सूत्र*और *थाली* के लिए सोना भी दिया जाता है। इस तरह की गरीब पृष्ठभूमि की रहने वाली लड़कियों को डिग्री कोर्स न करा पाने के बावजूद इस प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त ध्यान रखा गया है।

इस प्रकार, जिन लड़कियों ने कक्षा 10 उत्तीर्ण की है और जिन लड़कियों ने कक्षा 12 उत्तीर्ण की है, उन्हें भी सरकार द्वारा 25,000 रुपये तक की छूट के आधार पर आधा सिक्का सोने के साथ नकद धनराशि दी जाती है।

कुल केंद्रीय राजस्व से शिक्षा के लिए आबंटन के प्रतिशत में भारी वृद्धि की जानी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कौशल प्राप्त करने की क्षमताएं भारतीय दिमागों में निहित हैं, हमारे पेशेवर डिग्री धारकों और कुशल श्रमिकों की दुनिया भर में बहुत मांग है। मुझे डर है कि हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय अभी तक हमारी युवा पीढ़ी में इस क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए नहीं जागा है। यह शिक्षा क्षेत्र के लिए धन आबंटन में वृद्धि न होने से स्पष्ट है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है।

व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित शुल्क निर्धारण समितियों ने अधिक धनराशि निर्धारित की है। यहां तक कि कई सामग्रियों और वस्तुओं की आवधिक मूल्य वृद्धि सहित विभिन्न लागत वृद्धि कारकों के कारण यह शुल्क संरचना भी बढ़ रही है। इस पहलू की अनदेखी करते हुए, केंद्र ने उच्च शिक्षा के लिए कमोबेश समान धनराशि आबंटित की है। वर्ष 2014-15 में यह 14,637.16 करोड़ रुपये था तथा वर्ष 2015-16 में यह 15,034.97 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहती हूं कि इसे पिछले वर्ष के 13,445.65 करोड़ रुपये के अंतिम स्तर तक कम नहीं किया जाएगा।

जब महिला और बाल विकास विभाग की बात आती है, तो इस साल के केंद्रीय बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को रातोंरात कमोबेश बंद कर दिया गया है। आई. सी. डी. जैसी अति आवश्यक योजना को जारी रखने के लिए राज्य सरकारों को करारा झटका लगा है।

मैं अध्यक्षपीठ के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण सुनिश्चित करना प्रथम चरण है तथा तीन से 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण सुनिश्चित करना दूसरा चरण है। यह बच्चों के आईक्यू स्तर और स्वस्थ

विकास को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इस थ्रस्ट एरिया प्रोग्राम को मजबूत करने और जारी रखने के बजाय, केंद्र ने युवा पीढ़ी नामक राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के पोषण के प्रति अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है।

तृतीय मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दोनों में महिलाओं और बच्चों के लिए प्रमुख कार्यक्रमों को इस वर्ष -51 प्रतिशत के स्तर तक बहुत कम कर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए आबंटन में गिरावट और शिक्षक प्रशिक्षण को सहायता जो क्रमशः-20 प्रतिशत और -36 प्रतिशत है, के मामले में भी ऐसा ही है। जब ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना की बात आती है, तो आबंटन में गिरावट 99.9 प्रतिशत है।

जब मध्याह्न भोजन योजना की बात आती है, तो हमारे तमिलनाडु का वर्ष भर में इसे सफलतापूर्वक लागू करने में एक आशाजनक इतिहास है। इस योजना को पूरे राज्य के सभी स्कूलों में एक बहुत ही लोकप्रिय योजना के रूप में मजबूत किया गया था जब हमारे संस्थापक नेता पुराची थलाइवर डॉ. एम. जी. आर. ने इसे एक मिशन के रूप में लिया था। यूनिसेफ की तरह एक निकाय ने कुछ अन्य विकासशील देशों में इस सफलतापूर्वक लागू योजना की सराहना की और इसका पालन किया। बाहर की नेता अम्मा ने, एक दृष्टि के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस मध्याह्न भोजन योजना को पौष्टिक दोपहर का भोजन योजना के रूप में अधिक महत्व दिया है। हमारी तमिलनाडु सरकार छोटे बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके मस्तिष्क के अच्छे विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अण्डों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के अनाज भी उपलब्ध कराती है। यह एक आशाजनक अगली पीढ़ी के साथ उज्ज्वल भविष्य के लिए एक वास्तविक निवेश है। मुझे डर है कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं आपसे तमिलनाडु मॉडल का पालन करने और इसे पूरे भारत में लागू करने का आग्रह करती हूं।

ऐसे समय में जब पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की प्रगति हो रही है, प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय, जैसा कि तमिलनाडु में किया गया है, केंद्र प्रारंभिक शिक्षा से हाथ हटा रहा है। साक्षरता कार्यक्रमों के बाद, इस क्षेत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत में परिकल्पित मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए कुशल और अकुशल श्रम को तैयार करना और स्वच्छ भारत कार्यक्रम के लिए जागरूकता पैदा करना

भी आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार देश में शिक्षा के लिए अपनी वित्तीय निकासी पर पुनर्विचार करेगी और अधिक जोरदार समन्वित उपाय के साथ सामने आएगी।

अंतिम लेकिन कम से कम, मैं अकादमिक निकायों और उद्योग के बीच अनुसंधान और विकास समन्वय पर जोर देना चाहूंगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अधिक, एच. आर. डी. मंत्रालय को भी आधुनिक वैज्ञानिक युग की इस आवश्यकता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने के लिए आगे आना चाहिए।

केंद्र सरकार से भारत के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए युवा पीढ़ी के दिमाग को आकार देने में अधिक निवेश करने का आग्रह करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

24.04.2015

प्रो. सुगाता बोस (जादवपुर): श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसी समय इसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाता था।

इस सरकार ने इस सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से घोषणा की थी कि शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। लेकिन इस बजट में हम जो आबंटन देखते हैं उससे यह प्रतीत होता है कि शिक्षा इस सरकार की सबसे कम प्राथमिकताओं में से है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग, दोनों के लिए आवंटन में भारी कटौती की गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट, जो कल संसद में प्रस्तुत की गई थी, से पता चलता है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिए योजना व्यय में 24.68 प्रतिशत की भारी कमी की गई है। गैर-योजना व्यय में भी कमी आई है। जहाँ तक उच्च शिक्षा विभाग का संबंध है, वहाँ योजना व्यय में नाटकीय रूप से कटौती की गई है, जबकि गैर-योजना व्यय में केवल मामूली वृद्धि हुई है। स्थायी समिति की रिपोर्ट बताती है कि कुल मिलाकर उच्च शिक्षा विभाग के बजट में 799.74 करोड़ रुपये की कमी आई है।

अब मैं सोच रहा था कि यह क्यों हो रहा है। सरकार अपने घोषित वादों के विपरीत क्यों काम कर रही है? मुझे लगता है कि वित्त मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दंडित कर रहे हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे देश के बच्चों और युवाओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खराब कामकाज के लिए क्यों दंडित किया जा रहा है।

मुझे पता है कि यह सरकार कहेगी कि कुछ आवंटन में कटौती इसलिए की गई है क्योंकि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद राज्यों को अधिक धन हस्तांतरित किया गया है। लेकिन यह शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के बजट में की गई कटौती को उचित नहीं ठहराता। यदि आप इन क्षेत्रों में प्रतिशत कटौती देखें, तो सर्व शिक्षा अभियान के बजट में 20 प्रतिशत से अधिक और मध्याह्न भोजन योजना में 30 प्रतिशत से अधिक की कटौती की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री महोदया को हस्तक्षेप करने दीजिए, क्योंकि वह कुछ कहना चाहती हैं।

24.04.2015

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करती हूं कि वे ऐसा संकेत न दें कि यह सरकार अपने भीतर ही कलह की स्थिति में है, जैसा कि यू. पी. ए. सरकार के मामले में था। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक उस वक्तव्य या यह आक्षेप वापस लेने का अनुरोध करूंगी कि वित्त मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दंडित कर रहा है। मैं आज यहाँ सरकार के एक हिस्से के रूप में यह कहना चाहती हूँ कि हम शिक्षा संबंधी अपने वादों को निभा रहे हैं। यदि उनके पास कोई आंशिक अवलोकन है, तो मैं उसका स्वागत करूँगी, क्योंकि लोकतंत्र में हर विषय पर सहमत होना आवश्यक नहीं है, परन्तु हम परस्पर सम्मानपूर्वक असहमत हो सकते हैं।

प्रो. सुगाता बोस: महोदय, मैं कोई अनादर नहीं दिखा रहा था और मैंने जो कहा है, उसे वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने वास्तव में स्थायी समिति की रिपोर्टों को बहुत ध्यान से पढ़ा है। क्या आप जानते हैं कि स्थायी समिति ने क्या कहा है? उसमें कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय असहाय प्रतीत हुआ। ये मेरे शब्द नहीं हैं। मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ। वित्त मंत्रालय द्वारा की गई कटौतियों के सामने वे असहाय दिखे। मैं तो केवल वही दोहरा रहा हूँ जो इस संसदीय स्थायी समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों के बारे में कहा है।

दुर्भाग्य से, मुझे कहना पड़ रहा है कि 'सहकारी संघवाद' के नारे को, सामाजिक क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में केंद्र द्वारा जिम्मेदारी से पूरी तरह बचने के लिए एक सुविधाजनक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

जहाँ तक स्कूली शिक्षा और साक्षरता का संबंध है, प्रमुख योजनाओं में कटौती की गई है। मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में नामांकन के क्षेत्र में हमें सफलता मिली है; हमारे बच्चे स्कूलों में नामांकित हो रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में शिक्षित नहीं हो रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंता करना आवश्यक है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर पहुँचने के बाद भाषा और अंकगणितीय कौशल के परिणाम अत्यंत खराब हैं और उच्च प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या भी चिंताजनक है। मैं स्थायी समिति की रिपोर्ट से यह भी कहना चाहता हूँ कि 60 लाख से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं और यह बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि इनमें

से अधिकांश बच्चे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, प्रवासी और अन्य वंचित समुदायों से संबंधित हैं।

यह इस सरकार का दायित्व है कि वह रक्षात्मक होने के बजाय, इसे ध्यान में रखे और इन प्रमुख समस्याओं को समायोजित करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर ईंटों और मोर्टार मंत्रालय किया जा सकता है, सिवाय इसके कि यह उचित बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में भी विफल रहा है।

यदि उच्च शिक्षा के क्षेत्र पर नज़र डालें, तो पिछले दो वर्षों में 14 नए आई.आई.टी. और आई.आई.एम. की घोषणा की गई है, किंतु अब तक केवल एक आई.आई.टी. की आधारशिला रखी गई है। यह पूरी तरह से गलत नीति है कि नए संस्थानों, विशेषकर आई.आई.टी. और आई.आई.एम., की घोषणा केवल औपचारिक ढंग से कर दी जाए और इसके परिणामस्वरूप उनकी ब्रांड छवि धूमिल हो। यदि आप नए आई.आई.टी. और आई.आई.एम. स्थापित करने जा रहे हैं, तो आपके पास उन्हें समर्थन देने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान भी होना चाहिए। हमें मालूम है कि इन आई.आई.टी. के पास स्थायी भवन नहीं हैं। यहाँ तक कि आई.आई.एस.ई.आर. को देखें, तो उनके पास भी स्थायी परिसर नहीं हैं। इससे वहाँ आए प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों का शोध कार्य बाधित हो रहा है।

मैं क्यों चाहता हूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इमारतों के बजाय मानव संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करे? यदि आप केंद्रीय संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त संकाय पदों को देखें, तो स्थिति चौंकाने वाली है। अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, रिक्त पदों की संख्या 16,339 संकाय पदों में से 6,107 है। हमें वास्तव में अपनी प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करना होगा। हम इन संकाय पदों को कैसे भरेंगे? श्री उपाध्यक्ष महोदय, हमें नवोन्मेषी होना होगा। हमें योग्य विदेशी नागरिकों को आमंत्रित करने और इनमें से कुछ पदों पर आसीन होने के लिए भी तैयार होना चाहिए। मैं स्वयं भारतीय नागरिक हूँ और प्रो. अमर्त्य सेन भी भारतीय नागरिक हैं, फिर भी हमें अमेरिका के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद धारण करने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या होता है? पाँच वर्ष तक हम संविदा पदों पर सहायक प्रोफेसर नियुक्त कर सकते हैं, किंतु गृह मंत्रालय ने न्यूनतम वेतन सीमा तय कर रखी है। यदि कोई राज्य विश्वविद्यालय या

आई.आई.एस.ई.आर. किसी विदेशी नागरिक को उस सीमा से नीचे के पद पर नियुक्त करता है, तो उसकी नियुक्ति संभव नहीं होती। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री -जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ- से आग्रह करूँगा कि वे इस मुद्दे को गृह मंत्रालय के साथ उठाएँ, ताकि मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी के कारण हमें संकाय की ऐसी कमी का सामना न करना पड़े।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमें इस पर फिर से विचार करना होगा कि हम केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के बीच संतुलन को कैसे संभालते हैं। हमारे लगभग 80 प्रतिशत छात्र, जो विश्वविद्यालयों में जाते हैं, राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं; लगभग 20 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। यदि आप फंडिंग को देखें, विशेष रूप से केंद्र सरकार के स्रोत से, तो 80 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जाता है और केवल 20 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों में जाता है। यदि मैं एक उदाहरण दूँ, तो मेरे अपने राज्य से, निःसंदेह, केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय – विश्व भारती है। यह हाल के दिनों में हर तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार हस्तक्षेप किए बिना समस्याओं को हल करने की दिशा में एक सक्षम और सहयोगी भूमिका निभाएगी, ताकि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित यह विश्वविद्यालय उस गौरव को प्राप्त कर सके, जिसका वह हमारे देश और दुनिया भर में हकदार है।

माननीय उपाध्यक्ष: अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय राज्य सरकारों द्वारा भी वित्त पोषित होते हैं, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों को केवल केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी भी आपने सुझाव दिया है कि उन्हें राज्य के विश्वविद्यालयों को और अधिक धन देना होगा।

प्रो. सुगाता बोस: राज्य विश्वविद्यालय यू. जी. सी. सहित केंद्र के नियामक निकायों के अधीन हैं।

हमारे पास पश्चिमी बंगाल में तीन विश्वविद्यालय हैं जिनमें बड़ी क्षमता है: प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय जिसे पिछले तीन वर्षों में कायाकल्प किया गया है; कलकत्ता विश्वविद्यालय; और जादवपुर विश्वविद्यालय। लेकिन हमें एक कठिनाई है, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे राज्य पर इतना बड़ा कर्ज का बोझ है। राज्य स्तर पर हमारा महँगाई भत्ता केंद्रीय महँगाई भत्ता जितना ज्यादा नहीं है। इसलिए, संकाय का कुल पारिश्रमिक जो शायद केंद्रीय

विश्वविद्यालयों में सेवा कर रहे शिक्षकों की तुलना में बेहतर है, बहुत कम है और केंद्र को एक सूत्र तैयार करना चाहिए ताकि हम राज्य के विश्वविद्यालयों में होने वाले उत्कृष्ट शोधकर्ताओं और संकायों को कुछ प्रोत्साहन दे सकें। केंद्र की एक नियामक भूमिका है और हमें नए तरीकों से सोचना होगा।

मुझे यह जानकर दुःख भी होता है कि इस बात पर बहुत चर्चा और सार्वजनिक बहस होती है कि कैसे हमारे कुछ प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों और तकनीकी संस्थानों को नियुक्तियों में हस्तक्षेप और अनुचित हस्तक्षेप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि मंत्रालय को हमारे विख्यात वैज्ञानिकों का सम्मान करना चाहिए। हम जानते हैं कि आई. आई. टी. दिल्ली के निदेशक ने इस्तीफा दे दिया है। हम जानते हैं कि आई. आई. टी. मुंबई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष ने भी तीन नए आई. आई. टी. निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर दिया था। छह घंटे में 36 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना, वास्तव में आने वाले नए आई. आई. टी. संस्थानों के लिए अच्छा नेतृत्व तैयार करने का कोई तरीका नहीं है। यदि हम उस मार्ग पर जाते हैं तो हम अपने किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान को कभी भी शीर्ष 100 या यहां तक कि दुनिया के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के शीर्ष 200 में शामिल नहीं कर पाएंगे। यह हमारी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सरकार एक प्रवर्तक बने और इन संस्थानों के स्वायत्त कार्यकरण में हस्तक्षेप न करे।

साथ ही, हम उन प्रतिवेदनों को सुनकर बहुत चिंतित हैं कि शिक्षा के बारे में कुछ जानने वाले सबसे सक्षम नौकरशाह मंत्रालय से भाग रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है।

एक इतिहासकार के रूप में मुझे यह देखकर निराशा हुई है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में विद्वानों की बजाय विचारकों की भरमार है। मैं चाहता हूं कि जब तक ऐसा समय नहीं आता कि आई. सी. एच. आर. की समिति में वास्तविक इतिहासकार शामिल हों, तब तक परिषद को केन्द्र सरकार से कोई धनराशि नहीं मिलनी चाहिए, जो निश्चित रूप से इस देश के आम नागरिकों द्वारा दिए गए करों से आती है।

इसलिए, मुझे लगता है कि हमें बहुत काम करना है, श्री उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में, मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में उस वाक्यांश के उचित अर्थ में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपने जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में जो बात करते हैं, हमारी विशाल युवा आबादी, एक जनसांख्यिकीय आपदा में नहीं बदलती है।

अगर वर्तमान सरकार के रवैये को देखें, तो हम जानते हैं कि मौजूदा सरकार कॉरपोरेट्स के प्रति बहुत ही मैत्रीपूर्ण है। हम जानते हैं कि यह सरकार किसानों के प्रति शत्रुतापूर्ण है। (*व्यवधान*) मुझे अपने बच्चों और युवाओं के प्रति और अपने छात्रों और अध्यापकों के प्रति रवैया महसूस करने दें। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट उदासीनता में से एक है और उस दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें अपनी युवा आबादी को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी और हमें छात्रों और अध्यापकों के लिए बहुत सम्मान का परिचय देना होगा।

अंत में, मुझे यह कहना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रयुक्त दो शब्दों को उधार लेते हुए, अपने चुनाव अभियान के दौरान परिवर्तन और आशा के बारे में काफी बातें की थीं। हम अभी भी वास्तविक गुणात्मक परिवर्तन देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विशेष रूप से शिक्षा और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में। जहां तक आशा का प्रश्न है, मुझे आशा है कि यह सरकार हमारी युवा पीढ़ी की आशाओं और आकांक्षाओं को उस तरह से प्रभावित नहीं करेगी, जिस तरह से उन्होंने हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को धूमिल किया है।

इसलिए, मैं इस सरकार से आग्रह करूंगा कि वह अपना रुख बदले। मैं इस सरकार से आग्रह करूंगा कि वे निराशा और मोहभंग का माहौल बनाए न रखें। आइए वास्तव में आकांक्षा शब्द का सही अर्थ याद रखें। हमें अपनी युवा पीढ़ी को ऊंची आकांक्षाएं रखने की अनुमति देनी होगी, न कि उन्हें सामान्यता से संतुष्ट होने देना होगा। इसलिए मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि यदि आवश्यक हो तो वह वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कुछ कटौतियों को बहाल करने के लिए बातचीत करे। निश्चित रूप से मध्याह्न भोजन और सर्व शिक्षा अभियान को कम से कम उसी स्तर पर वित्त पोषित किया जाना चाहिए जो पिछले साल था। हमें अपनी उच्च शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और ऐसा करके ही वास्तविक परिवर्तन,

वास्तविक नवाचार लाकर हम भारतीयों की युवा पीढ़ी की सेवा उस तरह से कर पाएंगे जिसके वे हकदार हैं। धन्यवाद, श्रीमान उपाध्यक्ष, महोदय जी।

*__डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण):__ मैं माननीय मक्कल मुधलवार पुरात्ची थलाइवी अम्मा को मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सरकार के ध्यान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहता हूं जिसे हमारे माननीय मक्कल मुधवार पुरात्ची थलाइवी अम्मा द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित माननीय प्रधानमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में उजागर किया गया है, अर्थात (1) 2013-2014 के लिए निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश की कुल संख्या 49,864 है और 2014-2015 के लिए यह और भी अधिक है, 2013-2014 के लिए प्रतिपूर्ति धनराशि 25.13 करोड़ रुपये बनती है। भारत सरकार से अनुरोध है कि वह 25.13 करोड़ रुपये की यह धनराशि शीघ्र जारी करे।

2010-2011 में, परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने राष्ट्रीय औद्योगिक शिक्षा अभियान के लिए 499.20 करोड़ रुपये की लागत से 344 बुनियादी ढांचे के कार्यों को मंजूरी दी। भारत सरकार से राज्य को केवल 310.52 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि केन्द्र को परियोजना में 75 प्रतिशत हिस्सा देना पड़ा, जो 374.40 करोड़ रुपये बैठता है। राज्य सरकार के कोष से पहले ही खर्च हो चुके 63.88 करोड़ रुपये अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010-2011 में स्वीकृत मॉडल स्कूलों के लिए 29.45 करोड़ रुपये की धनराशि लंबित है। वर्ष 2011-2012 के लिए, संशोधित पी. ए. बी. अनुमोदन 675.05 करोड़ रुपए है तथा केन्द्र सरकार का पूरा हिस्सा 506.29 करोड़ रुपए अभी जारी किया जाना है। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि वर्ष 2010-2011 एवं 2011-12 के लिए कुल लंबित दावों 599.62 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की जाए। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 1104.20 करोड़ रुपये का अनुदान, जिसमें 2013-14 का 451.41 करोड़ रुपये का बकाया भी शामिल है, अभी जारी किया जाना है तथा इसे शीघ्र जारी किया जा सकता है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

24.04.2015

*__श्री शंकर प्रसाद दत्ता (त्रिपुरा पश्चिम):__मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

यह त्रिपुरा के लोगों के लिए गर्व की बात है कि उसने साक्षरता में 94.65% के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि केरल की साक्षरता दर 93.91% है। 2001 जनगणना में 12 वें स्थान से और 2011 जनगणना में 4 वें स्थान से यह वर्ष 2013 में इस पहले स्थान पर पहुंच सकता है।

इस संबंध में मेरी पुरजोर मांग है कि त्रिपुरा राज्य को एशियाई गलियारे के रूप में त्रिपुरा की संभावना को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे आई. आई. टी., आई. आई. एम., आई. आई. एस. ई. आर. (भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान) आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

भारत सरकार को ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल करनी चाहिए जो स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों जैसे प्राकृतिक गैस, रबर, जूट, बांस आदि के उपयोग के माध्यम से बेरोजगार युवाओं की नौकरी की संभावनाओं को सुविधाजनक बनाए।

विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की गतिविधियों को मजबूत किया जाना है।

इस संबंध में, मैं कुछ बाधाएं रखना चाहूंगा जिनका सामना हमारे त्रिपुरा राज्य में एकमात्र सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कर रहा है।

टी.यू. कार्यकारी परिषद में 11 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 माननीय विजिटर द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 विश्वविद्यालय के 31 सदस्यों में से होते हैं तथा शेष 3 बाहर से होते हैं। ई.सी. पर तीन बाहरी नामांकितों की अवधि मई, 2014 में समाप्त हो गई और एम. एच. आर. डी. को मई, 2014 की शुरुआत में इस स्थिति के बारे में सूचित किया गया था। जबकि माननीय विजिटर के न्यायालय के बाहर के दो नामित सदस्यों के नाम अभी प्राप्त हुए हैं, तीन बाहरी नामित सदस्यों के नाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

24.04.2015

यद्यपि 2007 में त्रिपुरा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन भारत सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली त्रिपुरा विश्वविद्यालय की पहली कॉलेज विकास परिषद, अभी तक नहीं की गई है।

यू. जी. सी. की मंजूरी से त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने 2012-13 में एम.पी.एड. पाठ्यक्रम शुरू किया तथा 2012-13 और 2013-14में दो बैचों में प्रवेश दिया गया। त्रिपुरा विश्वविद्यालय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को आवेदन करने में असफल रहा। छात्रों को परेशानी हो रही है। त्रिपुरा सरकार द्वारा एन. सी. टी. ई. से अपील की गई है। त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने एन. सी. टी. ई., भारत के माननीय राष्ट्रपति और मानव संसाधन विकास मंत्री से भी अपील की, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है।

त्रिपुरा विश्वविद्यालय में 12वीं योजना तक यू. जी. सी. द्वारा 268 शिक्षण पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 140 पद भरे गए हैं। चूंकि बार-बार विज्ञापनों के बावजूद प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों को नहीं भरा जा सका, इसलिए भारत सरकार को कोई तरीका तैयार करने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए ताकि छात्रों को परेशानी न हो। एक सकारात्मक कदम सहायक प्रोफेसर के अतिरिक्त पदों को मंजूरी देना हो सकता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुके हैं, लेकिन योजना व्यय के लिए निधि के संबंध में विशेष रूप से पिछले एक वर्ष के दौरान निधि प्रवाह बहुत अनियमित है।

मुझे उम्मीद है, त्रिपुरा राज्य को पर्याप्त निधि दी जाएगी, जिसका कुल साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन है।

24.04.2015

श्री तथागत सत्पथी (धेंकनाल): महोदय, मेरे पास कितना समय है?

माननीय उपाध्यक्ष: आपके पास अधिकतम 10 मिनट हैं। शिक्षा एक परीक्षा है और समय सीमा निर्धारित है। इसलिए, आप सीमा पार नहीं कर सकते। इसलिए, आपको 10 मिनट में समाप्त करना होगा।

श्री तथागत सत्पथी: इतने दयालु होने के लिए, श्री उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रण में अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए हमने विद्वान प्रोफेसरों को सुना। मैंने सोचा कि मैं बता सकता हूं कि रुचि का टकराव है क्योंकि वह एक प्रोफेसर हैं और वह शिक्षा पर बोल रहे हैं। इसलिए, बहुत सारे निहित स्वार्थ हैं जो सामने आ सकते हैं।

प्रो. सुगाता बोस: यहां कोई निहित स्वार्थ नहीं हैं।

श्री तथागत सत्पथी: मुझे पता है और मैं समझता हूं। हम तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं ।

महोदय, आप इतने दिनों से इस सभा में हैं। सरकारें आती-जाती रहती हैं लेकिन आप एक लंबे समय तक रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछली दो सरकारों में भी और वाजपेयी जी के समय में भी जब आप मंत्री थे, हर कोई आई. आई. टी. और आई. आई. एम. के बारे में बात कर रहा था। हम उन्हें अपने राज्यों में चाहते हैं। हम उन्हें भुवनेश्वर में चाहते हैं। हम उन्हें चेन्नई में चाहते हैं। हम उन्हें तिरुचिरापल्ली में चाहते हैं। हर जगह उच्च शिक्षा की माँग थी।

वहीं, अगर हम मुंबई से लेकर भुवनेश्वर या श्रीनगर से लेकर त्रिंकोमाली तक किसी भी बिल्डर के पास जाएं, तो वह आपको बताएगा कि जब तक इमारत की नींव मजबूत नहीं होगी, वह खड़ी नहीं हो पाएगी। आप एक कमजोर नींव पर एक साम्राज्यिक राज्य का निर्माण करते हैं, तो क्या होगा कि वह इमारत हम सभी पर, यानी समाज पर, व्यवस्था पर, लोकतंत्र पर और इसी महती सदन पर ढहती जाएगी।

हमने प्राथमिक प्रारंभिक स्तर की शिक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। मुझे उच्च शिक्षा की वकालत करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि जो लोग उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, उन्हें पहले से ही अमीर लोग माना जाता है जो उच्च शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं। वे जहां चाहें वहां जाकर पढ़ाई कर सकते हैं।

वह बच्चा ही है जिस तक पहुंचना सबसे कठिन है और जो महत्वपूर्ण है। मैं एक सज्जन को उद्धृत करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश में अद्भुत कार्य किए हैं, लेकिन हम उनके बारे में कभी नहीं सुन पाते यदि उन्हें यूरोप में रहने वाले कुछ श्वेत लोगों द्वारा नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया होता। उनका नाम कैलाश सत्यार्थी है। श्री सत्यार्थी क्या कहते हैं? वह कहते हैं:

> उन्होंने कहा, "शिक्षा खतरे में है क्योंकि दाता सरकारें हमारे बच्चों को बार-बार विफल कर रही हैं। क्या यह अफसोस की बात नहीं है कि आज के ज्ञान संचालित विश्व में, चार प्रतिशत से भी कम वैश्विक सहायता शिक्षा के लिए जाती है? मैं 2001 में यूनेस्को में शिक्षा पर उच्च स्तरीय समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक था। मैंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि जब तक हम उन बच्चों के मुद्दों का समाधान नहीं करेंगे जिन तक पहुंचना सबसे कठिन है, तब तक हम सहस्राब्दि विकास और सभी के लिए शिक्षा के शेष लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते।"

आज, हम क्या देखते हैं? हम ऐसे माता-पिता की तस्वीरें भी देखते हैं जो दो मंजिल और तीन मंजिल ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा केवल पटना, बिहार में ही नहीं हुआ है बल्कि ओडिशा और पूरे देश में हुआ है। माता-पिता दीवारों पर चढ़कर बच्चों को नकल पर्चियां दे रहे हैं - कुछ लोग इन्हें नकल पर्चियां भी कहते हैं - ताकि बच्चे पास हो जाएं। इच्छा किसी भी तरह से पास होने की है। हम कई राज्यों में बार-बार देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं।

शिक्षा अरबों डॉलर की हो गई है, भारतीय रुपया प्रतिबंधित हो गया है, भारत में हर जगह डॉलर का कारोबार है। हम जो देख रहे हैं वह यह है कि इस समस्या से निपटने के लिए हमारे पास कोई रोडमैप या दूरदृष्टि का अभाव है। हम केवल यही बात करते हैं कि भारत एक बहुत युवा देश है और 2020 या 2025 तक हमारे यहां 65 प्रतिशत लोग 35 वर्ष से कम आयु के होंगे। ऐसी स्थिति भारत के लिए अनन्य नहीं है। यदि आप वियतनाम जाते हैं, यदि आप मलेशिया जाते हैं, यदि आप अफ्रीकी देश जाते हैं, तो हर जगह युवा बहुत दिखाई

देता है। यह हमारे लिए बहुत अनन्य नहीं है। हम सिर्फ एक बड़ी आबादी के लिए कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक बड़ी कमी हो सकती है क्योंकि युवा लड़कों और लड़कियों का पूरा भंडार पूरी तरह से अशिक्षित और अनजान और पूरी तरह से सचेत एक सामाजिक समस्या बन जाएगा, न कि एक सामाजिक संपत्ति। यह समझने से इनकार करने के कारण, लगातार सरकारों ने किसी भी नीतिगत दिशानिर्देशों के साथ समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं की है।

महोदय, यदि आप देखें, तो इस देश में एक केंद्रीय सेवा पर उत्पाद शुल्क अधिकारी हैं, आपके पास केंद्रीय सेवाओं पर आयकर अधिकारी हैं, आपके पास आई. ए. एस. अधिकारी हैं, आई. आई. एस. अधिकारी हैं। ये सभी केंद्रीय सेवाओं में हैं। आपके पास इन लोगों का एक पूरा भंडार है जो केंद्रीय सेवाओं में हैं। लेकिन किसी कारणवश हमारे संस्थापक पिताओं ने कभी यह नहीं सोचा कि अध्यापक भी सिविल सेवा का हिस्सा हो सकते हैं, जहां एक निश्चित स्तर का प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण उन्हें कम से कम राष्ट्रीय स्तर के स्तर पर तो बनाए रखेगा, न कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्तर पर। हमें अध्यापकों को प्रभावी तौर-तरीकेसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी जहां वे जिज्ञासा को प्रोत्साहित कर सकते हैं न कि केवल रटाई लर्निंग को। आज हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है? चाहे आई. सी. एस. ई. बोर्ड हो या सी. बी. एस. ई. बोर्ड, सवाल सिर्फ इतना है कि आप अधिकारी बनना चाहते हैं या नौकरीपेशा, या दूसरे शब्दों में कहें तो आप नौकर बनना चाहते हैं। उस स्थिति में आप इस प्रणाली में आते हैं जहां आपको चीजों को सीखने और याद रखने के लिए मजबूर किया जाता है। एक बार जब आप परीक्षा देते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं, तो हमारे बच्चों की शिक्षा समाप्त हो जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम शिक्षकों को *स्वतः* इस बारे में प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं कि वे विद्यार्थियों में ऐसी भावना कैसे पैदा करें, जिससे वे प्रश्न पूछने, हर चीज को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित महसूस करें - कानून या नरेन्द्र दामोदरदास मोदी सरकार को चुनौती नहीं दें - बल्कि प्रकृति को चुनौती दें, समाज को चुनौती दें, स्थापित मान्यताओं को चुनौती दें और स्वयं जीवन की खोज करने की इच्छा रखें। हम पूरी तरह से इस तरह की चीज को खत्म कर रहे हैं।

इस सदन के कुछ सदस्य, मंत्री मंच से बहुत अधिक नहीं... (*व्यवधान*) मैं निष्पक्ष हूं और इसलिए मैं उनसे अधिक ऊंची स्थिति में हूं, इसके अलावा सब कुछ ठीक है। मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उनका नाम तथागत है और तथागत हमेशा निष्पक्ष रहते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): तथागत को सदैव आंखें बंद रहने का वरदान मिला है... (*व्यवधान*)

श्री तथागत सत्पथी: *तथास्तु।* मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की एक शिक्षा प्रणाली के खिलाफ जो हम भारत में देख रहे हैं, जहां हम अपने बच्चों को रट्टा सिखा रहे हैं, वे सीख रहे हैं, याद रख रहे हैं और फिर एक बार जब आप परीक्षा देते हैं और पास करते हैं और फिर आप इसे भूल सकते हैं, हमारे पास एक प्रणाली है जो पहले से ही प्रचलन में है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और हमारे सदन के अध्यक्ष श्री एम. मंत्री एक युवा व्यक्ति हैं और उनकी एक दृष्टि है और उनके पास अपने उद्देश्य के लिए लड़ने की शक्ति है, न कि उनके प्रति कोई अन्याय है, हम उनसे सहमत हैं। लेकिन उसके पास क्षमता है और शायद इस पूरे सिस्टम के लिए एक अलग छवि पेश कर सकता है। वह फिनिश स्कूल प्रणाली का अध्ययन कर सकती है जो एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। यह प्रणाली बच्चों को वह अध्ययन करने की स्वतंत्रता देती है जो वे चाहते हैं और एक तरह से वे सीखना चाहते हैं। वह देश, फिनलैण्ड, छात्रों को सिखाने के तरीके को बदल रहा है। फिनिश स्कूल गणित, इतिहास और भूगोल जैसे व्यक्तिगत विषयों पर कम जोर देंगे और इसके बजाय व्यापक और अधिक अंत:विषय विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फिनिश शैक्षिक नेताओं के अनुसार, लक्ष्य छात्रों को अधिक तकनीकी वैश्विक समाज के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। उनके माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उन्हें इस देश को देखने के तरीके और इस देश के लोगों के व्यवहार को बदलने की जरूरत है। तो, यह एक ऐसी प्रणाली है जो पहले से ही मौजूद है और इसे जाने और अध्ययन करने के लिए अधिक कल्पना की आवश्यकता नहीं है कि वे इसे कैसे कर रहे हैं। हम सिर्फ सर्व शिक्षा अभियान के लिए पैसा देकर अपना काम खत्म कर रहे हैं, जहां आपको सिर्फ स्कूल के कमरे, चारदीवारी और आंगन बनाने होते हैं। लेकिन आप वास्तव में मंत्रालय के मानव संसाधन भाग में निवेश नहीं कर रहे हैं। आप केवल बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बुनियादी ढांचे का क्रेज है। लेकिन इन अवसंरचना का निर्माण करके आप वास्तव में बच्चों को कुछ भी पर्याप्त नहीं दे रहे हैं।

24.04.2015

मैं 9 अप्रैल को मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा जारी यूनेस्को की सभी के लिए शिक्षा (ई. एफ. ए.) प्रतिवेदन का उल्लेख करना चाहूंगा। यह उल्लेख करता हैः

> “माता-पिता की प्रबल इच्छा है कि उनके बच्चे निजी स्कूलों में जाकर अंग्रेजी सीखें, ताकि उन्हें बेहतर नौकरी और जीवन के अवसर मिल सकें। यह सीखने के परिणाम में राज्यों में असमानता को भी नोट करता है। यह निष्कर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2014 में जारी ग्रेड 3 के छात्रों के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण द्वारा समर्थित है।"

एक और समस्या है जो हमारे पास है। मेरे राज्य में भी इतिश्री नामक एक युवती का उदाहरण देखने को मिला है। उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से उसकी जान चली गई। अनुबंध अध्यापकों की बढ़ती संख्या और अध्यापकों की अनुपस्थिति ऐसी चीज है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अनुबंध अध्यापक - किसी भी समूह को कोई आपत्ति नहीं - आमतौर पर कम प्रशिक्षित होते हैं और उनमें पढ़ाने की कोई योग्यता नहीं होती, क्योंकि वे प्रशिक्षित नहीं होते।

मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगाः

> “अनुबंध शिक्षकों की कार्य स्थितियां, नौकरी सुरक्षा और वेतन स्थायी शिक्षकों की तुलना में खराब हैं। वे सिविल सेवक अध्यापकों (स्थायी) की तुलना में अधिक संभावना रखते हैं कि उनके पास कोई प्रशिक्षण या एक महीने से कम प्रशिक्षण नहीं है। ”

इस तरह की स्थिति में, मैं फिर से यूनेस्को प्रतिवेदन से उद्धृत करना चाहूंगा।

> “2013-14 में, झारखंड में 47 प्रतिशत अध्यापक अस्थायी अनुबंध पर थे, जबकि कर्नाटक में यह दो प्रतिशत से भी कम था। प्राथमिक शिक्षा में अध्यापक की अनुपस्थिति की दर 2004-11 के दौरान 20 प्रतिशत से अधिक हो गई। भारत सहित विकासशील देशों में कम लागत वाले

निजी स्कूलों का पर्याप्त विस्तार हुआ है, इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि निजी स्कूल गुणवत्ता में सुधार के लिए अभिनव तरीके प्रदान करते हैं। ”

इसलिए, निजी स्कूलों का मतलब यह नहीं है कि उन स्कूलों से बाहर आने वाले बच्चे बेहतर हैं।

महोदय, इससे पहले कि आप घंटी बजाएं और मुझे समाप्त करने के लिए कहें - आप जानते हैं कि मैं कितना अनुशासित हूं - मैं एक बात कहना चाहूंगा।

हिन्दी और संस्कृत की अवधारणाओं पर कि मंत्री जी इतने भावुक हैं, मैं सराहना करता हूं कि यह एक इंडो-जर्मनिक भाषा है। यह एक आर्यन भाषा है और हम में से कई जो आर्यन नहीं हैं, संस्कृत के बारे में बहुत परेशान नहीं हैं। हम इसे पसंद करेंगे, सबसे पहले, आप हमारे बच्चों को वह भाषा चुनने दें, जो वे सीखना चाहते हैं। उन पर किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग न करें। मुझे विश्वास नहीं है कि कोई *राष्ट्र भाषा* है। हिंदी मेरी भाषा नहीं है और न ही आपकी भाषा है।

आप जानते हैं कि भारत में पहला भाषा आधारित दंगा, जिसके लिए कई लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, तमिलनाडु के द्रविड़ साम्राज्य में शुरू हुआ था, इससे पहले कि इसका नाम तमिलनाडु रखा गया।

यह देश के बाकी हिस्सों के लिए आंख खोलने वाला था क्योंकि हमें अपनी मातृभाषा के महत्व का एहसास हुआ। अब, यह क्या हो रहा है कि विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई निवेश नहीं हो रहा है। शिक्षा के लिए पुस्तकों और अन्य सहायता जैसे उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई निवेश नहीं हो रहा है, जो क्षेत्रीय भाषाओं के पूरक हैं। इसलिए, हम बहुत ही लापरवाही से क्षेत्रीय भाषाओं को इस तरह से मारने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे कोई निवेश न हो। राज्य सरकारें जो थोड़ी भी दे पाती हैं, वे दे देती हैं। लेकिन केंद्र में हम क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं।

यदि केंद्रीय विद्यालय का कोटा हटा दिया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। यह एक बड़ा सिर दर्द है। इस वर्ष मेरे पास 362 आवेदक आवेदन कर रहे हैं, जबकि मेरे पास केवल छह कोटे हैं। फिर वे अपने छोटे बच्चों को भी साथ लाते हैं। वे कहते हैं, "तुम मुझे पसंद नहीं करते। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप बच्चे से नफरत क्यों करते हैं? कृपया बच्चे को केन्द्रीय विद्यालय में डाल दीजिए।" इसलिए, मैं अनुरोध करूंगा कि यह कोटा जाए। मैं इस केंद्रीय स्कूल कोटा से घृणा करता हूं।

दूसरी बात, मैं कहूंगा कि मंत्री जी को क्षेत्रीय भाषाओं को वित्तपोषित करने के लिए स्रोत खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। … (*व्यवधान*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: आप केन्द्रीय स्कूल में एमपी कोटा बढ़वाना चाहते हैं या खत्म करवाना चाहते हैं?

श्री तथागत सत्पथी: मैं चाहता हूं कि यह कोटा बंद हो जाए।

यह मेरा विचार है। मैं अपने लिए बोल रहा हूं।

मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि इस बात पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए कि कक्षा 7 तक के बच्चों को उनकी पसंद के विषय अपनी गति से सीखने का मौका दिया जाए तथा उनकी मातृभाषा को उनके लिए आकर्षक बनाया जाए। केन्द्रीय सरकार को बुनियादी ढांचे, भवन, सड़क और कक्षा-कक्ष बनाने में पैसा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करनी चाहिए जिनका कोई धार्मिक झुकाव या सम्बंध न हो। कोई भी धर्म किसी भी अन्य धर्म से बड़ा या कमतर नहीं है। यह सब एक ही दिखावा है।

मैं सुझाव दूंगा कि क्षेत्रीय भाषाओं पर निवेश किया जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत तमिल से की जानी चाहिए, जो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है - वहां आपका एक अद्भुत सम्मेलन है - जिसमें उड़िया, बंगाली, असमिया, मराठी, गुजराती शामिल हैं - क्योंकि अब सब कुछ गुजरात मॉडल है - ... (*व्यवधान*) कन्नड़, तेलुगु, मलयालम - ताकि उपकरणों में सुधार हो। हम वास्तव में प्रारंभिक और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। … (*व्यवधान*)

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): आप सभी लेंग्वेज को लिंक लेंग्वेज के रूप में नहीं रख सकते हैं। कोई न कोई लिंक लेंग्वेज तो होनी चाहिए।

श्री तथागत सत्पथी: संपर्क भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। संपर्क भाषा कोई भी भारतीय भाषा नहीं हो सकती। अंग्रेजी अब एक विदेशी भाषा नहीं है। भारत की आज दुनिया में बढ़त है क्योंकि हम अंग्रेजी जानते हैं। आप पूर्वोत्तर में जाकर कुछ भारतीय भाषाओं में बात नहीं कर सकते। आप ओडिशा या तमिलनाडु जाकर कोई उत्तर भारतीय भाषा नहीं बोल सकते। अंग्रेजी स्वीकार की जा सकती है। यही कारण है कि चाइना, जिसका जिक्र हम इस देश में जी.एस.टी. से लेकर हर विषय पर करते रहते हैं, अपने युवाओं को बड़े पैमाने पर अंग्रेजी सीखने के लिए मजबूर कर रहा है। आज वे कह रहे हैं कि अंग्रेजी सीखने वाले चाइना छात्रों की संख्या यूनाइटेड किंग्डम की आबादी से अधिक है।

मैं यह कहकर समाप्त कर दूंगा कि भारतीय भाषाओं में अधिक निवेश होना चाहिए। हमें ऐसे कदम उठाने होंगे कि दो वर्ष की अवधि के भीतर हम ऐसी पुस्तकें और सामग्री तैयार कर सकें, जिससे बच्चों को उनकी मातृभाषा बेहतर तरीके से सिखाई जा सके और किसी एक उत्तर भारतीय भाषा को अन्य सभी भाषाओं को मारने और दबाने की अनुमति न दी जा सके। कृपया प्रारंभिक और प्राथमिक विद्यालय शिक्षा पर ध्यान दें। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश कोटा के संबंध में, कुछ सदस्य चाहते हैं कि इसे बढ़ाया जाए और कुछ सदस्य इसे समाप्त करना चाहते हैं। मैं कुछ समुक्तियाँ करना चाहता हूं। इसी प्रकार एम.पी.एल.ए.डी फंड के संबंध में भी यही समस्या सामने आ रही है। आप इसे बढ़ाना चाहते हैं। कभी-कभी आप कहते हैं कि अगर सरकार इसे नहीं बढ़ा रही है तो उसे इसे खत्म कर देना चाहिए। हम कुछ चीजों को खत्म नहीं कर सकते। हम एक निश्चित कोटा क्यों दे रहे हैं कि वंचित लोगों को उनकी मदद के लिए कुछ दिया जाए क्योंकि कई लोग इसकी मांग लेकर आएंगे। रेलवे टिकटों के संबंध में भी, हमारे पास आरक्षण की व्यवस्था है। कुछ कोटा है। यह कोटा समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्या आप कहते हैं कि इसे भी समाप्त किया जाना चाहिए?

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: ये उभरती चीजें हैं। मैं बता रहा हूं। यह आपका नजरिया है। सभी माननीय सदस्य इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ चीजें चाहते हैं। कुछ विशेषाधिकार नहीं छीने जा सकते। यदि आप अधिक चाहते हैं, तो यह एक अलग मुद्दा है। यह ठीक है।

24.04.2015

* **श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा):** चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में संवैधानिक प्रतिबद्धता है। 1950 में संविधान को अपनाने के समय, उद्देश्य अगले दस वर्षों के भीतर अर्थात 1960 तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। उस समय देश में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, दस साल की छोटी सी अवधि में ही लक्ष्य हासिल करना बहुत महत्वाकांक्षी था। अतः, लक्ष्य तारीख को कई बार स्थानांतरित किया गया था। 1960 तक, सभी प्रयास स्कूली सुविधाओं के प्रावधान पर केंद्रित थे। पहुंच के लक्ष्य की प्राप्ति के बाद ही यू. ई. ई. के अन्य घटकों, जैसे सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारण, पर योजनाकारों और नीति निर्माताओं का ध्यान जाना शुरू हुआ। यह शिक्षा की गुणवत्ता है, जो वर्तमान में सामान्य रूप से प्राथमिक शिक्षा और विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित सभी कार्यक्रमों में ध्यान का केन्द्र है।

प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए पिछले दस महीनों में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। 1950 से, प्रारंभिक शिक्षा के हर क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति हुई है। 1950-51 में, लगभग 210 हजार प्राथमिक और 14 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालय थे। उनकी संख्या अब वर्ष 1998-99 की तुलना में क्रमशः 627 हजार और 190 हजार हो गई है; इस प्रकार प्रति वर्ष 2.30 और 5.58 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। कुल 1,061 हजार बस्तियों में से 83 प्रतिशत बस्तियों में 1 किमी के भीतर प्राथमिक विद्यालयी सुविधाओं और 76 प्रतिशत बस्तियों में 3 किमी की दूरी के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच है। कुल ग्रामीण आबादी का लगभग 94 और 85 प्रतिशत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों / अनुभागों तक पहुंच है। समय के साथ प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्कूलों का अनुपात बेहतर हुआ है जो वर्तमान में 3.3 है। 1993-94 में कुल 570 हजार प्राथमिक स्कूलों में से 84 प्रतिशत से अधिक के पास स्कूल भवन थे। एकल शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में भी काफी गिरावट आई है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

- 6-14 आयु वर्ग में नामांकन बहुत अधिक है, जिसमें 96% से अधिक बच्चे स्कूल में नामांकित हैं।

- 11 से 14 आयु वर्ग में स्कूली लड़कियों के अनुपात में पिछले वर्ष से गिरावट आई है।

- कुल मिलाकर, नामांकन संख्या बहुत अधिक रहती है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों में से 96% से अधिक स्कूल में नामांकित हैं। यह लगातार पांचवां वर्ष है कि नामांकन स्तर 96% या उससे अधिक रहा है।

- अखिल भारतीय स्तर पर, 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल में नामांकित न होने वाली लड़कियों का अनुपात 2012 में 6% से घटकर 2013 में 5.5% हो गया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी प्रगति दिखाई देती है, जहां यह प्रतिशत 2012 में 11.5% से घटकर 2013 में 9.4% हो गया।

- 60 छात्रों या उससे कम के कुल नामांकन वाले स्कूलों का अनुपात 2010 से लगातार बढ़ा है, जो 2010 में 27.3% से बढ़कर 2013में 33.1% हो गया। इसका मतलब है कि भारत में सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में से लगभग एक तिहाई "छोटे स्कूल" हैं।

- 2014 से उपयोग करने योग्य शौचालय के साथ स्कूलों के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2010 में 47.2% से बढ़कर 2013 में 62.6% हो गयी। 2010 में, कुल स्कूलों में से 31.2% में लड़कियों के लिए एक अलग शौचालय नहीं था। यह संख्या 2013 में घटकर 19.3% हो गई है। लड़कियों के लिए उपयोग योग्य शौचालयों का प्रतिशत भी 2010 में 32.9% से बढ़कर 2013 में 53.3% हो गया है।

- पिछले दस महीनों में जिन विद्यालयों का दौरा किया गया है उनमें पुस्तकालयों के प्रावधान में लगातार वृद्धि हुई है। बिना ग्रंथालय प्रावधान वाले स्कूलों के लिए सभी भारतीय आंकड़े 2010 में 37.4% से 2013 में 22.9% तक गिर गए।

- राष्ट्रीय स्तर पर, 87.2% स्कूलों में यात्रा के दिन मध्याह्न भोजन परोसा जाता है। इस वर्ष, 14 राज्यों में, 90% से अधिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन देखा गया।

- शिक्षा के अधिकार (आर. टी. ई.) के सर्वाधिक मापनीय मानदंडों का अनुपालन निरंतर बढ़ रहा है। आर. टी. ई. छात्र-अध्यापक अनुपात (पी. टी. आर.) मानदंडों का अनुपालन करने वाले स्कूलों का अनुपात हर साल बढ़ रहा है, जो 2010 में 38.9% से बढ़कर 2013 में 45.3% हो गया है। कार्यालय/स्टोर, खेल का मैदान और चारदीवारी वाले स्कूलों का अनुपात 2012 के स्तर की तुलना में थोड़ा बढ़ा है।

- हालांकि, कुछ राज्यों में 11 से 14 वर्ष की आयु की स्कूल न जाने वाली लड़कियों का अनुपात लगातार दूसरे वर्ष बढ़ा है, जो 2011 में 8.9% से बढ़कर 2012 में 11.2% तथा 2013 में 12.1% हो गया।

- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्कूलों में अध्यापक उपस्थिति 85% के 2012 स्तर पर कोई बदलाव नहीं दिखाती है। लेकिन छात्रों की उपस्थिति में मामूली गिरावट देखी गई है, विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्कूलों में, जो 2012 में 73.1% से घटकर 2013 में 71.8% हो गई।

संक्षेप में, ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से पिछले दस वर्षों में पूर्व स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बेशक, बच्चों और अध्यापकों की अनियमित उपस्थिति, कार्य पर कम समय और प्रावधान में अंतराल जैसी कई समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का मुद्दा सर्वोपरि है। लेकिन इन चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है और सकारात्मक संकेत हैं कि एस. एस. ए. जैसे प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों में जोर सार्वभौमिक नामांकन से सार्वभौमिक प्रतिधारण और

गुणवत्ता में स्थानांतरित हो रहा है। इसके साथ ही, वी. ई. सी. के गठन और कार्यप्रणाली तथा स्कूल संसाधनों के प्रबंधन के लिए अधिक पारदर्शी प्रक्रियाओं के साथ स्कूलों के प्रशासन पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अगली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है, विशेष रूप से लड़कियों, एस. सी., एस. टी. और अल्पसंख्यकों के लिए और साथ ही तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल तक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच में सुधार करना है। शिक्षा प्रणाली के इस स्तर पर, निजी क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और सेवा प्रदाता की प्रमुख भूमिका निभा रहा है। लेकिन प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों में बेहतर सेवाएं केवल स्कूलों के भीतर और आसपास बुनियादी ढांचे के अधिक विस्तार के साथ आएंगी। इसके लिए, आंशिक रूप से, शिक्षा के लिए अधिक आबंटन की आवश्यकता होगी, लेकिन संभवतः सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के पहले से घोषित लक्ष्य से अधिक नहीं, लेकिन इन वृद्धियों के साथ-साथ उपयुक्त सुधार और रणनीतियां भी आवश्यक होंगी। इसके लिए नीति, रणनीति, तकनीकी सहायता, निगरानी और मूल्यांकन के लिए मजबूत केंद्रीय समर्थन जारी रखने की भी आवश्यकता होगी, साथ ही सरकार के भीतर विकेन्द्रीकरण में वृद्धि, मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी और सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर जवाबदेही संबंधों की भी आवश्यकता होगी।

शिक्षा के बुनियादी ढांचे में मोटे तौर पर अध्यापक, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के लिए अध्यापक मार्गदर्शिका, गैर-उपभोज्य शिक्षण सामग्री (जैसे छात्रों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री, पाठ्यपुस्तकें, दृश्य सहायक सामग्री और उपकरण), उपभोज्य शिक्षण सामग्री (जैसे चाक, कागज, पेंसिल, अभ्यास पुस्तकें), स्कूल भवन, जिसमें जल सुविधाएं, शौचालय और स्कूल फर्नीचर शामिल हैं।

एक उच्च योग्य, अनुभवी और सक्षम अध्यापक शायद एक अप्रशिक्षित, खराब शिक्षित और अनुभवहीन अध्यापक की तुलना में कम संसाधनों के साथ एक प्रभावी अध्यापक हो सकता है।

प्रभावी अध्यापक होने के लिए उन विषयों के बारे में सक्षम और जानकार होना चाहिए जो वे पढ़ाते हैं। लेकिन उन्हें सीखने से भी प्यार करना चाहिए और अपने छात्रों को कौशल और ज्ञान देने में सक्षम होना चाहिए। भारत में फर्नीचर के बारे में अनगिनत आकलन किए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि नीति के तहत प्राथमिक

विद्यालयों को फर्नीचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यापकों, छात्रों और अभिभावकों के बीच इसे व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। हालांकि, कई विकासशील देशों में फर्नीचर का उपयोग किया जाता है और अक्सर बुरी तरह से डिजाइन किया जाता है, बुरी तरह से बनाया और रखरखाव किया जाता है, और गलत आकार का होता है। अच्छा फर्नीचर सीखने की प्रक्रिया में सहायता करेगा, लेकिन खराब फर्नीचर और विशेष रूप से गलत आकार का फर्नीचर वास्तव में सीखने में बाधा बन सकता है। विकसित और विकासशील देशों में शिक्षा प्रणालियों के बारे में निर्णायक साक्ष्य स्थापित हो चुके हैं, जो छात्रों के लिए सकारात्मक सीखने के परिणाम सुनिश्चित करने में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं।

उपेक्षित संथाल परगना क्षेत्र/झारखंड की उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति दयनीय है, साथल परगना एक अनुसूची 5 क्षेत्र है और संवैधानिक रूप से इस क्षेत्र के गरीब और उपेक्षित लोगों की शिक्षा आवश्यकताओं का ध्यान रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।

मैं यहां उल्लेख कर सकता हूं कि 12 वीं पंचवर्षीय योजना (अध्याय 11) का महत्वपूर्ण दस्तावेज शिक्षा संथाल परगना सहित सभी क्षेत्रों में विकास के त्वरण के लिए सामाजिक इक्विटी, पिछड़ेपन, सीमा और दूरदराज के क्षेत्रों के मानदंड को निर्दिष्ट करता है दुर्भाग्य से इन सभी मानदंडों को पूरा करता है।

जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड वित्त के मामले में एक गरीब राज्य है और 600 जिलों में से, गोड्डा (मेरा संसदीय क्षेत्र) शिक्षा के सूचकांक में अंतिम में से एक पायदान पर है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नवीनतम राष्ट्रीय मान्यता विधेयक के अनुसार, सिधोक जैसे ग्रामीण विश्वविद्यालय, बिना केन्द्रीय विश्वविद्यालय में समुचित उन्नयन के, दिल्ली और मुम्बई जैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे?

राष्ट्र के संरक्षक के रूप में, आपको राज्य की शैक्षिक संरचना का विस्तार और विकास करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। हालाँकि, केन्द्रीय विश्वविद्यालय विद्यालयों की स्थापना के संबंध में राज्य की उपेक्षा जारी है। झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसंरचना तक कम पहुंच है।

24.04.2015

आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राज्य का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से पीड़ित है। नक्सलवाद का प्रसार हताशा और अलगाव की भावना का एक संकेत है, जो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के बड़े वर्गों पर फैल रहा है, जिसे न केवल व्यवस्थित रूप से हाशिए पर रखा गया है, बल्कि क्रूरता से शोषण और बेदखल कर दिया गया है।

राज्य को वनों के साथ-साथ खनिजों के मामले में प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार के रूप में जाना जाता है। यह देश के विकास में योगदान देता है और कच्चे माल के शीर्ष निर्यातकों में से एक है।

संथाल परगना के देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और दुमका जिले देश के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में गिने जाते हैं। स्वास्थ्य, साक्षरता, शिक्षा, आय आदि के आंकड़ों पर एक नज़र डालने से लोगों की खराब स्थिति की भयावह तस्वीर सामने आती है।

झारखंड गरीब लोगों का अमीर राज्य है। इसके पास भारत के खनिज संसाधनों का 40% है, लेकिन संसाधनों तक पहुंच ने आम लोगों के जीवन में बहुत कम अंतर किया है। गरीबी और अज्ञानता अभी भी कम साक्षरता दर, स्कूल में कम उपस्थिति और बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने के कारण हैं।

इसलिए, मैं आपका व्यक्तिगत ध्यान राज्य में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता / वर्तमान सिधोकन्हो मुर्मू विश्वविद्यालय (दुमका) के उन्नयन और संथाल परगना क्षेत्र के ब्लॉकों में पीजी कॉलेजों और नए आई. आई. टी., आई. आई. एम., लॉ विश्वविद्यालय, मॉडल कॉलेज, कौशल केंद्र, मॉडल स्कूल के लिए प्रस्ताव बनाने की आवश्यकता पर आकर्षित करना चाहता हूं।

मुझे उम्मीद है कि आप मेरे अनुरोध पर विचार करेंगे।

24.04.2015

माननीय उपाध्यक्ष: अब श्री पी.के. बीजू बोलेंगे।

श्री पी. के. बीजू (अलथूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने में बहुत खुशी हो रही है। शिक्षा एक समाज के विकास के लिए एक उपकरण है; एक आदमी को विकसित करने के लिए। डॉ. राधाकृष्णन जी ने जो कहा है, मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा:

> एक विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करना नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय भावना का विकास करना और शिक्षा को आगे बढ़ाना है। पहला लक्ष्य कॉर्पोरेट जीवन के बिना असंभव है, दूसरा लक्ष्य ऑनर्स और पोस्ट-ग्रेजुएट के बिना असंभव है। "

लेकिन, आजकल हमारे देश में शिक्षा एक बड़ा व्यवसाय हो गया है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): क्या यह हुआ है? यह पहले से ही था।

श्री पी.के. बीजू: महोदय, हमने संसद में बहुत सारे विधेयक रखे हैं, उन्हें स्थायी समिति के पास भेजा है। स्थायी समितियों ने अपनी टिप्पणियां की और प्रतिवेदनों को इस महती सभा के पटल पर रखा। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन विधेयकों का क्या हुआ, जिन्हें हमने मार्केटिंग पद्धति को कम करने और अपनी संस्थाओं की सुरक्षा करने के लिए अपनी संसद में पारित किया है। उन विधेयकों की वर्तमान स्थिति क्या है, जिन्हें हमने अपनी संसद में प्रस्तुत किया है? वे विधेयक हैं: विदेशी शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश और संचालन का विनियमन) विधेयक, 2010; शैक्षिक न्यायाधिकरण विधेयक, 2010; तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अनुचित प्रथाओं का प्रतिषेध विधेयक, 2010, और इत्यादि।

अब, मैं इस वर्ष के बजट आबंटन पर चर्चा करना चाहूंगा। स्कूल शिक्षा के लिए बजटीय आबंटन की बात करें तो योजना निधि 39,038.50 करोड़ रुपये है। इसमें 24.68 प्रतिशत की कमी हुई है। गैर-योजना निधि 3181 करोड़ रुपये है। फिर से, 3.23 प्रतिशत की कमी है। उच्च शिक्षा के मामले में भी सरकार ने पिछले वर्ष

की तुलना में 799.40 करोड़ रुपये की कटौती की है। हमने कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का अनुमान लगाया है। बिना पैसे के हम अपने देश में शैक्षिक क्षेत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं? स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए 2013-14 में 85,237 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय है। लेकिन, जैसा कि हम जानते हैं, आबंटन बहुत कम है। साथ ही, आबंटित धनराशि भी खर्च नहीं की जाती है। मैं पाँच वर्ष के लिए एम. एच. आर. डी. समिति का सदस्य था। हर वर्ष, हमने देखा है कि वित्तीय वर्ष के अंत में हम सभी विभागों में एकमुश्त अव्ययित शेष देख सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शिक्षा क्षेत्र में आबंटित धनराशि का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

हमने इस महती सभा में 2009 में शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया है। अब हमें शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन के संबंध में पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने बताया था कि हर वर्ष न्यूनतम 1.74 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है। हमारे देश में शिक्षा के अधिकार को उचित तरीके से लागू करना कैसे संभव हो सकता है?

प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए नामांकन अनुपात 118.9 प्रतिशत है; उच्च प्राथमिक स्तर पर, यह 86.5 प्रतिशत है। प्राथमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात 19.98 प्रतिशत था; और उच्च प्राथमिक स्तर पर, यह 64.7 प्रतिशत है। लेकिन स्कूली शिक्षा में पढ़ाई छोड़ने की दर अभी भी बनी हुई है। मेघालय में 1से 5 कक्षा तक के लिए यह दर 58.4 प्रतिशत है; 1 से 8 कक्षा तक के लिए यह दर 70 प्रतिशत है। बिहार में यह 35.7 प्रतिशत है तथा 1 से 8 कक्षा तक यह 58.3 प्रतिशत है। मैं सभी राज्यों का ब्यौरा नहीं बता रहा हूं।

यह स्पष्ट है कि ड्रॉपआउट दरें चिंताजनक हैं - यह उत्तर पूर्वी राज्यों में 50 और 70 प्रतिशत के बीच है। हमने एम. एच. आर. डी. प्रतिवेदन से बताया है, लेकिन फिर भी हम उत्तर-पूर्वी राज्यों में ड्रॉपआउट समस्या को दूर नहीं कर रहे हैं। जब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एस. सी और एस. टी की आबादी की बात आती है, जैसा कि हम जानते हैं, यह काफी बड़ी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले पर गौर करें। ड्रॉपआउट के इस मामले में सुधार की आवश्यकता है; उत्तर पूर्वी राज्य में, विशेष रूप से हमारे देश की

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी में ड्रॉपआउट अनुपात को कम करने की आवश्यकता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नामांकन में थोड़ा सुधार हुआ है, जो क्रमशः 20.09 प्रतिशत और 9.86 प्रतिशत है, लेकिन ड्रॉपआउट दर क्रमशः 43.30 प्रतिशत और 55 प्रतिशत है। हमने स्थिति की जांच करने और उसे बनाए रखने के लिए विशेष फोकस जिलों (एस. एफ. डी.) पर विशेष ध्यान दिया है। हमने पायलट परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर एससी और एसटी आबादी वाले जिलों को लिया है। लेकिन उन एस. एफ. डी. की स्थिति क्या है?

दूसरा प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम *सर्व शिक्षा अभियान है।* इसमें हम प्राथमिक संस्थानों और उच्च प्राथमिक संस्थानों तक पहुंच बढ़ाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, छात्र-अध्यापक अनुपात बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। वर्तमान में आर. टी. ई. में अनुपात 27:1 है। वर्तमान में, यह 48:1 होना चाहिए। हमें छात्र-अध्यापक अनुपात को स्कूल स्तर पर बढ़ाना होगा। हम 6,97,511 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण की योजना बना रहे हैं। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? हमने अपने स्कूलों में कक्षाओं और शौचालयों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि छात्रों के नामांकन में सुधार हो सके।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने पहले ही बताया है कि सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के लिए बजट आबंटन कम कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य न केवल स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना है, बल्कि इसका उद्देश्य कक्षाओं में भूख की समस्या को रोकना और स्कूली बच्चों के लिए पोषण के पूरक के रूप में कार्य करना भी है। लेकिन इस योजना के लिए बजट आबंटन में भारी कमी की गई है। मैं मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस पर गौर करें।

2008 में, हमने अपने देश में आठ अतिरिक्त आई. आई. टी. और आई. आई. एम. की स्थापना की घोषणा की है। उनमें से कुछ ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है और 2014 में हमने कुछ और संस्थानों

को खोलने की घोषणा की है। लेकिन हमें इन आई. आई. टी. और आई. आई. एम. की स्थिति को गंभीरता से देखना होगा। दो या तीन बैच के पास होने के बाद भी, उनके पास स्थायी भवन नहीं हैं।

महोदय, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हमारे अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में, हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है और हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कई संकाय पद खाली हैं। लगभग 34 प्रतिशत स्टाफ रिक्तियां अभी भी मौजूद हैं

हमारे स्कूलों में। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वे इस पर गौर करें और शिक्षण स्टाफ की संख्या बढ़ाने के लिए उचित उपाय करें तथा मौजूदा रिक्तियों को तुरंत भरने के उपाय भी करें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

24.04.2015

डॉ. रविन्द्र बाबू (अमलापुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संयोग है कि जब भी मैं सदन में बोलता हूं, माननीय उपाध्यक्ष हमेशा आसन पर होते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: आज अपराह्न 3.30 बजे हमें गैर-सरकारी सदस्य के व्यवसाय पर चर्चा करनी है। कुछ सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप संक्षेप में बोलें।

डॉ. रविन्दर बाबू: महोदय, मेरी पत्नी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा। आप इतने दुर्भाग्यशाली क्यों हैं कि आपके आसन पर केवल माननीय उपाध्यक्ष जी ही बैठे हैं और वे आपको दो या तीन मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं देते? महोदय, आज कृपया मुझे शिथिलता दिखाएं और कम से कम मेरे परिवार के सदस्यों को संतुष्ट करने और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट करने के लिए मुझे एक या दो मिनट का समय और दें।

माननीय उपाध्यक्ष ; ठीक है।

डॉ. रविन्दर बाबू: महोदय, स्वतंत्रता के बाद के भारत में शिक्षा के इतिहास में दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। एक शिक्षा का निजीकरण और दूसरा चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण है। इन दो घटनाओं के कारण देश स्पष्ट रूप से अमीर लोगों और गरीब लोगों में विभाजित हो गया है। हमारे देश में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां छात्र वातानुकूलित बसों में जाते हैं, वातानुकूलित कक्षाओं में पढ़ते हैं, पाँच सितारा होटल का भोजन करते हैं और वातानुकूलित बसों में फिर से घर वापस आते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं है कि ग्रामीण भारत क्या है, वास्तविक भारत क्या है और गरीबी क्या है। नगरपालिका और पंचायत स्कूलों में पढ़ने वाले गांवों में ऐसे छात्र हैं जहां न टेबल हैं, न कुर्सियां हैं और न अध्यापक हैं और वे भगवान द्वारा निर्धारित भाग्य का सामना कर रहे हैं।

लेकिन सौभाग्य से भारत में, इस असंतुलित नीति और अमीर-गरीब के बीच के अंतर के बावजूद, आई. आई. टी., आई. आई. एम. और एम्स जैसे सरकारी शैक्षणिक संस्थान हर वर्ष महान प्रतिभाओं को जन्म दे रहे हैं। हमारे आई. आई. टी., आई. आई. एम. और एम्स में प्रतिस्पर्धा का प्रकार अद्वितीय और अभूतपूर्व है। मैं इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बधाई देता हूं और उनसे उस तरह की स्वायत्तता और इन

महान संस्थानों की योग्यता के प्रकार को बनाए रखने का आग्रह करता हूं। भारत में निजी शिक्षण संस्थानों के विशाल महासागर में, उनकी स्वायत्तता, योग्यता और पहचान अप्रत्याशित हैं।

अपराह्न 03.00 बजे

उदाहरण के लिए, निजी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने के लिए, किसी व्यक्ति के पास पैसा भी नहीं होता है। वह या तो सामान बेचता था या कार और स्कूटर जैसी अपनी चल संपत्ति बेचता था। कुछ लोग इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज में सीट खरीदने के लिए अपनी संपत्ति बेचते हैं और वे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन लोगों को सरकारी कॉलेजों में प्रवेश मिलना मुश्किल है, वे हमेशा इसी रास्ते से गुजरते हैं। अंत में क्या होता है, यह एक निवेश बन जाता है। इन संस्थानों से स्नातक होने के बाद, वे दहेज जैसी प्रमुख सामाजिक बुराइयों में शामिल होते हैं। जब ऐसा व्यक्ति इंजीनियर या डॉ. बन जाता है, तो दहेज की उसकी माँग कई गुना बढ़ जाती है। इस सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि एच. आर. डी. मंत्रालय की क्या योजना है, क्या उच्च शिक्षण संस्थानों में फैल रही इस सामाजिक बुराई के बारे में मंत्रालय को जानकारी है। यह विशेष रूप से सिविल सेवाओं में भी फैल रहा है। जब वे आई. ए. एस., आई. पी. एस., आई. आर. एस. और विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, तो दहेज की उनकी मांग अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष:यह आपके राज्य में अधिक है, मुझे ऐसा लगता है।

डॉ. रविन्दर बाबू: ऐसे लोग हैं, जो आई. ए. एस. दूल्हे की शादी के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये की मांग करते हैं। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि कृपया कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ संपर्क स्थापित करें। कृपया इस सामाजिक बुराई, इस अहंकार, इस सोच को रोकने की कोशिश करें कि वे एक कुलीन वर्ग हैं। हालांकि उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, वे कभी भी इन गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। बल्कि वे ब्रिटिश पूर्वी भारत के लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। सिविल सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं, अभी भी एक सचिव के कमरे, एक अतिरिक्त सचिव के कमरे, एक अवर सचिव के कमरे में जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्हें कभी

सांसदों को सम्मान देने के बारे में नहीं बताया जाता है। एक सचिव के कमरे में जाने की अपेक्षा एक मंत्री के कमरे में जाना बहुत आसान है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है। वे सोचते हैं कि वे वहां 35 वर्ष से हैं और सांसदों और विधायकों को केवल पाँच या छह वर्ष ही वहां रहना है। हमें वापस जाना होगा; स्वाभाविक रूप से हमें बहुत विनम्र होना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष: आप शिक्षा पर आएं।

डॉ. रविन्दर बाबू: मेरा कहना यह है कि सिविल सेवाओं के मध्यावधि मूल्याँकन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बहुत बड़ी भूमिका है। केवल सिविल सेवा ही नहीं, यहां तक कि डॉक्टर, इंजीनियर, आई. आई. टी. प्रोफेसर, आई. आई. एम. प्रोफेसर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित लोगों को कोई सम्मान नहीं देने की सीमा तक पूरी तरह से अनैतिक हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी इन उच्च वेतन वाले पेशेवरों के बीच इस प्रकार का व्यवहार भी विकसित करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि पेनिसिलिन के आविष्कार के बाद, आत्मविश्वास के कारण यौन संचारित बीमारियों की घटनाएं बढ़ गई हैं। उसी प्रकार, उच्च शिक्षा पद्धति आने के बाद सामाजिक कुरीतियों की वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, अस्पृश्यता बढ़ी, जातिगत भेदभाव बढ़ा, दहेज प्रथा बढ़ी। ये सभी चीजें उच्च शिक्षा प्रणाली के अनुरूप बढ़ रही हैं। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि कृपया उच्च शिक्षा, विशेषकर आई. आई. टी., आई. आई. एम. और सिविल सेवाओं में नैतिक मूल्यों पर एक पाठ्यक्रम शामिल किया जाए। लाल बहादुर अकादमी में, पुलिस अकादमी में, नदत में, ऐसे सभी संस्थानों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि कोई भी शिक्षित व्यक्ति सिविल सेवाओं में जाने के लिए या तो दहेज की मांग करता है या किसी अहंकारी व्यवहार में लिप्त है, तो उसे तुरंत दंडित किया जाए और कार्रवाई की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष:पहले से ही, कानून है। इसे केवल सिविल सेवा के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार न ठहराएं।

डॉ. रविन्दर बाबू: एच. आर. डी. का मतलब मानव संसाधन विकास है। मानव संसाधनों का समाधान किया जाना चाहिए। यह केवल शिक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए। मैं सर्व शिक्षा अभियान और केंद्रीय माध्यमिक

सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन को लागू करने के लिए एम.पी को सभापति बनाने के लिए मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं इसकी सराहना करता हूं और धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं मंत्री जी से यह भी आग्रह करता हूं कि जैसे आप एम.पी.एल.ए.डी निधि को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर रहे हैं, कृपया सीटें भी 10 से बढ़ाकर 25 कर दीजिए। यह एक लंबा रास्ता तय करेगा। हम हमेशा आपका सम्मान करते हैं। इतने सारे मंत्रालयों में से हम हमेशा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आना चाहेंगे।

अंत में, द्विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश अवशिष्ट राज्य है, हमें आई. आई. टी. और आई. आई. एम. आबंटित करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जिस गति से इसे लागू कर रहे हैं, वह भी अत्यधिक सराहनीय है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी गति और बढ़ाई जाए ताकि इसे लागू किया जा सके और इसी वर्ष दाखिले शुरू किए जा सकें।

आपका बहुत - बहुत धन्यवाद, महोदय। जय हिंद।

24.04.2015
[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): आज़ादी के 63 वर्षों के बाद जो देश में शिक्षा की स्थिति होती, उस अनुरूप में नहीं है, परंतु आज वर्तमान प्रगतिशील सरकार के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं, वह काबिले तारीफ है, तभी तो हमें प्राथमिक शिक्षा और बच्चों के ड्रॉप आउट रेट में गिरावट के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ख्याति मिली है। इस ख्याति के लिए मैं माननीय मंत्री महोदया और उनके सहयोगियों क साथ-साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं।

आज हमारी सरकार ने देश में शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए 5 कि.मी. के भीतर एक सीनीयर सैकेण्ड्री स्कूल की स्थापना, 80,000 माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन करने तथा 75,000 जूनियर/मिडिल स्तर तक के विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर सीनियर माध्यमिक स्तर तक करने की परिकल्पना की है और देश के विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण के लिए जो परियोजनाएंॅ शुरू की गई है, और पूरा हो रही हैं, वह वास्तव में देश की स्कूली शिक्षा के लिए क्रांतिकारी कदम है। उसे सरजमीं पर उतारने के लिए नियमित निगरानी और अनुश्रवण की व्यवस्था होनी चाहिए। आज विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की भारी कमी है और विभिन्न शिक्षा परियोजनाओं में कार्यरत शिक्षक और गैर-शिक्षण संवर्ग के लोग हैं, उनकी स्थिति पर भी हमें विचार करना होगा और पूरे देश से वित्त रहित शिक्षा को समाप्त किया जाए।

आज देश में निजी विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, परंतु हम सरकारी शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। परन्तु कुछ ऐसी व्यवस्था है, जिसे हम अपग्रेड करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। जैसे झारखण्ड में दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार कुल स्वीकृत पद 28,836 के विरूद्ध 21,591 पारा टीचर बच्चों को शिक्षा देने में काफी स्तर तक कामयाब हो रहे हैं, जो विलेज एजुकेशन कमेटी के नियंत्रण में कार्य करते हैं और झारखण्ड में ऐसे शिक्षकों-विद्यार्थियों का अनुपात 1 40 है। यानी इन शिक्षकों के सहारे सरकारी विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई हो रही है, इनका कोई भविष्य नहीं है। हमारे पास संसाधनों की कमी जरूर है, परंतु हमें गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। ऐसी स्थिति में पारा टीचरों की सेवाएँ नियमित करने के पश्चात् हम झारखण्ड या देश में नियमित शिक्षा व्यवस्था की ओर अग्रसर होंगे।

24.04.2015

स्वच्छ भारत आभियान- इस आभियान के तहत शौचालय निर्माण का कार्य काफी सराहनीय रहा। देश के कई पी.एस.यूज. इस प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। इस कार्य हेतु सी.आई.एल./एन.टी.पी.सी./एस.एस.ए. कंपनियाँ झारखण्ड के कुल 893 विद्यालयों में से 530 विद्यालयों में शौचालय निर्माण की योजना बनाई गई है और इस कार्य को प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में संपन्न किया जाएगा। परंतु इस कार्य में कुछ तकनीकी गड़बड़ियाँ हैं। सर्वप्रथम संबंधित पी.एस.यू. क्षेत्र के माननीय सांसदों से संपर्क कर उनके क्षेत्र के जिला एवं प्रखण्डों को चिन्हित करें, क्योंकि सामान्यतः एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग तीन जिले होते हैं और उन जिलों में अन्य लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्र भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जिले में एक लोक सभा के कितने विद्यालयों में शौचालय का निर्माण हो रहा है, परंतु पी.एस.यू. जिलावार स्कूलों का आंकलन कर रहे हैं। अतः पी.एस.यू. को लोक सभा संसदीय क्षेत्रवार आंकलन कर संबंधित सूचना सांसदों को उपलब्ध करानी चाहिए।

आज हमारे संसदीय क्षेत्र में गिरिडीह जिला आविभाजित बिहार का ही सबसे पुराना जिला है और जैन तीर्थस्थल, अभ्रक और कोयला खदन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्त जिला में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कई वर्षों से लंबित है। मेरा आग्रह है कि गिरिडीह में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए।

मिड-डे मिल की जांच के लिए कई एजेंसियाँ नियुत्त हैं तथापित बच्चों को बेहतर भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और डिब्बा बंद भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। अतः मेरा आग्रह है कि डिब्बाबंद भोजन के स्थान पर परंपरागत भोजन ही उपलब्ध कराया जाए और इसके लिए सुदृढ़ निगरानी तंत्र की व्यवस्था की जाए।

आज झारखण्ड के कई क्षेत्रों में पेयजल में आसेरनिक, फ्लोराइड और जहरीले पदार्थों की मात्रा पायी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक विद्यालय में पीने के पानी की नियमित जांच की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। आज कई बच्चे अर्थाभाव में स्कूल छोड़ देते हैं और कुछ बच्चे शुरू से ही खेलों में रूचि रखते हैं, परंतु उचित मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण अपनी प्रतिभा का समुचित विकास नहीं कर पाते हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि स्कूलों में कौशल विकास के अंतर्गत इच्छुक विद्यार्थियों को पाठ्याक्रमों एवं प्रयोगशाला के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाए ताकि वह स्कूल छोड़ भी देते हैं तो अपने हुनर को आगे बढ़ा सकें। इसी प्रकार आज स्कूलों में खेलों के विकास हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते हैं और प्रतिभावान खिलाड़ी बच्चों को उच्च स्तरीय खेलों में भाग लेने के लिए स्कूल स्तर पर जानकारी और सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं और विशेष बजटीय उपबंध की व्यवस्था की जाए।

श्री राम टहल चौधरी (राँची): भाई नरेन्द्र मोदी जी की अगुआई में माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने जो अनुदानों की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया है, वह अत्यंत ही सराहनीय है। इन्होंने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित अल्पसंख्यक अर्थात् सभी वर्गों के बच्चों पर ध्यान दिया है। इससे कौशल विकास, मेक इन इण्डिया पर ज़ोर दिया गया है, जिससे युवाओं को रोज़गार उपलब्ध होगा। आई.टी.आई. का जाल बिछाने का संकल्प आदि क्रांतिकारी कदम है। शिक्षा में गुणवत्ता पर भी ज़ोर दिया गया है। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में भी दुगनी वृद्धि की गयी है, इससे गरीब छात्रों को काफी लाभ मिलेगा, छात्रों को ऋण सुविधा भी दी गई है। हर स्कूल में शौचालय की व्यवस्था स्वच्छ भारत की परिकल्पना है। सवरशिक्षा के प्रति व्यापक कार्यक्रम चलाना बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इसके साथ-साथ मेरा सुझाव है कि शिक्षा विभाग में खासकर गांॅवों के विद्यालय में प्राइमरी से लेकर उच्च विद्यालयों में एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके कारण छात्र संख्या भी घट गई है और इससे गांॅव, गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षक न रहने से छात्रों की संख्या सरकारी विद्यालयों में घटती जा रही है। इसलिए शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए और शिक्षकों की बहाली पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार करे तभी सवरशिक्षा आभियान सफल होगा। छात्रों को जो भोजन दिया जाता है, उसमें सुधार की जरूरत है। शिक्षकों की कमी के कारण बच्चे भोजन कर घर चले आते हैं। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए हर वर्ग में परीक्षा आवश्यक है। बिना परीक्षा के पास करना कतई उचित नहीं है। ज्ञान देना है तो परीक्षा आवश्यक है। झारखण्ड में शिक्षकों की भारी कमी है।

अन्त में, मैं इस अनुदान माँग का समर्थन करता हूं एवं मानव संसाधन विकास मंत्री जी को बधाई देता हूं और इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री एवं मंत्री जी को देता हूं।

24.04.2015

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि किसी भी देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक बदलाव लाने में शिक्षा सबसे सशक्त जरिया होती है। आर्थिक एवं सामाजिक बदलाव के लिए संबंधित ज्ञान, दृष्टिकोण एवं कौशल प्राप्त श्रमशक्ति होना आवश्यक होता है।

वर्ष 2015-16 के बजट में यह आशा व्यक्त की गयी है कि हमारी आर्थिक विकास दर 8 से 8.85 प्रतिशत तक होगी। हम इस विकास दर को प्राप्त कर सकते हैं। यह बात मैं इसलिए कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद आर्थिक माहौल तो देश में काफी बेहतर बना है। देश में जो निराशा के बादल छाए हुए थे, वे अब छंट गए हैं। कोयला खदानों की नीलामी में पूर्ण पारदर्शिता एवं साथ ही साथ स्पैक्ट्रम की नीलामी में हुई पूर्ण पारदर्शिता मेरे विश्वास को आधार प्रदान करते हैं। सकल आय की दृष्टि से भारत विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियों में गिना जाने लगा है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भारत अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में वास्तविक बदलाव लाने हेतु बहुत कुछ किया जाना शेष है।

शिक्षा पर इस वर्ष के बजट में कटौती की गयी है। वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 के लिए शिक्षा हेतु लगभग 13 हज़ार करोड़ रूपए कम आबंटित किए गए हैं। इस कटौती की मुख्य वजह केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी अधिक होना रहा है। इस कटौती का सबसे ज्यादा असर विद्यालयी शिक्षा पर पड़ेगा। यह हमें मानना चाहिए कि बजट धनराशि बढ़ाने के बजाय धन के बेहतर इस्तेमाल पर ज़ोर दिया गया है। सवरशिक्षा आभियान पर होने वाले खर्च में राज्यों की ओर से होने वाले अंशदान में वृद्धि की गयी है। राज्यों को इस अंशदान में वृद्धि से समस्या नहीं पैदा होनी चाहिए, क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिश के बाद राज्यों का हिस्सा लगभग 10 प्रतिशत बढ़ा है।

सरकार शिक्षा के लिए निधाररित किए गए बजट का उपयोग करने में थोड़ी पिछड़ती नज़र आ रही है। पिछले वर्ष विद्यालयी शिक्षा के लिए कुल लगभग 55 हज़ार करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई थी। मगर खर्च लगभग 47 हज़ार करोड़ रूपए ही हो पाए। उच्चतर शिक्षा की भी कमोवेश स्थिति यही है। जहाँ पिछले वर्ष आबंटन इसके लिए लगभग 28 हज़ार करोड़ था, वहीं खर्च 24 हज़ार करोड़ ही हो पाए।

24.04.2015

हमारे देश की एक समृद्ध विरासत है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जो ज्ञान का अथाह भण्डार हैं, वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा के दो प्रमुख संस्थान है, पहला राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान एवं दूसरा राष्ट्रीय संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान। इन संस्थानों के लिए कुछ भी आबंटन नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि अनुपूरक अनुदानों की मांगों के समय इन संस्थानों के लिए पर्याप्त धनराशि की मांग की जाए।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में शैक्षणिक संस्थानों की भारी कमी है। लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति में लगातार गिरावट देखी जा रही है। उदाहरणार्थ 50 वर्ष से पुराने विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में वर्ष 2013 टी.एच.आई. रैंकिंग में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। 400 विश्वविद्यालयों की 2012 की रैंकिंग में जहाँ एक तरफ चीन के नौ विश्वविद्यालय थे वहीं भारत का केवल एक ही विश्वविद्यालय था। हमारे प्रतिष्ठित आई.आई.टीज एवं आई.आई.एमस भी उत्कृतष्टता के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शैक्षणिक प्रणाली है। यहाँ पर लगभग 600 विश्वविद्यालयों सहित लगभग 35,000 कॉलेज हैं। भारत को उच्च शिक्षा के संस्थान की और अधिक आवश्यकता है, क्योंकि छात्र उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आयेंगे। ऐसी स्थिति में मौजूदा विश्वविद्यालयों के स्तर को उन्नत बनाना और गुणवत्ता संस्थानों की स्थापना, हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए।

अब मैं युवाओं के रोज़गार के बारे में कहूंगा। एक ओर तो कौशल विकास करने और दूसरी और उन कौशल का प्रयोग करने की दोहरी चुनौतियां हैं, क्योंकि कौशल का उपयोग नहीं करने का अर्थ यह होता है कि उन्हें गवां देना। श्रम ब्यूरो रिपोर्ट, 2014 के अनुसार भारत में औपचारिक तौर पर कुशल कार्यबल का आकार लगभग 2 प्रतिशत ही है, जोकि बहुत ही कम है। जबकि यही आंकड़ा दक्षिण कोरिया एवं जापान में क्रमशः 96 व 80 प्रतिशत है। आखिल भारतीय स्तर पर 15 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के करीब 6.8 प्रतिशत लोग ही हैं, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त कर रहे हैं।

वर्ष 2013 और 2022 के बीच की अवधि के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार गैर कृषि के लिए 120 मिलियन कार्यकुशल लोगों की जरूरत होगी। यह सरकार कौशल विकास के लिए कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि सरकार ने इस उद्देश्य के लिए

एक नया मंत्रालय का भी गहन अध्ययन किया है। मंत्रालय रोज़गार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौशल विकास पर 1500 करोड़ खर्च करेगा। अब गाँव-गाँव में कौशल विकास की बात हो रही है। योजना के उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि गांवों में सरकारी स्कूलों की स्थिति अभी भी दयनीय है। अध्यापकों की कमी तो है ही, कहीं कहीं तो विद्यालय भवन भी नहीं है। शहरों में पब्लिक स्कूलों की भरमार होती जा रही है। लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें पढ़ाई का स्तर चिंताजनक है और सुविधाओं का अभाव है। जबकि योग्य शिक्षक सरकारी स्कूलों में हैं। स्कूलों में कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की बड़ी पैमाने पर आवश्यकता होगी। बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि पिछले बजट में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए महामना मदन मोहन मालवीय प्रशिक्षण संस्थान की व्यवस्था की गई थी। जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं।

छात्र, धन के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित न रहें। अतः पहली बार प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसके तहत निम्न एवं मध्यम वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरूआत की है, जिसका नाम है, ‘‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं‘। इस कार्यक्रम की सफलता हमें बहुत आगे ले जा सकती है। इसकी सफलता से न केवल देश में लिंगानुपात की जो चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, वह दूर होगी एवं साथ ही हमारा नारी समाज भी शिक्षित होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और एक बार पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 201 5-16 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

24.04.2015
[अनुवाद]

श्री वरप्रसाद राव वेलागपल्ली (तिरुपति): बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस छोटी सी चर्चा में शामिल होने से पहले अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करता हूं। मुझे लगा कि मैं इस सम्मानित सदन के साथ साझा कर सकता हूँ, जहाँ माननीय मंत्री उपस्थित हैं। हम सभी शिक्षा के महत्व को जानते हैं। यह एक प्रकार की जादुई कुंजी है, जहाँ असमानता इतनी अधिक है। गरीब सबसे गरीब है, जिसकी तुलना का कोई पृथ्वी पर नहीं है और अमीर सबसे अमीर है। शिक्षा को छोड़कर, भारत को सामाजिक रूप से कभी समान नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए, यदि भारत में किसी चीज़ को सर्वोपरि महत्व देना हो, तो वह शिक्षा है। यह अत्यंत गंभीर कार्य है और इसे आधे-अधूरे विचारों के साथ नहीं किया जा सकता।

वर्तमान प्रणाली ज्यादातर स्मृति उन्मुख है। यह रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को कम महत्व देती है। इसलिए, लोगों के मन में रचनात्मकता को विकसित करने के लिए, एच. आर. डी. को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जहां अंततः बच्चे को रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच दी जाए। अब व्यवस्था में जो कमी है वह राजनीतिक इच्छाशक्ति है। मैं वर्तमान राजनीति की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं। यह शुरू से ही है। यदि शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया जाता तो चीजों में बहुत सुधार होता। इसलिए, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। शैक्षिक पदाधिकारियों की ओर से जवाबदेही की भी अब कमी है। हमारे पास अधिक परिप्रेक्ष्य नहीं है। हर बार, हम अगले 20 से 25 वर्षों के लिए सोचने के बजाय एक वर्ष के लिए सोचते हैं। यदि इन चीजों को ध्यान में रखा जाए और यदि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए तो देश अपने आप सुधर जाएगा।

हम अभी भी नामांकन, साक्षरता और उस सभी की बात कर रहे हैं। वे दिन अब चले गए हैं। हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अगले चरण में जाना होगा। आइए अब भी इन चीजों पर जोर न दें जैसे कि नामांकन, साक्षरता आदि। पचास प्रतिशत ड्रॉप-आउट बच्चे के दसवीं कक्षा तक पहुंचने से पहले होते हैं। इसलिए, साक्षरता के बारे में बात करने का विचार, इस नामांकन के बारे में बात करने का विचार ही अर्थहीन है। ड्रॉप-आउट पहलू एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे कई मामले हैं, जहां पांचवीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें भी नहीं पढ़ सकते हैं। दुर्भाग्यवश भारत सरकार ने बारह केन्द्रीय योजनाओं को

बंद कर दिया है, जिनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए माननीय मंत्री को संघर्ष करना चाहिए और उसे वापस लेना चाहिए। इसमें ब्लॉक स्तर पर 6,000 मॉडल स्कूलों को समाप्त करना शामिल है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। हमें इसे वापस लेना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर मॉडल स्कूलों और आधुनिकीकृत स्कूलों की वास्तव में आवश्यकता है जो बेहद महत्वपूर्ण है।

बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है। मैं विकास के उच्च स्तर पर बुनियादी ढांचे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं स्कूल के स्तर पर अवसंरचना की बात कर रहा हूं, जैसे पेयजल, विद्यालय भवन, शौचालय, पुस्तकालय आदि। पैंतीस प्रतिशत स्कूलों में उचित पुस्तकालय नहीं हैं। कंप्यूटर तक पहुंच बनानी होगी, क्योंकि जहां तक आई. टी का सवाल है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि आप छोटे बच्चों को भी कंप्यूटर तक पहुंच उपलब्ध करा सकें, तो यह काफी मददगार साबित होगा। दुर्भाग्य से, तीस प्रतिशत स्कूल के अध्यापक अंडर-ग्रेजुएट हैं। उनके पास उचित प्रशिक्षण नहीं है। कई गैर-पेशेवर अध्यापक हैं। इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। प्रारंभिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और व्यावसायिक प्रशिक्षण में एक विसंगति है। वे सभी स्वतंत्र हैं। यदि आप प्रारंभिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों और व्यावसायिक के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण रख सकते हैं, जिसे हम तृतीयक कहते हैं, तो यह बेहद उपयोगी होगा। आम तौर पर, हम ट्रिकल-डाउन सिद्धांत का पालन करते हैं। दुर्भाग्य से, शिक्षा में, ऐसा नहीं होता है। अधिकांश लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा रहे हैं। चूंकि हम माध्यमिक स्कूल और व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा कर रहे हैं, शायद, हमें जिस पर विचार करना है, वह ट्रिकल डाउन सिद्धांत के बजाय ट्रिकल अप सिद्धांत है। कृपया शिक्षा प्रणाली को व्यापक रूप को मजबूत करें।

यह अच्छा है कि बहुत सारे आई. आई. टी. और आई. आई. एम. खुल रहे हैं। हम माननीय मंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं। हाल ही में माननीय मंत्री जी ने एक आई. आई. टी. की आधारशिला रखी है। लेकिन यहां एक बिंदु यह है कि आई. आई. टी. और आई. आई. एम. के अधिकांश छात्र विदेश जा रहे हैं। समाज की कीमत पर इतनी अच्छी शिक्षा मिलने के बाद वे विदेश जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन शिक्षा पर जो खर्च हुआ है, चाहे वह फीस के रूप में हो

या पूर्व छात्र भुगतान के रूप में या किसी अन्य रूप में, वह देश को वापस मिलना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 प्रतिशत छात्र विदेश जा रहे हैं।

दूसरा, अधिक आई. आई. टी. और आई. आई. एम. खोलने से एक महत्वपूर्ण बात जो हम भूल रहे हैं, वह यह है कि गेट की चुनौती कम हो रही है। वर्ष-दर-वर्ष उम्मीदवारों की संख्या कम होती जा रही है। यह अपने पूर्वजों की अवमानना की तरह है। इसलिए, जितनी अधिक संख्या में आई. आई. टी. हैं, इसका महत्व उतना ही कम हो रहा है। इसलिए, सरकार आई. आई. टी. और आई. आई. एम. के महान संस्थानों को खोलने के थोड़े चरणबद्ध तरीके से जा सकती है।

कौशल विकास के संबंध में, हमें वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इस बात पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से कौशल विकास के लिए एक मंत्रालय बनाया है। हम सभा की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन लिंक, कनेक्शन शुरू से ही प्राथमिक स्कूलों, कौशल विकास और तृतीयक स्तर के बीच किया जाना है। तो, यह कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यावहारिक रूप से मैं यहां माननीय मंत्री को यह सूचित करना चाहता हूं कि हमारे सामने एक छोटी सी कठिनाई है। बहुत सारे विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) स्थापित हो रहे हैं। पूरे देश में बहुत सारे उद्योग आ रहे हैं। दुर्भाग्य से, ग्रामीण लोग, जो उच्च शिक्षित हैं, साधारण कारण से बेरोजगार रह रहे हैं कि रोजगार की जानकारी उन्हें नहीं मिल रही है। ये लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, व्यवस्था के कारण, उचित नौकरी पाने में सक्षम नहीं हैं। सरकारी प्रणाली मुफ्त शिक्षा और वह सब प्रदान कर रही है। इसलिए वे इंजीनियर, स्नातक और प्रबंधन के छात्र बन रहे हैं। वे शहरों में उचित रोजगार के लिए इस सरल कारण से नहीं जा पा रहे हैं कि उनके पास नौकरियों की तलाश में जाने के लिए पर्याप्त आर्थिक कुशन नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें उचित नौकरी खोजने के लिए कुछ भत्ता दिया जाए। जब तक इन बेरोजगार युवकों को नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें कुछ भत्ता दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। सभी कंपनियों में, जो ग्रामीण स्तर पर आ रही हैं और वह सब स्थानीय लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

24.04.2015

मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों पर होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर भी ध्यान देना आवश्यक है, ताकि अमीर और गरीब के बीच का अंतर और न बढ़े और कोई अलग आर्थिक स्तर न बने। मेरा मानना है कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी सामाजिक दृष्टि से अमीर और गरीब के बीच की खाई किसी भी तरह से पटी नहीं है।

यदि हम शिक्षा में निवेश की बात करें, तो दुर्भाग्यवश वर्तमान में हम जी.डी.पी. का केवल 3.2 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं, जबकि आवश्यकता 6 प्रतिशत की है। सार्वजनिक व्यय के लिए हमें जी.डी.पी. का कम से कम 6 प्रतिशत आवंटित करना चाहिए। कुछ छोटे देश जैसे, उदाहरण के लिए मैक्सिको, आदि, शिक्षा पर लगभग 2,900 डॉलर, यानी 10 गुना अधिक खर्च कर पा रहे हैं।

साथ ही, मैं सरकार की कुछ योजनाओं की सराहना करना चाहूंगा, जैसे नई मंजिल, कौशल, अटल इनोवेशन मिशन, सेतु, छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण इत्यादि। उनमें से कुछ वास्तव में दिलचस्प हैं। मुझे इसकी भी सराहना करनी चाहिए।

बजट के संबंध में, एक छोटा सा मुद्दा है। हम सभी को युवा मंत्री पर बहुत भरोसा है। हम हमेशा उनका समर्थन करते रहे हैं। लेकिन उन्हें इन योजनाओं के लिए आबंटन में कटौती का मुद्दा उठाना चाहिए ताकि आगे और कटौती न हो। दुर्भाग्य से, मुझे यह बताते हुए खेद है कि स्कूली शिक्षा के लिए आबंटन में भारी कटौती हुई है। इसी तरह, स्वच्छ भारत के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 50 प्रतिशत कटौती की गई है। आई.सी.डी. के आबंटन में कटौती की गई है। मध्याह्न भोजन योजना के आबंटन में कटौती की गई है। नरेगा के लिए आबंटन में भी कटौती की गई है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। लोग हमेशा माननीय मंत्री से यह मांग करते रहे हैं कि इस मामले को उठाएँ। यह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि स्कूल शिक्षा के लिए है, जिसे अधिक महत्व देने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं यह आग्रह करूंगा कि महिला और बालिकाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

24.04.2015

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री वरप्रसाद राव वेलागपल्ली: महोदय, मैं एक अंतिम सुझाव के साथ समाप्त करता हूं, जो विदेशी विश्वविद्यालयों के संबंध में है। चूंकि दुनिया एक वैश्विक गाँव बन रही है, इसलिए हमें कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों में इस्तेमाल हो रही उन्नत प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद, महोदय।

24.04.2015
[हिन्दी]

***डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद):** शिक्षा सबसे बड़ा विषय है , मेरा मानना है कि देश के विकास के लिए शिक्षा, एक अहम आयाम है। आजकल शिक्षा संस्थाएं , जो सेल्फ फाईनेन्स है, उनमें शिक्षा का व्यापारीकरण रोकने पर जरूरी प्रावधान करने के लिए प्रार्थना करता हूं। जो शिक्षा संस्थान डोनेशन या अलग अलग नामों पर वित्तीय उपार्जन करते हैं, उन पर कड़े कदम उठाने चाहिए। पीपीपी मोड पर चलनेचाले कई शिक्षा संस्थान बड़ा कार्य करते हैं, उनको हमे बढ़ावा देना चाहिए, मगर जो शिक्षा संस्थान शिक्षा में व्यापारीकरण करता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। लोगों को शिक्षा का निःशुल्क आधिकार मिला है, मगर अभी भी जमीनी हकीकत कुछ अलग ही है। शिक्षा संस्थानों में 25 फीसदी गरीब बच्चों को दाखिला करने पर बल देना चाहिए और वह सही तरीके से संपन्न हो उसका निश्चित करना चाहिए।

जहाँ तक अनुसूचित जातियों/जनजातियों का सवाल हे, उन वर्ग के बच्चों के लिए कई प्रकार की मुसीबतें रहती है। ट्यूशन फीस की प्रथा के कारण उनके बच्चे उच्च कोर्स जैसे कि एमबीए , एन्जीनियरिंग मैनेजमेंट में दाखिला नहीं ले सकते हैं। उन बच्चों को अवसर प्रदान करना जरूरी है।

आज जब डा. बाबा साहब अम्बेदकर जी की 125 जन्म जयंति हम सब मना रहे हैं तब मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि, जिस तरह केन्द्रीय विद्यालय चलाए जाते हैं, बस उसी तर्ज पर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की बस्तियों हर जिला का मुख्यालय पर " डा. अम्बेदकर शिक्षा संस्थान " शुरू करना चाहिए, जहां पढ़ने के साथ साथ उनके लिए छात्रावास भी चलाने चाहिए। यह सब केन्द्रीय विद्यालय के स्टैंडर्ड का होना बेहद जरूरी है।

शिक्षा संस्थान एवं विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों के लिए कड़े आरक्षण का प्रावधान करवाने चाहिए। स्पीकर महोदया, आप के माध्यम से मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय विद्यालय संस्थानों में हर सांसद को सिक्स दाखिला कराने का प्रावधान हे। मैं अहमदाबाद शहरी विस्तार का प्रतिनिधित्व

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

करता हूं तथा मेरे क्षेत्र में तीन केन्द्रीय विद्यालय स्थित है। मेरे पास सैकड़ों की संख्या में लोग दाखिले के लिए आते हैं। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे क्षेत्रों में और भी दस दाखिले देने का प्रावधान करना चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में लोगों की अपेक्षाएं पूर्ण करने पर निर्णय करना चाहिए।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप माननीय मंत्री जी ने बजट में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए जो प्रावधान किये हैं, वे स्वागतयोग्य हैं। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आई थी, उसे इस बजट में दूर करने का प्रयास किया गया है। जिससे आने वाले समय में सुखद परिणाम आएगा। मेरा सुझाव है कि मध्याह्न भोजन के अंतर्गत अध्यापक की भूमिका को बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए, जिससे वह केवल शिक्षा में ध्यान रख सके। रसोईघर क्लासरूम से दूर होना चाहिए, जिससे छात्र व छात्राओं का ध्यान उस ओर न जाकर अपने क्लासरूम तक ही केंद्रित रहे। मध्याह्न भोजन की दरों को भी वर्तमान महंगाई दरों के हिसाब से संशोधन की जरूरत है, जिससे बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन मिल सके। स्कूलों में स्थित शौचालयों की व्यवस्था के लिए भोजन बनाने वाली आया की तरह, पार्ट टाइम सफाई कर्मी की नियुक्ति की जानी चाहिए। हर न्याय पंचायत स्तर पर जूनियर से उच्चीकृत कर हायर सैकेण्ड्री स्कूल बनाने की जो केंद्र सरकार की योजना है, वह बहुत ही स्वागतयोग्य है, लेकिन इसके लिए और बजट बढ़ाकर यथाशीघ्र उन्हें उच्चीकृत कर सभी विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे संसदीय क्षेत्र बांदा-चित्रकूट में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित कर बुंदेलखण्ड क्षेत्र की इस कमी को दूर किया जाए। इसके लिए यहां पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। कौशल विकास के लिए नये संस्थान खोलकर यहां से रोज़गार हेतु पलायन कर रही श्रमशक्ति को रोकने की व्यवस्था की जाए, जिससे उनकी श्रमशक्ति का उपयोग यहीं क्षेत्र के विकास में हो सके। मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित बांदा जिले के केंद्रीय विद्यालय को शीघ्र शुरू किया जाए। चित्रकूट जिले में स्थित केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन लेकर यथाशीघ्र उसे व्यवस्थित किया जाए। सांसदों के लिए विभाग द्वारा प्रदत्त केंद्रीय विद्यालय के 6 छात्रों के कोटे को बढ़ाकर कम से 50 किया जाए, क्योंकि एक संसदीय क्षेत्र में कम से कम 5 से 6 विधान सभाएं होती हैं और 2 से 3 जिले तक आते हैं। एक जिले के जिलाधिकारी को 15 छात्रों

का कोटा होता है, लेकिन जो सांसद 2 से 3 जिलों से चुनकर आते हैं, उनके लिए यह कोटा बहुत ही असंगत है और उन्हें अपने मतदाता की नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ ही मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

24.04.2015

[अनुवाद]

*__डॉ. ममताज संघमिता (बर्धमान दुर्गापुर):__ शिक्षा किसी भी समाज के उत्थान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं की शिक्षा उत्पादक अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस दशक में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है, लेकिन अधिकांशतः यह केवल कागज़ों पर ही है। कई बार सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। कई बार नामांकन वास्तविक भी होता है, लेकिन बच्चे केवल मध्याह्न भोजन के लिए आते हैं और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण वे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। शिक्षकों की भारी कमी है और कई स्थानों पर ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और उपयुक्त निगरानी व्यवस्था लागू करनी चाहिए।

इस वर्ष निधियों के अभाव में बजट में भारी कटौती की गई है। यह एक शर्मनाक बात है, जब मोदी सरकार का नारा '*पढ़े भारत, बढ़े भारत*' है। यदि धन की समस्या है तो सभी छात्रों को 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देने के बजाय इसे केवल आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को दिया जा सकता है और बालिकाओं को रियायती दर पर शिक्षा दी जा सकती है।

मध्याह्न भोजन योजना में पौष्टिक आहार के नाम पर शिक्षक और अन्य कर्मचारी खाना बनाने की व्यवस्था देखने और उसकी निगरानी करने में ही अधिक व्यस्त रहते हैं, जबकि भोजन और अन्य सामग्री का कुछ हिस्सा कहीं और चला जाता है। इस कारण उन्हें पढ़ाने और बच्चों की देखभाल करने के लिए कम समय मिलता है। पके हुए भोजन के बजाय अंडा, केला, ब्रेड और इसी तरह के पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मध्याह्न भोजन पर प्रति विद्यार्थी खर्च अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए।

एस. एस. ए. स्कूलों में, कक्षा आठ तक शिक्षा दी जाती है, आमतौर पर कई छात्र उस स्तर के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। यदि सरकार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण में कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू कर सके तथा गणित, क्षेत्रीय भाषा और व्यावहारिक अंग्रेजी शिक्षण जारी रख सके और

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस संबंध में विशेष प्रमाण पत्र दे सके तो यह उनके भावी जीवन के लिए सहायक हो सकता है। अध्यापकों के लिए नियमित मूल्यांकन प्रणाली लागू करना भी शिक्षण स्तर सुधारने में उपयोगी हो सकती है।

जहां तक सामान्य स्नातक महाविद्यालयों का प्रश्न है, उनकी स्थिति लगातार गिरती जा रही है। अध्यापक छात्र अनुपात आमतौर पर उचित शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होता है। नामांकन क्षमता से परे है। अध्यापकों की कमी से विभिन्न कॉलेजों में अध्यापकों का अनुलिपिकरण, तीनहरीकरण होता है। विभिन्न कारणों से मानक शिक्षण लगभग असंभव है। यू. जी. सी. में अवसंरचनाओं, शिक्षण सुविधाओं और आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए वितरण के लिए अधिक निधि होनी चाहिए।

24.04.2015

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): मैं अपनी पार्टी की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों के पक्ष में खड़ी हूं। कटौतियों के विषय में बहुत कुछ कहा गया है और मंत्री ने हस्तक्षेप किया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अपने उत्तर में वे विस्तार से बताएंगी कि इस विभाग की वित्तीय स्थिति को कैसे संभालेंगी।

एक महिला होने के नाते, यह हमेशा अच्छा होता है क्योंकि हम अपने पैसे का प्रबंधन करना जानते हैं। कम पैसे के साथ, हमने बहुत कुछ किया है। चूँकि एक महिला ही इस मंत्रालय का नेतृत्व कर रही हैं, मुझे पूरी आशा है कि वे हमारी अधिकांश वित्तीय परिस्थितियों का समाधान ढूँढ पाएंगी, जिन पर पहले से ही कई माननीय सदस्य चर्चा कर चुके हैं। मैं इस विषय पर सदन का अधिक समय नहीं लूँगी, लेकिन कुछ संक्षिप्त बिंदुओं पर मैं उनसे हस्तक्षेप की अपेक्षा करूँगी।

कई सहयोगियों ने शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में बात की है। शिक्षा एक विषय है और मैं इसे यू. पी. ए. बनाम एन. डी. ए. के दृष्टिकोण से नहीं देखती। यह विषय कुपोषण की तरह सर्वत्र व्याप्त है। चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, हम सभी इस बात से सहमत हैं कि किसी भी राज्य की किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए। यह आज की सबसे बड़ी आकांक्षा है। आज हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और मेरा मानना है कि यह उनका वह अधिकार है, जिसे हमारे संविधान ने भी उन्हें प्रदान किया है।

सबसे बड़ी समस्या जो मुझे कभी-कभी माता-पिता के रूप में भी महसूस होती है, वह परीक्षा है। आजकल अधिकतर बच्चे परीक्षा नहीं देते और उन्हें 8 कक्षा तक आगे बढ़ा दिया जाता है। समाज में इस बारे में बहुत बहस होती है क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हर बार जब मैं किसी भी स्कूल में जाती हूं और उनसे पूछती हूं कि क्या हमें परीक्षा देनी चाहिए या नहीं, अधिकांश माता-पिता और बच्चे कहते हैं कि वे परीक्षा चाहते हैं क्योंकि नई मूल्यांकन नीति से कोई खास लाभ नहीं हो रहा है। यही कारण है कि बच्चे 8 कक्षा तक जाते हैं और उसके बाद ज्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं, खासकर अंग्रेजी और गणित में। इसलिए, तो इस संदर्भ में मंत्रालय का वास्तविक दृष्टिकोण क्या है और हम इसे आगे कैसे ले जाने वाले हैं? क्योंकि परीक्षाएँ बच्चों का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने का एक तरीका हो सकता है कि वे वास्तव में अच्छा कर रहे हैं।

24.04.2015

हमने अपने जिले में एक हस्तक्षेप शुरू किया है जहां कलेक्टर ने बहुत प्रयास किया है। उन्होंने गणित को सार्वभौमिक पठन के रूप में लागू किया है एक निश्चित समय पर, एक ही दिन सभी स्कूलों में। इससे हमें यह पता लगाने का अवसर मिला कि वास्तव में हस्तक्षेप की आवश्यकता कहाँ है? महोदय, आपको आश्चर्य होगा, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि अधिकांश उन्नत ब्लॉकों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और जो ब्लॉक राजमार्गों से दूर थे, उन्होंने हमारी स्कूल शिक्षा व्यवस्था में, विशेषकर ज़िला परिषद स्कूलों में, कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। तो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या योजना है?

सौभाग्य से जिस राज्य से मैं आती हूँ, वहाँ शिक्षा हमेशा से हर सरकार की प्राथमिकता रही है, चाहे सत्ता में कोई भी रहा हो। हमने अच्छी स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराई है और लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल जैसी योजनाएँ भी दी हैं। हमने कई हस्तक्षेप किए हैं। लेकिन जिस चीज़ की हमें सबसे अधिक कमी है, वह यह कि हम कक्षा में जाने वाले शिक्षक को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में सफल नहीं हो पाए हैं। आपने अध्यापकों को छठा वेतन आयोग दिया है; हमने अच्छा बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध कराया है, पुस्तकें हैं और कोई भी यह नहीं कह सकता है कि कोई बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। केवल उन्हें अधिक प्रशिक्षण देने से मदद नहीं मिलेगी क्योंकि प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक संसाधन व्यक्ति आवश्यक रूप से अत्यधिक योग्य नहीं है। हमें यकीन है कि जिस तरह के संसाधन व्यक्तियों की आवश्यकता है, उसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गाँव में खोजना बहुत मुश्किल है। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें वास्तव में अध्यापकों को बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित करके सर्व शिक्षा अभियान में नवाचार करने की आवश्यकता है। इसलिए, परीक्षा एक समाधान है या नहीं, इसका उत्तर जानने के लिए उन्हें शिक्षा के सभी विशेषज्ञों से सलाह लेनी होगी।

कई सदस्यों ने आई. आई. टी. के बारे में कहा है, जो हमारे लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि हम संख्याएँ जानते हैं। लेकिन मैं मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी सरकार लगातार लड़कियों को बेहतर या समान गुणवत्ता की शिक्षा देने की बात कर रही है, जबकि लड़कियों का ड्रॉप-आउट रेट

कहीं अधिक है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देने की योजना शुरू की है, जिसे कई राज्यों ने अपनाया है। लेकिन क्या हम इसे और व्यापक बना सकते हैं?

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना पांच वर्ष पहले शुरू की गई थी। यह आदिवासी लड़कियों को शामिल करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। लेकिन इस योजना की समस्या यह है कि आठवीं कक्षा के बाद क्या होगा? हम जिला परिषद स्कूलों से लड़कियों को 5 कक्षा से लाते हैं और 8 कक्षा के बाद उन्हें पूरी तरह से अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। कुछ निजी स्कूल हैं जो उन्हें पढ़ाते हैं। लेकिन कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की लड़कियों के लिए उच्चतर विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को 12$^{वीं}$ कक्षा तक विस्तारित किया जाए, क्योंकि यह आदिवासी क्षेत्रों से आने वाली लड़कियों के साथ बहुत अन्याय है। हम उन्हें आधुनिक भारत में लाते हैं और फिर 8$^{वीं}$ कक्षा के बादकहते हैं कि और कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यदि आप 12$^{वीं}$ कक्षा में भी इसे शामिल कर सकें और इसमें कौशल विकास को भी जोड़ सकें, जैसा कि अधिकांश स्कूल निजी तौर पर कर रहे हैं, तो यह वास्तव में एक बड़ी सेवा होगी और इन सभी लड़कियों के लिए एक अवसर होगा।

प्रो. सुगाता बोस: चूंकि उन्होंने हमारे राष्ट्रपिता की सहधर्मिणी के नाम पर स्थापित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री के समक्ष सर्वदलीय स्थायी समिति द्वारा कही गई बातों को उजागर करना चाहता हूं। के. जी. बी. वी. में अल्पसंख्यकों और बी.पी. एल. लड़कियों का कुल नामांकन प्रतिशत बेहद कम है। इसके अलावा, मुस्लिम-संकेन्द्रणजिलों में भी मुस्लिम लड़कियों का नामांकन प्रतिशत बहुत कम है। मुझे लगता है, यह एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान स्कूलों के स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है।

श्रीमती सुप्रिया सुले: महोदय, एक और विषय प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा है। क्या होता है कि सभी आंगनवाड़ी 0-3 साल के बच्चों की देखभाल कर रही हैं, जो केवल स्वास्थ्य और पोषण के बारे में बात करती हैं। कोई भी शिक्षा की बात नहीं कर रहा है। फिर, 3-6 वर्ष की आयु तक बच्चा पूरी तरह से असहाय हो जाता है क्योंकि आर.टी.ई. केवल 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को ही कवर करता है। तो, 3-6 वर्ष की उम्र के लिए यह एक

बहुत अच्छा हस्तक्षेप है। महाराष्ट्र में हमारे एक निगम, नवी मुंबई निगम ने बहुत अच्छा काम किया है। वे तीन से छह वर्ष के बच्चों की लागत का भुगतान करते हैं। यदि आप उन निगमों से, जिनके पास पर्याप्त धन है, उन्हें यह तीन से छह वर्ष की सुविधा प्रदान करने के लिए कहें, भले ही आपकी सरकार के पास वित्त पोषण न हो, यह बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन कई निगमों के पास यह अवसर है। अगर वे इसमें कुछ मूल्य जोड़ सकें – क्योंकि तीन से छह साल की उम्र बहुत महत्वपूर्ण है – तो यह बेहतर होगा। यदि हम अंततः आर.टी.ई. को शून्य से चौदह या चौदह से सोलह से अठारह तक ले जा सकें, तो मुझे लगता है कि यह वास्तव में इस पूरे काम को सफल बनाने के लिए हमारी महत्वाकांक्षी योजना होनी चाहिए।

दुर्भाग्य से, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में एक और बात यह हुई है कि आपने सभी स्कूलों को बच्चों को पलायन करने से रोक दिया है। महाराष्ट्र में हमारे पास दो प्रस्ताव थे जो काम कर रहे थे। एक सभी गन्ना मजदूरों के लिए था – ये वे लोग हैं जो प्रवासी हैं और गन्ना काटने के लिए एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं। दूसरा उन लोगों के लिए था जो ईंट बनाने या खदानों में काम करने के काम में लगे हैं। इन बच्चों में से किसी को भी अवसर नहीं मिलता है। कोई भी उन्हें स्कूल बस में बैठाकर स्थानीय जिला परिषद स्कूल तक नहीं ले जा रहा है। दुर्भाग्यवश, आर.टी.ई. के कारण इस प्रकार के बहुत से स्कूल, जिनमें समावेशी शिक्षा देने के लिए अलग-अलग पद्धतियाँ थीं, अब अस्तित्व में नहीं हैं। क्या मंत्री जी कृपया इस स्तर पर हस्तक्षेप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? यदि आंकड़े सही हैं, तो वह उनकी पुष्टि करेंगी। मुझे इंटरनेट और विभिन्न लेखों से पता चला है कि दो करोड़ प्रवासी बच्चे हैं, जो हमारी शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं। एक समय था जब हमें इस पर बहुत गर्व होता था। ये सभी आँकड़े एन.जी.ओ. के हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप इस पर और प्रकाश डालने में सक्षम होंगी। लेकिन वे कहते हैं कि ये प्रवासी बच्चे हैं। इसलिए, यदि वे एक स्कूल में नामांकित होते हैं और वास्तव में स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ सचमुच एक अंतर है। इसलिए, मैं निश्चित रूप से विशेष रूप से इन स्कूलों को अधिक लचीलापन देने की अनुमति देने में उनकी मदद माँगूंगी, जो हमने विभिन्न पद्धतियों के लिए किए हैं।

श्री तथागत सत्पथी ने अपने भाषण में सही कहा कि हमारे बच्चे रटने में लगे हुए हैं। हम सीखने की विभिन्न पद्धतियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए, चाहे परीक्षाएँ हों या अन्य तरीकों पर विचार किया जाए, उससे मदद मिलेगी। हम सभी स्वायत्तता की बात करते हैं। मुझे लगता है कि श्री बोस ने कॉलेजों की स्वायत्तता के बारे में कहा था। मेरा मानना है कि स्वायत्तता केवल विश्वविद्यालयों और लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए; स्वायत्तता बच्चे को मिलनी चाहिए। बच्चे को अपनी शिक्षा की स्वायत्तता दी जानी चाहिए, विशेष रूप से उच्च शिक्षा में। यदि इसमें अधिक लचीलापन हो, तो यह पूरा कौशल मिशन कार्यक्रम, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, और यदि हम इसे शिक्षा में बच्चों की स्वायत्तता से जोड़ सकें, जैसे विदेशों में होता है, तो निश्चय ही यह राष्ट्र के लिए एक बड़ी सेवा होगी।

महोदय, किसी कारण से मैं एक और कार्यक्रम को जरूर उजागर करना चाहूंगी, जिसके बारे में इस सरकार ने बात की है - डिजिटल क्लासरूम। महाराष्ट्र में भी हमारा यह प्रयास काफी सफल रहा है, लेकिन यह केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। बुनियादी ढाँचा जुटाना बहुत कठिन है। बिजली उपलब्ध न होने के कारण यह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जो कागज़ पर तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इसे लागू करना बहुत कठिन है। वे इन डिजिटल क्लासरूम को किस प्रकार देखेंगे? प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर नवाचार हो रहा है। शिक्षा में विभिन्न पद्धतियों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आवश्यक है, लेकिन हमें वास्तव में छात्रों की स्वायत्तता के पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे इन सभी सफलता की कहानियों का अध्ययन करें और देखें कि हम किस प्रकार यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना सकते हैं।

जैसा कि मेरे अधिकांश सहकर्मी कहते हैं, दुर्भाग्यवश यह विभाग कुछ उतार-चढ़ाव भरे दौर से गुज़रा है। इसलिए, मेरा मानना है कि हमें इस विषय को स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यह कोई व्यक्तिगत कार्यसूची का विषय नहीं है। शिक्षा एक अत्यंत गंभीर विषय है; यह राजनीतिक अंक बटोरने के बारे में नहीं है। यदि कुछ

अच्छी सफलता की कहानियाँ हैं, तो हमें मंत्री जी को समाधान खोजने में, एक अच्छे राष्ट्र और एक शिक्षित राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करने में प्रसन्नता होगी।

मुझे अभी भी याद है कि श्री प्रणब मुखर्जी ने सदन में कहा था कि हमारे देश में बहुत मजबूत और ऊर्जावान युवा हैं। यदि उसे उचित ढंग से चुनौती नहीं दी गई, सही तरीके से नहीं पढ़ाया गया और शिक्षित नहीं किया गया, तो यह एक टाइम बम साबित होगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे इन सभी समाधानों पर विचार करें और हमें उनकी मदद करने में खुशी होगी, बशर्ते हमें यह पता हो कि हमारी साझा कार्यसूची एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है, जो जाति, पंथ, भाषा और धर्म से ऊपर हो।

मैं अंग्रेजी की आकांक्षाओं के संबंध में एक अंतिम बिंदु का उल्लेख करना चाहूंगी। चाहे हमें पसंद हो या न हो, आज हमारे घरों में सहायक भी अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजना चाहता है, जहां वह अंग्रेजी सीख सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बेहतर अवसर प्रदान करता है। हमें अपनी मातृभाषाओं पर बहुत गर्व है। मैं माननीय मंत्री जी से एक और हस्तक्षेप करने का अनुरोध करूंगी। हमारे अधिकांश आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम केवल स्थानीय भाषा में हैं। मैं आपको पुणे का एक उदाहरण देना चाहती हूं, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूं। पुणे में हिन्दी स्कूल, गुजराती स्कूल, उर्दू स्कूल आदि हैं। आई.सी.डी.एस. में, जब हम ऐसा करते हैं, तो इनमें से अधिकांश बच्चों को, जो मातृभाषा नहीं समझते हैं मराठी सीखने में बहुत कठिनाई होती है। मान लीजिए, कोई उर्दू-भाषी परिवार या कोई गुजराती बच्चा मराठी-भाषी क्षेत्र में आ जाता है, तो वे उस आंगनवाड़ी में पूरी तरह से खो जाते हैं।

क्या इस तरह कुछ अलग करने की संभावना है, जहां हम विभिन्न भाषाओं को शामिल कर सकें? शायद, निगम इसे शुरू कर सकते हैं क्योंकि हम पुणे में ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप इसे चलाने में हमें अधिक लचीलापन दे सकते हैं, तो इसकी बहुत सराहना की जाएगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय।

24.04.2015
[हिन्दी]

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): मेरा संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर एक आदिवासी, दलित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का क्षेत्र है। यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। जहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई उत्तम शिक्षा संस्थान नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जमशेदपुर शहर में बहुत सारे कार्यालय एवं फैक्ट्री हैं, लेकिन वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए केवल एक ही केंद्रीय विद्यालय है। लेकिन इसमें ज्यादातर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता मिलती है और हमारे क्षेत्र के मूल निवासियों के बच्चे प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। लोग हमारे पास एक सांसद के रूप में प्रवेश कोटा के तहत अपने बच्चों के एडमिशन हेतु आते हैं। हमारी मर्यादा छः एडमिशन की है, जबकि मांग करने वालों की संख्या दो सौ के आस-पास होती है। हम सभी बच्चों को न्याय नहीं दे सकते और प्रवेश न मिलने पर लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं।

यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित है इसलिए यहाँ शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। अगर लागों के बच्चे पढ़े-लिखे होंगे तो नक्सल समस्या बहुत हद तक सुधरेगी तथा यह क्षेत्र विकास के पायदान पर आगे दौड़ेगा। यहाँ पर ग्रामीण बच्चों को पढ़ने के लिए केवल एक ही जवाहर नवोदय विद्यालय है, जिससे ग्रामीण बच्चों की पढ़ार्ह पूरी नहीं हो पाती। आबादी के अनुसार इसे बदले जाने की जरूरत है। गाँवों के यदि प्रतिभाशाली बच्चे, जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो नक्सली गतिविधियों को ये बच्चे पढ़-लिखकर दूर करेंगे तथा गुमराह युवकों को देश की मुख्यधारा में लाने का काम करेंगे तथा यह क्षेत्र फिर से विकास की पटरी पर दौड़ने लगेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि क्लासरूमों की संख्या एवं प्रवेश के लिए निधाररित छात्रों की संख्या को बढ़ाया जाए तथा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पटमदा एवं बहरागोड़ा प्रखंड में एक केंद्रीय विद्यालय एवं एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करायी जाए।

24.04.2015

[अनुवाद]

कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं यहां से बोलने के लिए आपकी अनुमति लेती हूं।

मैं यह कहकर शुरू करना चाहती हूं कि इस बजट सत्र में पिछले कई दिनों से हम सभी ने कृषि संकट पर बहस की है, और इस संसद में जो आम सहमति बनी कि कृषि इस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। मुझे नहीं लगता कि इस महती सभा में हममें से कोई भी यहां उपस्थित इस तथ्य से इनकार कर सकता है कि शिक्षा भी इस राष्ट्र की रीढ़ है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम यू. पी. ए. सरकार ने बनाया था, लेकिन शिक्षा अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। उस ऐतिहासिक कानून के बावजूद, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को शिक्षा को एक अधिकार और जमीनी हकीकत बनाने की दिशा में काम करना होगा। 1966 में कोठारी आयोग ने इस तथ्य पर जोर दिया था कि वे इस देश की राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत शिक्षा में निवेश करना चाहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश पर किस पार्टी ने कितने साल शासन किया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भारत की वयस्क साक्षरता दर और सामान्य साक्षरता दर ब्रिक्स राष्ट्रों में सबसे कम है।

कोठारी आयोग की सिफारिशों को देखते हुए तथा इस तथ्य को देखते हुए कि पूरा देश इस बात से सहमत है कि शिक्षा इस देश की रीढ़ है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय को आबंटन से वंचित रखा है। इस सभा के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत किए जा चुके हैं और मैं उन्हें दोहराने में ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मानव संसाधन विकास के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साहित्य विभाग की अनुदान माँगें लगभग 69,794.50 करोड़ रुपये की हैं। मैं जानती हूं कि मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन मैं वित्त मंत्रालय से अनुरोध करूंगी कि इसमें बेहतर वृद्धि दी जाए, ताकि हम इस क्षेत्र में सुधार देख सकें।

दुर्भाग्य से, मैंने इस सरकार के विभिन्न मंत्रियों को बार-बार उत्तर-पूर्वी राज्यों के बारे में उल्लेख करते हुए सुना है। लेकिन मुझे यह देखकर दुख हुआ कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की अनुदान माँगें 2015-2016 के बजट अनुमान में घटकर 3,925.20 करोड़ रुपये रह गईं, जबकि 2014-2015 में यह 4,351 करोड़ रुपये थीं।

मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान की माँगें बढ़ गई हैं, लेकिन क्या यह स्कूली शिक्षा और सार्वभौमिक साक्षरता की कीमत पर होना चाहिए, जिसमें यह देश विश्वास करता है? क्या यह ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति सरकार की लापरवाही को नहीं दर्शाता है? राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के मामले में, शिक्षा से संबंधित सभी नौ योजनाओं में गिरावट देखी गई है। मध्याह्न भोजन योजना और सर्व शिक्षा अभियान में 2014-2015 के बजट अनुमान से 9,566.31 करोड़ रुपये की कमी देखी गई है।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगी कि मेरी समझ में मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। क्या हम आज मध्याह्न भोजन के आबंटन को कम करके शिक्षा प्रणाली में अधिक ड्रॉपआउट दरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं? आज, आर. एम. एस. ए. में 29 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, तथा *राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान* (रुसा) में 48 प्रतिशत कम आबंटन हुआ है। तकनीकी शिक्षा के लिए आबंटन में 2 प्रतिशत की कमी की गई है, यह मेरी समझ है।

आज, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि यू. पी. ए. की शिक्षक शिक्षा योजना को पुनः संशोधित कर उसका नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कर दिया गया है तथा इस सरकार द्वारा इसके लिए 500 करोड़ रुपये आबंटित कर दिए गए हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगी कि 2012-2013 में यू.पी.ए. सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र को 395 करोड़ रुपये जारी किए थे। इसके अतिरिक्त, कुल 692 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। … (*व्यवधान*)

24.04.2015

माननीय उपाध्यक्ष: अभी 3.30 बजे हैं, हमें निजी सदस्यों का कार्य लेना है। यदि आप इसे एक या दो मिनट में समाप्त कर सकते हैं, तो आप ले सकती हैं, अन्यथा यदि आप जारी रखना चाहती हैं, तो आप सोमवार को जारी रख सकते हैं।

कुमारी सुष्मिता देव: मैं इसे दो से तीन मिनट में समाप्त कर दूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है, आप दो, तीन मिनट का समय लें।

कुमारी सुष्मिता देव: धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।

जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रही थी, और मेरे कई विद्वान सहयोगियों ने सभा में बताया कि कई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति नहीं है। वे पद रिक्त पड़े हैं। मैं उनसे इस मामले को देखने का अनुरोध करूंगी। मैं बहुत सारी भावनाओं और व्यक्तिगत अनुरोध के साथ कुछ कहना चाहती हूं। आज, वसंत वैली स्कूल या गोयनका स्कूल में किसी विशेष बच्चे की औसत स्कूल फीस औसत आदमी की पहुंच से बाहर है। क्या यह सरकार विशेष बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में स्कूल या अनुभाग बनाने के लिए विशेष प्रयास कर सकती है? यह इस देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहले इस प्रकार का प्रावधान था। इसे छोटे कस्बों में जाने दें; इसे दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाएं, ताकि वहाँ के बच्चे वंचित न रह जाएं।

मुझे याद है कि पहले सत्र में जब वह एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी हुईं, तो मैं उन पहली महिला सांसदों में से एक थी, जिन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, मंत्री के रूप में आपका समर्थन किया था। लेकिन आज जब मैंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर अपनी खोज शुरू की, तो मुझे यह देखकर दुख हुआ कि यह लगभग उनके विरुद्ध आरोप-पत्र जैसा लग रहा था। यह बात बार-बार मीडिया में आती रही है, चाहे वह एन. सी. ई. आर. टी. के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की बात हो, चाहे वह आई. आई. टी., दिल्ली के निदेशक की बात हो, चाहे वह एफ. वाई. यू. पी. की बात हो, चाहे वह यू. जी. सी. की स्वायत्तता की बात हो, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की बात हो या फिर विदेशी सहयोग के लिए एम. ओ. यू. को गृह मंत्रालय को भेजे जाने की बात हो। आज मैं इसे आलोचना के रूप में नहीं कह रही हूं। लेकिन राजनीति धारणाओं पर आधारित होती है।

24.04.2015

कल मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से फोन आया कि असम विश्वविद्यालय, सिलचर में एक नया रजिस्ट्रार नियुक्त होने जा रहा सबसे पहले प्रेस ने यह रिपोर्ट किया कि वे ए.बी.वी.पी. के असम राज्य अध्यक्ष हैं। हो सकता है कि असम विश्वविद्यालय, सिलचर ने ऐसा इसलिए नहीं किया हो। लेकिन यहां बैठकर उन्हें भले ही पता न हो, लेकिन ये आरोप उनका पीछा कर रहे हैं। इसलिए, यह मेरा विनम्र अनुरोध है और मैं यह उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रही हूं।

आज, उन्होंने मेरे हैलाकांडी ज़िले के केंद्रीय विद्यालय की मदद की है, जो कि एक दूरदराज का क्षेत्र है। इस तथ्य के बावजूद कि उनका केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर पैसा बकाया है, उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी है। मैं आपकी तारीफ कर रही हूं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि आज इस तथ्य के बावजूद कि एक दूरस्थ क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय मंत्रालय को अपना बकाया नहीं दे सका, उन्होंने केन्द्रीय विद्यालय में छोटे बच्चों के प्रवेश को जारी रखने का फैसला किया। मैं उन पर अपना विश्वास व्यक्त करती हूं। मैं चाहती हूं कि वह इस राष्ट्र को बताएं कि कोई भगवाकरण नहीं है। केवल प्राइम टाइम टॉक शो में जाकर कहना पर्याप्त नहीं है। उन्हें संसद के इस पटल पर यह कहना होगा कि वह यह जिम्मेदारी लेती हैं कि शिक्षा प्रणाली भगवाकरण की शिकार नहीं होगी। धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

24.04.2015
[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर**):** भारत में शिक्षा के क्षेत्र का क्या महत्व है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के करोड़ों बच्चे हर सुबह अपना बस्ता लेकर स्कूल जाते हैं। हर माता-पिता की तमन्ना रहती है कि उनका बच्चा पढ़-लिखकर खूब बड़ा बने और दुनिया में खूब नाम रोशन करे। इन स्वप्नों को पूरा करने में स्कूल और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।

भारत में स्टेट पीरियड यानी आज़ादी के पहले स्थापित हुए कुछ स्कूलों का आज भी बहुत नाम है। ये स्कूल अपनी उच्च स्तर की शिक्षा के लिए देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम बनाए हुए हैं। इन स्कूलों की लिस्ट में कुछ स्कूल आज़ादी के बाद भी जुड़े हैं। इन स्कूलों को शान से कॉलेज भी कहा जाता है। लेकिन आम बातचीत में इन्हें पब्लिक स्कूल कहा जाता है। इनकी संख्या देश में नौ है। ये पब्लिक स्कूल हैं ग्वालियर का सिंधिया स्कूल, कोलकाता का बिशप स्कूल, राजकोट का राजकुमार कॉलेज, अजमेर का मेयो कॉलेज, इंदौर का डेली कॉलेज, देहरादून का दून स्कूल, दिल्ली का दिल्ली पब्लिक स्कूल आदि। इन स्कूलों में प्रतिवर्ष फीस प्रति छात्र एक लाख से दो लाख रूपए है। ये स्कूल पब्लिक स्कूल जरूर है, लेकिन ये पब्लिक के लिए हैं नहीं, आम लोगों को इन शानदार स्कूलों से दूर ही रखा गया है, बस पब्लिक सिर्फ नाम क साथ्, और नाम के लिए ही जुड़े हुए हैं। इन स्कूलों में क्या कुछ नही है। कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये स्कूल फैले होते हैं। इनमें पढ़ने क साथ-साथ संगीत, कला के साथ ही घुड़सवारी, तैराकी, ग्लाइडर और छोटे हवाई जहाज उड़ाने से लेकर विदेशों की ट्रिप तक शामिल होती है। ये स्कूल पढ़ने वालों के लिए जन्नत हैं और हमारी पहुंॅच से बहुत दूर हैं, इसलिए हम इनकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ यह कहूंॅगा कि इनमें पढ़ना और अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना दोनों ही स्टेटस सिंबल हैं और पूरी जिंदगी ये बताने के काम में आते हैं कि हमारी पढ़ाई इन स्कूलों से हुई।

स्कूलों ने काली कमाई कर-करके नाक में दम कर दिया है। जो स्कूल कुछ साल पहले कुछ कमरों में चल रहा था, वह आज एकड़ों में फैले कैम्पस और कई हज़ार बच्चों की स्ट्रेन्थ के साथ सिर उठाए खड़ा है और शहर के कई नामी-गिरामी लोग अपने बच्चों को वहॉ एडमिशन करवाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं।

कालांतर में इस व्यवसाय बनती शिक्षा का क्या होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि सरकारी स्कूल अपनी सिकुड़ती भूमिका में है और जिस देश के सरकारी स्कूलों में 18 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हों, उस देश में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों को नकारा करार दे दिया जाता है, ये निहायत ही दुख वाली बात है। हम मानते हैं कि हमारी सरकार शिक्षा को राज्य स्तर में बाँटने के कारण स्कूली शिक्षा का स्तर बनाए रखने में पिछड़ गई, लेकिन केंद्रीय विद्यालयों की सफलता बताती है कि स्कूली लेवल पर शिक्षा का अच्छा स्तर बनाकर रखा जा सकता है, बशर्ते इसकी मंशा हो।

किसी भी देश की संपन्नता उस देश की जनसंख्या के साक्षरता अनुपात पर निर्भर करती है। यद्यपि संपन्नता के लिए साक्षरता के अलावा अनेकों अन्य कारण भी होते हैं, लेकिन यह पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि बिना शिक्षा के किसी देश, राज्य या परिवार की प्रगति संभव नहीं है। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है, क्योंकि शिक्षा ही सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण में सहायक होती है और मानव को अन्य प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठ बनाती है। शिक्षा के प्रति केंद्र तथा राज्य सरकारों को मिलकर एक अच्छी नीति बनानी होगी, जिससे शिक्षा सर्व सुलभ हो सके।

भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में सरकार को यह निर्देश दिया गया था कि वह 14 वर्ष तक के सारे बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था 26 जनवरी, 1960 तक करेगी। यदि इस तारीख के लगभग 50 वर्ष बीतने के बाद भी यह काम नहीं हो पाया है, तो यह दुख की बात है।

आज हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाये हैं। विशेषकर स्कूलों की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बालिका शिक्षा पर ज़ोर दिया है। स्कूलों में नामांकन तो हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा बालिकाओं द्वारा बीच में ही स्कूल छोड़ने पड़ रहे थे, इसलिए हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय बनाने का कार्य हाथ में लिया है। हमारी सरकार ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं' आभियान की शुरूआत की है।

24.04.2015

शिक्षा के आधिकार विधेयक में किसी भी छात्र को फेल नहीं करने का प्रावधान है। इसमें कक्षा 8 से पहले कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इस प्रावधान के चलते सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की हालत और बिगड़ती चली जा रही है। परीक्षा नहीं होने के कारण छात्रों की पढ़ाई में रूचि भी कम हो गई है। कई राज्यों में आठवीं के बच्चे अपनी पुस्तक को ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं। अतः विद्यालयों में फेल न करने की नीति पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

शिक्षा से संबंधित मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैः- (1) पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाए। स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक, भवन, शौचालय, पेयजल, खेल का मैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, उपकरण, छात्रावास, छात्रवृत्तियों आदि की पूरी व्यवस्था के लिए सरकार जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए; (2) मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी शिक्षकों को न देकर दूसरों को दी जाए व कर्तव्य निर्वाह न करने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही की जाए; (3) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी का वर्चस्व खत्म किया जाए; (4) स्कूलों का प्रबंध स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा और जनभागीदारी से किया जाए; (5) प्रतिस्पर्धा का गलाकाट एवं दमघोटू माहौल समाप्त किया जाए, निजी कोचिंग संस्थाओं पर पाबंदी हो, प्रतिस्पर्धाओं के द्वारा विद्यार्थियों को छांटने के बजाय विभिन्न प्रकार की उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण पर रोज़गार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये जाएं; तथा (6) शिक्षा को मानवीय, आनंददायक, संपूर्ण, सर्वांगीण, बहुमुखी,समानतापूर्ण एवं संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षण पद्धति और पाठ्याचर्चा में आवश्यक बदलाव किए जाएं। बस्ते का बोझ कम किया जाए। किताबी एवं तोतारटंत शिक्षा को बदलकर उसे ज्यादा व्यवहारिक, श्रम एवं कौशल प्रधान, जीवन से जुड़ा बनाया जाए। बच्चों के भीतर जिज्ञासा, तर्कशक्ति, विश्लेषणशक्ति और ज्ञानपिपासा जगाने का काम शिक्षा करे। बच्चों के अंदर छुपी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं व क्षमताओं को पहचानकर उनके विकास का काम शिक्षा का हो। शिक्षा की जड़ें स्थानीय समाज, संस्कृति, देशज परंपराओं और स्थानीय परिस्थितियों में हो। शिक्षा को हानिकारक विदेशी प्रभावों एवं सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त किया जाए। संविधान के लक्ष्यों के मुताबिक जागरूक नागरिक तथा एक अच्छे इंसान का निर्माण का काम शिक्षा से हो।

24.04.2015

[अनुवाद]

*__श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू (चेन्नई उत्तर):__ मैं वर्ष 2015-16 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग जैसे दो विभाग शामिल हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए बजट अनुमान 42,219.50 करोड़ रुपये है, जिसमें से 39,038.50 करोड़ रुपये योजना परिव्यय के लिए और 3,181.00 करोड़ रुपये गैर-योजना परिव्यय के लिए हैं। इस विभाग के लिए कुल बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 55,115.10 करोड़ रुपये से घटाकर वर्तमान 42,219.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार का इरादा 80,000 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों को उन्नत करना और 75,000 कनिष्ठ/मध्य विद्यालयों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक जोड़ने या उन्नत करने का है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चे की 5 किमी पहुंच के भीतर एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने और इस विभाग के तहत चल रही कई योजनाओं को जारी रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट आबंटन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बढ़ाया जाना चाहिए था। हमें उम्मीद है कि इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

यदि इस विभाग के लिए परिव्यय को मध्याह्न भोजन सहित इस तरह के स्कूली शिक्षा संबंधी मुद्दों को पूरा करने के लिए बढ़ाया जाता है, तो यह भी विवेकपूर्ण होगा। तमिलनाडु राज्य द्वारा स्कूली बच्चों को संतुलित पोषण के साथ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने तथा सभी स्कूली बच्चों को साइकिल, पुस्तकें, गणितीय उपकरण, एटलस, यूनिफॉर्म, बैग, जूते आदि जैसी सभी आवश्यक चीजें मुफ्त में उपलब्ध कराने तथा उच्चतर माध्यमिक, आई. टी. आई., पॉलिटेक्निक और कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप कंप्यूटर भी उपलब्ध कराने के उदाहरण को सार्वभौमिक रूप से दोहराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए बजट अनुमान 26,855.26 करोड़ रुपये है, जिसमें से 15,855.26 करोड़ रुपये योजना परिव्यय के लिए और 11,000.00 करोड़ रुपये गैर-योजना परिव्यय के लिए हैं। इस विभाग के लिए कुल बजट प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 27,656.00 करोड़ रुपये से घटाकर वर्तमान 26,855.26 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

कर्नाटक में एक नया आई. आई. टी. स्थापित करने, धनबाद स्थित भारतीय खनन स्कूल को पूर्ण आई. आई. टी. में उन्नत करने, नागालैंड और ओडिशा में विज्ञान और शिक्षा अनुसंधान संस्थान स्थापित करने, अरुणाचल प्रदेश में फिल्म निर्माण, एनीमेशन और गेमिंग केंद्र तथा हरियाणा और उत्तराखंड में महिलाओं के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने के प्रस्ताव हैं।

नए संस्थानों की स्थापना और एक वर्तमान संस्थान के उन्नयन की घोषणा का स्वागत करते हुए, अगर तमिलनाडु में चिकित्सा विज्ञान के अखिल भारतीय संस्थानों (एम्स) की स्थापना को इसी वर्ष पूरा किया जाता है, तो हमें खुशी होगी।

कुल मिलाकर, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग को लगभग 69,074 करोड़ रुपये मिले हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए परिशोधित प्राक्कलन लगभग 70,505 करोड़ रुपये था। संक्षेप में, 2014-15 वित्तीय वर्ष में संशोधित आबंटन की तुलना में शिक्षा क्षेत्र में कुल कटौती 2.02% है। हालांकि, 2014-15 वित्तीय वर्ष के वास्तविक परिव्यय की तुलना में कटौती लगभग 16.54% है।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग दोनों के परिव्यय में कमी से बेहतर स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद नहीं मिलेगी।

मैं सरकार से वर्तमान आबंटन पर पुनर्विचार करने और इसे ऐसे स्तरों तक बढ़ाने का आग्रह करता हूं जो महत्वपूर्ण क्षेत्र की सेवा करने में मदद करेगा।

24.04.2015

[*] **श्री पी. आर. सुन्दरम (नामाक्कल):** मैं वर्ष 2015-16 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपनी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम की ओर से सुझाव देना चाहूंगा। शिक्षा केवल किसी व्यक्ति के विकास के लिए ही नहीं बल्कि समाज के विकास के लिए भी एक कुंजी है, जिसमें गरीबी, अज्ञानता आदि जैसी विभिन्न जंजीरों से लोगों को मुक्त करने की क्षमता होती है। इस प्रकार, आप इस बात की सराहना करेंगे कि शिक्षा को महत्व देना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा, जो उन्हें एक सफल जीवन जीने का संरक्षक बनाती है, के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उसने लड़कियों की शिक्षा और उच्च शिक्षा को अधिक महत्व दिया है।

माननीय मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान इस सदन में आश्वासन दिया था कि प्रत्येक बच्चे की पहुँच में पाँच किलोमीटर के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय होगा और 80,000 माध्यमिक विद्यालयों को उन्नत करने तथा 75,000 माध्यमिक विद्यालयों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अपग्रेड करने की बात कही थी। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन करते समय, सरकार को तमिलनाडु राज्य में कार्यान्वित की जा रही कुछ प्रमुख योजनाओं को भी शामिल करना चाहिए, जो हमारी गतिशील नेता डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा के मार्गदर्शन से कार्यान्वित की जा रही हैं, विशेष रूप से, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराए गए हैं ताकि उनकी अध्ययन क्षमता और उन्नत अध्ययन के प्रति जागरूकता बढ़ सके। इस प्रकार की योजनाओं को सरकार का समर्थन मिलना चाहिए ताकि प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके।

विशेषकर, उच्च शिक्षा विभाग को 26855 करोड़ रुपये का बजट आबंटन, प्रत्येक राज्य में प्रमुख केन्द्रीय संस्थान स्थापित करने की योजना एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन, मैं वर्ष 2014-15 की तुलना में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 9.79% की कमी से निराश हूं और सरकार ने चालू वर्ष के लिए केवल 42,219.5 करोड़ रुपये की घोषणा की है।

[*] भाषण सभा पटल पर रखा गया

24.04.2015

उच्च शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा मुख्य आधार है और देश के अधिकांश स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है। भले ही सरकार सर्व शिक्षा अभियान को प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य से समयबद्ध तरीके से लागू कर रही है, फिर भी प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास में असफल रही है। विशेष रूप से, ग्रामीण विद्यालयों में अब भी पर्याप्त शिक्षकों की कमी है और विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात बहुत कम है।

जहां तक तमिलनाडु राज्य का संबंध है, मैं इस महती सभा को सूचित करना चाहता हूं कि माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा के स्वर्णिम नेतृत्व में पिछले चार वर्षों के दौरान 25000 से अधिक शिक्षण पद भरे गए हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि केंद्र सरकार उन शिक्षकों की नियुक्तियों से अवगत है, जिन्हें तमिलनाडु सरकार ने उचित परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से भरा है ताकि राज्य में बेहतर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य राज्य में लागू हुआ है।

इसलिए, मैं सरकार से स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष निधि आबंटित करने और तमिलनाडु राज्य को विशेष अनुदान भी प्रदान करने का आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि यह एकमात्र राज्य है, जिसने राज्य भर में प्राथमिक और मध्यम स्तर के स्कूलों में बड़ी संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति की है।

अंत में, मैं यहां अपनी चिंता व्यक्त करता हूं कि वर्तमान बजट में मध्याह्न भोजन योजना और सर्व शिक्षा अभियान जैसी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के परिव्यय में भारी कटौती की गई है। साथ ही, मैं यह भी मानता हूँ कि सरकार सर्व शिक्षा अभियान के लिए सीमित प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि वर्ष 2014-15 में ₹27,758 करोड़ के बजाय इस वर्ष इसके लिए केवल ₹22,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा मुख्य रूप से ग्रामीण विद्यालयों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस राशि से ग्रामीण विद्यालयों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकेगा।

इसलिए, मैं एक बार फिर सरकार से सर्व शिक्षा अभियान योजना के लिए आबंटन बढ़ाने और इस योजना के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह करता हूं।

24.04.2015

*__श्री प्रेम दास राय (सिक्किम):__ मैं मानव संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता है, मेरी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री पवन चामलिंगजी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का समर्थन करती है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बजट सत्र की शुरुआत में अपने संबोधन में शिक्षा को सरकार की "सर्वोच्च प्राथमिकता" बताया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह भी आश्वासन दिया कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए अपने कार्यों को जारी रखेगी।

पिछले एक वर्ष में, एच. आर. डी. मंत्रालय ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 20 से अधिक योजनाओं की घोषणा की है। प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से छात्रवृत्ति और शैक्षिक ऋण योजनाओं के प्रशासन और निगरानी के लिए छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण की स्थापना गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। "ईशान उदय" और "ईशान विकास" योजनाएं एक स्वागत योग्य घोषणाएँ है, तथा इनका विस्तार किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवाओं की एक बड़ी संख्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा शैक्षणिक और औद्योगिक अनुभव तक पहुंच से वंचित है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से रूढ़िवादिता को तोड़ने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में बेहतर समझ को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

बड़ी संख्या में योजनाओं के अलावा, सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार करने की अपनी मंशा की घोषणा की है, जो 29 वर्षों में भारत की पहली नीति होगी, जिसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नया रोडमैप तैयार करना है, जिसका उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्ता, अनुसंधान और नवाचार की कमी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना और भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाना है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ये सभी कदम सही दिशा में उठाए गए हैं। हालांकि, मैं कुछ चिंताओं को भी चिह्नित करना चाहता हूं और कुछ प्रस्तावों का सुझाव देना चाहता हूं।

बजटीय आबंटन में गिरावट: राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए बजटीय आबंटन में 2014-15 की तुलना में 2.02% और 2014-15 की तुलना में 16.54% की गिरावट आई है।

- यह परिवर्तन 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के पास उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

- एस. एस. ए. और एम. डी. एम. के लिए कुल आबंटन 2014-15 से 28.5% और 41% की कमी दर्शाता है। उपकर से वित्तपोषित सी. एस. एस., एस. एस. ए. और एम. डी. एम. को तर्कसंगत बनाने के हिस्से के रूप में 'केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से समर्थित योजनाएं' के रूप में चिह्नित किया गया है।

- सर्व शिक्षा अभियान के लिए निधि साझाकरण का तरीका यह दर्शाता है कि सरकार सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से आर. टी. ई. लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल रही है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के लिए 90% आबंटन अब 'प्रारंभिक शिक्षा कोष' से आ रहा है तथा केवल 10% सकल बजटीय सहायता (जी. बी. एस.) के रूप में आ रहा है।

- 2014-15 (बजट अनुमान) की तुलना में आर. एम. एस. ए. के अंतर्गत बजट आबंटन में 57% की कमी की गई है तथा रुसा के अंतर्गत 47% की कमी की गई है तथा ये योजनाएं बदले हुए साझाकरण पैटर्न के साथ चलेंगी।

- 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना की योजना को केंद्रीय सहायता से अलग कर दिया गया है।

- इन सभी कार्यों ने संकेत दिया कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी वहन की जानी है। यह इंगित करता है कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य की व्यय क्षमता में शुद्ध वृद्धि पर निर्भर करेगा।

24.04.2015

प्रस्तावः उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। यद्यपि इस क्षेत्र में उच्च स्तर की साक्षरता और स्कूली शिक्षा तक पहुंच है, फिर भी उच्च शिक्षा के अवसर इस क्षेत्र में कम ही उपलब्ध हैं।

- यूजीसी के अनुसार, 2013-14 में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सुविधाओं के अभाव के कारण 5 लाख से अधिक छात्र पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य भागों में चले गए।

- जैसा कि बेजबरुआ समिति द्वारा सिफारिश की गई है, उत्तर-पूर्व से छात्रों के पलायन की प्रकृति का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों की योजना बनाई जा सके। इस क्षेत्र में नए संस्थान स्थापित करने और मौजूदा संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के संबंध में देश के बाकी हिस्सों से पीछे है। इस क्षेत्र में केवल एक आई.आई.टी. (गुवाहाटी में) और एक आई.आई.एम. (शिलांग में) कार्यरत है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से आग्रह करता हूँ कि सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में आई.आई.टी. और आई.आई.एम. स्थापित किए जाएँ ताकि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

  प्रस्तावः पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक कौशल विकास केंद्र बनाने की आवश्यकता है। छात्रों में रोजगार योग्य कौशल की कमी एक राष्ट्रीय चिंता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल विकास केन्द्रों और संस्थाओं की कमी के कारण यह समस्या और बढ़ गई है। क्षेत्र के सभी राज्यों में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम है। इससे क्षेत्र की आर्थिक उत्पादकता प्रभावित हुई है।

- पूर्वोत्तर क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार लाने और क्षेत्र के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

24.04.2015

प्रस्तावः मूल्य-आधारित और समस्तरीय रूप से सीखने को बढ़ावा देने की आवश्यकता। यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्य-आधारित शिक्षा पर जोर देना आवश्यक है कि युवाओं की रचनात्मक ऊर्जा समाज में सार्थक भागीदारी के लिए निर्देशित हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे मादक पदार्थों के दुरुपयोग और हिंसा के शिकार न हों (पीड़ितों और अपराधियों दोनों के रूप में)।

- शैक्षिक कार्यक्रमों में "समस्तरीय शिक्षा" पर जोर देना चाहिए, ताकि मादक पदार्थों के दुरुपयोग को सीमित किया जा सके और दवा और मादक पदार्थों के उपयोग के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि सिक्किम सरकार ने मुख्यमंत्री के युवा सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर मिशन के तहत 'साथी' पहल शुरू की है। स्कूल में परामर्श सेवाओं के माध्यम से बदमाशी के विरुद्ध स्कूल-आधारित कार्यक्रम स्थापित करने की भी आवश्यकता है।

प्रस्तावः नई शिक्षा नीति के तहत संधारणीय विकास के लिए शिक्षा (ई.4एस.डी.)। एक समाज का संधारणीय विकास एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, जिसके लिए विकास के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलुओं की अधिक समझ की आवश्यकता होती है।

- इसके लिए शिक्षा एक सशक्त साधन हो सकती है, जो युवाओं को राष्ट्रीय विकास में भाग लेने तथा सभी के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान कर सकती है।

- जैसा कि दुनिया संधारणीय विकास लक्ष्यों पर चर्चा करती है, मेरा मानना है कि ई4एसडी की अवधारणा को नई शिक्षा नीति का आधार बनाना चाहिए।

- शिक्षा प्रणालियों को अभी और भविष्य में संधारणीय विकास की दिशा में योगदान करने के लिए युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सततता और शिक्षा के बारे में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।

- अध्यापकों को युवाओं को ज्ञान प्रदान करने के लिए आवश्यक योग्यताओं से लैस होना चाहिए, जिससे स्थिरता संबंधी चुनौतियों का समाधान हो सके।

- ऐसे प्रयासों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मानव, अवसंरचनात्मक और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।

संकाय की कमी: केंद्रीय विश्वविद्यालयों से लेकर आई. आई. टी., आई. आई. एम. जैसे संस्थानों तक देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में संकाय की भारी कमी है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुल स्वीकृत 16339 शिक्षण पदों में से 6107 शिक्षण पद रिक्त पड़े थे (1273 प्रोफेसर, 2193 एसोसिएट प्रोफेसर, 2641 सहायक प्रोफेसर)। आई. आई. टी. में 6,944 स्वीकृत पदों में से 2,636 पद रिक्त हैं।

- इससे ऐसे संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यद्यपि सरकार ने वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने और सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं, फिर भी शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और कदम उठाने की आवश्यकता है।

स्कूली बच्चों के लिए: विशेष आवश्यकता वाले युवाओं, वंचित परिस्थितियों में रहने वाले युवाओं और विभिन्न जातीय समूहों से संबंधित युवाओं सहित कमजोर समूहों को अधिकतम रूप से शामिल करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों की संरचना की जानी चाहिए।

- आज भी, 60 लाख से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। समावेशी शिक्षा से समान अवसर पैदा होंगे और सामाजिक असमानताओं को कम किया जा सकेगा, जिससे सतत समाज का निर्माण होगा।

- ऐसे बच्चों को स्कूल में आकर्षित करने के लिए नए दृष्टिकोणों की पहचान की जानी चाहिए।

24.04.2015

अंत में, पूर्वी सिक्किम में पक्योंग में स्थापित किया जा रहा नवोदय विद्यालय पूरा हो गया है। सितम्बर 2011 के भूकंप के कारण स्टाफ क्वार्टर की एक इकाई झुक गईहै। बाकी सभी इमारतें ठीक हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को सूचित करना चाहूंगा कि देश भर के बहु-राज्य सहकारी बैंकों के पंजीकरण की अनुमति दे। मंत्री ने कहा कि इस मामले को बंद करने की आवश्यकता है और सी. पी. डबल्यू. डी. को इन इमारतों को मंत्रालय को सौंपने की आवश्यकता है ताकि जो छात्र अभी अमानवीय परिस्थितियों में टिन शेड में पढ़ रहे हैं, उन्हें इन उत्कृष्ट परिसरों में स्थानांतरित किया जा सके। मैंने यह मामला पहले भी कई बार माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाया है। मुझे उम्मीद है कि यह निकट भविष्य में सफलतापूर्वक पूरा होगा। कई माता-पिता और अध्यापक बिना किसी गलती के भी कष्ट झेल रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भूकंप से संबंधित सभी मामले सुलझा लिए गए हैं। यह लंबित क्यों है, यह एक गंभीर प्रश्न है।

24.04.2015

<u>अपराह्न 03.34 बजे</u>

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा 22 अप्रैल, 2015 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर समिति के नौवीं प्रतिवेदन से सहमत है।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा 22 अप्रैल, 2015 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

24.04.2015

अपराह्न 03.35 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुर:स्थापित

माननीय उपाध्यक्ष: अब सदन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य, विधेयकों के पुरःस्थापन, पर विचार करेगा।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी।

(1) एचआईवी/एड्स विधेयक, 2015*,**

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में एचआईवी महामारी का निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन करने; एचआईवी/एड्स से ग्रस्त या प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन करने; ऐसे आधिकारों का प्रवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और जिला स्तर पर प्राधिकरणों की स्थापना करने तथा एचआईवी/एड्स के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए इसके निवारण, इसके प्रति जागरुकता, देखभाल, संभाल, उपचार कार्यक्रमों का प्रवर्तन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "भारत में एचआईवी महामारी का निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन करने; एचआईवी/एड्स से ग्रस्त या प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन करने; ऐसे आधिकारों का प्रवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और जिला स्तर पर प्राधिकरणों की स्थापना करने तथा एचआईवी/एड्स के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए इसके निवारण,

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

इसके प्रति जागरुकता, देखभाल, संभाल, उपचार कार्यक्रमों का प्रवर्तन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: मद संख्या 23, श्री कलिकेश नारायण सिंह देव। - उपस्थित नहीं।

अपराह्न 03.36 बजे

(2) कृषक कल्याण विधेयक, 2015*

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषकों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

---

* ** भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

"कि कृषकों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राकेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

<u>अपराह्न 03.36 ½ बजे</u>

(3) कन्या (निःशुल्क और अनिवार्य) शिक्षा विधेयक, 2015*

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक कन्या जिसके माता-पिता गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

" प्रत्येक कन्या जिसके माता-पिता गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राकेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

<u>अपराह्न 03.37 बजे</u>

(4) एक समान शिक्षा विधेयक, 2015*

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक सभी विद्यार्थियों को एक समान शिक्षा प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

" देश में प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक सभी विद्यार्थियों को एक समान शिक्षा प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राकेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* * भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

माननीय उपाध्यक्ष: मद संख्या 24, श्री कलिकेश नारायण सिंह देव – उपस्थित नहीं।

24.04.2015

<u>अपराह्न 03.37 ½ बजे</u>

(5) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (गुड़गांव में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक , 2015*

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की गुड़गांव में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की गुड़गांव में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दुष्यंत चौटाला: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष:मद संख्या26, श्री पंकज चौधरी – उपस्थित नहीं।

---

* * भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

अपराह्न 03.38 बजे

(6) राष्ट्रीय किसान आयोग विधेयक, 2015*

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषकों के कल्याण और समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> " कृषकों के कल्याण और समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री देवजी एम. पटेल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* * भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

अपराह्न 03.39 बजे

(7) चारा भाण्डागार बोर्ड विधेयक, 2015*

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अकाल, सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित स्थानों में पशुओं के लिए चारा और पानी उपलब्ध कराने के लिए चारा भाण्डागार बोर्ड की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "अकाल, सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित स्थानों में पशुओं के लिए चारा और पानी उपलब्ध कराने के लिए चारा भाण्डागार बोर्ड की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री देवजी एम. पटेल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* * भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

अपराह्न 03.40 बजे

(8) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक , 2015*

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विष्णु दयाल राम: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* * भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

अपराह्न 03.41 बजे

(9) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015*

(अनुसूची में संशोधन)

श्री हरिनरायन राजभर (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 को संशोधित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरिनरायन राजभर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* * भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

अपराह्न 03.41 ½ बजे

(10) सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2015*

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण और उत्पीड़न को निवारित करने तथा मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाले विधिविरुद्ध जमाव और अन्य आचरण का प्रतिषेध करने के हितों में तथा इससे संसक्त या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण और उत्पीड़न को निवारित करने तथा मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाले विधिविरुद्ध जमाव और अन्य आचरण का प्रतिषेध करने के हितों में तथा इससे संसक्त या इसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना*:* मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* * भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

अपराह्न 03.42 बजे

(11) विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक , 2015*

(धारा 5 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: मद संख्या 33, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। उपस्थित नहीं।

मद संख्या 34, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। उपस्थित नहीं।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

अपराह्न 03.42 ½ बजे

(12) ट्रांसजेंडर व्यक्ति (सामाजिक सुरक्षा का उपबंध) विधेयक , 2015[*]*

[हिन्दी]

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा इससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा इससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री महेश गिरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

[*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

24.04.2015

अपराह्न 03.43 बजे

(13) भिक्षावृत्ति निवारण एवं भिखारियों का पुनर्वास विधेयक, 2015*

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में भिक्षावृत्ति का प्रतिषेध तथा भिखारियों का पुनर्वास करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि देश में भिक्षावृत्ति का प्रतिषेध तथा भिखारियों का पुनर्वास करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

अपराह्न 03.43 ½ बजे

(14) राष्ट्रीय कृषक आय आयोग विधेयक, 2015*

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय कृषक आय आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय कृषक आय आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. ध्रुवनारायण: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: मद संख्या 38, श्रीमती पूनम महाजन। उपस्थित नहीं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

अपराह्न 03.44 बजे

(15) संविधान (संशोधन) विधेयक , 2015*

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आश्विनी कुमार चौबे: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

अपराह्न 03.44 ½ बजे

(16) चिकित्सा उपकरण विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2015*

[अनुवाद]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण, पैकेजिंग, लेबलिंग, विज्ञापन, विक्रय, प्रयोग और निपटान के विनियमन और मानीटरिंग तथा सुरक्षित चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उससे संबंधित मामलों के लिए चिकित्सा उपकरण विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि देश में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण, पैकेजिंग, लेबलिंग, विज्ञापन, विक्रय, प्रयोग और निपटान के विनियमन और मानीटरिंग तथा सुरक्षित चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उससे संबंधित मामलों के लिए चिकित्सा उपकरण विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. संजय जायसवाल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: मद संख्या 41, श्री प्रहलाद जोशी। उपस्थित नहीं।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

अपराह्न 03.45 बजे

(17) शहीद (पर्याप्त प्रतिकर की संदायगी) विधेयक, 2015*

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय सशस्त्र बल, अर्द्धसैनिक बल, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य सशस्त्र पुलिस बल में अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए जीवन का बलिदान करने वाले दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त प्रतिकर की संदायगी का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारतीय सशस्त्र बल, अर्द्धसैनिक बल, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य सशस्त्र पुलिस बल में अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए जीवन का बलिदान करने वाले दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त प्रतिकर की संदायगी का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

अपराह्न 03.45 ½ बजे

(18) बोस रेजिमेंट विधेयक, 2015*

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत-म्यांमार, भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, भारत की उत्तर-पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोस रेजिमेंट नामक एक नई सैन्य रेजिमेंट का गठन और विनियमन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "भारत-म्यांमार, भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, भारत की उत्तर-पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोस रेजिमेंट नामक एक नई सैन्य रेजिमेंट का गठन और विनियमन तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

अपराह्न 03.46 बजे

(19) संविधान (संशोधन) विधेयक , 2015*

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित ।

24.04.2015

अपराह्न 03.46 ½ बजे

(20) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक , 2015 (अनुसूची का संशोधन)*

[हिन्दी]

श्री आलोक संजर (भोपाल): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आलोक संजर: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित ।

24.04.2015

अपराह्न 03.47 बजे

(21) लेखक और कलाकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक , 2015*

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लेखकों और कलाकारों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि लेखकों और कलाकारों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित ।

24.04.2015

अपराह्न 03.47 ½ बजे

(22) सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण विधेयक , 2015*

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करने के लिए एक बोर्ड का गठन करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करने के लिए एक बोर्ड का गठन करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

अपराह्न 03.48 बजे

(23) गाय और अन्य दुधारू पशु (वध, निर्ममता का प्रतिषेध और अन्य उपबंध) विधेयक , 2015*

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गाय एवं इसकी संतति और अन्य दुधारू पशुओं के मांस के उपभोग या इसके निर्यात अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने और पशुओं के साथ बरती जाने वाली निर्ममता एवं उन्हें दिए जाने वाले आघात, पीड़ा या यातना का निवारण तथा कल्याणकारी उपायों एवं पशुओं की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करने के माध्यम से उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और उससे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि गाय एवं इसकी संतति और अन्य दुधारू पशुओं के मांस के उपभोग या इसके निर्यात अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने और पशुओं के साथ बरती जाने वाली निर्ममता एवं उन्हें दिए जाने वाले आघात, पीड़ा या यातना का निवारण तथा कल्याणकारी उपायों एवं पशुओं की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करने के माध्यम से उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और उससे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निशिकान्त दुबे: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधयेक पुर:स्थापित करता हूं।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

24.04.2015

अपराह्न 03.49 बजे

(24) सूखा प्रभावित और सूखा प्रवण क्षेत्र (विशेष उपबंध) विधेयक , 2015*

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ सरकार द्वारा देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए दीर्घावधि कार्य योजना के रूप में मानव उपयोग के लिए खाद्य और पेयजल तथा किसानों के मवेशियों के लिए चारे की आपूर्ति अनिवार्य रूप से बनाए रखने, देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की नष्ट हुई फसलों के लिए संघ सरकार द्वारा वित्तीय सहायता जैसे विशेष प्रावधानों के लिए और झील, तालाब, कुएं जैसे जल स्रोतों के निर्माण, वर्षा जल संचयन, पानी की ज्यादा जरूरत रखने वाली फसलों का पानी की कम जरूरत रखने वाली फसलों के रूप में विविधीकरण, सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम इत्यादि तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि संघ सरकार द्वारा देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए दीर्घावधि कार्य योजना के रूप में मानव उपयोग के लिए खाद्य और पेयजल तथा किसानों के मवेशियों के लिए चारे की आपूर्ति अनिवार्य रूप से बनाए रखने, देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की नष्ट हुई फसलों के लिए संघ सरकार द्वारा वित्तीय सहायता जैसे विशेष प्रावधानों के लिए और झील, तालाब, कुएं जैसे जल स्रोतों के निर्माण, वर्षा जल संचयन, पानी की ज्यादा जरूरत रखने वाली फसलों का पानी की कम जरूरत रखने वाली फसलों के रूप में विविधीकरण, सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम इत्यादि

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निशिकान्त दुबे: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

24.04.2015

अपराह्न 03.50 बजे

(25) निर्धन, अनाथ, आवारा और अन्य

निराश्रित बालक (दुर्व्यवहार का निवारण, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक , 2015*

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनाथ, आवारा, घर से भागे हुए और अन्य निराश्रित बालकों के साथ दुर्व्यवहार और उनके शोषण का उल्लंघकर्ताओं के लिए भयकारी दंड का उपबंध करके निवारण करने और संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा ऐसे बालकों, जो सामान्यतः कूड़ा बीनकर, भीख मांगकर, जूते पॉलिश करके, कुम्हार के रूप में कार्य करके, कलाबाजी करके अपना निर्वाह करते हैं अथवा जो चोरी, जेबतराशी, झपटमारी, तस्करी, वेश्यावृत्ति जैसे अपराधों में संलिप्त होने तथा अप्राकृतिक कार्य करने को विवश हैं, को अपनी, आभिरक्षा में ले कर और उन्हें आश्रय, देखभाल, संरक्षण, शिक्षा, चिकित्सीय देखभाल, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि प्रदान करते हुए उनके लिए पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी उपाय किए जाने तथा उससे और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि अनाथ, आवारा, घर से भागे हुए और अन्य निराश्रित बालकों के साथ दुर्व्यवहार और उनके शोषण का उल्लंघकर्ताओं के लिए भयकारी दंड का उपबंध करके निवारण करने और संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा ऐसे बालकों, जो सामान्यतः कूड़ा बीनकर, भीख मांगकर, जूते

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.04.2015 में प्रकाशित।

पॉलिश करके, कुम्हार के रूप में कार्य करके, कलाबाजी करके अपना निर्वाह करते हैं अथवा जो चोरी, जेबतराशी, झपटमारी, तस्करी, वेश्यावृत्ति जैसे अपराधों में संलिप्त होने तथा अप्राकृतिक कार्य करने को विवश हैं, को अपनी, आभिरक्षा में ले कर और उन्हें आश्रय, देखभाल, संरक्षण, शिक्षा, चिकित्सीय देखभाल, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि प्रदान करते हुए उनके लिए पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी उपाय किए जाने तथा उससे और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निशिकान्त दुबे: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

24.04.2015

<u>अपराह्न 03.51 बजे</u>

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 – जारी।

माननीय उपाध्यक्ष: सदन अब मद संख्या 54 पर विचार करेगा। श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आप जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की है। यह सवरविदित है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और समय के साथ इसकी जीवंतता में उत्तरोतर वृद्धि हुई है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। जिसने देश के लोकतांत्रिक जरूरतों के अनुसार समय-समय पर अनेक चुनाव सुधार किए हैं, लेकिन अभी और भी बड़े सुधार चुनावों में किए जाने की आवश्यकता है। इन्हीं महत्वपूर्ण चुनाव सुधारों में अनिवार्य मतदान भी एक है।

महोदय, देश में पहला आम चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था, जिसमें 61.17 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तब से लेकर आज तक यह प्रतिशतता कभी 55 प्रतिशत रही तो किसी आम चुनाव में यह 66 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2014 में हुए आम चुनाव में देश की जनसंख्या 1,23,63,44,631 थी। उस समय कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 83,41,01,479 थी। जिसमें से केवल 55,38,01,801 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह हालांकि आज तक का सवारधिक मतदान प्रतिशत है जिसमें 66.40 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। फिर भी लगभग 34 प्रतिशत मतदाता देश की सरकार चुनने की प्रक्रिया से अलग-थलग रहे। यह तथ्य हमें आत्म मंथन करने पर विवश करता है और यही कारण है कि इस देश में मतदान को अनिवार्य करने की बात बड़ी मजबूती से उठती रही है। मुझे लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र को और जीवंत बनाने तथा और मजबूत करने के लिए अनिवार्य मतदान को कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारे देश में मौलिक और नागरिक

आधिकारों की बात पुरजोर तरीके से की जाती है जो किसी भी लोकतंत्र को जीवंत और सफल बनाने वाले अतिआवश्यक और अतिमहत्वपूर्ण कारकों में से एक है।

लेकिन जब मौलिक और नागरिक-कर्त्तव्यों के पालन की बात आती है, तो एक नागरिक के रूप में हम कहीं न कहीं पिछड़ते हुए नज़र आते हैं। यही कारण है कि हमारे देश के 34 प्रतिशत मतदाता सरकार चुनने की प्रक्रिया से अलग हैं। वे अपने मौलिक कर्त्तव्य का पालन नहीं करते हैं। आज़ादी के बाद हुए प्रथम आम चुनाव से लेकर आज तक 16 बार लोक सभा के चुनाव हो चुके हैं, इन सभी चुनावों में कमोबेश एक-सी ही स्थिति रही है। किसी चुनाव में 40 प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते, तो किसी चुनाव में इसकी प्रतिशतता 34 हो जाती है। लेकिन पिछले 62 वर्षों में इसमें कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। यही कारण है कि पूर्ण जनादेश प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को भी देश के बड़े मतदाता वर्ग के समर्थन से वंचित रहना पड़ता है। यह समावेशी लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है और इसका कहीं न कहीं समावेशी विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इससे सम्मानित सदन में मतदान को अनिवार्य करने के लिए समय-समय पर मांग उठती रही है। जिस प्रकार हम अन्य कर्त्तव्यों, जैसे- टैक्स देना, न्याय में सहयोग देना, शिक्षा प्राप्त करना और उसके प्रचार-प्रसार का पालन करते हैं, उसी प्रकार मतदान करना भी एक नागरिक कर्त्तव्य है, जिसे हम सही तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं, जिसका हमें पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए। लेकिन पिछले 62 वर्षों के अनुभव से हमें पता चलता है कि हम स्वप्रेरणा से आज तक इस कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पाए हैं। इसीलिए इसे कानूनी रूप देना अनिवार्य हो गया है।

ऐसा कहा जाता है कि मतदान का आधिकार अन्य आधिकारों की तरह ही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मतदान का आधिकार एक असमान आधिकार है। हम कह सकते हैं कि यह सभी आधिकारों की आधारशिला है। आपके आधिकार आपके हैं। यह तभी संभव है, जब लोकतंत्र हो। लेकिन सामंतवाद या तानाशाही में शासन के द्वारा नागरिक आधिकारों की कोई मान्यता नहीं है। इसके विपरीत लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन है। अच्छा लोकतंत्र वही है, जिसमें शत-प्रतिशत मतदान होता है यानी सरकार बनाने में हर व्यक्ति की भागीदारी होती है। यदि यह स्वेच्छा से हो, तो सर्वश्रेष्ठ है। यदि 80-90 प्रतिशत लोग वोट कर रहे हों,

तो भी चलेगा। लेकिन रजिस्टर्ड मतदाताओं में से केवल 50-60 प्रतिशत मतदाताओं का ही मतदान करना किसी भी तर्क से स्वीकार्य नहीं है।

गुजरात हमारे देश का एक मात्र राज्य है, जहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव में अनिवार्य मतदान संबंधी कानून वहाँ की विधान सभा द्वारा वर्ष 2009 में पारित किया गया था। तब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हालांकि तत्कालीन राज्यपाल ने इस व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए विधेयक को वापस लौटा दिया था। राज्यपाल का यह तर्क था कि ऐसा करना लोगों पर मतदान को थोपना होगा, जो संविधान के विरुद्ध होगा। जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसे अनुशासन के जरिये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम बताया था। उनकी मान्यता है कि यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राजनीति और राजनेता वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सोच सकें और मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनाये जाने वाले भ्रष्ट तौर-तरीकों पर रोक लग सके।

आज कालेधन का भी प्रयोग मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर लाने, मतदाताओं को लुभाने, मतदाताओं को जाति और धर्म के आधार पर बांटने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। मेरा यह मानना है कि यदि कालेधन को चुनावों में प्रयोग होने से रोकना है, तो हमें अनिवार्य मतदान पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

आज हम अपने ही देश में यह चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज पूरे विश्व के 32 देशों में अनिवार्य मतदान संबंधी कानून बने हुए हैं। वे देश हैं- आस्ट्रिया, अर्जेंटिना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलिविया, ब्राजील, चिली, साइप्रस, मिस्र, फिजी, फ्रांस, ग्रीस, इटली, मेक्सिको, फिलिपींस, सिंगापुर, स्वीट्जरलैंड, थाईलैंड, तुर्की आदि देशों में अनिवार्य मतदान के कानून बने हुए हैं।

<u>अपराह्न 04.00 बजे</u>

वहां अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है और लोग सही मायने में इसका प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग मतदान नहीं करते हैं, उनके ऊपर जुर्माना या सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी वहां किया गया है। इसके साथ

ही, वहां 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के लोगों को अनिवार्य मतदान करना होता है, 70 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को अनिवार्य मतदान से छूट दी गयी है। जो मतदाता बीमार हों या 500 किलोमीटर से अधिक दूर रहने वाले हैं, को भी इससे छूट दी गयी है। इस कानून को लागू करने के लिए अन्य उपाय भी किए गए हैं, जैसे मोबाइल मतदान केन्द्र। वहां पर मोबाइल मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है, जो व्यक्ति किसी विशेष कारण से मतदान केन्द्र तक नहीं जा सकता, मतदान केन्द्र ऐसे लोगों के पास जाता है। इससे मतदान के विषय में वहां की सरकार की गंभीरता का पता चलता है। जहां तक भारत में इस कानून को लागू करने की बात है, हमारे समक्ष कुछ चुनौतियां आएंगी, क्योंकि हमारे देश में करोड़ों मतदाता आंतरिक पलायन के शिकार हैं, जो रोजगार की तलाश में अपने मूल निवास को छोड़कर दूरदराज शहरों में चले जाते हैं। इस प्रकार के मतदाता कैसे मतदान करेंगे, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। जो मतदाता किसी भी कारण से असमर्थ हैं, उन्हें भी मतदान से छूट देने का प्रावधान करना होगा। जिन देशों में अनिवार्य मतदान संबंधी कानून लागू है, वहां मतदान नहीं करने पर दण्ड का भी प्रावधान किया गया है। मेरा सुझाव है कि अपने देश में इसके लिए दण्ड की व्यवस्था हो, इस पर लोकतांत्रिक तरीके से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया अलोकतांत्रिक नहीं होनी चाहिए। समाज के सभी वर्गों के लोगों को किस प्रकार इस प्रक्रिया से जोड़ा जाए, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कभी-कभी हम यह देखते हैं कि अनिवार्य मतदान का प्रावधान करने से हम समाज के उन तमाम वर्गों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ पाएंगे जो अभी तक उससे अलग रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि समाज के वंचित वर्ग के लोगों को आज भी कई स्थानों पर मतदान केन्द्रों तक नहीं जाने दिया जाता है। कानून बन जाने से यह सरकार की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे लोगों को किस प्रकार मतदान केन्द्र तक पहुंचाया जाए और उनका मतदान सुनिश्चित करने की व्यवस्था सरकार करेगी। दूसरा एक वर्ग ऐसा भी होता है जो खासकर किसी विषय पर मतभेद के कारण, जैसे दक्षिणपंथी, उग्रवादी, माओवादी और उत्तर-पूर्व के अन्य अलगाववादी लोग, जो यह घोषणा कर देते हैं कि हमारी यह मांग मानिए अन्यथा हम मतदान नहीं करेंगे, उन लोगों को भी मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह एक बड़ा अस्त्र होगा। जो लोग अपनी विचारधारा के कारण मतदान से बहिष्कार करते हैं, कानून बन जाने से उन लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा में हम जोड़

सकेंगे। जब ये लोग सरकार बनाने की प्रक्रिया में जुड़ेंगे तो उनका शासन व्यवस्था से लगाव बढ़ेगा और सरकार के जनादेश का आधार भी व्यापक होगा। ऐसे लोग जो सरकार बनाएंगे, उसको चलाने में और पूरी व्यवस्था को सुधारने में अपना सहयोग दे सकेंगे।

मेरा आग्रह है कि लोकतंत्र की अनेक विशेषताओं में से दो विशेषताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं - विकल्प चुनने का आधिकार और विरोध व्यक्त करने का आधिकार। जो लोग अनिवार्य मतदान को अलोकतांत्रिक बताकर उसका विरोध करते हैं, उनका तर्क है कि प्रत्याशियों की पूरी सूची से विरोध करने वाले के पास क्या विकल्प है, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार के क्रम में ही, नोटा यानी इनमे से कोई भी नहीं का विकल्प पिछले आम चुनाव से दिया है। इसका अर्थ है कि आप विरोध भी व्यक्त कर सकते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। विरोध के साथ अपना मत भी डाल सकते हैं। नोटा के माध्यम से अनिवार्य मतदान को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बना दिया गया है। नौटा के सफल प्रयोग से अनिवार्य मतदान को कानूनी रूप देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यह मेरा सदन से और सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है। अनिवार्य मतदान को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए ई-वोटिंग की शुरूआत की जानी चाहिए।

(अध्यक्षपीठ में श्री हुक्मदेव नारायण यादव)

<u>अपराह्न 04.05 बजे</u>

महोदय, चुनाव आयोग ने भी इसे काफी गम्भीरता से लिया है और ई-वोटिंग के लिए उसने भी अपने तरीके से तर्क दिए हैं। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी और 2030 तक भारत में एक अरब से अधिक मतदाता होंगे। इन सबका ब्यौरा रखना नामुमकिन होगा इसलिए चुनाव आयोग ने ई-वोटिंग पर चर्चा शुरू कर दी है। हमें ई-वोटिंग का प्रावधान करके अनिवार्य मतदान करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

शहरी क्षेत्र में रहने वाले दो प्रकार के मतदाता मतदान में भाग नहीं ले पाते। पहली श्रेणी में वृद्ध और बीमार लोग आते हैं, जो मतदान के समय लम्बी कतार में खड़े रहकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने में असमर्थ होते हैं और दूसरी श्रेणी में वे युवा आते हैं जो सॉफ्टवेयर कम्पनीज से या इस लाइन से जुड़े होते हैं। उन्हें अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होता है, हालांकि मतदान के दिन सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, लेकिन आधिकांश युवा जो इस श्रेणी में आते हैं, वे छुट्टी के दिन भी अपने निजी कार्य में लगे रहते हैं। इस कारण मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश जो घोषित होता है मतदान करने के लिए, उसका इन युवाओं द्वारा सदुपयोग चुनाव के लिए होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है।

महानगरों में यह भी देखने में आता है कि काफी संख्या में नौकरशाह मतदान के दिन मिले सार्वजनिक अवकाश का उपयोग मतदान करने की बजाए सैर-सपाटों के लिए करते हैं। इन सबको देखकर ई-वोटिंग का प्रावधान करने के लिए चुनाव आयोग ने जो अपने तर्क दिए हैं, वे काफी हद तक सही हैं, क्योंकि इसके होने से कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर मतदान कर सकता है। इस कारण मतदान के प्रतिशत में भी गुनात्मक सुधार होगा और अनिवार्य मतदान को प्रभावी और लोकतांत्रिक तरीके से लागू करने में बल मिलेगा।

भारत के साथ-साथ दुनिया के अन्य विकसित देशों में भी अनिवार्य मतदान पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। दुनिया के जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है और अन्य देश हैं, वहां भी अनिवार्य मतदान पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा चाहे वैचारिक विश्लेषक हों, वे लोग भी अनिवार्य मतदान के बारे में अपने विचार और विश्लेषण व्यक्त कर रहे हैं कि क्यों अनिवार्य मतदान जरूरी है।

अनिवार्य मतदान का प्रावधान होने से भारत जैसे देश में जहां हमें कई कुरीतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी दूर करने में मदद मिल सकती है और उन पर अंकुश लगाने का काम हो सकता है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि अन्य देशों में ई-वोटिंग और अनिवार्य मतदान के बारे में वहां की सरकारें अपना कानून बना रही हैं, यहां भी कानून बनाना चाहिए। देश में चुनावी प्रक्रिया की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश भर में प्रचार-प्रसार किया जाता है, जिससे चुनाव पर काफी खर्चा होता है। देश में 1952 से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, चुनाव खर्च में बढ़ोत्तरी

होती गई है और .यह काफी हुई है। आप मतदान करने जाएं, इसके लिए चुनाव आयोग भी बड़े पैमाने पर अपना धन खर्च करने को विवश होता है और देश का हर व्यक्ति वोट करे, इस बात को लेकर वह बार-बार प्रचार करता है। सन् 1952 में जब पहली बार देश में लोक सभा चुनाव हुए तो उस समय 10 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च हुए थे, वहीं 2014 में लोक सभा के हुए चुनावों में, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, करीब 18,000 करोड़ रुपए सरकारी स्तर पर खर्च हुए हैं। यह मीडिया का अपना विश्लेषण है और उसने कहा है कि हो सकता है खर्च इससे भी अधिक हो। जहां तक इस चुनाव में काले धन की बात है तो उसका समावेश इस खर्च में शामिल नहीं है, अगर वह भी शामिल करें तो यह खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए हम अनिवार्य मतदान कानून के रूप में पारित करेंगे तो इस पर भी रोक लगेगी। इसके लिए मेरा विशेष रूप से आग्रह है।

महोदय, आज देश भर में प्रचार-प्रसार पर काफी धन खर्च होता है, लेकिन मतदान के प्रतिशत में वृद्धि नहीं होती है। इतना धन खर्च करने के बाद भी सबसे अधिक मतदान 66 प्रतिशत वर्ष 2014 में हो पाया है। महोदय, यह पैसे किसके हैं? यह पैसे देश के सवा सौ करोड़ नागरिकों के हैं और उस पैसे का हम चुनावों के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी इसका प्रतिशत बढ़ाने में पिछड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि कानून के अभाव में लोग इसे गम्भीरता से नहीं लेते हैं। यदि किसी प्रकार का दण्ड न भी दिया जाए, लेकिन कानून बन जाने से लोगों में काफी परिवर्तन आएगा। इससे मतदाताओं की मतदान केन्द्रों पर पहुंचने की संख्या बढ़ जाएगी।

महोदय, वर्ष 1952 से 2014 तक के चुनाव खर्च का मैंने आंकड़ा दिया है। लेकिन इस खर्च के बाद भी हम चाह कर 66 प्रतिशत से ऊपर नहीं बढ़ पाए हैं। चुनाव के प्रतिशत को सौ प्रतिशत लेकर जाना भारत के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, जिसको हम बढ़ा नहीं पाए हैं। इसलिए मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि हम चुनावों में काले धन को भी इससे कम करेंगे और जो धन चुनावों में खर्च होता है, उसका अपव्यय होता है, जो कि भारतवासियों का है, उस पर भी हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि देश की सरकार चुनने के लिए करदाताओं की इतनी बढ़ी रकम खर्च हो रही है, लेकिन भारत के मतदाताओं का 34 प्रतिशत आज भी इस प्रक्रिया से अलग है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इस दूरी को पाटने का एकमात्र उपाय है अनिवार्य मतदान को कानूनी रूप देना। इसके साथ ही चुनावों में काले धन का बढ़ता प्रयोग

भी चिंता का विषय है। विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने पहल शुरू की है। यदि हम अनिवार्य मतदान करेंगे तो काले धन कमाने वालों पर भी अंकुश लगेगा। उसी प्रकार से आम चुनावों में और विधान सभा चुनावों में काले धन का बढ़ता प्रयोग भी चिंता का विषय है। यही कारण है कि समय-समय पर स्टेट फण्डिंग ऑफ इलेक्शन की बात उठती रही है। इस पर भी सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि चुनाव सुधार से संबंधित एक अहम लेकिन पृथक मुद्दा है, जिस पर अलग से कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। मैं विशेष रूप से सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं और विशेष रूप से निवेदन भी करना चाहता हूं कि सरकार की स्थिरता, वैधता, वास्तविक जनादेश के आधार को व्यापक बनाने के लिए और समाज के सभी वर्गों के लोगों की देश और राज्यों की सरकार चुनने में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य मतदान को कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। इससे हमारा लोकतंत्र और जीवंत होगा

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मतदान बूथों पर मतदाताओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए भी उपबंध किए जाएं। आप जहां से आते हैं और आप इन सभी चीजों को बरसों से जानते हैं कि किस तरह से कमजोर लोगों को बूथ तक नहीं जाने दिया जाता है। सरकार को उनकी सुरक्षा के प्रबंध करने चाहिए। जिन मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया है, उनके नामों की सूची सरकार को भेजी जानी चाहिए। यह भी प्रबंध हो कि कितने मतदाता मतदान नहीं कर पाए हैं, इसकी एक सूची सरकार को और संबंधित व्यवस्था को भेजी जानी चाहिए। पर्याप्त संख्या में मतदान बूथ खोले जाएं और मतदाताओं और मतदान केन्द्रों के बीच की दूरी कम की जानी चाहिए। कहीं-कहीं तो मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक पहुंचने के लिए नदियों में से होकर जाना पड़ता है। सामने से वह दूरी भले ही दो या तीन किलोमीटर की हो, लेकिन यदि कोई नदी या नहर पार करनी हो तो उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। मेरा मानना है कि पांच सौ मीटर से अधिक दूरी मतदान केन्द्रों की नहीं होनी चाहिए। मतदान केन्द्र लोगों के घरों के नजदीक होना चाहिए या ई-वोटिंग की सुविधा होनी चाहिए। जिससे वह मतदाता सुगमता से वोट देने का काम कर सके। मतदान कर्मचारीवृंद के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाए। मेरा यह कहना है कि आज सिर्फ शिक्षक ही कमजोर कर्मचारियों में क्यों गिने जाते हैं कि कोई भी चुनाव हो तो

शिक्षकों को लगा दो। उनकी ड्यूटी लगाने से प्राइमरी शिक्षा बंद होती है और सिर्फ उन्हीं पर यह जिम्मेदारी क्यों दी जाती है। आज इस देश में जो भी काम करने वाले लोग हैं, उन सबको भागीदार क्यों नहीं बनाया जाता है। चाहे मतदाताओं के गिनने की बात हो, जनगणना करने की बात हो, पशुओं को गिनने की बात हो, बस शिक्षक को लगा दो। शिक्षक मतदान भी करायेंगे, पशु गणना भी करेंगे और इस कारण वे शिक्षा व्यवस्था का काम ठीक से नहीं कर पायेंगे। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसमें सबका सहयोग हो और सब लोग इस काम में लगाए जाएं तथा कानून के तहत इसकी व्यवस्था की जाए।

इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। जैसा मैने पहले ही कहा कि बुजुर्ग लोग, खासकर हमारी माताएं, बहनें जो 60-70 साल की उम्र पार कर चुकी हैं, अगर उन्हें घंटों मतदान केन्द्र पर खड़ा होना पड़ता है तो वे वहां लाइन में खड़ी नहीं रह पाती हैं। इसलिए ई.वोटिंग से लेकर अगर अनिवार्य वोटिंग हो तो अनिवार्य वोटिंग करने की व्यवस्था सरकार कानून के तहत बनाये और चुनाव आयोग उस व्यवस्था को करने का काम करे। चुनाव आयोग ने अपने वक्तव्य में तय किया है कि किसी भी मतदाता, जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसके पास से उसका वोटिंग कार्ड पहुंच जायेगा, यानी इससे मतदाताओं की संख्या और बढ़ेगी। जब मतदाताओं की संख्या और बढ़ेगी तो मतदान करने की व्यवस्था को भी और सुदृढ़ करना होगा। इस तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं और चुनाव आयोग भी इस पर विवश है और बार-बार अपने विचार भी दे रहा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जैसे किसी मतदाता की उम्र 18 साल हो जायेगी, ऐसे मतदाताओं के घर पर हम वोटर आई.डी. पहुंचाने का काम करेंगे और जब यह होगा तो हमें लगता है कि युवा मतदाताओं की जो जागरूकता है, उसकी संख्या भी और बढ़ेगी और 2030 तक एक अरब से ज्यादा मतदाता होंगे, हमें लगता है कि जल्द ही वे एक अरब से ज्यादा पहुंच जायेंगे। इसलिए आज ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से पुनः सरकार से यह निवेदन है कि सरकार और सदन इस पर गंभीरता से विचार करें और देश और दुनिया में आज यह जो लागू किया गया है, उसे अपने यहां भी लागू करें। दुनिया के

इस सबसे बड़े लोकतंत्र से हम दुनिया को यह संदेश देने का काम करें कि हम भारत में जब मतदान अनिवार्य करने का कानून बना सकते हैं, जिससे कि यहां के शत-प्रतिशत लोग अपनी सरकार चुनने में सहभागी होंगे, दुनिया के अन्य देशों में भी हमारी कम्पलसरी वोटिंग का संदेश जायेगा और इससे दुनिया में और अपने देश में इसका लाभ मिलेगा।

यही बात कहकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ऐसे प्रमुख मुद्दे जिसमें कम्पलसरी वोटिंग के लिए चर्चा हो रही है, उस पर आपने मुझे विस्तार से बोलने का समय दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि देश में मतदाता द्वारा अनिवार्य मतदान तथा उससे संबधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

आगे के वक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर काफी सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिए कोई भी सदस्य बोले तो वह कोशिश करे कि दस मिनट के अंदर ही अपनी बात को समाप्त करे, जिससे मुझे घंटी बजानी न पड़े। श्री सत्यपाल सिंह जी, आप बोलिये।

24.04.2015

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी सम्मानीय सदस्य, श्री सीग्रीवाल जी ने कम्पलसरी वोटिंग, अनिवार्य मतदान के लिए जो अपना प्रस्ताव किया है, वह इस देश के लिए और किसी भी प्रजातंत्र के लिए बहुत सुखदायक चीज है। दुनिया के अंदर 32 देशों ने अनिवार्य मतदान का प्रावधान किया था। उसमें केवल 11 ने उसे फोर्स के जरिये, छोटी-मोटी सजा के जरिये या फाइन के जरिये एनफोर्स करने की कोशिश की और चार देशों ने उसे एक्सपैरीमैन्ट करने के बाद, प्रयोग करने के बाद छोड़ दिया। इसलिए यह प्रयोग भारत जैसे इतने बड़े प्रजातंत्र के लिए कितना ठीक होगा, इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। हम लोग कहते हैं कि प्रजातंत्र उस चीज का नाम है,जहां पर लोग कहते हैं कि सरकार लोगों के लिए, लोगों के लिए और लोगों द्वारा है। सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाए, वे उसे चुनें और अपने लिए चुनें। अगर सब लोग, सारी की सारी जनता उसके लिए वोट नहीं डालती, उसे नहीं चुनती तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र ठीक से नहीं बना है। लेकिन बहुत बार कहा जाता है कि हमारे देश के अंदर जिस प्रकार का प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र के बारे में बहुत पढ़े-लिखे लोग बोलते हैं कि हमारे देश के अंदर डैमोक्रेसी इज़ मोबोक्रेसी है। जिसके पास ज्यादा भीड़ है, जिसके पास ज्यादा वोट है, वही चुना जाता है। ये ज्यादा वोट वाले कहां से आते हैं, कैसे आते हैं? अच्छे लोग, पढ़े-लिखे लोगों को बहुत बार देखा जाता है कि वे वोट नहीं डालते है।

आप शाम के समय देखेंगे कि लंबी लाईन में लगने वाले लोग, झोपड़पट्टी के लोग वोट डालने के लिए लगे हुए हैं। कई शहरों के अंदर मेरा खुद का अनुभव है, जहां मैं पुलिस कमिश्नर था, मैं जा कर के देखता था कि शाम के पांच बज रहे हैं और झोंपड़पट्टी के लोग लंबी लाइनों में, हज़ारों की संख्या में खड़े हैं। पता चलता था कि इसके पीछे दूसरा कारण है। वोट डालने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन वोट उनसे डलवाई जा रही थी। वोट कैसे डलवाई जा रही थी? उनको पैसे दे कर वोट डलवाई जा रही थी। अंतिम रूप से कितने पैसे में उनका हिसाब होगा, इसका बाद में फैसला होता है। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि जिसको दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हम कहते हैं, उसमें जिसके पास वोट खरीदने की ताकत है, वह चुन कर आ जाता है। लेकिन एक बात यह है कि जहां मैजोरिटी जिसके पास हो, मुझे याद आता है कि रामायण के अंदर यह बात आती है कि

24.04.2015

जब भगवान राम वनवास में जाते हैं और भरत उनको मनाने के लिए जाते हैं, तो राम उनको समझाते हुए कहते हैं, राजतंत्र के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि - हे भरत! मुझे यह बताओ कि एक तरफ एक हजार मूर्ख खड़े हैं और एक तरफ एक विद्वान खड़ा है, तो तुम विद्वान की बात मानते हो या मूर्खों की बात मानते हो? अच्छी राजसत्ता कहती है कि विद्वान की बात माननी चाहिए, मैजोरिटी की बात नहीं माननी चाहिए, बहुसंख्यक लोगों की बात नहीं माननी चाहिए। क्या प्रजातंत्र में यह बात सही है? अगर हम लोग अपना इलाज कराना चाहते हैं, एक तरफ दस एवरेज़ काइंड के मैडिकल डॉक्टर हैं, कौन होगा, कौन माँ-बाप होगा जो अपने बच्चे का इलाज एक साधारण डॉक्टर से कराएगा या एक एक्सपर्ट से कराना चाहेगा। कौन अपने बच्चे को दस साधारण टीचरों से पढ़वाना चाहेगा या एक अच्छे मास्टर से पढ़वाना चाहेगा। अगर हम एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, वह रिपोर्ट हम एक इंजिनियर से तैयार कराना चाहते हैं, जो हाईली क्वालिफाईड इंजिनियर है या हम सौ टैक्निशियंस से तैयार कराना चाहते हैं? इस पर गंभीर रूप से बात करने की जरूरत है। जब देश के जनप्रतिनिधि चुनने की बात है, क्या उसमें सब लोग जब वोट डालेंगे, उस आधार पर किया जाए, मैजोरिटी के आधार पर उसको किया जाए या कैसे उसको किया जाए?

प्लेटो ने एक बात कही थी। प्लेटो बहुत बड़े दाशरनिक थे। उन्होंने यह कहा था कि अगर हम पॉलिटिकल प्रोसेस में, इलैक्टोरल प्रोसेस में भाग नहीं लेते हैं तो हमें क्रिटिसाइज़ करने का, कंडम करने का कोई आधिकार नहीं है कि हमारे जनप्रतिनिधि अच्छे नहीं है। अगर हम लोग वोट नहीं डालते हैं तो हमको यह कहने का आधिकार भी नहीं है कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा है। इसलिए पढ़े-लिखे लोगों को समझना पढ़ेगा। इस बार के इलैक्शन में मैं तो पहली बार चुनाव के मैदान में आया हूं। मुझे मालूम पड़ा है कि हमारे बड़ौत के अंदर जो बिज़नस करने वाले लोग हैं, एक कम्युनिटी के लोग हैं, जिस दिन वोट डलते थे, उस दिन वे तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे। मैंने उनसे मीटिंग की, बात की, उन्होंने कहा कि हमको क्या लेना-देना, इस तरह के लोग चुने जाते हैं, जिनको न हमारे बारे में कुछ लेना है, न देश के बारे में उनको कुछ लेना-देना है। बड़ी मुश्किल से लोगों को सझाया तो लोग मानते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आज हमारे पास यह साधन है कि जिस प्रकार से कौटिल्य कहता था कि - सर्वे धर्मा, राजधर्मणी परिवसंते। दुनिया के सारे धर्म राजधर्म के अंदर

परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन राजधर्म कैसा हो? हमारी राष्ट्रनीति कैसी हो? राष्ट्रनीति अगर अच्छी होगी तो शिक्षा नीति अच्छी हो सकती है। राष्ट्रनीति अगर अच्छी है तो कृषि नीति अच्छी हो सकती है। राष्ट्रनीति अच्छी है तो अर्थनीति अच्छी हो सकती है। राष्ट्रनीति अच्छी है तो विदेश नीति अच्छी हो सकती है। राष्ट्र नीति अच्छी है तो हमारी दूसरी जितनी भी नीतिया हैं, सब ठीक हो सकती हैं। इस राष्ट्र नीति को ठीक करने की जरूरत है कि हमारे जनप्रतिनिधि ठीक प्रकार से चुने जाएं। मुझे तो इस बात का बड़ा दुख होता है कि एक मूर्ख आदमी, एक गुंडा और बदमाश आदमी के वोट लेने के लिए जनप्रतिनिधि को उसके हाथ जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी वोट की कीमत भी उतनी ही है जितनी सज्जन और एक विद्वान आदमी की वोट की कीमत है। क्या हमें सुधार नहीं करना चाहिए?

जब हम इलैक्टोरल प्रोसेस की बात करते हैं, मैं तो इलैक्शन कमीशन और भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में भी सोचा जाए कि विद्वान और सज्जन आदमा के वोट की कीमत एक मूर्ख और क्रिमिनल की वोट से कम से कम दस गुना ज्यादा होना चाहिए। उसके वोट की कीमत क्यों नहीं हो सकती है? इस बात पर सोचने की जरूरत है। आज डिजिटल का जमाना है। जैसे सिग्रीवाल जी बोल रहे थे कि अगर हमारे पास ई-वोटिंग हो सकती है, अगर हमारे पास मोबाईल बूथ हो सकते हैं, हम एसएमएस से अपनी वोटिंग कर सकते हैं, हम पोस्टल बैलेट से अपनी वोटिंग कर सकते हैं, तो इस वहीं उसी बूथ पर जा कर वोटिंग की जाए, यह कंप्लसरी करने की मुझे जरूरत लगती नहीं है। निश्चित रूप से अगर हम ये सुविधाएं देंगे तो बहुत से लोग आगे आएंगे और वोट डालेंगे। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र उसे कहते हैं, जहाँ लोगों के पास स्वतंत्रता हो, लोगों के पास आजादी हो, लेकिन हर एक बात पर अगर सरकार उनको इनफोर्स करे कि नहीं तुम्हें यह करना ही होगा, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर कुछ कमी आ जाती है।

जैसा मैंने पहले कहा था, एक आस्ट्रेलिया को छोड़ दीजिए, आस्ट्रेलिया की जनसंख्या केवल चार करोड़ है, ब्राजील को छोड़ दीजिए, ब्राजील की जनसंख्या ज्यादा है, ऐसे छोटे-छोटे देश हैं, जिनका 90 परसेंट लोग नाम तक नहीं जानते, जहाँ कंपल्सरी वोटिंग है। दुनिया के बड़े-बड़े देश, चाहे यूरोप हो, अमरीका हो, चाइना हो, जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या है और जो अच्छे एडवांस कंट्रीज हैं, उनके अंदर कंपल्सरी वोटिंग नहीं

है। जिस देश के अंदर 83 करोड़ वोटर्स हैं, मान लीजिए अगर उसके दस परसेंट लोगों को भी फाइन करना पड़े, अगर कल को सरकार यह तय करे कि जो कंपल्सरी वोटिंग नहीं करेगा, उसको हम कोई न कोई सजा देंगे, उसको हम कोई न कोई फाइन करेंगे। क्या हम दस करोड़ लोगों को फाइन कर सकते हैं, क्या हमारे पास वह मैकेनिज्म है? आस्ट्रेलिया के अंदर यह बात आई कि 50 डॉलर का फाइन लेने के लिए उन्हें तीन हजार से ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। क्या भारत जैसा विकासशील देश इतना पैसा कंपल्सरी वोटिंग के लिए खर्च कर सकता है? इन बातों पर भी विचार करने की जरूरत है।

मैं पुनः आपसे निवेदन करूँगा कि आज इन्फार्म्ड वोटर्स बनाने की जरूरत है, पढ़े-लिखे लोगों की जरूरत है। मैं तो यह भी कहूंगा कि आज हमारे देश के अंदर 18 साल की आयु के ऊपर मतदान का आधिकार है, बहुत देशों के अंदर ऐसा है कि जो 18 साल से जो ऊपर हैं, उन्हें मतदान करने का आधिकार है। मैं तो यह कहूंगा कि जो बच्चे पढ़ते हैं, जो कॉलेजों के अंदर पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं। क्या शिक्षा संस्थानों के अंदर हमें चुनाव की राजनीति को लाना चाहिए? इसके ऊपर भी गंभीर जायज चर्चा करने की जरूरत है। जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ने का वातावरण देना चाहिए या उनको राजनीति का वातावरण देना चाहिए। इस पर भी हमें गंभीर विचार करने की जरूरत है। इतनी बात कहकर मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद।

24.04.2015

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): महोदय, सबसे पहले मैं सीग्रीवाल जी को धन्यवाद दूँगा कि वे एक अच्छा विषय सदन में चर्चा के लिए लेकर आए हैं। भारत का लोकतंत्र परिपक्व है। पूरी दुनिया आधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है। जो भी सरकार या समाज देने का काम करता है, उसका सम्मान सदैव होता रहा है और वह समाज मजबूत होता रहा है। सीग्रीवाल जी ने यह नहीं कहा है कि कानून केवल दण्ड के लिए बना दिया जाए। उन्होंने अपने भाषण में भी इस बात को साफ कहा है कि इस पर विचार होना चाहिए।

भारत एक बड़ा लोकतंत्र है। मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र में हम सबके अपने नजरिए हो सकते हैं। मैं गाँव से आता हूं, थोड़ा-बहुत पढ़ा-लिखा भी हूं, लेकिन जो अनुभव आता है, वह अनुभव ऐसा है कि जो पढ़े-लिखे, ताकतवर और सुविधा प्राप्त लोग हैं, वे लोकतंत्र के प्रति न तो उतने जवाबदेह हैं और न उनकी वोट डालने में उतनी रूचि है। मैं यह नहीं कहता कि पूरी तरह से वे रूचि नहीं रखते हैं, लेकिन जो आँकड़ा मैं देख रहा था, इसमें मैंने देखा कि जो हमारे कर्मचारियों का मत है, वह 13 लाख 65 हजार 625 है, जो वर्ष 2014 का आँकड़ा है। जो पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए हैं, वे 11 लाख, 54 हजार, 607 हैं। उसके बाद में जो वोट डला, उसमें भी अवैध हुए, 2 लाख 25 हजार, 300 अवैध हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि पढ़े-लिखे लोग जो पोस्टल बैलेट लेते हैं, उसमें इतनी बड़ी संख्या निरस्त होने वाले अवैध मतों की है। उसमें नोटा के लोग भी हैं, जो 8 हजार 524 हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो पढ़े-लिखे कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपना बैलेट इश्यू कराया।

महोदय, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम दो-तीन चुनौतियों को देखें, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, जो बुलेट की बात करते हैं, लेकिन बैलेट पर विश्वास नहीं करते। क्या इससे उनका जवाब निकल सकता है, अगर कंपल्सरी वोटिंग होगी, तो लोकतंत्र को न मानने के बावजूद भी चाहे वे नोटा का प्रयोग करें, उन्हें वोट के दायरे में आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और मुझे लगता है कि यह देश के लिए बेहतर और बड़ी जरूरत है। जो अपने आपको रसूखदार मानते हैं, जो पैसे के दम पर या ताकत के दम पर मतदान को प्रभावित करने का काम करते हैं, ये परिणाम को बदलने की ताकत रखते हैं, यह हमारे लोकतंत्र की कमजोरी है, जहाँ जिन क्षेत्रों में ऐसा है, शायद इस पर भी प्रतिबन्ध लग सकता है।

तीसरी बड़ी समस्या इस देश के भीतर घुसपैठ की है। आजकल तो वोटर आईडी बड़ी आसानी से बन जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि खाली इतना ही नहीं है, हमारे यहाँ अपने मतदाता को चिह्नित करने के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जब लोकतंत्र और मज़बूत होगा। जब से देश आज़ाद हुआ है, लोक सभा में अभी तक प्रतिशत में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। 1977 को छोड़ दीजिए, 1989 को छोड़ दीजिए, 2014 का आपने देखा। इसके कारण हैं और अगर हम उसके पक्ष और विपक्ष को देखें तो बहुत बड़ा वोटों का परिवर्तन या स्विंग रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता जैसा देश के आँकड़े बताते हैं। लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत लोकतंत्र के लिए है लेकिन पंचायत का चुनाव देश के किसी भी राज्य में हो, किसी भी सूबे में हो, ग्राम पंचायत के पंच से लेकर सरपंच तक वोटिंग का परसेंटेज कभी 90 प्रतिशत से कम नहीं होता है। क्या इस पर विचार किया है? जब हम लोक सभा के चुनावों में जाते हैं तो वोटिंग का प्रतिशत गिर जाता है। मुझे लगता है कि ये ऐसी बातें हैं जिन पर कहीं न कहीं नियम और कानून बनाने की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि दंड इतना सख्त हो कि उसमें आर्थिक दंड हो। यह चर्चा का विषय है कि हम तरीका क्या अपना सकते हैं। हम किसी को प्रोत्साहित करें जो मतदान करने के लिए जाता है या किसी को हतोत्साहित करें, यह भी एक रास्ता हो सकता है, इसमें कोई दंड जैसी बात मुझे नहीं लगती। लेकिन अगर कोई आंशिक रूप से चरणबद्ध कार्यक्रम हम बनाएँ, जैसे सीग्रीवाल जी ने कहा है कि वास्तव में कुछ देश ऐसे हैं जो वृद्धों को इस बात की छूट देते हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं। बीमार लोगों को छूट देते हैं, ऐसा हम भी दे सकते हैं। जहाँ पर भौगोलिक रूप से ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि जहाँ पर आसानी से आया और जाया नहीं जा सकता, हम वहाँ पोलिंग बूथ पहुँचाते हैं, वह हम करते हैं। लेकिन इस सबके बावजूद भी लोग वोट डालने में रुचि नहीं रखते। इसलिए मुझे लगता है कि यह बहस बेहतर बहस है। मैं उन चुनौतियों से रूबरू होता रहा हूं इसलिए मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा नैतिक कानून ही सही, कोई ऐसी नैतिक ताकत हमारे सामने खड़ी होनी चाहिए। एक होता है कि नेता और पार्टी जिसको जागरूकता का काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, आपका अनुभव इतना विशाल अनुभव है कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे। हमारी विचारधारा, हमारा नेतृत्व, हमारा राजनीतिक संगठन, उनकी जो गतिविधियाँ हैं या उनके जो काम करने के

तरीके हैं, मुझे लगता है कि पहले हम जैसे लोग जब आए थे तो हम विचारों के आधार पर पार्टियों में आए थे। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ हैं, वह आंदोलन खड़ा करने में विफल रही हैं, यह इस देश की सच्चाई है। इसलिए कानून की बात आ रही है। ऐसा नहीं है कि अचानक चर्चा सदन में आई है। यह परिस्थितियाँ इसलिए आई हैं कि जब कभी नेतृत्व इतना ताकतवर रहा कि जिसने समाज को आंदोलित किया, तो लोग उसके साथ चलकर सड़क पर भी आए हैं, और मतदान केन्द्रों तक भी जाने की कोशिश की है। या तो फिर पार्टी का विचार इतना ताकतवर होता है कि जब कभी समाज आंदोलित होता है तो वह सड़क पर भी आता है और मतदान केन्द्र पर जाने के लिए भी उत्साह के साथ और पूरे गौरव और गरिमा के साथ जाता है। आज वह परिस्थितियाँ हैं। कैडर हो, संगठन का तंत्र हो जो विचारधारा से आभिप्रेत हो, जब तीनों चीज़ें गिरावट की तरफ महसूस होती हैं, तब यह चर्चा आती है कि कहीं न कहीं किसी कानून की ज़रूरत है। वह कानून नैतिक मूल्यों पर आधारित होगा, वह दंडात्मक कार्रवाई आर्थिक रूप से करेगा या कोई नया कानून बनाएगा, मुझे लगता है कि इस पर ज़रूर बहस होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे माननीय सदस्य जो तमाम जगहों से आते हैं, इस पर ज़रूर अपनी बात कहेंगे। मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करूंगा कि मैं यह मानता हूं कि निश्चित रूप से देश में मतदान अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि हमारा देश भारत 60 प्रतिशत नौजवानों का देश है जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। इसलिए शिक्षा का सवाल हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने सवाल है कि वह देश की नीतियों के प्रति रुचि रखते हैं या नहीं। वह देश की राजनीतिक पार्टियों के प्रति विश्वास रखते हैं या नहीं। वह देश की उन्नति में हिस्सेदार बनना चाहते हैं या नहीं। मैं मानता हूं कि बुज़ुर्गों को तो रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए, लेकिन जो 60 प्रतिशत आबादी है, जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है, मैं मानता हूं कि उनमें से आधिकांश पढ़े लिखे हैं और हो सकता है कि पाँच प्रतिशत पढ़े लिखे न हों। आधिकांश लोग इतने पढ़े लिखे ज़रूर हैं कि जो अखबार पढ़ सकते हैं, जो टीवी देखते हैं, जो देश की नीतियों पर विचार कर सकते हैं, दलों के विचारों को आत्मसात कर सकते हैं या उसकी आलोचना कर सकते हैं, संगठन में हिस्सेदारी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग प्रोफैशनल तरीके से राजनीति करें। जो कुछ लोग कहते हैं, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि चाहे लोहिया जी हों या दीनदयाल जी हों, उन्होंने कभी उपाधि के आधार पर नेता बनाने की बात नहीं की है। जिन्होंने ज़मीन पर दर्द

को देखा और अपने आपको समाधान के रूप में प्रस्तुत किया, वे राजनीति करें। यह प्रबंधन की राजनीति दो दशकों की राजनीति है। इसके पहले की राजनीति नहीं है। इसलिए राजनीति की परिभाषा को बदलने की गलती कोई न करे। हिन्दुस्तान की धरती पर खड़े होकर यदि कोई ईमानदारी के साथ समस्या को आत्मसात करेगा तो मेरा विश्वास है कि वह उसका निदान ज़रूर देगा। उसको किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मतदाता हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, उसकी हैसियत को कम करके आँकना, उसको किसी दायरे में बाँधकर चलना कि कौन बुद्धिमान है और कौन कम बुद्धिमान है, यह फैसला करने का आधिकार हिन्दुस्तान का समाज नहीं देता।

मैं इतना जरूर मानता हूं। मैं इस अवसर पर सीग्रीवाल जी को धन्यवाद दूंगा और मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि निश्चित रूप से इस देश में अनिवार्य मतदान की प्रणाली होनी चाहिए। सरकार इस पर जरूर विचार करे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति: आपको भी धन्यवाद कि समय के अन्दर अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया। श्री जगदम्बिका पाल।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर, जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बहुत सारगर्भित और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, मुझे बोलने का अवसर दिया है।

मेरे हाथ में इलैक्टोरल कमीशन की एक रिपोर्ट भी है। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आज पूरी दुनिया में डिबेट हो रही है कि जिस तरह से डैमोक्रेसी की बात है, जो भी आज पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी की दुनिया में सबसे अच्छी एक गवर्नेंस की बात है, सुशासन की बात किसी भी देश में है, सभी मुल्कों में आज यह सबसे अच्छी प्रबन्धन व्यवस्था मानी जाती है। अगर दुनिया में डैमोक्रेसी एक सबसे अच्छी प्रणाली है और उस प्रणाली को दुनिया के आधिकांश देश स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित तौर से वह डैमोक्रेसी किसके द्वारा है, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की। अगर देश की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार देश की जनता के लिए या देश की जनता के द्वारा है तो आज निश्चित तौर से जब देश की जनता का पाटीरसिपेशन होगा, तभी किसी देश की सरकार के बारे में उसकी जनता की भावनाओं का रिफ्लैक्शन होगा। इस देश में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें उठाई गईं, मैं उन महत्वपूर्ण बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि आज इंग्लैंड में क्या डिबेट हो रही है, आस्ट्रेलिया में तो निश्चित तौर से पिछले 1924 के चुनाव से लेकर 90 प्रतिशत वोट लगातार पड़ रहे हैं, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। मैं तो अपने मुल्क के परिप्रेक्ष्य में बात कहना चाहता हूं कि अपने मुल्क में जिस समय आजादी की लड़ाई हो रही थी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़ रहे थे तो आखिर क्या वे सत्ता के लिए लड़ रहे थे या इस देश की व्यवस्था के लिए लड़ रहे थे। गुलामी की दासता की जंजीरों से मुक्ति के लिए वे फांसी के फंदे को चूम रहे थे, हंसते-हंसते अपने जीवन का बलिदान कर रहे थे, बहनें अपने भाई को राखी बांधकर के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में विदा करती थीं और मां अपने बेटे को बलिदान देने के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थीं, पत्नियां अपना सुहाग का बलिदान देने के लिए तैयार थीं। अगर देश को

इतनी बड़ी कुबारनियों के बाद आजादी मिली है तो क्या अब हम उस देश की आजादी के बाद 2015 में इस बात की भी चिन्ता करें, इलैक्शन कमीशन इस बात की चिन्ता करे कि लोग मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदान करें।

अगर किसी सरकार से आप अपेक्षा करते हैं, गुड गवर्नेंस की अपेक्षा करते हैं, सरकार से सुशासन की अपेक्षा करते हैं तो सरकार से तभी आपको कम्प्लेण्ट करने का आधिकार है, जब कम से कम आप अपने मतदान का प्रयोग करें। आज देश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उनमें लगातार पूरी सरकारें इस बात का प्रयास करती हैं, इलैक्शन कमीशन इस बात का प्रयास करता है कि टर्नआउट ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन तब भी आप देखते हैं कि 50 प्रतिशत, 55 प्रतिशत, 60 प्रतिशत, जिस तरीके का मतदान होता है तो उस मतदान में अगर लोग किसी भी राज्य में या देश में 30 परसेंट, 35 परसेंट या 40 परसेंट लोग मतदान नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद एक राइट टू कम्प्लेण्ट का आधिकार प्रयोग करना चाहें कि हमारा तो आधिकार है कि हम सरकार के खिलाफ कम्प्लेण्ट करें तो मैं समझता हूं कि उनको अपने दायित्व का भी निर्वहन करना चाहिए, उनको अपने कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए कि अगर किसी सरकार से हमें कम्प्लेण्ट करने का आधिकार है तो उस सरकार को बनाने में भी उनकी सहभागिता होनी चाहिए, सरकार को बनाने में उनकी निश्चित तौर से भागीदारी होनी चाहिए।

हम यह कहना चाहते हैं कि अगर लोगों ने उस आजादी की लड़ाई में इन्न्यूमरेबल सैक्रीफाइसेज़ किये, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया था तो उनकी इच्छा यही रही होगी कि जब देश आजाद होगा तो निश्चित तौर से लोगों को एक लिबर्टी होगी और लोग अपनी सरकार को स्वयं चुनेंगे तो वह एक परिकल्पना रही होगी कि देश का एक-एक व्यक्ति जो हमारा संविधान है, उस संविधान के आर्टीकल 19 में जब हर व्यक्ति को समानता का आधिकार है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी नौकरी अपनाने का अधिकार। जब हिन्दुस्तान के हर व्यक्ति को संविधान के एक नागरिक के रूप में उस समतामूलक समाज की बराबरी का आधिकार है तो स्वाभाविक है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यही कल्पना की होगी कि एक-एक व्यक्ति का विचार किया होगा, जिसमें हैव या हैव नॉट की बात

नहीं रही होगी, जिसमें गरीब और अमीर का सवाल नहीं रहा होगा। वज़ीर और फकीर का सवाल नहीं रहा होगा। आप तो उन संघर्षों से निकले हैं। आपने खुद कई बार इसका उल्लेख किया है कि अगर आप यहां मौज़ूद हैं तो यह उसी संविधान की देन है या उसी प्रजातांत्रिक प्रणाली की देन है। यह स्वाभाविक है कि अगर उस प्रजातांत्रिक प्रणाली में देश के सभी लोगों की सहभागिता होगी तो सही मायने में उसका प्रतिनिधित्व होगा। चाहे महात्मा गांधी जी रहे हों, भगत सिंह जी रहे हों, नेहरू रहे हों, उन लोगों ने ब्रितानिया हुकूमत से लड़ाई लड़ी और जाने-अनजाने कितने लोग शहीद हुए। अंडमान-निकोबार के सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर से लेकर कई लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी। मैं कहना चाहता हूं कि इसे आज एक सिविक ड्याूटी के रूप में लेना चाहिए।

यह ठीक है कि इस पर बहस हो रही है कि मतदान को कम्पलसरी किया जाए, लेकिन मैं एक नागरिक के रूप में समझता हूं कि जो व्यक्ति इस देश का नागरिक है, तो नागरिक होने के नाते उसकी सिविक ड्याूटी क्या है? अगर वह कम्पलसरी एजुकेशन की मांग करता है कि शिक्षा का आधिकार सब को मिले, तो हमारी सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है कि हम सभी को शिक्षा दें। आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत शिक्षा की बात कर रहे हैं या कम्युनिटीज़ के प्रति हमारी ड्यूटीज़ की बात हो रही है। अगर आप संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र की मांगों के चार्टर को देखें तो उसमें टैक्सेशन की बात की गयी है कि टैक्स देना हर आदमी की जिम्मेदारी है, स्टेट को एजुकेशन देने की रिस्पॉन्सिब्लिटी दी गयी है, उसी तरीके से उस डिक्लेयरेशन में यह भी है कि वोटिंग भी व्यक्ति की सिविक ड्यूटी है।

आज हम यह अपेक्षा करते हैं कि वोट देना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। यह सदन देश के उन तमाम करोड़ों लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित करने वाला है। इसकी चिंता हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने की कि जिस दिन वोटिंग होती है, उस दिन लोग समझते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, घर में हम टीवी देखेंगे, कहीं पिकनिक करने जाएंगे। क्या यह सही है कि लोग जब अपने आधिकारों की बात करते हैं और उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो? उन्हें जिस दायित्व का बोध होना चाहिए, अगर वह नहीं होगा तो फिर निश्चित तौर पर सदन में यह बात उठती है कि सभी के लिए वोटिंग को कम्पलसरी किया जाए। ऐसा नहीं है कि भारत में इसके लिए पहली बार कोई पहल हो रही है। वर्ष 2013 में जो रिपोर्ट आयी है, उसमें 22 देशों ने वोटिंग को कम्पलसरी

किया है। इसमें अर्जेन्टीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील इत्यादि देश हैं। ऑस्ट्रेलिया में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए संघीय और राज्य चुनावों में मतदान करना अनिवार्य है। ब्राजील में, 18 और 65 के बीच की आयु के साक्षर नागरिकों के लिए यह अनिवार्य है। इसी तरह, साइप्रस, इक्वेडोर, नॉरू, पेरू, सिंगापुर इत्यादि देश हैं। अगर इन मुल्कों ने उसे कम्पलसरी किया है तो हमें वहां से भी अनुभव लेने चाहिए।

महोदय, आपने जो कहा है, उसी के अनुसार मैं केवल दस मिनट में ही अपनी बात रखूंगा।

माननीय सभापति: आठ मिनट हो गए हैं।

श्री जगदम्बिका पाल: ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे जल्दी समाप्त करूं।

महोदय, इस तरह से मैं समझता हूं कि हम जैसे पॉलिटीकल सिस्टम के लोग और देश के बहुत से नागरिक भी यह चाहते हैं कि इलेक्शन में अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें और हाई वोटर टर्न-आउट हो। मैं समझता हूं कि अगर वोटिंग कम्पलसरी होगी , तो अधिक राजनीतिक वैधता वहाँ मौजूद होगी, क्योंकि उसी के परिणामस्वरूप उच्च संख्या में मतदान होता है। इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो नागरिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में रहते हैं, उनकी यह ड्यूटी है। इसका यह मतलब नहीं है कि वे डेमोक्रेसी को टेकेन-फॉर-ग्रांटेड ले लें, कि चाहे हम वोट करें या न करें। मैं समझता हूं कि उसका आधिकार तभी बनता है, जब वह वोट करे।

सिग्रीवाल साहब, जो इस विषय को लेकर आए हैं, इसमें इस देश के लोगों की इच्छा क्या है? मतदान की अनिवार्यता वाले देश में चुनाव का परिणाम लोगों की इच्छा को अधिक दर्शाता है।देश में यहां अगर कंपल्सरी वोटिंग होगी, क्योंकि आज आस्ट्रेलिया में नब्बे प्रतिशत लोग मतदान करते हैं, दस प्रतिशत के लिए जैसा हमारे साथियों ने कहा, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं कि कोई बीमार है, हास्पिटलाइज है, तो उसका सर्टिफिकेट दें या जो वोट नहीं करता है, उसको पेनाल्टी किया जाए, फाइन लगाया जाए, ये सब उपाए उन्होंने बताये हैं। निश्चित तौर से सरकार इस बात पर विचार करे। गुजरात ने इसकी पहल की थी, वहां कारपोरेशंस के चुनाव में यह हुआ। ..(व्यवधान) मेरी बहन गुजरात का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। केवल भारत

में ही नहीं पूरी दुनिया में आज गुजरात मॉडल की प्रशंसा हो रही है। ...(व्यवधान) नहीं तो फिर उसकी प्रशंसा हो रही है कि मुख्यमंत्री जी बैठे रहें और एक व्यक्ति उनके सामने खुदकुशी कर लें। शायद यह देश के लिए सबसे बदनुमा दाग होगा। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से इसके लिए गुजरात ने पहल की है। वहां सारे कारपोरेशंस के इलेक्शन में या नगर पालिका संस्थाओं में कंपल्सरी वोटिंग है, तो आगे निश्चित तौर से इस स्टेज को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जहां पंचायती राज में थ्री टीयर सिस्टम है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका लोक सभा की है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप समापन करें।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, दो मिनट में आपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने देश में भी हमने गुजरात से प्रयास शुरू किया है और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे बड़ी चिंता की बात मैं आखिरी कह दूं कि ऐसा लगता था कि हंग ही पार्लियामेंट आएगी, हंग असेंबलीज आएंगी। देश की आम जनता को चिंता होने लगी थी कि फ्रैक्चर्ड मैनडेट आ रहा है। जिस तरीके से गठबंधन की सरकारें होती थीं, उसमें कंपल्शंस होते थे और कई तरह की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में हुईं। कई स्कैम इसलिए हुए कि पॉलिटिकल कंपल्शंस में केवल उनको जिस तरह से लिया गया, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा। उसकी परिणति आपने देखी कि पूरी दुनिया के सामने भारत का सिर शर्म से झुक गया। इस देश में लोगों ने टर्न आउट किया, हाई टर्न आउट हुआ। आज देश में एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। आप देख रहे हैं कि चाहे मेक इन इंडिया की बात हो, क्लीन इंडिया की बात हो, डिजिटल इंडिया की बात हो, आज देश पहल कर रहा है। लोगों में विश्वास पैदा हो रहा है।

माननीय सभापति: आप समाप्त करिए, आपने तीन मिनट समय ज्यादा ले लिया है।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं समझता हूं कि जो विषय सीग्रीवाल जी लाए हैं, यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं समझता हूं कि इससे एक्सपेंडीचर भी कम होगा। जो हमारी पॉपुलेशन है, वह भी इन्फार्म्ड होगी,

जो हमारी हंग और पॉलिटिकल इनस्टैबिलिटी होती थी, वह भी कम होगी। इन सब चीजों को देखते हुए, जो वह प्रस्ताव लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): सभापति जी, श्रीमान सीग्रीवाल जी द्वारा जो कंपल्सरी वोटिंग का प्रस्ताव लाया गया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राइट टू वोट बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की, संविधान निर्माताओं की हिंदुस्तान के आवाम को एक अनुपम भेंट है। उसी का ही यह परिणाम है कि आज हिंदुस्तान ने 16 लोक सभा के चुनाव और राज्य के चुनावों को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। हम एक जागरूक देश हैं। जहां हमने लोकतंत्र की खूबियों को बहुत अच्छी तरह से पहचाना है, उन पर काम भी किया है, वहीं हर सिस्टम के अंदर कहीं न कहीं कुछ कमियां भी आई हैं। अभी चार दिन पहले 15 जनपथ के ऊपर बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टडी सेंटर का उद्घाटन करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने वोट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि अगर बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान के संविधान के अंदर राइट टू वोट न दिया होता तो मैं आज यहां पर नहीं होता।

हमारे ही देश के अन्दर पहले रजवाड़ों को वोट डालने का आधिकार था, बड़े-बड़े लोग ही वोट डाल सकते थे, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस वोट के आधिकार को दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग और महिलओं को भी वोट का आधिकार दिया है। भारत में जो निर्वाचन आयोग बना, वह भी एक अनुपम भेट है जिसने हिन्दुस्तान में समय-समय पर चुनावों को बहुत पारदर्शी तरीके से कराया है। हमने देश की आजादी के बाद ऐसा समय भी देखा है, हालांकि उस समय पंजाब के हालात बिगड़े हुए थे लेकिन पंजाब के एक चुनाव में ऐसा समय भी आया है कि एक-एक संसदीय क्षेत्र में दो-ढाई लाख वोट थे लेकिन कुल मतदान एक प्रतिशत हुआ और जिस व्यक्ति को 120 वोट मिले, वह एम.एल.ए. बन गया। इसी तरह जब जम्मू-कश्मीर में चुनाव का बायकॉट हुआ तो वहां पर भी चुनाव बहिष्कार के ऐसे दृश्य देखने को मिले कि जब नाम मात्र वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति चुन कर सदन में चला आए। यह भारतीय संविधान का मजाक है और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक है। जब

जनमत को धन-बल के आधार पर प्राप्त कर लिया जाय, या कुछ दबंग काले धन का प्रयोग करके जनमत को प्रभावित करते हैं तो इससे हिन्दुस्तान का लोकतंत्र कलंकित होता है।

सभापति महोदय, इसी सदन में हालांकि वह डायरैक्ट वोटिंग नहीं थी, आप भी उस समय संसद के सदस्य थे और आज भी आप इस महान सदन के सदस्य हैं, वोट का क्या महत्व है, यह सारी दुनिया ने देखा है? जब भारत माता के लाल श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र एक वोट से चली गयी थी। उस दृश्य को इस महान सदन के अंदर दुनिया ने देखा था कि वोट का महत्व क्या है, एक वोट का क्या महत्व है? एक वोट के कारण हिन्दुस्तान के 125 करोड़ लोगों को दोबारा मतदान के अंदर झोंक दिया गया था। यह हमारे प्रजातंत्र के अंदर वोट के महत्व का दर्शाता है। आज 50 प्रतिशत से ज्यादा कहीं पर वोटिंग होती है और कोई चुनकर सदन में आते हैं तो जनता की उसमें श्रद्धा नहीं होती है। ऐसे जनप्रतिनिधि के बारे में लोग सोचते हैं कि उनको तो 50 प्रतिशत लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया है। यह ठीक है कि वह अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं लेकिन उसे पॉपुलर मैन्डेट हासिल नहीं होता है। इसलिए आज कम्पलसरी वोटिंग की बात उठ रही है। भारतवर्ष के अंदर जो डिजिटल क्रांति आ रही है, नये-नये उपकरण आ रहे हैं, चुनाव आयोग भी मतदान कराने के लिए मुहीम चलाता है और उस मुहीम का नतीजा भी हर चुनाव के अंदर देखने को मिल रहा है कि वोट का कुछ परसेन्टेज बढ़ रहा है। अगर इसे दूसरे ढंग से चलाया जाये, डिजिटल के माध्यम से चलाया जाये, वोट के इस राइट को कम्पलसरी भी कर दिया जाये और चुनाव आयोग आने वाले समय में ई-वोटिंग के माध्यम से सारे देश में एक प्रकार की व्यवस्था खड़ी कर दे, चाहे उसको प्रथम स्टेज या द्वितीय स्टेज, उसे इस प्रकार भी अपनाया जा सकता है। क्योंकि इतने बड़े देश में सारे सिस्टम को तैयार करने में भी कुछ समय लगेगा। आज वोट का महत्व इतना बढ़ गया है कि देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए कम्पलसरी वोट होना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि हिन्दुस्तान का मतदाता चाहे वह पढ़ा-लिखा है या अनपढ़ है, वह जिस प्रकार वोट करता है, सारी दुनिया चकित रह जाती है।

संयोग से मैं वर्ष 2000 में न्यूयार्क यूएनओ में एक चुनाव में पाटीरसिपेट करने गया था। उस समय अमरीका में भी राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था। हमने देखा कि एक महीने तक उस चुनाव का नतीजा ही नहीं

निकल सका। पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, किसी स्टेट में कम मतदान था। हिन्दुस्तान का मतदाता इतना तेज है कि जैसे ही वोटिंग मशीन का बटन दबाता है तो सारी दुनिया चकित रह जाती है। आपने 16वीं लोक सभा के चुनाव के नतीजे देखे होंगे। हिन्दुस्तान के युवाओं, पिछड़े, गरीब लोगों ने इस प्रकार के व्यक्ति में अपना विश्वास प्रकट किया जिन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया कि हिन्दुस्तान का लोकतंत्र कितना मजबूत है।

मैं आज यही अनुरोध करना चाहूंगा कि मतदान कम्पलसरी बनाने के लिए, मतदात को जागरूक करने के लिए, हिन्दुस्तान में चुनाव सुधार लागू करने के लिए जितने कदम उठाए जाएं, मैं उन सबका समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

24.04.2015

श्री पी.पी.चौधरी (पाली): सभापति महोदय, मैं सीग्रीवाल साहब का बहुत धन्यवाद आर्पित करता हूं कि वे कम्पलसरी वोटिंग बिल, 2014 चर्चा के लिए सदन में लेकर आए। जहां तक वोटिंग का सवाल है, यह ऐसा सिस्टम है जिसमें मतदाता वोट डालने के लिए ऑब्लाइज्ड है। अगर वह वोट नहीं दे पाता तो प्युनिटिव मेजर्स, सिविल लॉयबिलिटी या सिविल पैनल्टी आदि दी जा सकती है। कम्पलसरी वोटिंग में यह भी है कि सरकार द्वारा कई तरह के बैनिफिट्स जैसे सब्सिडी आदि दिए जाते हैं, इसलिए उसे वोटिंग में भाग लेना भी जरूरी है। जहां तक कम्पलसरी वोटिंग की बात है, हमें दूसरी कंट्रीज को भी देखना है। विश्व की लगभग 22 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने कम्पलसरी वोटिंग के लिए कानून बना रखा है। उसमें से लगभग 13 कंट्रीज उसे एनफोर्स भी कर रही हैं। जहां तक कानून बनाने की बात है, अर्जेंटिना ने 1912 में कानून बनाया, आस्ट्रेलिया ने 1924 में बनाया। वहां कम्पलसरी वोटिंग सक्सैसफुली चल रही है। आज की तारीख में माना जाता है कि हमें संविधान द्वारा वोट का जो आधिकार मिला है, वह सिविक राइट है, लेकिन सिविक ड्याूटी में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। राइट टू वोट है लेकिन ड्याूटी टू वोट संविधान में अभी सम्मिलित नहीं हो पाया है। इसीलिए ड्याूटी टू पाटीरसिपेट इन डिसीजन मेकिंग आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। हमारे माननीय सदस्यों ने यह भी बताया कि पोलिंग की कम परसेंटेज होने की वजह से 11 प्रतिशत के कैंडिडेट भी जीत जाते हैं।

<u>अपराह्न 05.00 बजे</u>

राइट टू कम्पलसरी एजुकेशन के सिद्धांत को संविधान के मौलिक आधिकार में शामिल किया गया है। संविधान में राज्यों के नीति निदेशक तत्व में संशोधन करके वोट डालने को सिविक ड्यूटी के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए। वोट देना ड्यूटी टू कम्यूनिटी है। जहां सिविक ड्यूटी होगी वहां वोट डालना भी जरूरी होता है। यूनाइटेड नेशन के यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में वोट देने को ड्यूटी टू कम्यूनिटी माना गया है। अगर वोट देना ड्यूटी टू कम्यूनिटी है तो कम्पलसरी वोटिंग बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 19 में फ्रीडम टू स्पीक एंड फ्रीडम नॉट टू स्पीक का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि सिविक ड्यूटी राइट टू वोट में सम्मिलित नहीं है। भारत में समय-समय पर संपन्न हुए चुनावों में वोटिंग ऑफ परसेंटेज बहुत कम होती है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि शहरी मतदाता कम वोट डालता है और गांव के लोग कम वोट डालते हैं। किसी गांव में मतदाता बहुत कम वोट

डालते हैं और किसी गांव में बहुत ज्यादा वोट डालते हैं। मुंबई जैसे शहर में पोलिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। कुल वोटिंग 50 परसेंट होता है और 25-30 परसेंट में सरकार बन जाती है। यह प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है, इसलिए कम्पलसरी वोटिंग को लागू करना बहुत जरूरी है। ग्लोबोलाइजेशन के दौर में लोगों का बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ है। मेरे लोक सभा क्षेत्र पाली से सात लाख मतदाता माइग्रेट करके देश के भिन्न-भिन्न प्रांतों में गए हुए हैं। हमें ई-वोटिंग का प्रोसिजर शुरू कर देना चाहिए। कम्पलसरी वोटिंग तभी सफल होगी जब हम ई-वोटिंग पर विचार करेंगे। अगर हम ई-वोटिंग को लागू करेंगे तो मतदाता देश में चाहे 500 या 1000 किलोमीटर की दूरी पर भी होगा तब भी वह ई-वोटिंग के जरिए वह अपना मत दे सकेगा, तभी हम कम्पलसरी वोटिंग के सिद्धांत को लागू कर पाएंगे। इन्होंने जो प्रस्ताव रखा, इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूं। वोटिंग राइट के साथ-साथ एक सिविक ड्यूटी भी होनी चाहिए। यह ड्यूटी हम कम्यूनिटी के लिए करते हैं। हम सरकार से फायदा लेते हैं तो वोट देना आधिकार के साथ-साथ ड्यूटी भी होना जरूरी है। मैं बिल लाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

<u>अपराह्न 05.04 बजे</u> (डॉ. पी.वेणुगोपाल *पीठासीन हुए)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि सभी को प्राइवेट मेम्बर बिल के सपोर्ट में ही बोलना चाहिए। मैं प्राइवेट मेम्बर बिल के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

[अनुवाद]

मैं उम्मीद कर रहा था कि श्री चौधरी इस विधेयक की वैधानिकता के बारे में बोलेंगे। इस विधेयक में कई खामियां हैं। पहली और सबसे बड़ी खामी मतदान के लिए प्रोत्साहन के बारे में है। जैसा उन्नीसीवें पैरा में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी बीमारी या शारीरिक अक्षमता के बावजूद एक चुनाव में मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग किया है या कोई भी व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के शुरू होने से पहले 15 वर्षों की अवधि के दौरान आयोजित सभी चुनावों में मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग किया है, उसे केंद्र

सरकार के तहत नौकरी या सेवाएं प्राप्त होंगी और उसे उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्राथमिकता मिलेगी। उसकी उम्र क्या होगी? हमारे देश में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। अगर उसी साल वह वोट देने लायक बनता है, यानी वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है और वह लगातार 15 साल तक वोट देता रहे, तो उस समय उसकी उम्र 33 वर्ष होगी। और 33 साल की उम्र में, उसे क्या सरकारी सेवा मिलेगी?

श्री पी.पी.चौधरी: आप डिटेल में न जाकर प्रिंसिपल को फालो कीजिए। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: यह एक विधेयक है। मैं उम्मीद कर रहा था कि श्री चौधरी मुद्दे की बात कहेंगे।

दूसरी बात, उच्च शिक्षा का कौन सा संस्थान किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश देगा जो 33 या 35 वर्ष से अधिक आयु का है? और वह क्या सीखने जा रहा है? वह उस उम्र में अपना मत देकर कौन सा उच्च अध्ययन या अनुसंधान करेगा, जिसे वह अन्यथा प्राप्त करने में असमर्थ था?

दूसरा पहलू जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा वह है जुर्माने का प्रावधान। मैं कहूंगा, हमारे सहयोगी जनार्दन जी इसे समझाएंगे कि जुर्माने का यह प्रावधान वास्तव में गरीबों को निशाना बनाता है। यह ऐसा आरोप है जिसके बारे में मैं कहूंगा कि उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। यदि कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना, दो दिन का कारावास, उसका राशन कार्ड जब्त, दस वर्ष की अवधि के लिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य, किसी सरकारी संगठन द्वारा भूखंड या मकान के आबंटन के लिए अयोग्य, सरकार द्वारा घोषित किसी भी कल्याणकारी योजना के लिए अयोग्य का प्रावधान है। इनमें से अधिकांश दंड गरीबों को निशाना बना रहे हैं। आप अमीरों को निशाना नहीं बना रहे हैं।

गरीब लोग मतदान करने नहीं जाते हैं क्योंकि वे रोजगार खो देते हैं, उनकी कमाई का नुकसान होता जब तक कोई उनके लिए इस व्यवस्था की पूर्ति नहीं करता, वे मतदान के लिए नहीं आते। आप उसे मतदान केन्द्र पर आकर मत देने के लिए मजबूर कर रहे हैं और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो आप उसे इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं।

कई अमीर लोग भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर नहीं आते हैं। जब तक फोटो खिंचवाने का अवसर न हो, वे कतार में नहीं खड़े होते। जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां नहीं आता है और फोटोग्राफ नहीं लेता है, तब तक वे मतदान करने नहीं आते हैं। यह दिल्ली या मुंबई में हो सकता है लेकिन कई अमीर लोग मतदान केंद्र पर आने और मतदान करने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। उनके लिए 500 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। दो दिन की कैद से बेशक उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। राशन कार्ड की चिंता किसे है? अमीर लोग बिल्कुल परेशान नहीं हैं। मुझे खुशी होती अगर कुछ संशोधन इस बारे में होते कि कैसे अमीर लोगों, शिक्षित लोगों को निशाना बनाया जाए, जो हमेशा हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उपहास करते हैं और साथ ही हमारे संविधान द्वारा उन्हें दिए गए प्रावधानों का फायदा उठाते हैं।

मैं अन्य पहलुओं पर आऊंगा। चौधरी साहब और जगदम्बिका पालजी ने बहुत स्पष्ट रूप से उन देशों के बारे में उल्लेख किया है जिनके देश में अनिवार्य मतदान तंत्र है। मैं कहूंगा कि हेरोडोटस के समय से लोकतंत्र शब्द का उपयोग सरकार के रूप को दर्शाने के लिए किया गया है जिसमें किसी राज्य की सत्तारूढ़ शक्ति मुख्य रूप से किसी विशेष वर्ग या वर्गों या समूहों में नहीं बल्कि पूरे समुदाय के सदस्यों में निहित है। इस तरह से लोकतंत्र शब्द अस्तित्व में आया था। मेरा मानना है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता है, अगर उसके मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा मतदान के अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता है।

लोकतंत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, हर व्यक्ति सरकार की शक्ति का उपयोग करता है। कुल मिलाकर लोग न केवल सरकार चलाते हैं, बल्कि अपने दम पर संविधान भी बदल सकते हैं।

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो सीधे सरकार के प्रशासन को चलाते हैं। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। हमारा संविधान प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रावधान करता है।

24.04.2015

भारतीय संविधान ने राजनीतिक न्याय हासिल करने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली को अपनाया है। मतदान का अधिकार भी लोगों के प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है। इसमें प्रावधान है कि, "कोई भी व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तथा इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है, उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का हकदार नहीं होगा।"

चूंकि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्राण हैं, इसलिए मतदान के कार्य के माध्यम से ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा की जाती है। चुनाव प्रणाली का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं द्वारा संसद की सीटों पर किए गए मतदानों का आदान-प्रदान करना है। अनिवार्य मतदान कोई नई अवधारणा नहीं है। जिन देशों ने अनिवार्य मतदान कानून लागू किया उनमें 1892 में बेल्जियम, 1914 में अर्जेंटीना तथा 1924 में ऑस्ट्रेलिया शामिल थे।

अनिवार्य मतदान एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मतदाताओं को चुनाव में मतदान करने के लिए बाध्य किया जाता है। यदि कोई पात्र मतदाता मतदान स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो वह जुर्माने या सामुदायिक सेवा जैसे दंडात्मक उपायों के अधीन हो सकता है। अगस्त 2013 तक, 23 देशों में अनिवार्य मतदान लागू था। इनमें से, आज केवल 10 देश वास्तव में इसे लागू कर रहे हैं। जब क्वींसलैंड ने 1915 में अनिवार्य मतदान की शुरुआत की, तो यह तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य में ऐसा करने वाला पहला स्थान बन गया। वर्तमान में 32 देश हैं जिन्होंने अनिवार्य मतदान को अपनाया है, जिनमें से 19 देश जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, प्रवर्तन के माध्यम से इसे आगे बढ़ाते हैं। अनिवार्य मतदान को लागू करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्राज़िल, चिली, साइप्रस, इक्वाडोर, फिजी, ग्रीस, लिक्टेन्स्टाइन, मेक्सिको, नौरू, पेरू, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की और उरुग्वे शामिल हैं।

अनिवार्य मतदान के क्या गुण हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ गुण हैं; अन्यथा इन देशों में अनिवार्य मतदान क्यों होगा? हमें अनिवार्य मतदान के पक्ष में और खामियों के बीच भी फ़ैसला करना होगा।

अनिवार्य मतदान के पक्ष में चार बुनियादी गुण हैं। सबसे पहले, अनिवार्य मतदान बड़े मतदान के कारण उच्च स्तर की राजनीतिक वैधता देता है। विजयी उम्मीदवार अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।

दूसरा, यदि सभी को मतदान करना है, तो मतदान पर प्रतिबंधों की आसानी से पहचान की जाती है और उन्हें हटाने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

तीसरा, अनिवार्य मतदान मतदाताओं को यह पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है कि उनका उम्मीदवार कौन है और पृष्ठभूमि क्या है। यह एक तरह से मतदाताओं को सशक्त बनाता है।

चौथा, यह मतदान की भागीदारी और अन्य राजनीतिक गतिविधियों में रुचि को बढ़ाता है।

अंततः, मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए छोटे अभियान कोष की आवश्यकता होती है, और यह अधिक महत्वपूर्ण है। अन्यथा, राजनीति में बड़ी मात्रा में बेहिसाब पैसा खर्च किया जाता है।

यह इस का अवगुण हैं, कोई भी मजबूरी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। मतदान एक नागरिक कर्तव्य के बजाय एक नागरिक अधिकार है। अनिवार्य मतदान अन्य अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। अनिवार्य मतदान अनिवार्य रूप से एक बाध्य भाषण है जो बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता में आवश्यक रूप से बोलने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है।

इसलिए, मैं कहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि लोगों को मतदान करने के लिए मजबूर करना अलोकतांत्रिक है, क्योंकि यह स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अज्ञानी और राजनीति में कम ज्ञान रखने वालों को आकर मतदान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अंततः आवश्यक उपाय क्या हैं? हम चाहते हैं कि अधिक संख्या में लोग आएं और हमारी प्रक्रिया में भाग लें।

यदि हम अपने देश में तुलना करें कि 2009 में क्या हुआ और 2014 में मतदान प्रतिशत क्या था, तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। यह दर्शाता है कि 55.1 करोड़ तक मतदान हुआ। 2009 में, वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या 41.7 करोड़ थी; 2014 में, यह 55.1 करोड़ हो गई। इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए आए हैं। हमारे पास एक युवा भारतीय समाज है, हमारे समाज में बड़ी संख्या में युवा

मतदाता हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि वे अशिक्षित हैं लेकिन वे राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। उन्हें किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे समझते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। वह विशाल, मौन आबादी बड़े अच्छे तरीके से भाग लेती है। वे चुनाव के दिन लोकतंत्र का जश्न मनाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि जब हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, तो बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास मतदान रिकॉर्ड करने के लिए ई. वी. एम. और अल्ट्रा-आधुनिक मशीनें हैं, और हमारे पास एक और तरीका है 'उपरोक्त में से कोई नहीं' यदि हमें पसंद नहीं है, तो उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए, लोकतंत्र को महान तरीके से सफल बनाने के लिए अकेले राजनीतिक दलों पर नहीं छोड़ना है। इसलिए मैं कहता हूं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से लोकतंत्र को कायम या मजबूत नहीं किया जा सकता। यह एक विधेयक है जो लोगों को मतदान केन्द्र पर आने और मतदान करने के लिए मजबूर करता है; अन्यथा आपको जेल में डाल दिया जाएगा। भारत आजाद होने के लिए, जेल न जाने के लिए लंबा संघर्ष करने के बाद आजाद हुआ। अगर मुझे मतदान करना है, तो मुझे मतदान न करने का भी समान अधिकार है।

दूसरा पहलू यह है कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना या किसी व्यक्ति को यह कहते हुए गिरफ्तार करना कि उसने इस कानून का उल्लंघन किया है - यदि यह एक कानून बन जाता है - तो इसका मतलब है, आपको न्याय, प्राकृतिक न्याय की प्रक्रिया से गुजरना होगा। एक निर्वाचन अधिकारी के रूप में निर्वाचन आयोग या जिला मजिस्ट्रेट कितने मामले फाइल करेंगे? कितनी अदालतें हैं? क्या अदालतें पर्याप्त सक्षम हैं और उनके पास इन मामलों को देखने की इतनी ताकत है? यह एक यूटोपियन विचार है कि लोगों को जाकर मतदान करना चाहिए क्योंकि वे इस देश में आजादी का आनंद ले रहे हैं। यह देश एक स्वतंत्र देश और एक लोकतंत्र है। मैं तो कहूंगा कि यह पूरी तरह से लागू करने योग्य नहीं है।

मैं समझता हूं कि मंत्री जी यह बात कह रहे होंगे लेकिन मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि जब तक आप बेहतर विधेयक लेकर नहीं आते हैं, तब तक यह विधेयक हमें अस्वीकार्य है। मुझे चौदहवीं या पंद्रहवीं लोक सभा की याद आ रही है, जब मंत्री मंचके एक सदस्य, श्री जय प्रकाश अग्रवाल, जो दिल्ली में एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने एक ऐसा ही विधेयक पेश किया था। मैंने उनसे अनुरोध किया था, 'पहले अपने एम.

सी. डी. में प्रयास करें; सबसे पहले, आप अपने दिल्ली राज्य में प्रयास करें। उसके बाद आप हमें देश में करने की सलाह देते हैं। ' क्या मैं श्री जनार्दन को सलाह दूं कि वे पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपनी नगरपालिका में इसे आजमाएं और फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा अनिवार्य मतदान होगा? मुझे यकीन है, यह प्रत्येक भारतीय नागरिक के अधिकार पर असर डालता है।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, सृष्टि के आदिकाल से इस बात का संघर्ष रहा है। पश्चिमी देश के एक विद्वान ने एक थ्योरी दी थी- स्ट्रगल फोर एग़ज़ीस्टेंस एण्ड सर्वाइवल ऑफ दि फिटेस्ट। बाद में चल कर हिन्दुस्तान के हमारे चिन्तकों ने कहा कि यह दर्शन दुनिया के लिए नहीं है। हमारे यहां दर्शन चलेगा- लिव एंड लेट लिव। जिओ और जीने दो। जब गांधी का युग आया तो उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़ो तब हमारा दर्शन आया-लिव फोर अदर्स। दूसरे के लिए जिओ। लोकतंत्र की बुनियाद है कि दूसरे के लिए जीना सीखो। लोकतंत्र तभी सफल होगा, सक्षम होगा, लोकतंत्र कुछ फलदायी होगा, जहां नागरिकों में यह चेतना आएगी कि हम अपने लिए नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे राष्ट्र के लिए करेंगे, राष्ट्र का मतलब है कि राष्ट्र के सम्पूर्ण नागरिक के लिए करेंगे। आखिर यह भावना कैसे पैदा होगी? यह दो चीजों से पैदा होगी।

अभी कई माननीय सदस्यों ने इन बातों को उठाया है कि एक ओर विद्वान, पढ़े-लिखे लोग, सबल, योग्य और सम्पन्न लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ अनपढ़, विपन्न, गंवार और मूर्ख हैं और उनके हाथ में सत्ता दोगे तो क्या चलाएंगे? डॉ. लोहिया ने कहा था कि मैं इस देश के सक्षम, सबल और विद्वान लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस देश में 80 प्रतिशत लोगों को सत्ता से दूर रखा गया केवल हिन्दुस्तान के 15 या 20 प्रतिशत लोगों के हाथ में सत्ता थी, राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी तब हिन्दुस्तान बार-बार गुलाम क्यों हुआ? जब हिन्दुस्तान की सत्ता चलाने वाले सक्षम और योग्य लोग थे, तब सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान गुलाम रहा और गांधी के नेतृत्व में जिस दिन गांव का निर्धन, निर्बल से लेकर बिरला तक एक स्वर में बोल उठा कि 'ऐ अंग्रेजों भारत

छोड़ो' उस दिन शक्तिशाली अंग्रेज भारत छोड़ कर चला गया। इसका मतलब है कि जब गांव का गरीब और मजदूर जागता है तभी देश सबल और सक्षम होता है। अगर लोकतंत्र की यह प्रक्रिया नहीं होती, सभी को समान वोट का आधिकार नहीं मिलता तो बिहार में एक गरीब का बेटा कर्पूरी ठाकुर क्या नेता बन सकता था। दूसरा बिहार के अंदर अनुसूचित जाति का भोला पासवान शास्त्री जिनकी पत्नी सड़क के किनारे भूंजा और कचरी बेचती थी, वह गरीब आदमी क्या बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता था? क्या हिन्दुस्तान की गद्दी पर एक साधारण किसान का बेटा चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन कर आ सकता था? क्या एक गरीब का बेटा चन्द्रशेखर कभी बढ़ते-बढ़ते भारत का प्रधानमंत्री बन सकता था? आज मैं कहूं एक चाय बेचने वाला, रेलवे के फुटपाथ पर सोने वाला, मजदूरन का बेटा श्री नरेंद्र मोदी, क्या भारत का प्रधानमंत्री बनकर बैठ सकता था? यह इसी लोकतंत्र की देन है जहां सबको समान वोट देने का आधिकार मिला है।

महोदय, निर्धन हो या धनवान हो, सम्पन्न हो या विपन्न, नारी हो या नर, सभी को वोट देने का आधिकार है। नारी को अपने आधिकार के लिए इंग्लिस्तान में बहुत दिनों तक लड़ना पड़ा। इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट में माइक उखाड़कर फैंके गए और स्पीकर का सिर तोड़ दिया गया तथा उनकी हत्या हुई। जिस इंग्लिस्तान में वहां की औरतों ने अपने आधिकार के लिए लम्बी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हिंदुस्तान में गांधी जी की कृपा थी, हमारे अम्बेडकर जी और हमारे महापुरुषों की कृपा थी कि संविधान बना तो सभी लोगों को समान वोट का आधिकार मिला। डाक्टर लोहिया ने जाति प्रथा में लिखा है कि लोग कहते हैं कि मूर्ख लोगों को सभी लोगों को वोट का समान आधिकार दे दिया गया, यह उचित नहीं है। कभी-कभी मैं भी यह सोचता हूं कि यह उचित नहीं है लेकिन गंभीर चिंतन के बाद मुझे लगता है कि ये निर्धन, गरीब, दलित, पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के जंगल में रहने वाले लोग एक न एक दिन वोट की ताकत को जानेंगे और जिस दिन वे वोट की ताकत को पहचानेंगे, उस दिन अपने वोट की ताकत से भारत की सत्ता पर कब्जा करेंगे और भारतीय लोकतंत्र का इतिहास बदल कर रख देंगे। आज वह तबका जग गया है, उसने वोट की ताकत को पहचान लिया है, वह वोट के जरिए लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी चाहता है, साझेदारी चाहता है। वह आज अपनी हिस्सेदारी और साझेदारी के लिए लड़ रहा है।

24.04.2015

मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा हो कर कहना चाहता हूं कि हमें आज भी तकलीफ होती है जब यह कहा जाता है कि अनुसूचित जाति को इतना दे दो, अनुसूचित जनजाति को इतना दे दो, ओबीसी को इतना दे दो। आज भी इस आज़ाद भारत में इन 84 प्रतिशत लोगों को भिखमंगा बनकर, हाथ उठाकर क्यों मांगना पड़ रहा है? उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आज भी उस समाज के लोग सोए हुए हैं। जिए दिन उस समाज के लोग जगेंगे और सत्ता पर कब्जा करेंगे, उस दिन वे मांगने वाले नहीं, बल्कि बांटने वाले होंगे। जिस दिन बांटने की ताकत उसके हाथ में आएगी, उस दिन उनके बच्चे किसी के आगे भिखमंगा बनकर नहीं खड़े होंगे। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, सीग्रीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन लोगों को सजा दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। लोगों को कहिए कि भाई वोट गिराओ। यदि वोट नहीं गिराएंगे, सजा नहीं दी जाएगी, उन्हें कहा जाए कि तुम्हें दो साल के लिए या पाँच साल के लिए सरकारी सुविधा से वंचित कर देंगे, तुमको किसी बैंक से लोन नहीं देंगे, कुछ सुविधाएँ सरकार की ओर से नहीं दी जाएंगी, आखिर कहीं न कहीं भय लाना होगा। "विनय न माने जलधि, जड़, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बिन भय होए न प्रीत।" बिना दण्ड के राज नहीं चलता है। इसलिए कुछ न कुछ भय होना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन केवल इतना ही कहूंगा कि आज भी हिन्दुस्तान में दो धाराएँ हैं। जो पढ़े-लिखे लोग हैं, योग्य हैं, अपने को तथाकथित योग्य, शिक्षित, सबल, सक्षम, सम्पन्न कहते हैं। हम लोकतंत्र की परिभाषा में कहते हैं- लोगों का, लोगों के द्वारा , लोगों के लिए (ऑफ द पीपुल, बाई द पीपुल, फॉर द पीपुल) । बाई द पिपुल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है- लोगों के द्वारा। ऐसा हम तब कह सकते हैं, जब उसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, सबकी हिस्सेदारी हो, सबकी साझेदारी हो, सबका का उसमें मतलब हो, सबके हितों की कामना हो, तभी तो उनके द्वारा शासन होगा। आज भी हिन्दुस्तान में लोगों का, लोगों के द्वारा है, लेकिन यह लोगों के लिए नहीं है। यह क्यों नहीं लोगों के लिए है? आज भी हिन्दुस्तान में जो बहुसंख्यक हैं, वे आज भी अपने हक के लिए कहीं न कहीं हाथ पसार रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून बनाओ, संविधान बनाओ। वह क्यों मांग रहे हैं?

इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कहीं न कहीं इस कानून के जरिए या किसी के जरिए उन गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, अनुसूचित जातियों के अंदर इस चेतना को जगाया जाए, उन्हें प्रेरित

किया जाए कि वोट का आधिकार है, आप सब बाल-बच्चों के साथ वोट डालें। अब जागरुकता आयी है कि जो गरीब, निर्धन, निर्बल हैं, मेरे यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वे दो, चार, पाँच किलोमीटर अपने बच्चों के साथ, पति-पत्नी साथ-साथ जाकर, लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं और पढ़े-लिखे लोग घर में बैठे रहते हैं। वे कहते हैं कि बहुत गर्मी है, चमड़ी जल जाएगी, धूप में कहाँ जाएं, वर्षा में कहाँ भींगने जाएं। उन्हीं लोगों की बात यहाँ होती है कि वे योग्य हैं। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सीग्रीवाल जी ने जो विधेयक लाया है, उसमें थोड़ा-बहुत सरकार सुधार करे, इस रूप में सरकार को यह न स्वीकार हो, तो सरकार इसे राह के रूप में ले। जयप्रकाश अग्रवाल जी ने इसे पन्द्रहवीं लोक में लाया था। हम लोग भी उस पर बहस किये थे। हमने इसे समर्थन दिया था।

अन्त में, मैं एक बात कहूंगा कि अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया हो, लेकिन मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूं कि जो निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, अनुसूचित जातियों के लोग हैं, उनको वोट के दिन कम से कम मिनिमम वेज़ के हिसाब से सरकार भुगतान करे ताकि उसे रोटी के लिए चिन्ता न हो, कम से कम उनको मिनिमम वेज के हिसाब से मजदूरी दे दी जाए, ताकि सभी गरीब मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट गिरावें। इस कानून में ऐसा प्रावधान भी जोड़ दिया जाए और तब इसे अनिवार्य बनाया जाए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जनार्दन सिंह सीग्रीवाल जी ने अनिवार्य मतदान का जो विधेयक लाये हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। निश्चित रूप से आज देश में, जैसा कि अभी सदन में सभी लोग चिन्ता कर रहे थे कि ऐसे बहुत से लोग हैं, जो मतदान के दिन स्वयं सुस्ती करते हैं और मतदान करने नहीं जाते हैं। यह निश्चित रूप से एक बहुत ही गंभीर बात है। यह लोकतंत्र प्रणाली के लिए बहुत दुखद भी है। यह जो बिल लाया गया है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम है और लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने वाला है। जैसा कि सभी के संज्ञान में है कि 32 देशों में ऐसा कानून लागू है और अपने देश में गुजरात में निकाय चुनावों में इसको लागू किया गया है। वहां की सरकार ने अनिवार्य मतदान की व्यवस्था की है। निश्चित तौर से, इससे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होगा और उससे लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। आज स्थिति

यह है कि 40 से 60 प्रतिशत तक मतदान होता है। अभी एक उपचुनाव हुआ हैं, वहां 40 प्रतिशत मतदान हुआ। गर्मी में चुनाव होगा तो 30 से 35 प्रतिशत मतदान होता है। शहरों में मतदान का प्रतिशत 28 से 30 प्रतिशत होता है। शहरों के बारे में लोग मजाक में कहते हैं कि जिस दिन शहरों में मतदान होना हो, शहरों की बिजली सप्लाई बन्द कर देनी चाहिए, जिससे लोग कूलर और पंखों की हवा में न पड़े रहें, मतदान करने के लिए जाएं। एक बड़ा वर्ग मतदान से दूर रहता है, जो चिन्ताजनक है। अगर 40 से 60 प्रतिशत तक मतदान होता है तो उसमें भी 25 से 35 प्रतिशत मत पाने वाला प्रत्याशी जनप्रतिनिधि बन जाता है। अगर 40 से 60 प्रतिशत का एवरेज 50 प्रतिशत मतदान मान लिया जाए और 25 से 35 प्रतिशत का एवरेज 30 प्रतिशत मान लिया जाए तो 50 प्रतिशत मतों में से तीस प्रतिशत मत अर्थात कुल मतों के लगभग 15 प्रतिशत मत से जनप्रतिनिधि चुन लिया जाएगा, जो देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अनिवार्य मतदान का कानून बनना चाहिए, माननीय सिग्रीवाल जी जो बिल लाए है, इससे पहले भी इस सदन में यह बिल आ चुका है, लेकिन किसी कारण से स्वीकार नहीं हो सका था। आज मैं सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर विचार करें और इस बिल का स्वीकार करें।

आज मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सी स्कीम्स चालू की गयीं, लेकिन हम मतदान को 60 प्रतिशत से ऊपर नहीं ला पाए हैं। मैं समझता हूं कि अगर यही गति चलती रही तो इसे 100 प्रतिशत लाने में हम कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए अनिवार्य मतदान कानून बनना चाहिए। अभी सजा के प्रावधान की बात आई है, मैं कहना चाहता हूं उसके लिए कोई बड़ी सजा का प्रावधान न हो। 18 वर्ष से 75 वर्ष तक के लोगों को अनिवार्य मतदान में शामिल करना चाहिए और जो अति वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर किन्हीं कारणों से वे चल-फिर नहीं पा रहे हैं तो उनको इससे बाहर रखना चाहिए। जो अशक्त हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, ऐसे लोगों के लिए गांव के सरपंच, पटवारी या अन्य पदाधिकारी प्रमाण पत्र दें कि किसी कारण से वह व्यक्ति मतदान में भाग नहीं ले सका है।

कुछ लोग इसके विरोध में बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर नोटा का विकल्प सामने है। लोग कहते हैं कि अगर हम मतदान के लिए जाएंगे तो उन प्रत्याशियों में से किसी एक को चुनना ही होगा, लेकिन

अगर हमें उनमें से कोई प्रत्याशी पसन्द नहीं आता है तो उसके लिए चुनाव आयोग ने नोटा का विकल्प दिया है। इस विकल्प के बाद अनिवार्य मतदान निश्चित रूप से लागू हो जाना चाहिए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

मतदाताओं को सुविधा देने के लिए जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं हुई है। पोलिंग स्टेशन्स में पीने के पानी की ठीक व्यवस्था नहीं होती है। वहां छाया बनाने के लिए आयोग का नियम है, लेकिन वहां लोगों को छाया देने की व्यवस्था नहीं होती है, लोग धूप में खड़े रहते हैं। इन कारणों से भी लोग मतदान के लिए जाने में हिचकते हैं। इसलिए पोलिंग बूथों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, वहां पर कानून-व्यवस्था की स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। जैसे जिस बुंदेलखण्ड क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, वहां प्रदेश का सबसे बड़ा डकैत बलखड़िया रहता है। इसी तरह से तमाम अराजक तत्वों की ओर से फरमान जारी हो जाता है कि मतदान के लिए नहीं जाना है, इस वजह से भी लोग मतदान के लिए नहीं जाते हैं। कानून-व्यवस्था की स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, जिससे लोग निर्भय होकर मतदान के लिए निकल सकें।

मतदान केन्द्र की दूरी की बात आई है, निश्चित रूप से अभी भी मतदान केन्द्र बहुत दूरी पर हैं, उनको 300 तक की आबादी तक घटाया गया है, लेकिन अभी भी दूरी ज्यादा है। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां भी 100 लोगों तक का मजरा हो, 100 मतदाताओं की आबादी हो, वहां एक मतदान केन्द्र बनाया जाना चाहिए। दूरी के हिसाब से मतदाता को आधा किलोमीटर से एक किलोमीटर तक की दूरी से ज्यादा न चलना पड़े, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी ई-वोटिंग की बात कही गयी। निश्चित तौर से मतदान केन्द्र तक लोगों को जाना अनिवार्य करना चाहिए। अशक्त लोगों को इससे छूट दे सकते हैं, 75 साल से ज्यादा वाले लोगों को इससे छूट दे सकते हैं। लेकिन इसमें सब लोगों को मतदान केन्द्रों पर जाना चाहिए। अभी हमारे देश में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे के अनुसार 91 प्रतिशत लोगों ने अनिवार्य मतदान के पक्ष में वोट दिया था। इससे यह साबित होता है कि देश की आधिकांश जनता चाहती है कि अनिवार्य मतदान होना चाहिए। इसलिए हमें अनिवार्य मतदान के लिए कानून बनाना चाहिए।

देश में कई ऐसे लोग हैं, जो रोजी-रोटी या रोजगार के लिए दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं या कटाई के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। मतदान के समय ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वे लोग या मजदूर मत देने के लिए

अपने राज्य या अपने गांव पहुंच सकें। जैसा अभी हुक्मदेव जी कह रहे थे कि कुछ जगह पर मतदान के समय उद्योगपतियों द्वारा अपने मजदूरों को एक महीने की छुट्टी दी जाती है, और उन्हें एक महीने का वेतन भी दिया जाता है, जिससे वे अपने घर जाकर मतदान में हिस्सा ले सकें। मैंने ऐसा पिछले लोक सभा चुनावों के दौरान देखा भी है। इसलिए ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह के लिए मजदूरों को छुट्टी दी जाए और जाने-आने का किराया दिया जाए, जिससे अपने घर जाकर मतदान कर सकें।

सचल मतदान केन्द्र भी अशक्त लोगों के लिए बनाए जा सकते हैं, इससे भी मत प्रतिशत में वृद्धि होगी। जो लोग मतदान के लिए न जाएं, उनके लिए दंड की व्यवस्था भी हो सकती है। जैसे उनका ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, उसे निलम्बित किया जा सकता है या जो सम्पन्न लोग हैं, आयकर देते हैं, उन्हें उसमें छूट न दी जाए या राशन कार्ड न बनाया जाए या बीपीएल कार्ड न दिया जाए। अगर कोई अनिवार्य मतदान का उल्लंघन करता है और मतदान करने का प्रमाण पत्र नहीं लाता है तो उससे ये सुविधाएं वापस ली जा सकती हैं। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा।

इतना कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, इस विधेयक पर चर्चा के लिए आबंटित दो घंटे का समय लगभग पूरा हो गया है। चूंकि विधेयक की चर्चा में भाग लेने के लिए पाँच और सदस्य हैं, इसलिए सभा को विधेयक पर आगे चर्चा के लिए समय बढ़ाना होगा। यदि सभा की सहमति हो तो क्या विधेयक पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जा सकता है?

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

माननीय सभापति: विधेयक पर चर्चा का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

24.04.2015
[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): सभापति महोदय, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा अनिवार्य मतदान सम्बन्धी जो बिल सदन में पेश किया गया है, मैं उसके पक्ष में अपने कुछ विचार यहां रखना चाहती हूं। इस बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां व्यक्त किये हैं। लोकतंत्र में चुनाव अनिवार्य है और चुनाव लोकमत का दर्पण है। चुनाव प्रजा के प्रतिनिधियों की पसंदगी और नापसंदगी की संवैधानिक प्रक्रिया है। चुनाव लोकतंत्र में रक्तहीन क्रांति कहलाती है।

आज तक भारत में लोक सभा और विधान सभा के 300 से ज्यादा चुनाव हुए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 70 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। भारत का चुनाव आयोग दुनिया भर में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की प्रक्रिया में माहिर है। दुनिया के कई देश उससे सलाह लेते हैं। चुनावों ने नए-नए तौर तरीक अपनाए और कई अच्छे खासे सफल प्रयोग भी किए हैं। राज्यों के चुनाव आयोग भी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की प्रक्रिया में समक्ष हैं। अनिवार्य मतदान की जो नई पहल है, उसे चैलेंज के रूप में लेना चाहिए।

अनिवार्य मतदान कई नई अवधारणा नहीं है। दुनिया में 30 से अधिक देशों में अनिवार्य मतदान का कानून मौजूद है और इसमें आस्ट्रेलिया, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं। आधिकांश लोकतांत्रिक देशों में मतदान को नागरिकता का आधिकार माना गया है, तो कुछ देशों में वोटिंग करते हुए नागरिकता की संज्ञा भी दी गई है। लोकतंत्र वास्तव में आधिकारिक मतदान से ही मजबूत और समृद्ध होता है। आज चुनाव दर चुनाव मतदान के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी हो रही है, जिसके पीछे नागरिकों में बढ़ रही जागरूकता और चुनाव आयोग के प्रयासों का योगदान भी है।

हम वोट डालकर अपना प्रतिनिधि इसलिए भी चुनते हैं कि वह हमारे हितों की आवाज उठाएगा, लेकिन ऐसे लोग भी काफी हैं जो मतदान दिवस को छुट्टी का दिवस मनाते हैं। ऐसे लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता के लिए अनिवार्य मतदान का प्रावधान होना जरूरी है। आज हिंदुस्तान में 45 करोड़ से ज्यादा लोग आंतरिक पलायन के शिकार हैं जिसमें बड़ी तादाद वयस्क मतदाता आबादी की है। भारत में दुनिया के किसी भी देश से

ज्यादा आंतरिक पलायन की गति बनी हुई है। भारत में आंतरिक अप्रवासन की संख्या 40 करोड़ तक पहुंच गई है इसका मतलब है कि लोग अपने पैदाइशी स्थानों से रोजी-रोटी के वास्ते किसी दूसरी जगह चले गए हैं। मैं गुजरात से हूं। यह कानून वर्ष 2010 में जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बनाया था लेकिन कुछ कारणवश और कुछ सुझावों के साथ उनको इस विधेयक को लौटा दिया गया था। लेकिन अभी हमारी गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के जरिए और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण पुनः अनिवार्य मतदान का विधेयक विधानसभा में पास करवा कर राज्यपाल जी की अनुमति के लिए भेज दिया था। वहां से अनुमति भी मिल गई है और राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस की अध्यक्षता में अनिवार्य मतदान जागरुकता आभियान शुरू भी कर दिया है। प्रजा में इसका अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है। उनका प्रथम प्रयोग अगले पंचायत और शहर ईकाई के चुनाव में अक्टूबर, 2015 में होने वाला है। अनिवार्य मतदान और नोटा के प्रावधान को एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। यह क़दम उठाना जरूरी है ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके। अनिवार्य मतदान वास्तव में जनता में जागरुकता पैदा करने का आह्वान है ताकि जनविरोध का सामना न करना पड़े। कम मतदान की वजह से मतदाताओं की कुल संख्या का 50 फीसदी से भी कम मत प्राप्त करने वाली पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं इसलिए देश भर में ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से की जानी चाहिए। निश्चित रूप से यह तथ्य इस विधेयक का सबसे ठोस तर्क है।

जहां तक मेरा मानना है जो लोग अनिवार्य मतदान के विरोध में हैं, वे इसकी प्रकृति और आवश्यकताओं को समझ नहीं पा रहे हैं। मतदान का आधिकार एक सामान्य आधिकार नहीं है। यह एक विशेष आधिकार है जो जनता को देश की सरकार द्वारा दिया गया है। ये सभी आधिकारों की आधारशिला है। प्रत्येक नागरिक को अवश्य मतदान करना चाहिए। नागरिक ऐसा नहीं करता है तो वह अपने बुनियादी कर्तव्य की अवहेलना भी करता है। यह अवहेलना जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो लगता है कि मतदान को अनिवार्य कर देना चाहिए। मेरा सुझाव है कि जो बच्चे 18 साल में प्रवेश कर चुके हैं और 18 साल से ऊपर की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए यूनिवर्सिटियों तथा स्कूलों में जाकर खास कर जागरुकता आभियान चलाना चाहिए तथा उनके प्रतिभाव लेने के लिए आनलाइन कार्यक्रम बनाया जाए। एनजीओज़ तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रजामत का सर्वेक्षण किया

जाए। मीडिया भी इसमें सकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है। उसके द्वारा भी अनिवार्य मतदान के लिए मतदाताओं की मानसिकता को बढ़ाना चाहिए। कुछ मतदाता रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में गए हैं, वहां भी वे मतदान कर सकें, इसीलिए अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया को आनलाइन करना चाहिए। जैसे लोकतंत्र में 34 और 40 प्रतिशत लोग अपना मतदान नहीं करते हैं, ऐसे लोकतंत्र नहीं चल सकता है। प्रजातंत्र की रखवाली करनी है तो शत-प्रतिशत मतदान अनिवार्य है और मैं मानती हूं कि एक नैतिक कानून बनना चाहिए। अनिवार्य मतदान होना चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

24.04.2015

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

बहुत ही गम्भीर विषय पर बहस चल रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि कुछ कमियां भी हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां बहुत कम परसेंटेज वोट डाला जाता है, फिर भी वहां से चुने गए व्यक्ति को जनप्रतिनिधि कहा जाता है। कम वोटिंग क्यों होती है, इसके कारणों को जानने की जरूरत है। जब भी कहीं लोक सभा, विधान सभा या एमसी के इलेक्शन्स होते हैं तो अक्सर हम अखबारों और टीवी पर देखते हैं कि फलां-फलां गांव के लोगों ने एक बोर्ड लगा दिया कि इस बार हम किसी को वोट नहीं देंगे, जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं की जाती हैं। फलां मोहल्ले ने वोटिंग का बायकॉट कर दिया कि हमारे क्षेत्र में कोई नेता वोट मांगने न आए, क्योंकि हम इस बात से नाराज हैं। इसलिए वोट न देने के कारणों को भी गहराई से देखना होगा। आज राजनीति से लोगों को यकीन उठ गया है, उस यकीन को कैसे बहाल किया जाए। इसके लिए हमें एफर्ट्स करने होंगे, कोशिशें करनी होंगी। जब मैं इलैक्शन में कैम्पेन कर रहा था तो मैं एक बात यह भी कहता था कि आप चाहे जिसे मर्जी वोट डाल देना, लेकिन वोट जरूर डालना, क्योंकि जो वोटर कोर्ड है, उस पर फोटो तो मतदाता तो है, लेकिन उस वोटर कार्ड में शहीदों के खून की सुगंध है। क्योंकि सांस तो लोग अंग्रेजों की गुलामी के समय भी लेते थे, शादियां, ब्याह, गिद्दे, भंगड़े तब भी होते थे, लेकिन फर्क क्या होता था, अंग्रेज वोट नहीं डालते देते थे। शहीद भगत सिंह, करतार सिंह, सराबा, राजगुरू, चंद्रशेखर आजाद और शहीद ऊधम सिंह जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी कि हमें वोट डालने का आधिकार दो, हम अपने नेता खुद चुनेंगे। इसी लड़ाई की वजह से उन्हें फांसी के तख्तों पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद अंग्रेज चले गए और हमें वह वोटर कार्ड मिल गया। लेकिन अगर उस वोटर कार्ड के फर्ज को अगर हम नहीं निभाते है तो इसका कोई कारण होगा।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कहा जा रहा है कि जो वोट नहीं डालते, उन पर जुर्माना लगाया जाए, उन पर सुविधाएं काटने की तलवार लटकाई जाए, उनकी नौकरी में बाधाएं पैदा की जाएं या जो सरकारी घर हैं, उन घरों से उन्हें वंचित रखा जाए। हर जुर्माना, हर जो दुविधा है, क्या वह जनता पर ही लगेगी। जो जनता की वोटों के द्वारा चुनकर आते हैं, अगर वे वायदे पूरे नहीं करते तो क्या उन पर कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए।

चुनाव के समय लोगों के सामने लिखकर इतने बड़े-बड़े मेनिफेस्टो रख दिये जाते हैं कि यह कर देंगे, वह कर देंगे, जिन लोगों ने उस मेनिफेस्टो को पढ़कर वोट दिया है, अगर उस मेनिफेस्टो का वायदा पांच सालों में पूरा नहीं हुआ तो उस वोटर के साथ जो विश्वासघात हुआ है, उसे आप कैसे पूरा करोगे। हर जुर्माना जनता के लिए है। मैं यह कहता हूं कि इसके लिए सामाजिक क्रांति की जरूरत है, हमें उन्हें एजूकेट करना चाहिए। लेकिन दुखद बात यह है कि गरीबों के एरिया में गांव में वोट डलते हैं, लेकिन पढ़े-लिखे लोग वोट के दिन को छुट्टी का दिन मानते हैं। वे इधर-उधर घूमने चले जाते हैं कि चलो आज तो छुट्टी का दिन है। उसके बाद आकर पांच सालों तक सरकारों को वही लोग कोसते हैं। गरीब कहता है कि मैंने अपनी वोट डाल दी, उस दिन मैं वोट डालने के बाद काम पर चला गया था, सरकार जो मर्जी आए, मुझे खुद कमाकर खाना है। लेकिन सिस्टम को कोसने वाले वही हैं, जो वोट नहीं डालते। लाइन में खड़ा होना उन्हें अच्छा नहीं लगता या धूप, सर्दी या बरसात में खड़ा होना उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें एक क्रांति लाने की जरूरत है।

माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब हरियाणा में इलैक्शन हो रहे थे तो मुरथल के पास सड़क के किनारे बहुत से ढाबे हैं, मुझे एक भारतीय नागरिक होने के नाते यह पढ़कर बहुत खुशी हुई कि बहुत से ढाबे वालों ने अपनी तरफ से यह लिख रखा था कि जो हरियाणा में इतनी तारीख को वोट डालकर, वोट वाले दिन और अगले दिन अगर कोई आकर हमें वोट डालने का निशान उंगली पर दिखायेगा तो उसे इतने परसैन्ट खाने के बिल में हम छूट देंगे। अच्छी बात है, एक चाय की कंपनी ने एड बनाई थी कि तुम लोग सब सो रहे हो, आज वोटिंग का दिन है, तुम वोट डालने नहीं गए, जागो-जागो, उन्होंने अपनी चाय की एड बनाई थी। ऐसे सामाजिक विज्ञापन, चाहे वे पिक्चरों के जरिये हों या अखबारों में हों, लेकिन सिर्फ अखबारों में एड देने से लोग वोट देने के लिए नहीं जायेंगे। देश की अधिकतर दीवारों पर और सरकारी बसों पर लिखा हुआ है कि दुल्हन ही दहेज है, क्या इससे दहेज के मामले बंद हो गए, क्या लोगों ने दहेज लेना बंद कर दिया। सभी बसों पर लिखा हुआ है -दो ही काफी, और से माफी, क्या इससे जनसंख्या कंट्रोल हो गई। इसके लिए देश की जनता को जागरूक करना पड़ेगा। जुर्माना इसका हल नहीं है, इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि

हमें यह आधिकार शहीदों ने अपना खून देकर दिया है, अगर तुम इसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो यह शहीदों का अपमान है। ऐसी बातों को लोगों तक पहुंचाकर हम वोट परसैन्टेज बढ़ा सकते हैं।

महोदय, इसके अलावा देश से बाहर बहुत से एनआरआईज रहते हैं। आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया एक गांव बन गई है। अगर हमारे एनआरआईज कनाडा, अमंरीका, इंग्लैंड, हालैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नार्वे, सिंगापुर, दुबई, आस्ट्रेलिया आदि देशों में जहां भी बसते हैं और उनके पास भारतीय नागरिकता है तो उन्हें वोट देने का आधिकार है, अब चाहे वह ई-वोटिंग से हो, चाहे इसके लिए दूतावासों में प्रबंध किये जाए। उनमें से बहुत से तो हमारे देश के सिस्टम से तंग होकर, दुःखी होकर ही बाहर गए हैं। शायद वे वहाँ से अपने सिस्टम को ठीक करने में अपना हिस्सा डाल दें और वे वापस आ जाएं, उनकी वतन वापसी हो जाए।

महोदय, इसके लिए हमें प्रावधान करना होगा। वोटिंग की परसेंटेज बढ़ानी है तो उसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा और राजनीतिक लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि क्यों लोग वोट डालने से मुंह मोड़ रहे हैं? क्या हम उनसे जो वादे करते हैं, उन्हें पूरा कर पाते हैं? इसी वजह से अब नोटा आ गया है, यह बहुत अच्छी बात है। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर बता रहे थे कि अब तत्पश्चात हम वोटिंग मशीन पर फोटो लगाने का भी प्रावधान करेंगे, क्योंकि एक ही नाम वाले जो कुछ उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं तो उनकी पहचान रहे। यह अच्छी बात है कि धीरे-धीरे सुधार हो रहे हैं। जैसे बाई इलेक्शन होता है, वह स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होती है और अक्सर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मुख्यमंत्री का चहेता आईएएस ऑफिसर होता है, इसीलिए बाई-इलेक्शन में अक्सर ज्यादा वोटिंग होती है, क्योंकि उसमें बूथ कैप्चरिंग भी हो जाती है। हमें इसके लिए प्रावधान करने पड़ेंगे। ऐसा करने से ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बच पाएगा। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते हैं, जो नेता अपने आपको लोगों से बड़ा समझते हैं, लोग उनको धरती पर नीचे उतार लेते हैं। लोग जब चाहें, आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें, आदमी फर्श पर। बड़े-बड़ों को लोगों ने हराया है।

24.04.2015

महोदय, मैं यह बात आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह अच्छी बात है कि वोटिंग की परसेंटेज को बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। उसके लिए सामाजिक विज्ञापन, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओज सब मिलकर काम करें, ताकि लोगों को अपनी वोट का महत्व, अपनी वोट की कीमत पता लग सके। कितने शहीदों ने अपना खून देकर, अपनी जवानियां देश के नाम लगाकर यह वोट का आधिकार हमें दिया है। इसका मिसयूज भी न हो और यह भी न हो कि हम वंचित रह जाएं अपनी किसी छोटी-मोटी महत्वाकांक्षा के लिए। इसके लिए मैनिफेस्टोज को, इलेक्शन प्रोसेस को हमें और बेहतर बनाना होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

24.04.2015

श्री ओम बिरला (कोटा): महोदय, माननीय जर्नादन सिंह जी ने जो निजी विधेयक पेश किया है, उनकी मंशा सही और सार्थक दिशा की ओर है। मेरा यह भी मानना नहीं है कि उन्होंने जो बिल प्रस्तुत किया है, उसे संसद पूरी तरह से पास कर दे, लेकिन यह चर्चा का विषय होना चाहिए, डिबेट का विषय होना चाहिए। हम जब यह कहते हैं कि हम विश्व के अंदर सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, सबसे ज्यादा मतदाताओं वाले देश हैं, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थायें विश्व में सबसे ज्यादा मजबूत हैं और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पारदर्शिता है तो उस समय अनिवार्य मतदान भी एक बहुत बड़ा पहलू है।

महोदय, हमारे चुनाव आयोग ने बहुत संशोधन किए, बहुत परिवर्तन किए और बहुत सुधार भी किए, लेकिन आज भी इस अनिवार्य वोटिंग करने के पहले हमें चुनाव की प्रक्रियाओं की ओर देखने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि इतने वर्षों के बाद भी, सोलह बार संसद का चुनाव हमारे देश में हो चुका है, वर्ष 1952 से हमारे यहाँ चुनाव लड़े जा रहे हैं। हमारी मतदाता सूचियाँ जो बननी चाहिए, वह मतदाता सूची सही बने, हर व्यक्ति जो देश में रहता है, वह मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाए। हमारे यहाँ पर अभी आशिक्षा बहुत है, मजदूर है, बड़ी संख्या में लोग पलायन कर जाते हैं। कोई बिहार का व्यक्ति राजस्थान आ जाता है, राजस्थान का व्यक्ति बाहर चला जाता है। उसका मूल प्रदेश और गाँव में नाम होता है लेकिन हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में हमारा मतदाता पलायन करता है। यह संभव नहीं है कि 1000 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर दूर वह मज़दूर जो दो समय की रोटी के लिए पलायन करता है, वह केवल वोट डालने आए, इस देश के अंदर यह संभव ही नहीं है।

इसलिए इस देश में सबसे पहले कम से कम मतदाता सूची में हर मतदाता का नाम हो और उसके आधिकार सुरक्षित रखने हैं तो मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य हो। लेकिन उसके साथ इस पहलू पर भी विचार करना होगा कि यह देश ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर पड़ोसी देश के लोग पलायन करके हिन्दुस्तान में आकर मतदाता सूची में नाम जोड़ लेते हैं। इस धरती पर पैदा हुआ इस देश का व्यक्ति मतदाता सूची में हो तो उसके पहले पलायन करने वाले देशों का भी एक बार विवरण होना चाहिए। नहीं तो हमारे पड़ोसी देश से आज भी करोड़ों की संख्या में मतदाता बनकर हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदहाल करने की स्थिति

में आ चुके हैं। कई प्रदेशों के हालात तो यह हैं कि वे आने वाले समय में वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएँगे। इसलिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने का प्रावधान, जब हम कहते हैं कि विदेशों के अंदर अनिवार्य मतदान कहीं है, कहीं नहीं है, तो विदेशों में नागरिकता प्राप्त करने के लिए जितना कठिन कानून है, शायद हिन्दुस्तान का सबसे सरल कानून और सबसे जल्दी राशन कार्ड बनाने का कानून यदि किसी देश में है, किसी लोकतंत्र में है तो वह हिन्दुस्तान में है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सारी प्रक्रिया में अनिवार्य मतदान होना आवश्यक है। हमारे प्रधान मंत्री जी और गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी गुजरात में इसको 2009 में लाए और 2011 में इस विधेयक को लाए। इसलिए ज़रूरी है कि इस देश के लोकतंत्र को मज़बूत बनाना है तो हर व्यक्ति मतदान करे और सारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति संसद या विधान सभाओं के अंदर पहुँचे। यह बात सही है कि इसकी शुरूआत गुजरात से हुई है। हम जब लोगों का जनमत जानते हैं तो 99 प्रतिशत जनमत यह कहता है कि अनिवार्य मतदान ज़रूरी है। जब जनमत यह कहता है तो निश्चित रूप से इसका कानून भी बनना चाहिए और कानून पर चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जब तक हम देश में कोई हल्का सा कानून भी नहीं बनाएँगे तो हम देश में वोटों का प्रतिशत भी नहीं बढ़ा पाएँगे। आज हमें दोहरे मापदंड से गुज़रना पड़ता है।

वोटों का प्रतिशत बनाने के लिए राजनीतिक दलों को धन खर्च करना पड़ता है और कई बार उस लोकतंत्र के अंदर जो स्वतंत्र मताधिकार का प्रयोग करने की मंशा है, उसको लाने ले जाने में हम मतदाता को कहीं न कहीं आकर्षित करने का काम भी करते हैं। इसलिए जब कानून बनेगा और कानून कैसा बनना चाहिए, यह डिबेट का विषय है। जब कानून बनेगा तो व्यक्ति मतदान करने भी आएगा और स्वतंत्र रूप से मतदान भी करेगा और कभी देश के अंदर यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि 15 प्रतिशत या 20 प्रतिशत के आधार पर देश में लोकतंत्र की सरकारें बन गईं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कानून बने। कानून के अंदर एक बार, दो बार या तीन बार अगर मतदाता मत नहीं डालता है तो उसे मतदाता सूची से वंचित किया जाए। कुछ प्रक्रिया ऐसी हो देश के लोकतंत्र में कानून बनाते समय क्योंकि हमारा देश ऐसा है कि जब तक उसको कानून

में नहीं डालेंगे, वह शत प्रतिशत मतदान करने नहीं आएगा। शत प्रतिशत मतदान करना है तो कुछ कानून बनाने की आवश्यकता है। कानून पर डिबेट बहुत लंबी चर्चा और बहस का विषय है।

<u>सांय 06.00 बजे</u>

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि संसद में इस पर डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है, प्रजातंत्र को मजबूत करना है, हर व्यक्ति की चुनी हुई सरकार हो, हर व्यक्ति के मौलिक आधिकार के साथ उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, वह मतदान करने के साथ यह कह सके कि मेरी बनाई हुई सरकार है, कोई 30 परसेंट, 50 परसेंट लोगों की बनाई हुई सरकार नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है कि हमें मताधिकार के अनिवार्य कानून को लाने के लिए चाहे लचीला कानून बने, लेकिन कानून बनना चाहिए, ताकि अधिकतम लोग मतदान कर सकें।

मेरा इस पर यह मत है कि इस पर लम्बी डिबेट होनी चाहिए। कम समय में इसकी चर्चा नहीं हो सकती, इस पर डिबेट हो, लम्बी चर्चा हो और देश में इस तरीके का कानून बने, ताकि हर व्यक्ति लोकतंत्र के अन्दर सहभागी बन सके और जो वोट डालने का आधिकार उसको है, उस आधिकार को प्राप्त कर सके और उसकी चुनी सरकार देश और प्रदेश में बन सके।

आपने इस मौके पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, अभी छह बज रहे हैं। यदि सभा की सहमति हो तो हम सभा का समय 'शून्य काल' के समाप्त होने तक बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: ठीक है।

24.04.2015

माननीय सभापति: अब, 'शून्य काल'; श्री जगदम्बिका पाल

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): आधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है। इस सदन ने पिछले दिनों लगातार देश में ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से उत्तर भारत के किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ है, किसानों ने जो आत्महत्याएं की हैं, उस पर सम्पूर्ण सदन निरन्तर चिन्ता व्यक्त करता रहा है। सदन में उसके उपाय के लिए भी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन महत्वपूर्ण फैसलों में उन्होंने फसलों के मुआवजे के लिए, जो अभी तक देश में आजादी के बाद मानक 50 प्रतिशत फसल के नुकसान का था, उसको घटाकर के 33 प्रतिशत कर दिया और जो मुआवजे की धनराशि थी, उसे डेढ़ गुना बढ़ा दिया, 1.20 लाख से चार लाख कर दिया और यहां तक ही नहीं, केन्द्र सरकार ने एक फैसला यह किया है कि जो उस अतिवृष्टि के कारण रबी की फसल में गेहूं के जो उस उत्पादन में जो गिरावट आई, गेहूं की फसल में जो एक बीघा में छः क्विंटल से कम नहीं होता था, उसमें दो क्विंटल गेहूं हो रहा है, उसमें भी जो खरीद के लिए एफ.सी.आई. के मानक थे, उसको भी केन्द्र सरकार ने कहा है कि जो अब गेहूं टूट गए हैं, जो इसमें छः परसेंट से आठ परसेंट है, उसमें 3.63 रुपये प्रति क्विंटल कट करके उसको खरीदा जायेगा। इसी तरीके से जिसमें आठ परसेंट से दस परसेंट गेहूं की गुणवत्ता में कमी थी, उसके लिए था कि 7.25 रुपये प्रति क्विंटल कम करके जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1450 रुपये है, उसमें गेहूं की खरीद हो।

एक तरफ तो किसान उस ओलावृष्टि से परेशान है, दूसरी तरफ गेहूं की खरीद न होने से आज किसान के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं सिद्धार्थनगर से आता हूं, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का बयान आया कि तीन दिनों के अन्दर मुआवजा बंट जाये और गेहूं की खरीद सुनिश्चित की जाये। केन्द्र सरकार ने गेहूं की खरीद में एक राहत भी दी है, लेकिन इसके बावजूद भी केन्द्रों पर, चाहे वह पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, जो सैण्ट्रल पूल का है, इस छूट के बावजूद भी गेहूं की खरीद नहीं हो रही है और किसान आज मजबूर हो रहा है। एक महत्वपूर्ण समाचार चैनल में आज सुबह आपने

देखा कि मथुरा की मंडियों में आज गेहूं को 1450 रुपये प्रति क्विंटल की बजाय किसान द्वारा आढ़तियों को कहीं 1100 रुपये, कहीं 1200 रुपये पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप यह बताइये कि एक तरफ तो उसकी फसल का नुकसान हो गया और दूसरी तरफ 300 रुपये कम प्रति क्विंटल उसको गेहूं के दाम मिल रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। 300 रुपये प्रति क्विंटल कम पर उसको गेहूं बेचना पड़ रहा है। जिस तरह से नुकसान हुआ है, आज आलू जो नासिक में है, वह एक हजार की जगह 500 रुपये प्रति क्विंटल में बिक रहा है। इसी तरह से गेहूं 1200-1300 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार को यह निदेरशित किया जाये, ताकि किसानों की गेहूं की खरीद मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सुनिश्चित की जा सके, जिससे जो किसानों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सके। धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री शरद त्रिपाठी को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): सभापति महोदय, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। एक लम्बे समय से, लगभग छः महीने से सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण गांवों में, दूर-दराज के इलाकों में यातायात की सुविधा सुलभ तरीके से पहुंची है। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसका वहां बहुत असर भी पड़ा है।

मनरेगा योजना से गांवों के किसानों को काम मिला है और इससे वहां एक नई रोशनी गई है। आज मनरेगा भारत की धड़कन की तरह है, गरीबों के लिए सहारा की तरह है। उससे काम भी हो रहा है। लेकिन, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार की तरफ से बिहार सूबे में छः महीने से प्रधानमंत्री सड़क

योजना का पैसा नहीं जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि इसका क्या कारण है? वहां सारा काम ठप हो गया है। मनरेगा योजना का पैसा भी वहां नहीं जा रहा है। वह एक लम्बे अर्से से बंद है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार से इसके लिए बार-बार आग्रह कर रही है, लेकिन केन्द्र की तरफ से प्रधानमंत्री सड़क योजना और मनरेगा का पैसा वहां नहीं भेजा जा रहा है। अन्य राज्यों में भी ऐसा होगा।

इसलिए आज हम आग्रह करते हैं कि इस लोक कल्याणकारी योजना, जिससे गांवों के लोगों को लाभ हो रहा था, वहां यातायात की सुविधा और विकास हो रहा था, उस लोक कल्याणकारी योजना के लिए भारत सरकार तुरंत ही अपने खजाने से वहां पैसा भेजने का काम करे। आज वहां से लोगों का पलायन बढ़ रहा है। यहां केरल, यू.पी., ओडीशा और दूसरे राज्यों के भी माननीय सदस्य हैं। इसलिए भारत सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना और मनरेगा की धनराशि रिलीज करे और इसे सभी राज्यों को दे। बिहार को वह धनराशि जल्दी से दे, नहीं तो इसके लिए आगे आंदोलन करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री ए. अनवर राजा (रामनाथपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

रामेश्वरम वाराणसी के बाद दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ शहरों में से एक है। प्रतिदिन हजारों लोग देश-विदेश से रामेश्वरम आ रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत से रामेश्वरम के लिए कोई डे-टाइम एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। उत्तर भारत से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को चेन्नई में उतरना पड़ता है और पुनः रामेश्वरम के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती है और फिर वापस चेन्नई आना पड़ता है।

इन क्षेत्रों में लोगों का मुख्य व्यवसाय और आय मछली पकड़ना है तथा चेन्नई के लिए डे-टाइम एक्सप्रेस ट्रेन न होने के कारण इन मछलियों को देश के अन्य भागों और विदेशों में निर्यात करना बहुत कठिन है। प्रॉन की एक विशेष किस्म को आमतौर पर रामेश्वरम से विदेशों में निर्यात किया जाता है, जो पर्याप्त ट्रेन सुविधाओं के बिना भी भारत को अधिक विदेशी विनिमय अर्जित करता है।

इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि चेन्नई से रामेश्वरम के लिए डे-टाइम एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाए।

महोदय, मंडपम रेलवे स्टेशन पर, ब्रॉडगेज परिवर्तन से पहले टिकट आरक्षण काउंटर को बंद कर दिया गया था। लेकिन रूपांतरण के बाद अभी तक मंडपम रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर नहीं खोला गया है। रामेश्वरम को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए समुद्री पुल के निर्माण से पहले मंडपम नगर पंचायत रामेश्वरम जाने का एक गंतव्य स्थान था। मंडपम में केंद्र समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, भारतीय तट रक्षक, श्रीलंकन शरणार्थी शिविर, केंद्रीय विद्यालय और अन्य राज्य सरकार के कार्यालय जैसे बहुत सारे कार्यालय भी हैं।

इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मंडपम रेलवे स्टेशन पर टिकट आरक्षण काउंटर पुनः खोला जाए।

इसी तरह, उचिपुली रेलवे स्टेशन के पास पेरुंगुलम में, एक नौसैनिक वायु सेना स्टेशन है, जिसमें उचिपुली रेलवे स्टेशन और उसके आसपास कई कार्यालय हैं। लेकिन उचिपुली में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं है।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि रामेश्वरम से चेन्नई तक सभी ट्रेनों को उचिपुलि रेलवे स्टेशन पर रोका जाए।

24.04.2015

महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी का रामेश्वरम में विशेष दर्शन के लिए शुरू की जाने वाली नई डे टाइम एक्सप्रेस ट्रेन से आने पर स्वागत करूंगा।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. नैपाल सिंह (रामपुर): महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र रामपुर कई समस्याओं से जूझ रहा है। पिछड़ापन, गरीबी, बिन मौसम बरसात से नष्ट हो चुकी फसलें, बैकों का कर्ज, साहूकारों का अधिक ब्याज पर कर्ज और कृषि बीमा कंपनियों द्वारा समय पर न लौटाया गया प्रीमियम और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुआवजे में देरी और वह भी एक हजार रूपए प्रति बीघा दिया जा रहा है। रामपुर में तीन चीनी मिलें हैं, जिन्होंने अभी तक किसानों के गन्ने के पिछले बकाये का पेमेंट नहीं किया है। इसमें राना शुगर मिल, करीमगंज शाहाबाद पर 90 प्रतिशत, किसान सहकारी चीनी मिल पर, रूद्रपुर, बिलासपुर पर 70 प्रतिशत और त्रिवेणी शुगर मिल लिमिटेड, नारायणपुर पर 50 प्रतिशत गन्ने का पेमेंट बकाया है, जो किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है। प्रदेश सरकार चीनी मिलों के साथ मिली हुई है और किसानों को पेमेंट कराने में अक्षम दिखाई दे रही है। किसान के सामने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं कि किसान का रूपया जिन पर है, वे दे नहीं रहे हैं और किसान पर जिनका कर्ज है, वह किसान के दरवाजे पर खड़ा रहता है। ऐसी परिस्थितियों में किसान मानसिक तनाव में है। मुझे ज्ञात हुआ है कि अब तक लगभग तीस किसानों की इस फसल के नुकसान से मौत हो चुकी है तथा आठ-दस किसान हार्ट अटैक के कारण अस्पतालों में हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए अब तक बहुत कम रूपया भेजा है। ...(व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इलाहाबाद जनपद फूलपुर लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में रेलवे से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं, उनकी तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

इलाहाबाद में रेल यातायात बहुत अधिक व्यस्त है। इलाहाबाद से होकर मुंबई की ट्रेनें, हावड़ा की ट्रेनें और कई तरफ की ट्रेनों के आवागमन के कारण इतनी व्यस्तता रहती है कि पिछले मार्च के महीने में 45 ट्रेनें मेरे जिले के अन्दर निरस्त की गईं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं इस समस्या से मुक्ति के लिए सरकार से आग्रह करूँगा कि इलाहाबाद में प्रयाग घाट टर्मिनल के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है, उसे तेजी से कराया जाए। रामबाग, छिंवकी और सूबेदारगंज में भी टर्मिनल का निर्माण कराया जाए।

प्रयाग जंक्शन में शहर की बहुत बड़ी आबादी है। वहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज नहीं है। इसकी बहुत पुरानी माँग है। मैं सरकार से यह भी माँग दोहराता हूं कि प्रयाग जंक्शन पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाए। झूँसी में रेलवे विश्वविद्यालय और रेल कोच फैक्ट्री बनाने की मैं माँग करता हूं। इलाहाबाद से लखनऊ, दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरू और हरिद्वार के लिए नई ट्रेनों को चलाए जाने का अनुरोध करता हूं। कौशाम्बी जनपद को गठित हुए 20 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 20 वर्ष में वहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं बना। सिराथू को जनपद का रेलवे स्टेशन बनाने का निवेदन करता हूं। अर्द्ध कुम्भ वर्ष 2018 में आने वाला है। 10 करोड़ तीर्थ यात्री आने वाले हैं। मैं निवेदन करता हूं कि उससे पूर्व वहाँ की व्यवस्था की जाए।

माननीय अटल जी की सरकार के समय हावड़ा से दिल्ली के लिए तीसरी लाइन बनाने का काम शुरू हुआ था, रेलवे के आधिकारियों की मिलीभगत से एक फर्जी बाईपास निकाला गया और कृषि की जमीन को व्यावसायिक घोषित करके उसमें सरकारी खजाने की भारी कीमत अदा की गई। इसकी सीबीआई जाँच कराने की मैं माँग करता हूं। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा 'शून्य काल' प्रस्तुतिकरण काजू उद्योग के संबंध में है। काजू भारत के सबसे श्रम प्रधान उद्योगों में से एक है। नब्बे प्रतिशत से अधिक श्रमिक विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र से हैं। काजू क्षेत्र दस लाख से अधिक श्रमिकों को नियोजन प्रदान

कर रहा है। बाहरी प्रतिस्पर्धा के कारण इस उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है। काजू प्रसंस्करण को अत्यधिक श्रम प्रधान क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, श्रमिक उच्च श्रम गहन क्षेत्र के लाभ और कल्याण के हकदार नहीं हैं।

हाल ही में घोषित सरकार की विदेश व्यापार नीति, काजू को छोड़कर अन्य सभी मेवाओं के लिए शुल्क स्क्रिप पात्रता को सभी देशी ग्राउंड कोड के लिए पाँच प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। लेकिन काजू गिरी के लिए, देश के ग्रुप कोड ए और बी के लिए इसे दो प्रतिशत तक और ग्रुप सी के लिए शून्य तक घटा दिया गया है। वियतनाम और पश्चिम अफ्रीका से प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार का वर्तमान निर्णय काजू निर्यात / काजू प्रसंस्करण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसके परिणामस्वरूप काजू उद्योग और पूरे उद्योग में दस लाख से अधिक श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, मैं सरकार से काजू उद्योग को श्रम प्रधान क्षेत्र में और उद्योगों की सूची में पात्र ब्याज सहायता शामिल करने और काजू के लिए भी शुल्क स्क्रिप पात्रता को पाँच प्रतिशत पर बनाए रखने का आग्रह करता हूं।

धन्यवाद, महोदय।

श्री शंकर प्रसाद दत्ता (त्रिपुरा पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, त्रिपुरा के लोग अपनी जान बचाने के लिए आपकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पूरे त्रिपुरा राज्य को देश के अन्य हिस्सों से वर्चुअल रूप से अलग कर दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं को रेलवे और सतही परिवहन के माध्यम से लाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आमान परिवर्तन के कारण त्रिपुरा देश के बाकी हिस्सों से अलग हो गया है। अपने दैनिक आवश्यक वस्तुओं को लाने के लिए देश के अन्य हिस्सों के साथ सीधे जुड़ने का एकमात्र तरीका सतह परिवहन के माध्यम से है।

लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के लोअरपोआ से असम गेट हिस्से तक सात किलोमीटर तक सड़क की खराब स्थिति के कारण, वह सड़क जो धान का खेत लगती है। न तो केंद्र सरकार और न ही असम राज्य सरकार उपर्युक्त सड़क के निर्माण या मरम्मत के लिए पहल कर रही है। अप्रैल के महीने में बारिश के कारण, लॉरी और

बसें सड़क पर नहीं चल पाईं और उन्हें सड़क के दोनों ओर खड़ा होना पड़ा ताकि लोग और सामान त्रिपुरा के अंदर-बाहर न जा सकें। आने वाले दिनों में तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी।

इन भयावह परिस्थितियों में, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, विशेष रूप से मंत्री से तत्काल पहल करने का आग्रह करता हूं, क्योंकि भारत सरकार बराक घाटी के साथ-साथ त्रिपुरा के लोगों को बचाने की अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकती है। मैं त्रिपुरा और बराक घाटी के लोगों को बचाने के लिए आपकी सुरक्षा की मांग कर रहा हूं। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जनपद श्रावस्ती के गन्ना किसानों की बदहाली और दुर्दशा की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारे किसानों की गन्ना एक मात्र नगदी फसल है, जिसको बेचकर वे अपने बहन-बेटियों की शादी करते हैं, बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करते हैं एवं अन्य रोजमर्रा के काम निपटाते हैं। जब समय से उनको गन्ने का भुगतान नहीं मिल पाता है तो उन्होंने पूरे साल के लिए और अपने भविष्य का जो सपना बुना होता है, सारे सपने टूट कर चूर-चूर हो जाते हैं। उनकी बहन-बेटियों की शादियां टूट जाती हैं, बच्चों की शिक्षा बीच में छूट जाती है और उनके रोजमर्रा के काम बाधित हो जाते हैं।

किसान रबी की फसल बर्बाद हो जाने के कारण हताश और निराश हैं। मैं बलरामपुर जनपद के बजाज शुगर फैक्ट्री, इटई मैदा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, जिन्होंने इस पेराई सत्र में मात्र 17 दिनों का भुगतान किसानों को किया है, ऐसा करके उन्होंने किसानों के जले पर नमक छिड़कने का काम बजाज शुगर फैक्ट्री, इटई मैदा कर रही है।

बजाज शुगर फैक्ट्री, इटई मैदा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां कुत्ता भी बैठता है तो वह आस-पास की साफ-सफाई करता है, लेकिन वहां किसानों का भुगतान करना तो दूर की बात है, वे किसानों का हर तरह से शोषण करते हैं। उन्होंने अपनी फैक्ट्री की सड़कों को भी दुरुस्त करने का भी काम नहीं किया है। वहां

तक पहुंचना मुश्किल है। किसान वहां किसी तरह से गन्ना पहुंचाते हैं। शुगर फैक्ट्री किसानों का हर तरह से शोषण करने का काम कर रही है। वे अपने द्वारा दिये गए बीज को रिजैक्ट कर, कटौती करने का काम करते हैं। वे पर्ची किसानों को न देकर, दलालों को देते हैं। इस तरह से बजाज शुगर फैक्ट्री हर तरह से किसानों का शोषण कर रही है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

… (*व्यवधान*)

श्री दद्दन मिश्रा: सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कृपया मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय और दे दीजिए। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। उनका भुगतान नहीं होने की वजह से बलरामपुर जनपद के रामफेरन, राम नरेश निवासी...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

… (*व्यवधान*) *

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सभा के साथ-साथ सरकार को मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहारनपुर में एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में बताना चाहता हूं।

सहारनपुर कमिश्नरी मुख्यालय है जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिले शामिल हैं। सहारनपुर के छात्रों की शैक्षणिक जरूरतों को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा पूरा किया जाता है। लगभग, सहारनपुर के एक से 1.25 लाख छात्र हर साल विश्वविद्यालय में नामांकन करते हैं। उक्त विश्वविद्यालय पर पहले से ही भारी बोझ है, क्योंकि उस के कुलपति ने हाल ही में कहा था कि हमें क्षेत्र में दो और विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है ताकि बोझ कम हो।

वर्तमान में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आठ से नौ जिलों की देखरेख कर रहा है, जिनमें सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और बुलंदशहर कुछ प्रमुख हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वह सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार करें क्योंकि इसकी सीमा तीन राज्यों, अर्थात् हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। हम सहारनपुर को आसानी से एक शैक्षिक केंद्र में परिवर्तित कर सकते हैं। स्थलाकृति और जलवायु एक शैक्षणिक संस्थान या वहां के विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। मुझे लगता है कि अगर हमने सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया, तो हम चारों राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे।

मैं सहारनपुर के छात्रों और उस विशेष क्षेत्र के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सहारनपुर में एक केंद्रीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्थापना की अपनी मांग को दोहराता हूं।

माननीय सभापति: श्री दुष्यंत चौटाला को श्री राघव लखनपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्धता की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, मैं आज किसानों के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। बुंदेलखंड क्षेत्र में बीमा कम्पनियां जो किसानों की फसल का बीमा करती हैं, उन लोगों ने लूट मचा रखी है। बीमा कम्पनियों ने आपस में मिलकर योजना बनाकर यह प्रदर्शित किया कि वहां कोई बीमा कम्पनी नहीं आना चाहती। एक मात्र बीमा कम्पनी ने वहां टैंडर डाला। उसने फसल का मूल्य कम लगाया और प्रीमियम बढ़ाकर लिया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर, महोबा, तिन्दवारी में लगभग 3 लाख किसानों ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है। खरीफ की फसल में लगभग 65 हजार किसानों की 98 हजार हेक्टेयर भूमि जिसका बीमा 75 करोड़ रुपये का किसानों द्वारा स्वयं कराया गया और हमारे किसानों ने सूखे और परेशानी के समय में 5 करोड़ रुपये प्रिमियम देकर 75 करोड़ रुपये की बीमा कराया। यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक बीमा कम्पनियों ने उनको कोई भी भुगतान नही दिया। अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं। जब भी बात की जाती है, वे बैंक के आधिकारियों और रिवैन्यू डिपार्टमैंट के

लोगों से मिलकर गलत रिपोर्टिंग करके किसानों का शोषण करते हैं। मेरा आपके माध्यम से किसान हितैषी भारत सरकार और अन्नदाताओं, किसानों, मजदूरों के हितैषी प्रधान मंत्री भारत के गौरव श्री नरेन्द्र मोदी जी से निवेदन है। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से बुंदेलखंड के किसानों को शीघ्रातिशीघ्र न्याय दिलवाने की कृपा करें।

श्री बाबूलाल चौधरी (फतेहपुर सीकरी): सभापति जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से चुनकर आया हूं। पिछले दिनों अतिवृष्टि और ओलावृष्टि की वजह से किसानों का भारी नुकसान हुआ। लोगों को आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे लोक सभा क्षेत्र में तकरीबन 20 लोगों ने आत्महत्या की है। मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ गलत व्यवहार कर रही है, फसलों का आकलन सही नहीं कर रही है, लेखपाल सौ, दो सौ रुपये के चैक बनवाकर दे रहे हैं। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि पुराने काले कानून को बदलकर किसानों की लागत मूल्य का दुगना मुआवजा दिलाने का कष्ट करें। जिन लोगों ने आत्महत्या की है, उनके परिवारों को दस-दस लाख रुपये का मुआवजा दिलवाने का काम करें। सभी फसलों को बीमा योजना के तहत लाकर बीमा दिलाया जाए। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सीधा किसानों के खाते में मुआवजा डाला जाए। किसानों के सभी ऋण माफ किए जाएं तथा बिना ब्याज के किसानों को ऋण दिलाया जाए।

हमारे क्षेत्र के किसान सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन करते हैं। आलू के नुकसान होने पर किसानों को एक भी पैसा मुआवजा का नहीं मिला है। आलू किसानों को मुआवजा दिलाया जाए, आलू का निर्यात किया जाए। प्रधानमंत्री जी किसानों के दुख को अपना दुख मानते हुए मुआवजे की धनराशि को डेढ़ गुना बढ़ाया है, नुकसान को 50 प्रतिशत से घटा कर 33 प्रतिशत किया है। मुआवजे पर नया कानून बनाया जाए, जिससे किसानों का भला हो सके।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): सभापति महोदय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सभी वर्ग के लोगों को टीचिंग फैक्लटी और स्टाफ में होना चाहिए। दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अप्रैल, 2014 में स्टाफ की भर्ती के लिए एडवर्टिजमेंट निकाला गया था, 20 उम्मीदवारों में एक भी शिड्यूल

कास्ट का नहीं था। नवम्बर, 2014 में भी टिचिंग स्टॉफ के लिए एडवर्टिजमेंट निकाला था, उसमें भी कोई एससी नहीं था। जब आरटीआई से रिक्रूटमेंट रूल्स मांगे गए तो उन्होंने कहा कि इसे आप गुगल पर देख लीजिए। टीचिंग एग्जामिनेशन का पार्शियल रिजल्ट घोषित किया गया। मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्ट्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एन. आई. टी. संविधान से ऊपर नहीं है। आरक्षण के नियम वहां भी लागू होने चाहिए। दिल्ली में एन. आई. टी. के निदेशक और अध्यक्ष स्पष्ट रूप से आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं, मेरे पास इससे संबंधित बहुत फैक्ट्स हैं, लेकिन मुझे कुछ शब्द कहने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर राष्ट्रीय राजमार्ग-28 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। राजमार्ग-28 बस्ती से होते हुए संत कबीर नगर, बुद्धा नामक कलां नामक स्थान से होते हुए जाता है। विगत छह-सात महीनों में बुद्धा कलां में 45-50 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। मैं भूतल परिवहन मंत्री से वहां एक ओवर ब्रिज बनाने की मांग करता हूं, जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सकें।

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली): सभापति महोदय, आज सांसदों की भूमिका केवल कानून बनाने या सुझाव देने तक सीमित नहीं है। आम जनता सांसद से विकास की हर संभावनाओं की उम्मीद करती है। सभी माननीय सांसद मेरी बात से सहमत होंगे। केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाएं में हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। विशेषकर उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत कठिन है। गर्मी की शुरूआत हो गई, ग्रामीण विकास मंत्रालय पेयजल के लिए पैसा देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही है? वहां लोहिया ग्राम का ढिढोरा पीटा जा रहा है। त्वरित पेयजल योजना का पैसा लोहिया ग्राम योजना में कन्वर्ट किया जा रहा है। एक पैसा भी हैंड पम्प का पैसा सांसदों को नहीं दिया जा रहा है। पहले जिला पंचायत की योजना बीआरजीएफ के अंदर चलती थी। हमारे संसदीय क्षेत्र चंदौली में यह योजना चल रही थी, इस योजना में पैसे का बहुत दुरुपयोग हुआ है। इस योजना के अंदर गांवों में 70 परसेंट पैसा देने का स्पष्ट शासनादेश है। लेकिन गांव को पैसा न देकर जिला पंचायत और प्रदेश के आधिकारी उसे लूट रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि

सरकार कोई ऐसा निर्देश जारी करे, जिससे केन्द्र वित्त पोषित योजनाओं में सांसदों की साधिकार भूमिका स्पष्ट की जाये, जिससे वह विकास के कार्यों को क्रियान्वित करने में सफल हो सकें।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के विधान सभा बिल्हौर की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। कानपुर से फरूर्खाबाद रेल मार्ग कस्बा बिल्हौर से होकर गुजरता है तथा यहां पर दैनिक रेल यात्रियों की संख्या भी अधिक है। लेकिन बिल्हौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव न होने के कारण दैनिक रेल यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि गाड़ी संख्या 18191 अप व 18192 डाउन टाटानगर से फरूर्खाबाद वाया कानपुर उत्सर्ग एक्सप्रेस का ठहराव बिल्हौर रेलवे स्टेशन पर कराने का कष्ट करें, जिससे वहां के दैनिक रेल यात्रियों को होने वाली असुविधाओं से मुक्ति मिले। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री मुकेश राजपूत, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्रीमती अंजू बाला, श्रीमती प्रियंका सिंह रावत, और श्री पी. पी. चौधरी को डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्धता की अनुमति है।

श्री पी. आर. सुन्दरम (नामाक्कल): सभापति महोदय, धन्यवाद। उपमहाद्वीप में सामाजिक न्याय के केन्द्र तमिलनाडु का उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एक उदार पात्रता मानदंड का विस्तार करना है। तमिलनाडु सरकार बी.टेक डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एस.सी / एस.टी छात्रों के लिए न्यूनतम आवश्यक अंकों के रूप में 35 प्रतिशत के मानदंडों का पालन करना चाहती है। 2011-2012 से, जब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.) ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 40 प्रतिशत की दर को बढ़ाया था, तमिलनाडु सरकार इसे कम करने के लिए ए. आई. सी. टी. ई. के साथ बातचीत कर रही थी।

तमिलनाडु सरकार ने, हमारी माननीय नेता, पुरात्ची थलाइवी अम्मा के मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह ए. आई. सी. टी. ई. को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड 35 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्देश दे। चूंकि 12वीं कक्षा में उत्तीर्णता हेतु 35 प्रतिशत अंक अनिवार्य है, इसलिए यह किसी नियम या मानदंड का उल्लंघन नहीं करता है। सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के हित में, तमिलनाडु की सरकार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से पहली पीढ़ी के छात्रों के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए अपील मोड में है।

इसलिए, मैं केंद्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के पक्ष में सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए उपयुक्त रूप से निर्देश देने का आग्रह करूंगा। यह अत्यावश्यक आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि नया शैक्षणिक वर्ष जल्द ही शुरू होने वाला है।

[हिन्दी]

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर): आधिष्ठाता महोदय, बिहार के बक्सर जिलान्तर्गत, जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, ब्रह्मपुर प्रखंड के अंतर्गत नैनीजोड़ और आधिकांश गांवों में विशेषकर नील गाय द्वारा हजारों हैक्टेयर में लगी खेती को चर जाने और नष्ट कर देने के कारण किसानों की बहुत ही क्षति होती है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी तक उस पर कोई नियंत्रण नहीं हुआ है। वहां किसानों की उपज, जो बाजार में जानी चाहिए, उसके लिए उनके पास प्रॉपर सड़क तक नहीं है। एन.एच. 84, जो गंगौली पथ निर्माण विभाग की सड़क है, उसका 15 किलोमीटर की दूरी तक निर्माण हो चुका है।

महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि गंगौली से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, परन्तु इस बीच सड़क नहीं रहने के कारण लोगों को एक सौ किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करनी पड़ती है। यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त सड़क के ब्रह्मपुर छोर पर विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मेश्वर स्थान तथा बलिया के छोर पर विश्व प्रसिद्ध भृगु स्थान है।

अतः मैं ब्रह्मपुर से निमेज सेमरा-गंगौली पथ को राष्ट्रीय उच्च पथ में आधिकृत करते हुए डीपीआर तैयार कर शीघ्र सड़क निर्माण हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हों और नील गाय को आविलम्ब हाई कोर्ट के आदेशानुसार फॉरेस्ट में भेजने के लिए सरकार से आग्रह करता हूं।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली): माननीय सभापति जी, मैं सदन का ध्यान राजस्थान के जहाज कहे जाने वाले पशु ऊँट की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि ऊँटों की संख्या में निरंतर कमी हो रही है। उनकी माली हालत और इन पर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने ऊँट को संरक्षित पशुओं की श्रेणी के साथ राजकीय पशु घोषित किया है। पौराणिक कथाओं में भी ऊँटों का जिक्र किया गया है। भारत के ऋग्वेद और ईरान के ज़िंदा एवेस्ता ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। सभी जानते हैं कि ऊँट बिना पानी व खाने के विपरीत परिस्थितियों में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। राजस्थान और गुजरात का थार एक विस्तृत क्षेत्र है। अतः यहां ऊँट की उपयोगिता सवारधिक है।

ऊँट को राजस्थान में सवारी व माल ढोने के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बलों के द्वारा सीमा की सुरक्षा हेतु गश्ती लगाए जाने के काम में भी लाया जाता है। राजस्थान के बीकानेर जिले में राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है लेकिन इसकी स्थिति पर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। ऊँटनी के दूध के औषधीय गुणों के बारे में सब जानते होंगे। इसके दूध में विटामिन ई, सी व प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊँटनी के दूध से मंद बुद्धि बच्चों के विकास की भी डॉक्टरों द्वारा पुष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त इसका दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, मधुमेह, क्षय, डाइबिटीज, एनीमिया, पीलिया, दमा, तपेदिक, एलर्जी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी लाभकारी सिद्ध होता है।

मेरा सदन के माध्यम से पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि ऊँटनी के दूध के संग्रहण करने हेतु राजस्थान के प्रत्येक जिले में अलग से डेयरी खोलने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की योजना बनाने की कृपा करे ताकि लाखों की संख्या में ऊँट पालकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

24.04.2015

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र के उत्तर मध्य रेलवे झांसी डिवीजन के उरई स्टेशन पर कार्यरत आदित्य प्रकाश, सीनियर सैक्शन इंजीनियर, ट्रेनिंग लेने के लिए सिकंदराबाद गए थे, वहां से लौटने के बाद दिल्ली आए और दिल्ली से उरई ड्यूटी जाते हुए, झांसी जिले के करारी स्टेशन पर उनका अपहरण कर लिया गया। 12.05.2014 को उनका अपहरण हुआ, एक साल होने को है। नवाबाबाद, झांसी थाने में अपराध संख्या 143/2014 धारा 504, 506, 364 में मामला दर्ज किया गया। उनके अपहरण के बाद अपहरणकर्ताओं ने उनके घर में फोन किया, विभाग में फोन किया, कर्मचारियों से तीस लाख रुपए मांगे। कहा कि यदि आपको अपने आधिकारी को छुड़ाना है तो तीस लाख रुपए दे जाइए और आदित्य प्रकाश को छुड़ा ले जाइए। आदित्य प्रकाश एक दलित परिवार से हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपहरण तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके पिताजी हमारे पास आए, उनका परिवार आया, उनके छोटे बच्चे बिलख रहे हैं। निश्चित ही उनका अपहरण हुआ है इसलिए मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि शीघ्र ही सीबीआई जांच कराए और उनको छुड़ाने का प्रयास किया जाए।

माननीय सभापति: डॉ. उदित राज को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय सभापति जी, जिस विषय के वर्मा जी ने उठाया है, यह एक साल पुराना मामला है। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि सरकारी आधिकारी जो रेलवे में काम करता था, प्रशिक्षण से लौटने के बाद उनका अपहरण हुआ। हमें दो स्तर पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, एक यह कि स्थानीय जिला स्तर पर मामला दर्ज हुआ जिसे राज्य सरकार देख रही है। दूसरा यह कि वह रेलवे कर्मचारी थे इसलिए रेलवे विभाग से भी जानना चाहेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। इस प्रकार की घटना हुए एक साल हो गया है, वह गरीब परिवार से हैं, दलित परिवार से हैं तो निश्चित रूप से सरकार चिंतित होगी। हम इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को बताने का प्रयास करेंगे।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (**मेरठ**): माननीय सभापति जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंदर हापुड़ खुर्जा रेल खंड पर एक रेलवे ओवर ब्रिज निर्माणाधीन है। इस पुल का निर्माण लगभग पिछले 6 माह से अज्ञात कारणों से बंद है। जब संबंधित आधिकारियों से पूछा जाता है तो कोई सही उत्तर नहीं मिलता। कोई आधिकारी इसका कारण पुल के डिजाइन का दोषपूर्ण होना बतलाता है, कोई धन के अभाव के कारण इसका निर्माण कार्य रुके होने की बात करता है। कुल मिलाकर रेल मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के आधिकारियों की लापरवाही तथा उनके बीच परस्पर समन्वय तथा संवाद के अभाव में इस पुल का निर्माण कार्य रुका पड़ा है।

हापुड़ की यह रेलवे क्रॉसिंग शहर के बीच में है तथा यहां से भारी संख्या में आवागमन होता है। रेलवे पुल के अधूरे पड़े होने के कारण यहां की सड़क भी टूटी पड़ी है एवं निरन्तर जाम की स्थिति बनी रहती है जिसके कारण हापुड़ के नागरिकों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि हापुड़ की समस्या का संज्ञान लेते हुए पुल के अधूरे पड़े हुए निर्माण कार्य को शुरु कराकर रेलवे ओवर ब्रिज को शीघ्र पूरा कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला (**हिसार**)**:** माननीय सभापति जी, जिस तरीके से सदन में मुझसे पूर्व भी सभी वक्ताओं ने कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के बारे में बताया कि किस तरीके से फसल बर्बाद हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि देश के अंदर कोई भी आपदा आती है तो एनडीआरएफ के तहत तुरंत उन परिवारों को सहयोग धनराशि दी जाती है परंतु कृषि क्षेत्र में जब कोई आपदा आती है तो पहली बार सरकार ने एनडीआरएफ को डाइवर्ट करने का काम किया है। मेरी सरकार से यही अपील है कि कृषि क्षेत्र के अंदर भी यदि कोई आपदा आती है, जिस तरह से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या सूखा जैसी कोई आपदा आती है तो उसके लिए सरकार एडीआरएफ (एग्रीकल्चर डिजास्टर रिलीफ फंड) बनाने का काम करे जिसके तहत कॉर्प्स फंड से तुरंत प्रभाव में सरकार धनराशि किसानों तक पहुंचाने का काम करे और एडीआरएफ के अंदर कम से कम 250 करोड़ का कॉर्प्स फंड सरकार तुरंत बनाने का काम करे। माननीय प्रधान मंत्री जी और कृषि मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद।

24.04.2015

[अनुवाद]

माननीय सभापति: श्री पी. पी. चौधरी, राघव लखनपाल, श्रीमती पूनम मादाम, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, बाबू लाल चौधरी को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्दों से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): माननीय सभापति जी, मेरे क्षेत्र का विषय रेल विभाग से संबंधित है। बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में एकमात्र रेलवे जोन का कार्यालय है जिसमें बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेलवे मंडल आता है। इनमें जो विभिन्न कारखाने हैं, इनमें करीब 5 वर्षों में 300 प्रशिणार्थियों ने एप्रैंटिस के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

रेल मंत्रालय के द्वारा 5-10-12 को एक पत्र जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि अप्रेंटिस प्रशिणार्थियों की ग्रुप डी के पदों पर एवजीयों के रूप में नियुक्ति की जानी है। इसी के तहत वहां के प्रशिणार्थी लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन रेलवे विभाग के जी एम के द्वारा जो सूचना दी गई है कि मैं इस संबंध में निर्णय लेने में असक्षम हूं, ऐसा करके प्रशिणार्थियों को सही ढंग से जवाब नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण वहां पर युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। मैं सदन के माध्यम से यह जानकारी देना चाहूंगा कि एवजीयों के रूप में जिन अप्रेंटिसों ने प्रशिक्षण लिया है, जिसमें सेन्ट्रल रेलवे मुम्बई, साउथ सेन्ट्रल सिकन्दराबाद, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल में करीब 200 ऐसे अप्रैंटिस प्रशिक्षणार्थियों को एवेजीयों के रूप में नियुक्ति दी गई है। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हम एक तरफ स्किल्ड डवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं परंतु रेलवे विभाग के इस तरह के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण 300 प्रशिणार्थी जिन्होंने विधिवत रेलवे विभाग का प्रशिक्षण लिया है, उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है जिसके कारण युवाओं में बहुत आक्रोश व्याप्त है। इसलिए सरकार इस ओर ध्यान दे। मेरा यही सरकार से आग्रह है। धन्यवाद।

श्री भगवंत मान (संगरूर): महोदय, किसानों की समस्याओं के बारे में सदन में बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती हैं। चाहे कुदरत की मार हो, चाहे कानून की हो किसानों की मुश्किलें हल नहीं हो रही हैं। पंजाब की मंडियों में जो गेहूं आया है, वह राज्य सरकार ने न तो समय पर लेबर के साथ सम्पर्क किया है और न ही ट्रांसपोर्टर्स के साथ सम्पर्क किया है। अब पल्लेदारों की भी हड़ताल चल रही है, ट्रांसपोर्टर्स की भी हड़ताल चल रही है। मौसम की मार से जो गेहूं बच गया है, उस पर एफसीआई की कुल्हाड़ी चल रही है कि वे टूटे दाने का पन्द्रह रुपए क्विंटल रेट कम करेंगे। जिस दाने का रंग बदल गया है, उसे भी खरीदा नहीं जा रहा है। इस वक्त किसान मंडियों में बिलकुल बेसहारा समझ रहा है। राज्य सरकार कह रही है कि यह केंद्र सरकार का मामला है और केंद्र सरकार कह रही है कि यह राज्य सरकार का मामला है। आप में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का तालमेल होना चाहिए ताकि किसान की भलाई हो सके। मेरा संसदीय क्षेत्र संगरूर है वहां अभी भी जगह-जगह जाम लगा हुआ है और किसान, लेबर, ट्रांसपोर्टर धरने पर बैठे हैं और दूसरी तरफ मंडियों में गेहूं खराब हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार शीघ्र ऐसे क़दम उठाए ताकि पंजाब की मंडियों से किसान का गेहूं उठाए, ताकि अगली फसल बोने के लिए किसान के पास पैसे आएं और वह कर्ज मुक्त हो कर अपना जीवन बसर कर सके।

माननीय सभापति: सभा सोमवार, 27 अप्रैल, 2015 के पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>सांय 06.46 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 27 अप्रैल, 2015 / 7 वैशाख, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

24.04.2015

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

24.04.2015

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित